भारत

के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 1989 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
प्रतिवेदन

संख्या 3

(राजस्व प्राप्तियां)

उत्तर प्रदेश सरकार

विषय-सूची

	सन्दर्भ प्रस्तर	पृष्ठ
प्रस्तावना	...	X
विहंगावलोकन	...	XI
अध्याय 1 सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की गतिविधि	1.1	1
राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण	1.2	1
बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच अन्तर	1.3	6
संग्रह की लागत	1.4	9
बिक्री कर विभाग में कर-निर्धारण कार्य का निष्पादन	1.5	11
असंग्रहीत राजस्व	1.6	18
राजस्व का बट्टे खाते में डाला जाना एवं छूट प्रदान किया जाना	1.7	23
अनिस्तारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन	1.8	24
अध्याय 2 बिक्री-कर		
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.1	28
नई औद्योगिक इकाइयों को बिक्री-कर से मुक्ति	2.2	29

14 A.G.-

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रदान करने में निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किया जाना	2.3	50
मान्यता प्रमाण-पत्र की अनियमित स्वीकृति के कारण राजस्व की हानि	2.4	59
केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम के अन्तर्गत अर्थदण्ड का आरोपित न किया जाना	2.5	65
धारा 4-बी के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित न किया जाना	2.6	72
धारा 15-ए के अन्तर्गत अर्थदण्ड का आरोपित न किया जाना	2.7	84
केन्द्रीय बिक्री-कर का अवनिर्धारण तथा अर्थदण्ड का आरोपित न किया जाना	2.8	87
माल के गलत वर्गीकरण के कारण अवनिर्धारण	2.9	88
अनियमित छूट दिया जाना	2.10	92
घोषणा-पत्रों का दुरुपयोग	2.11	94
अतिरिक्त कर का आरोपित न किया जाना	2.12	98

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
क्रय कर का आरोपित न किया जाना	2.13	101
गलत दर से कर का आरोपण	2.14	105
ब्याज का न लगाया जाना अथवा कम लगाया जाना	2.15	117
गणना में त्रुटि के कारण कर का कम आरोपण	2.16	120
टर्न ओवर का कर निर्धारण से छूट जाना	2.17	123
धन वापसी में विलम्ब के फलस्वरूप ब्याज का परिहार्य भुगतान	2.18	125
अधिक क्रेडिट का दिया जाना	2.19	127
अध्याय 3 राज्य आबकारी		
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.1	130
नियमों की अवहेलना के फलस्वरूप लाइसेंस शुल्क का वसूल न किया जाना	3.2	131
स्पिरिट के मार्गस्थ छीजन पर आबकारी शुल्क का न लगाया जाना या कम लगाया जाना	3.3	137

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
भारत के बाहर निर्यात में आवश्यकता से अधिक मार्गस्थ छीजन पर शुल्क का न लिया जाना	3.4	139
भण्डारण में आवश्यकता से अधिक छीजन	3.5	142
सादी स्पिरिट के निर्यात पर शुल्क का कम लिया जाना	3.6	142
कम अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता अपनाये जाने से लाइसेंस फीस के भुगतान में कमी	3.7	144
विलम्बित भुगतानों पर ब्याज का वसूल न किया जाना	3.8	146
अर्थदण्ड का न लगाया जाना	3.9	148
प्रतिभूति की धनराशि का राज्य खाते में न जमा किया जाना अथवा विलम्ब से जमा किया जाना	3.10	150
जमा प्रतिभूति से लाइसेंस फीस का समायोजन न किया जाना	3.11	151
अध्याय 4 वाहनों, माल और यात्रियों पर कर		
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.1	153

	सन्दर्भ प्रस्तर	पृष्ठ
यात्री-कर का निर्धारण एवं संग्रह	4.2	154
न्यूनतम किराये पर यात्री-कर का निर्धारण न किया जाना	4.3	190
पंजीयन शुल्क, अनुज्ञा शुल्क तथा प्रशमन शुल्क का न वसूल किया जाना/कम वसूल किया जाना	4.4	192
यात्री-कर का अवनिर्धारण	4.5	196
अनुबन्धित वाहनों पर यात्री-कर का अवनिर्धारण	4.6	208
सरकारी कम्पनियों/निगमों के स्वामित्व वाले वाहनों के सम्बन्ध में करों का वसूल न किया जाना	4.7	211
न्यूनतर भार कारक और किराये पर एक मुश्त अनुबन्ध के निष्पादन से यात्री-कर का कम आरोपण	4.8	213
माल कर तथा मार्ग कर का निर्धारण न किया जाना	4.9	214
अध्याय 5 स्टाम्प एवं पंजीकरण		
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.1	220
भूमि के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	5.2	221

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
संशोधित दरों पर स्टाम्प शुल्क आरोपित न किया जाना	5.3	222
मामले के निस्तारण में जिलाधिकारी द्वारा असाधारण विलम्ब	5.4	223
अध्याय 6 भू–राजस्व		
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.1	226
संग्रह प्रभारों की वसूली न करना	6.2	226
अनधिकृत दखीलकारों से भूमि के लगान का निर्धारण अथवा वसूल न किया जाना	6.3	228
मत्स्य आखेट के अधिकार प्रदान किये जाने में अनियमितताएं	6.4	230
अध्याय 7 अन्य कर प्राप्तियाँ		
क–विद्युत शुल्क		
लेखापरीक्षा के परिणाम	7.1	234
विद्युत शुल्क एवं फीस की वसूली	7.2	235
ख – गन्ने के क्रय पर कर		
लेखापरीक्षा के परिणाम	7.3	269

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
कर दर के गलत निर्धारण के कारण बकाया	7.4	269
मिल के अपने फार्म पर गन्ने की उगाई पर गन्ना क्रय कर का भुगतान न किया जाना	7.5	272
अध्याय 8 वन प्राप्तियाँ		
लेखापरीक्षा के परिणाम	8.1	274
रायल्टी दर का गलत नियतन	8.2	275
नियमों का अनुपालन न करने से हानि	8.3	278
उत्पादन के गलत आकलन के कारण राजस्व की हानि	8.4	280
अनुबन्ध के निष्पादन न करने से राजस्व हानि	8.5	282
(बह कर आई लकड़ी के) लाटों के बिक्रय न करने से राजस्व हानि	8.6	283
लीज रेंट की कम वसूली	8.7	285
अध्याय 9 अन्य विभागीय प्राप्तियाँ		
क – सिंचाई विभाग		
लेखापरीक्षा के परिणाम	9.1	287

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
नलकूपों की मरम्मत में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि	9.2	288
नहरों पर पनचक्की के पट्टा अनुबन्धों में नियमों का पालन न किया जाना	9.3	289
सरकारी आवासीय भवनों के आवासियों से जलकर का वसूल न किया जाना	9.4	291
पुनरीक्षित दरों पर निविदा शुल्क की वसूली न किया जाना	9.5	292
ख – सार्वजनिक निर्माण विभाग		
लेखापरीक्षा के परिणाम	9.6	293
पट्टा अनुबन्धों पर सही स्टाम्प शुल्क का न लगाया जाना	9.7	294
विभागीय प्रभारों का वसूल न किया जाना	9.8	295
सरकारी आवासों के आवासियों से किराये का वसूल न किया जाना	9.9	296
स्थानान्तरित कर्मचारियों से किराये का वसूल न किया जाना	9.10	297
सरकारी देयों के भुगतान में विलम्ब हेतु क्षतिपूर्ति का वसूल न किया जाना	9.11	298

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
विभागीय प्राप्तियों का दुरूपयोग	9.12	299
ग – कृषि विभाग		
लेखापरीक्षा के परिणाम	9.13	301
फार्म की उपज में कमी	9.14	302
उर्वरक की बिक्री पर राज सहायता (सब्सीडी) की अनियमित स्वीकृति	9.15	303
घ – सहकारिता विभाग		
लेखापरीक्षा के परिणाम	9.16	304
ङ॰ – खाद्य तथा रसद विभाग		
लेखापरीक्षा के परिणाम	9.17	304
प्रतिभूति निक्षेपों का जब्त न किया जाना	9.18	305
च – श्रम विभाग		
संविदाओं पर स्टाम्प शुल्क का न लगाया जाना	9.19.	307

14 A.G.–

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश सरकार की राजस्व प्राप्तियों पर वर्ष 1988-89 के लिये लेखा परीक्षा प्रतिवेदन इस पृथक खण्ड संख्या 3 में प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदन में सामग्री निम्नलिखित क्रम में रखी गयी है ।

(i) अध्याय 1 में राजस्व प्राप्तियों की गतिविधियों को, कर-राजस्व एवं कर भिन्न राजस्व के अन्तर्गत वर्गीकृत करते हुए, दर्शाया गया है । इस अध्याय में राजस्व के प्रमुख शीर्षों से सम्बन्धित बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों के अन्तर, राजस्व के बकायों की स्थिति, आदि की भी विवेचना की गई है ।

(ii) अध्याय 2 से 9 में कुछ ऐसे रोचक मामलों तथा प्रसंगों का समावेश किया गया है जो बिक्री-कर, राज्य आबकारी, वाहनों माल और यात्रियों पर कर, स्टाम्प शुल्क और निबंधन फीस, भू-राजस्व, विद्युत-शुल्क, गन्ने के क्रय पर कर, मनोरंजन एवं पणन कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियों की लेखा-परीक्षा के दौरान देखने में आई ।

विहंगावलोकन

प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये महत्त्वपूर्ण एवं रूचिकर प्रसंगों का विहंगावलोकन नीचे दिया है :

1. सामान्य

(i) उत्तर प्रदेश सरकार की वर्ष 1988-89 की कुल राजस्व प्राप्तियां 5652.20 करोड़ रूपये थी । इसमें कर राजस्व 2065.74 करोड़ रूपये तथा कर-इतर राजस्व 704.65 करोड़ रूपये था । शेष 2881.81 करोड़ रूपयों की प्राप्तियां (विभाज्य संघीय करों में राज्य का भाग: 1766.09 करोड़ रूपये और सहायक अनुदान 1115.72 करोड़ रूपये) भारत सरकार से हुई । (प्रस्तर 1.2)

(ii) वर्ष 1988-89 के अन्त में बिक्री-कर के 7,42,340 मामले कर निर्धारण हेतु लम्बित पड़े थे । वर्ष 1988-89 के दौरान किये गये कर-निर्धारण के 3,44,140 मामलों में से 1,41,218 मामलों (41 प्रतिशत) का कर-निर्धारण वर्ष के अन्तिम त्रैमास में किया गया । (प्रस्तर 1.5 (क) और (ख))

(iii) वर्ष 1988-89 के अन्त में बिक्री-कर के अन्तर्गत असंग्रीत राजस्व की धनराशि 951.74 करोड़ रूपये, भू-राजस्व के अन्तर्गत 32.56 करोड़ रूपये, गन्ने के क्रय पर कर के अन्तर्गत 10.27 करोड़ रूपये और वानिकी और वन्य जीवन के अन्तर्गत 8.98 करोड़ रूपये थी । (प्रस्तर 1.6)

(iv) जून 1989 के अन्त तक 1,855 लेखा परीक्षा निरीक्षण

तिवेदन (दिसम्बर 1988 तक निर्गत), जिनमें 5,050 आपत्तियां थी
र 82.03 करोड़ रूपयों का राजस्व निहित था, विभिन्न विभागों
निराकरण हेतु पड़े थे । विभागों से 413 निरीक्षण प्रतिवेदनों से
सम्बन्धित प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए थे । (प्रस्तर 1.8)

(V) वर्ष 1988-89 में कुल मिलाकर 43.47 करोड़ रूपयों की धनराशि का अवनिर्धारण एव राजस्व की हानियों का पता चला । ये बिक्री-कर (3.81 करोड़ रूपये), राज्य आबकारी (0.94 करोड़ रूपये), वाहनों, माल और यात्रियों पर कर (1.90 करोड़ रूपये) स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस (0.22 करोड़ रूपये), भू-राजस्व (0.56 करोड़ रूपये), विद्युत शुल्क (0.34 करोड़ रूपये), गन्ने के क्रय पर कर (0.22 करोड़ रूपये), वन प्राप्तियाँ (31.29 करोड़ रूपये) तथा अन्य विभागीय प्राप्तियां (2.39 करोड़ रूपये) से सम्बन्धित थीं ।

(Vi) इस प्रतिवेदन में वर्ष 1988-89 एवं पूर्ववर्ती वर्षों में नमूना जांच के दौरान देखे गये कर न आरोपित किये जाने/कम आरोपित किये जाने, अभिकर, शुल्क, रायल्टी, ब्याज, अर्थदंड आदि के कुछ प्रतिकात्मक मामले और तीन समीक्षाओं के परिणाम जिनमें 16.38 करोड़ रूपयों का आर्थिक परिणाम सन्निहित है, सम्मिलित किये गये हैं । इनमें से 3.17 करोड़ रूपयों का अवनिर्धारण विभागों द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है जिनमें से 0.23 करोड़ रूपये नवम्बर 1989 तक वसूल कर लिये गये थे । शेष 13.21 करोड़ रूपये के विषय में विभाग/सरकार से टिप्पणी/अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 1989) ।

2. **बिक्री-कर**

(i) "नई औद्योगिक इकाइयों को बिक्री-कर से छूट" सम्बन्धी समीक्षा से निम्न तथ्य प्रकाश में आये :

(क) उन 244 इकाइयों में से जिन्होंने मार्च 1988 तक छूट की अवधि पूर्ण कर ली थी, 93 इकाईयों (38 प्रतिशत) या तो छूट की अवधि में अथवा उसके बाद बन्द कर दी गई, शेष 151 इकाईयों में से 94 इकाइयां घटता हुआ टर्न ओवर प्रदर्शित कर रहीं थीं और केवल 57 इकाइयां (23 प्रतिशत) अच्छी दशा में चल रही थीं ।

(प्रस्तर 2.2.5)

(ख) योजना के अन्तर्गत, अधिक समय दे छूट दिये जाने के बावजूद औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए जिले, नई इका की स्थापना आकर्षित नहीं कर सके । (प्रस्तर 2.2.6)

(ग) छूट से सम्बन्धित आवेदन पत्रों पर देर से निर्ण रने के फलस्वरूप राजस्व का भारी नुकसान हुआ । छूट से सम्बन्धि 516 आवेदन पत्र जो अंतत: अस्वीकृत कर दिये गये थे, उनमें से 176 इकाइयों ने छूट के लिये दिये गये आवेदन अस्वीकृत किये जाने के पूर्व 12.20 करोड़ रूपयों का लाभ उठा लिया था । (प्रस्तर 2.2.8)

(घ) 4 मामलों में अनियमित छूट स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप 38.21 लाख रूपयों के राजस्व से हाथ धोना पड़ा । (प्रस्तर 2.2.9)

(ङ) उद्योग निदेशक द्वारा 3 लाख रूपयों से कम की लागत वाली इकाइयों को भी छूट प्रदान किये जाने हेतु जारी किये गये त्रुटिपूर्ण स्पष्टीकरण के फलस्वरूप एक इकाई के मामले में ही, जिसने, जैसा कि योजना में प्रावधान था, 3 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष तक

छूट की सुविधा प्राप्त कर ली थी, 8.32 करोड़ रूपयों के राजस्व की क्षति उठानी पड़ गई । (प्रस्तर 2.2.12)

(ii) आगरा के एक व्यापारी के सम्बन्ध में, पंजीकरण प्रमाण-पत्र स्वीकार करने (जनवरी 1977) के पूर्व निर्धारित सावधानी न बरतने, व्यापारी के व्यक्तिगत विवरण के सम्बन्ध में त्रुटिपूर्ण सत्यापन करने एवं यह पता चलने के बावजूद कि फर्म झूठी थी, शीघ्र कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप अनुमानतः 42.47 लाख रूपयों के राजस्व की हानि हुई । (प्रस्तर 2.3(अ))

(iii) कानपुर मण्डल में साइकिल की सीट में लगने वाला ऊपरी चमड़े का निर्माण करने वाले एक व्यापारी को दोषपूर्ण मान्यता प्रमाण पत्र स्वीकार करने के फलस्वरूप 3.94 लाख रूपयों के राजस्व की हानि हुयी । (प्रस्तर 2.4(अ))

(iv) वर्ष 1983-84 में कानपुर (देहात) के दो व्यापारियों ने 39.29 लाख रूपयों के लोहा एवं स्पात (आयरन एण्ड स्टील) की कर मुक्त खरीद ऐसे झूठे घोषणा पत्रों के आधार पर की कि माल केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के तहत उनको जारी किये गये पंजीयन प्रमाण पत्र के अन्तर्गत आते हैं । व्यापारियों पर 4.71 लाख रूपयों तक का अर्थदण्ड लगाये जाने का दायित्व बनता था, किन्तु कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा कुछ भी अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया । (प्रस्तर 2.5(अ))

(v) गाजियाबाद मण्डल के एक व्यापारी ने रबर की वस्तुओं के निर्माण हेतु 28.02 लाख रूपयों का कच्चा माल कर मुक्त क्रय किया किन्तु उससे पट्टों (बेल्टिंगस) का निर्माण किया जो रबड़ की

सामग्रियाँ के अन्तर्गत नहीं आती। इस दुरूपयोग के लिये 6.72 लाख रूपयों का अर्थदण्ड आरोपणीय था किन्तु कोई अर्थदण्ड नहीं लगाया गया । (प्रस्तर 2.6(1))

(Vi) वर्ष 1980-81 में गाजियाबाद के एक व्यापारी ने 34.62 लाख रूपयों का माल निर्धारित घोषणा पत्र (प्रपत्र XXXI) प्रस्तुत किये बिना ही राज्य के बाहर से आयात किया था जिसपर 13.85 लाख रूपयों का अर्थदण्ड आरोपणीय था, जो कि कर निर्धारण के समय नहीं लगाया गया; किन्तु लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने 3.55 लाख रूपयों का अर्थदण्ड आरोपित किया गया । (प्रस्तर 2.7(अ)(1))

(Vii) कानपुर मण्डल के एक व्यापारी ने 203.04 लाख रूपयों की बिक्री पर घोषणा पत्र के आधार पर, जो कि विभाग द्वारा जाली पाया गया, छूट प्राप्त कर ली, किन्तु कर निर्धारण आदेश पारित करते समय उस पर कोई अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया । लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा 12.20 लाख रूपयों का अर्थदण्ड आरोपित किया गया । (प्रस्तर 2.7(अ)(11))

(Viii) कानपुर के एक व्यापारी द्वारा दिखाया गया 56.58 लाख रूपयों के आयरन एण्ड स्टील का परेषण हस्तान्तरण (कनसाइनमेन्ट ट्रान्सफर) विभाग द्वारा झूठा पाया गया । कर-निर्धारण अधिकारी ने उसकी बिक्री 150 लाख रूपये निर्धारित की । इन बिक्री के मामलों को अन्तर्राज्यी बिक्री माना गया, किन्तु कर 8% की बजाय गलती से 4% लगाया गया, जिससे 6 लाख रूपयों का करारोपण कम हुआ । इसके अतिरिक्त 9 लाख रूपये का अर्थदण्ड जो कि तथ्यों को छिपाने के आरोप में व्यापारी पर आरोपणीय था, नहीं

लगाया गया । लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर 6 लाख रूपयों की अतिरिक्त मांग सृजित की गयी । (प्रस्तर 2.8)

(ix) सीमेंन्ट के एक व्यापारी ने वर्ष 1983-84 के अपने लेखा में सीमेंन्ट की बिक्री तथा जूट की बोरियों की बिक्री अलग अलग दिखाया । बोरियों की 256.15 लाख रूपयों की बिक्री पर कर 8 प्रतिशत (सीमेंन्ट पर आरोपणीय दर) के स्थान पर 6 प्रतिशत की दर पर आरोपित किया गया जिसके फलस्वरूप 5.27 लाख रूपयों का कम कर आरोपित किया गया । (प्रस्तर 2.14(अ))

(X) बिक्री कर मण्डल पीलीभीत में एक करदाता (वन विभाग) के मामले में आरोपणीय कर वास्तव में 24.9 लाख रूपये बनता था किन्तु गणना में त्रुटि के कारण इसकी संगणना 20.50 लाख रूपये किया गया जिसके फलस्वरूप 3.59 लाख रूपयों का कम कर निर्धारण हुआ । लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर 3.59 लाख रूपयों की मांग सृजित कर दी गयी । (प्रस्तर 2.16 (ब))

3. राज्य आबकारी

(i) छीजन विवरण की प्रस्तुति एवं वसूली के आदेश जारी किये जाने के लिये कोई समय सीमा के अभाव में चार आसवनियों में, मार्गस्थ स्प्रिट के निर्धारित सीमा से अधिक छीजन हेतु 8.95 लाख रूपयों का शुल्क कुछ मामलों में दस वर्षों के बाद भी बकाया पड़ा था (प्रस्तर 3.3)

(ii) भारत के बाहर स्पिरिट के निर्यात के दौरान निर्धारित

सीमा से 13,115.95 अल्काहालिक लीटर अधिक छीजन पर 7.21 लाख रूपयों का आबकारी शुल्क पश्चिमी बंगाल के एक हैण्डलिंग एजेन्ट से वसूल नहीं किया गया । लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने एजेन्ट के विरूद्ध मांग-पत्र जारी कर दिया । (प्रस्तर 3.4)

(iii) संविदा की शर्तों के विपरीत देहरादून की एक आसवनी फुटकर विक्रेताओं द्वारा की गई 5.18 लाख लीटर स्प्रिट की मांग की की आपूर्ति करने में असफल रही । संविदा की शर्तों के अनुसार आसवनी द्वारा 90.68 लाख तक का अर्थदण्ड देय था, किन्तु इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी । इसके विपरीत बाद के वर्षों में उसी आसवनी को स्प्रिट आपूर्ति का ठेका दिया गया ।

(iv) अग्रिम प्रतिभूति के रूप में 27 मार्च 1987 को इटावा में 25.16 लाख रूपये (3.16 लाख रूपया नकद तथा 22 लाख रूपया का बैंक ड्राफट) प्राप्त किया गया था । इसमें से 3.16 लाख रूपयों की धनराशि तीन माह 19 दिन बीत जाने के बाद सरकारी खाते में जमा की गयी जबकि 22 लाख रूपयों का बैंक ड्राफट नवम्बर 1989 तक सरकारी खाते में जमा नहीं किया गया था यद्यपि उसे उसी दिन या दूसरे दिन जमा किया जाना अपेक्षित था । (प्रस्तर 3.10)

4. परिवहन विभाग

(i) "यात्री कर के निर्धारण तथा संग्रह", पर की गई एक समीक्षा में निम्न बाते देखने में आई :

(क) राज्य के सकल राजस्व में यात्री-कर से उपलब्ध राजस्व का योगदान उत्तरोत्तर कम होते जाने का संकेत मिलता है ।

1982-83 से 1987-88 की अवधि में यात्री-कर के राजस्व में हुई वृद्धि, उसी अवधि में बसों की संख्या में हुई वृद्धि एवं यात्री-किराये में हुई बढ़ोत्तरी के तदनुरूप नहीं था, इस कमी का प्रसार 95.5 प्रतिशत तक रहा ।

(ख) राज्य परिवहन अधिकारी द्वारा किराये की न्यूनतम दरें लागू करने में विलम्ब किये जाने से राज्य सरकार को 13.26 लाख रूपयों के राजस्व से वंचित होना पड़ा । (प्रस्तर 4.2.6§11§)

(ग) सम्पूर्ण मार्ग की लम्बाई के किराये के आधार पर यात्री कर के निर्धारण न किये जाने के फलस्वरूप 7.23 लाख रूपयों की कम वसूली हुई । (प्रस्तर 4.2.8)

(घ) सम्पूर्ण अनुज्ञापित मार्ग पर यात्री कर का निर्धारण न किये जाने के फलस्वरूप 10.58 लाख रूपयों की कम वसूली की गयी । (प्रस्तर 4.2.12).

(ङ) उत्तर प्रदेश तथा मध्यप्रदेश के बीच 8 अंतर्राज्यीय मार्गों पर अनुज्ञा पत्र जारी करने में विलम्ब के कारण राज्य सरकार को 7.88 लाख रूपयों के यात्री कर से वंचित रहना पड़ा । (प्रस्तर 4.2.15§1§)

(च) यात्री कर जो राज्य को अन्य राज्य/संघ राज्यों से प्राप्त होने वाले यात्री कर के प्रेषणों पर नियंत्रण एवं निगरानी के अभाव में दिल्ली परिवहन निगम ने 226.35 लाख रूपयों के विरूद्ध केवल 150.00 लाख रूपये भेजे । (प्रस्तर 4.2.16)

(ii) आजमगढ़, बरेली, मिर्जापुर और वाराणसी मण्डलों में 16 मार्गों के सम्बन्ध में यात्री कर के भुगतान हेतु निर्धारित न्यूनतम किरायों से भी कम किरायों के आधार पर एक मुश्त समझौता को अंतिम रूप दिये जाने के फलस्वरूप 3.93 लाख रूपया कम कर आरोपित किया गया । (प्रस्तर 4.5(अ) (1))

(iii) जनवरी 1987 में विभागीय सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद भी झाँसी सम्भाग के दो मार्गों पर चल रही गाड़ियों के सम्बन्ध में यात्री-कर हेतु देय एक मुश्त धनराशि के अनुबन्ध पुनरीक्षित न करने के फलस्वरूप 02.25 लाख रूपयों का कम करारोपण हुआ । (प्रस्तर 4.5(अ) (1))

(iv) जनवरी 1984 से दिसम्बर 1988 तक की अवधि में मिर्जापुर उप-परिक्षेत्र में 11 माल वाहनों के सम्बन्ध में 3.08 लाख रूपयों का माल कर तथा मार्ग कर निर्धारित एवं वसूल नहीं किया गया । (प्रस्तर 4.9(अ))

5. स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस

भूमि तथा भवनों के अवमूल्यांकन करने से 40 मामलों में 1.75 लाख रूपयों का स्टाम्प शुल्क कम लगाया गया । लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इन मामलों में 1.74 लाख रूपयों का स्टाम्प शुल्क तथा 1.41 लाख रूपयों का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया । (प्रस्तर 5.2)

6. भू-राजस्व

अन्य निकायों की ओर से वसूली प्रमाण पत्र जारी कर के वसूल किये जाने वाले देयों के सम्बन्ध में 6.10 लाख रूपयों का समाहरण व्यय वसूल नहीं किया गया । (प्रस्तर 6.2)

7. अन्य कर प्राप्तियां

क. विद्युत शुल्क

विद्युत कर तथा शुल्क की वसूली की समीक्षा में निम्नांकित निम्नलिखित बातें देखने में आई :

(i) कुल विद्युत शुल्क का लगभग 90 प्रतिशत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद से वसूल किया जाता है । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश विद्युत (कर) अधिनियम 1952 में विहित प्रावधानों के अनुरूप शुल्क जमा नहीं किया जा रहा है । भुगतान किये गये शुल्क की धनराशि का उपयुक्त की गई ऊर्जा यूनिटों की संख्या के आधार पर सही होने की पुष्टि किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है । (प्रस्तर 7.2.6)

(ii) छः नियत प्राधिकारियों, एक लाइसेंस धारक तथा दो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के वितरण खण्डों में त्रुटिपूर्ण दरों के लागू करने के कारण 24.77 लाख रूपयों की धनराशि का विद्युत कर कम वसूल किया गया । (प्रस्तर 7.2.9.)

(iii) रक्षा कर्मियों को मुफत दी जाने वाली बिजली पर, चार नियत प्राधिकारियों द्वारा 9.75 लाख रूपयों का विद्युत शुल्क आरोपित

नहीं किया गया ।(प्रस्तर 7.2.10)

(iv) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के 10 वितरण प्रखण्डों द्वारा सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों पर लगी बिजलियों द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा पर 8.78 लाख रूपयों का विद्युत शुल्क नहीं आरोपित किया गया अथवा कम आरोपित किया गया । (प्रस्तर 7.2.11)

(v) एक केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठान की आवासीय कालोनी में उपभोग के लिये बेंची गयी विद्युत पर 7.04 लाख रूपयों का विद्युत शुल्क नहीं लगाया गया । (प्रस्तर 7.2.12)

(vi) एक नियत प्राधिकारी एक लाइसेंस धारक, तथा 22 अन्य व्यक्तियों के मामलों में 10 महीनें से 25 वर्ष तक के विलम्ब के बाद भी 75.43 लाख रूपयों के विद्युत शुल्क की वसूली बकाया पड़ी थी । (प्रस्तर 7.2.13)

(vii) विद्युत शुल्क का विलम्ब से भुगतान किये जाने पर तीन लाइसेन्स धारकों से 76.17 लाख रूपयों का व्याज नहीं लिया गया । (प्रस्तर 7.2.14)

(viii) मार्च 1975 तक विलम्ब से भुगतान किये गये शुल्क पर देय 1.76 करोड़ रूपयों के व्याज का भुगतान उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा नहीं किया गया । वर्ष 1975-76 से 1979-80 की अवधि का 3.44 करोड़ रूपयों का व्याज सरकार द्वारा माफ कर दिया गया, यद्यपि अधिनियम में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है

(ix) विद्युत अधिष्ठापनों का सामयिक निरीक्षण तथा परीक्षण मात्र 16 प्रतिशत ही की गयी। अधिष्ठापनों का निरीक्षण न करने से सुरक्षा का खतरा तथा संकट पैदा होने की संभावनाओं के अतिरिक्त 4.76 करोड़ रूपयों का राजस्व जो कि निरीक्षण फीस के रूप में प्राप्त हुआ होता, उसकी भी हानि हुई। (प्रस्तर 7.2.17)

ख. गन्ने के क्रय पर कर

चीनी के उत्पादन में प्रयोग किये गये फैक्ट्री के निजी फार्म में उत्पन्न 1,45,056.40 कुन्तल गन्ने पर 1.81 लाख रूपयों के क्रय-कर का एक फैक्ट्री द्वारा भुगतान नहीं किया गया। (प्रस्तर 7.5)

8. वन प्राप्तियां

(i) अप्रैल 1984 में सरकार द्वारा नियत की गई 1981-82 की संशोधित दरों (41.08 प्रतिशत् वृद्धि को सम्मिलित करते हुए) के स्थान पर विभाग द्वारा पुरानी (ओरिजिनल) दरों पर वृद्धि स्वीकृत करते हुये वर्ष 1982-83 में वन निगम को आबंटित वन सम्पत्ति पर रायल्टी की दरें लगायीं। इस गल्ती के फलस्वरूप 1982-83 से 1987-88 तक 238.10 लाख रूपयों के राजस्व की हानि हुयी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर 154.99 लाख रूपयों की अतिरिक्त मांग (1985-86 तक) निगम के विरूद्ध सृजित की गयी। (प्रस्तर 8.2(ख))

(ii) पांच वन प्रखण्डों में, 1987 के मौसम में तेन्दू पत्ता

एकत्र करने के लिये एजेन्ट द्वारा तीन किस्तों में 468.36 लाख रूपयों की रायल्टी देय थी । इसके विरूद्ध वास्तव में केवल 234.08 लाख रूपयों का रायल्टी के रूप में भुगतान किया गया । 234.28 लाख रूपयों की रायल्टी की शेष धनराशि तथा 26.64 लाख रूपयों के विक्री कर की वसूली की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी । इसके अतिरिक्त अनुबन्ध प्रतिपादित न किये जाने के कारण जो कि नियमानुसार अपेक्षित था, 44.49 लाख रूपयों का स्टाम्प शुल्क भी वसूल नहीं किया जा सका । (प्रस्तर 8.3)

(iii) तीन वन प्रखण्डों में, उत्पादन का गलत अनुमान लगाने के फलस्वरूप 28.65 लाख रूपयों के रायल्टी की हानि हुयी । (प्रस्तर 8.4)

(iv) पांच वन प्रखण्डों में, वन उत्पादनों की बिक्री हेतु आबंटियों से संविदा निष्पादित न किये जाने के कारण स्टाम्प शुल्क के रूप में 14.43 लाख रूपयों के राजस्व की हानि हुयी । (प्रस्तर 8.5)

9. अन्य विभागीय प्राप्तियां

(i) पांच नल कूप प्रखण्डों में नल कूपों की मरम्मत में विलम्ब होने से एक ओर कृषक सिंचाई की सुविधाओं से वंचित रहा और दूसरी ओर सरकार को 3.06 लाख रूपयों के राजस्व की हानि हुई । (प्रस्तर 9.2)

(ii) सार्वजनिक निर्माण प्रखण्डों में, टोल संग्रह के लिये

विभाग द्वारा पट्टा धारकों से किये गये पट्टा अनुबन्धों में 18.89 लाख रूपयों का स्टाम्प शुल्क कम आरोपित किया गया । (प्रस्तर 9.7)

(iii) दो सार्वजनिक निर्माण प्रखण्डों में विभाग द्वारा अमानती (डिपाजिट) कार्यों पर सम्पन्न किये गये 7.30 लाख रूपयों का विभागीय व्यय (डिपार्टमेन्टल चार्जेज) वसूल नहीं किया गया । (प्रस्तर 9.8)

(iv) तीन कृषि कार्यालयों में राजकीय फार्मों में 1985-86 तथा 1986-87 के मध्य गेहूँ तथा धान की अनुमानित तथा वास्तविक उत्पत्ति में विभिन्नता (कमी) अनुमन्य 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक थी जिसके फलस्वरूप राजस्व में 13.80 लाख रूपयों की कमी आयी । जैसा कि निर्गत किये गये अनुदेशों में विहित था इस हानि की वसूली हेतु फार्म अधीक्षक के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी । (प्रस्तर 9.14)

(v) उर्वरक के बिक्री पर प्रदान की जाने वाली सरकारी सहायता (सब्सीडी) समाप्त किये जाने की तिथि के बाद भी अनियमित सहायता प्रदान किये जाने के फलस्वरूप सरकार को 8.25 लाख रूपयों के राजस्व की हानि उठानी पड़ी । (प्रस्तर 9.15)

अध्याय 1

सामान्य

1.1. राजस्व प्राप्तियों की गतिविधि

उत्तर प्रदेश शासन की वर्ष 1988-89 हेतु रू05173.69 करोड़ रूपयों की प्रत्याशित प्राप्तियों के समक्ष कुल राजस्व प्राप्तियाँ 5652.20 करोड़ रूपये थी। गत वर्ष की प्राप्तियों में 28 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में इस वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियों में 1987-88 की प्राप्तियों (5331.93 करोड़ रूपये) की अपेक्षा मात्र 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 5652.20 करोड़ रूपयों की कुल प्राप्तियों में से राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया राजस्व 2770.39 करोड़ रूपये था, जिसमें से 2065.74 करोड़ रूपये कर-राजस्व तथा शेष 704.65 करोड़ रूपये कर-भिन्न राजस्व निरूपित करते थे। भारत सरकार से प्राप्तियां, 2881.81 करोड़ रूपये की रहीं।

1.2. राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण

(क) सामान्य विश्लेषण

वर्ष 1988-89 के दौरान हुई राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण, इससे पूर्व के दो वर्षों के तदनुरूपी आँकड़ों सहित नीचे दिया गया है :

	1986-87	1987-88	1988-89
		(करोड़ रूपयों में)	
1. राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया निजी राजस्व			

(क)कर-राजस्व	1528.60	1988.66	2065.74
(ख)कर-भिन्न राजस्व	502.11	631.39	704.65
योग	**2030.71**	**2620.05**	**2770.39**
II.भारत सरकार से प्राप्तियां-			
(क)विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश	1427.61	1786.79	1766.09
(ख)सहायक अनुदान	713.32	925.09	1115.72×
योग	**2140.93**	**2711.88**	**2881.81**
III.राज्य की कुल प्राप्तियां (I+II)	4171.64	5331.93	5652.20
IV.I से III की प्रतिशतता	49	49	49

(ख) राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों से जुटाया गया कर-राजस्व

वर्ष 1988-89 के दौरान कर-राजस्व से प्राप्तियां (2065.74 करोड़ रूपये) राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियों (2770.39 करोड़ रूपये) की 75 प्रतिशत थी तथा गत वर्ष 1987-88 की प्राप्तियों अर्थात् 1988.66 करोड़ रूपये की अपेक्षा 4 प्रतिशत अधिक थी ।

× ब्योरों के लिये कृपया उत्तर प्रदेश शासन के वित्त लेखे 1988-89 में "विवरण संख्या 11-लघु शीर्षवार राजस्व का ब्योरावार लेखा" देखें ।

वर्ष 1988-89 तथा उससे पूर्व के दो वर्षों के कर-राजस्व का विश्लेषण नीचे दिया गया है :

राजस्व शीर्ष	1986-87	1987-88	1988-89	1987-88 के संदर्भ में 1988-89 में वृद्धि (+) या कमी (-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(करोड़ रूपयों में)			
1.आय तथा व्यय पर अन्य करx	-	0.02	0.01	(-)0.01 (50)
2.भू-राजस्व	29.48	35.75	35.77	(+)0.02 (0.06)
3.स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन फीस	174.11	250.33	251.77	(+)1.44 (0.6)
4.कृषीय भूमि से भिन्न अचल सम्पत्तियों पर कर	—	0.13	0.07	(-)0.06 (46)
5.राज्य आबकारी	228.11	494.15	338.24	(-)155.91 (32)
6.बिक्री कर	716.28	799.42	947.00	(+)147.58 (18)
7.गन्ने के क्रय पर कर	38.51	37.38	27.18	(-)10.20 (27)

× इस शीर्ष के अन्तर्गत व्यवसायों, व्यापारों, आजीविकाओं तथा रोजगारों पर कर प्राप्तियां आती हैं ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.मोटर स्प्रिट और स्नेहनों (लुब्रिकेन्टस) की बिक्री पर कर	102.11	117.23	116.03	(-)1.20
9.वाहनों पर कर	47.29	51.12	89.84	(+)38.72 (76)
10.माल और यात्रियों पर कर	95.63	108.23	125.07	(+)16.84 (16)
11.विद्युत पर कर और शुल्क	36.21	41.78	62.00	(+)20.22 (48)
12.वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क - मनोरंजन कर	60.87	53.12	72.76	(+)19.64 (37)
योग	**1528.60**	**1988.66**	**2065.74**	**(+)77.08 (4)**

(अन्तिम स्तम्भ में कोष्टकों में, आंकड़े प्रतिशतता दर्शित करती है)

गत वर्ष की अपेक्षा कर राजस्व में बढ़ोत्तरी, जो वर्ष 1986-87 में 18 प्रतिशत से बढ़ कर वर्ष 1987-88 में 30 प्रतिशत हो गई थी, वर्ष 1988-89 में घट कर 4 प्रतिशत रह गई । इस मन्दन का मुख्य कारण राज्य उत्पादन शुल्क (155.91 करोड़ रूपये) तथा गन्ने के क्रय पर कर (10.20 करोड़ रूपये) शीर्षों के अन्तर्गत आई राजस्व में कमी रही है जिसका विभागों द्वारा

कोई कारण नहीं बताया गया है । अन्य मुख्य कर प्राप्तियों के अन्तर्गत पर्याप्त वृद्धियों के कारण, स्टाम्प एवं पंजीकरण शीर्ष को छोड़कर जहां पर बढ़ोत्तरी नाम मात्र की थी (एक प्रतिशत से कम) यह कमी आंशिक रूप से पूरी हो गई थी ।

(ग) राज्य का कर-भिन्न राजस्व

वर्ष 1988-89 के दौरान कर-भिन्न राजस्व से प्राप्तियां (704.65 करोड़ रूपये) राज्य की निजी राजस्व प्राप्तियों (2770.39 करोड़ रूपये) की 25 प्रतिशत थी तथा गत वर्ष 1987-88 की प्राप्तियों (631.39 करोड़ रूपये) में 12 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की जब कि गत वर्ष 1986-87 की प्राप्तियों में तदनरूपी वृद्धि 26 प्रतिशत थी ।

वर्ष 1988-89 तथा उससे पूर्व के दो वर्षों के कर-भिनन राजस्व का विश्लेषण नीचे दिया गया है:

राजस्व शीर्ष	1986-87	1987-88	1988-89	1987-88के संदर्भ में 1988-89में वृद्धि (+) या कमी(-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(करोड़ रूपयों में)		
1.ब्याज प्राप्तियां	213.86	295.58	234.54	(-)61.04 (21)
2.विविध सामान्य सेवायें	48.17	66.60	106.67	(+)40.07 (60)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	12.30	21.02	16.33	(-)4.69 (22)
4.वानिकी और वन्य जीवन	78.99	100.80	78.18	(-)22.62 (22)
5.वृहद और मध्यम सिंचाई	44.42	17.16	30.39	(+)13.23 (77)
6.लघु सिंचाई	12.41	11.60	16.30	(+)4.70 (41)
7.अन्य	91.96	118.63	222.24	(+)103.61 (87)
योग	**502.11**	**631.39**	**704.65**	**(+)73.26 (12)**

(अन्तिम स्तम्भ में कोष्ठकों में आँकड़े प्रतिशतता दर्शित करते हैं)

गत वर्ष की प्राप्तियों की तुलना में मुख्य कमियां ब्याज प्राप्तियाँ (1.04 करोड़ रूपये) तथा "वानिकी और वन्य जीवन") (22.62 करोड़ रूपये) में थीं । फिर भी "विविध सामान्य सेवायें" एवं "अन्य" शीर्षों के अन्तर्गत पर्याप्त वृद्धियां हुईं (40.07 करोड़ रूपये व 103.61 करोड़ रूपये) जिससे समग्र रूप से 12 प्रतिशत की वृद्धि रही ।

1.3. बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच अन्तर

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान कर राजस्व तथा कर-भिन्न

राजस्व के बजट अनुमानों और वास्तविक प्रापितयों के बीच अन्तर नीचे दिये गये हैं:

	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	अन्तर वृद्धि(+) कमी(-)	अन्तर की प्रतिशतता
	(करोड़ रूपयों में)			
क.कर राजस्व	1871.88	2065.74	(+)193.85	10
ख.कर-भिन्न राजस्व	577.73	704.65	(+)126.92	22

(ख) राजस्व के प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत अन्तर का विभाजन नीचे दिया गया है :

राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	अन्तर वृद्धि(+) कमी(-)	अन्तर की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(करोड रूपये में)			
क.कर-राजस्व				
1.भू-राजस्व	30.00	35.77	(+)5.77	19
2.स्टाम्प और	200.00	251.77	(+)51.77	26
3.राज्य उत्पाद शुल्क	345.50	338.24	(-)7.26	(-)2
4.बिक्री कर	880.00	947.00	(+)67.00	8
5.मोटर स्प्रिट और स्नेहनों की बिक्री पर कर	116.03	116.03	शून्य	शून्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. गन्ने के क्रय पर कर	27.50	27.18	(-)0.32	(-)1.
7. वाहनों पर कर	55.22	89.84	(+)34.62	63
8. माल और यात्रियों पर कर	112.32	125.07	(+)12.75	11
9. बिजली पर कर और शुल्क	40.02	62.00	(+)21.98	55
10. वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क – मनोरंजन कर	65.23	72.76	(+)7.53	12
ख. कर – भिन्न राजस्व				
11. ब्याज प्राप्तियां	191.98	234.54	(+)42.56	22
12. विविध सामान्य सेवायें	70.07	106.67	(+)36.60	52
13. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	25.80	16.33	(-)9.47	(-)37
14. वानिकी और वन्य जीवन	73.29	78.18	(+)4.89	7
15. वृहद और मध्यम सिंचाई	72.02	30.39	(-)41.63	(-)58
16. लघु सिंचाई	11.45	16.30	(+)4.85	42

कर राजस्व के अन्तर्गत "वाहनों पर कर" तथा "बिजली पर कर और शुल्क" शीर्षों में बजट अनुमानों की तुलना में अन्तर 50 प्रतिशत से अधिक थे। इसी प्रकार कर-भिन्न प्राप्तियों के अन्तर्गत "विविध सामान्य सेवायें" तथा "वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं" में बजट अनुमानों की तुलना में अन्तर 50 प्रतिशत से अधिक थे । चूंकि बजट प्रस्तावों के तैयार करने में त्रुटिपूर्ण अनुमानों के प्रतिपादन के कारण उपलब्ध संसाधनों के यथा संभव (आप्टिमम्) उपयोग में कमी आ सकती है, इस क्षेत्र में शासन का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

1.4. संग्रह की लागत

वर्ष 1986-87 से वर्ष 1988-89 के तीन वर्षों के दौरान राजस्व के प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्तियों के संग्रह पर हुआ व्यय नीचे दिया गया है :

राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	सकल संग्रह से व्यय की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(करोड़ रूपयों में)		
1. भू-राजस्व	1986-87	29.48	27.89	95
	1987-88	35.75	33.95	95
	1988-89	35.77	40.24	112x
2. बिक्री कर	1986-87	716.26	14.74	2
	1987-88	799.42	17.50	2
	1988-89	947.00	24.97	3

x केवल भू-राजस्व के संग्रह के लिए व्यय नहीं दर्शाते । कृपया नीचे दिया उप-प्रस्तर देखें।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.वाहनों पर कर	1986-87	47.29	1.28	3
	1987-88	51.12	1.72	3
	1988-89	89.84	2.21	2
4.माल और यात्रियों पर कर	1986-87	95.63	0.94	1
	1987-88	108.23	0.28	नगण्य
	1988-89	125.07	0.29	नगण्य
5.विद्युत शुल्क	1986-87	36.21	0.74	2
	1987-88	41.78	0.91	2
	1988-89	62.00	1.22	2
6.मनोरंजन कर	1986-87	60.87	2.85	5
	1987-88	53.12	4.52	8
	1988-89	72.76	7.07	10

गत वर्ष के संग्रह की लागत की अपेक्षा वर्ष 1988-89 में बिक्री कर और मनोरंजन कर पर संग्रह लागत में वृद्धि लगभग 43 प्रतिशत तथा 56 प्रतिशत रही । जहां तक भू-राजस्व की संग्रह लागत का प्रश्न है विभाग ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि समस्त सरकारी देयों की सामूहिक रूप से (भू-राजस्व के बकाया देयों) की भांति वसूली करने की योजना के अन्तर्गत भू-राजस्व के देयों के अलावा अन्य देयों की वसूली के लिए अलग से कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की जाती है तथा विभागीय अमीन विभिनन राहतों और अनुग्रह राशियों के विरण के साथ साथ अन्य विभागीय देयों एवं करों की वसूली करते हैं । अर्ध सरकारी संगठनों तथा स्वायत्त संगठनों की ओर से वसूली करने का कार्य भी किया जाता है जिसके लिए संग्रह की गयी राशि के 10 प्रतिशत की दर से विभाग द्वारा संग्रह शुल्क (कलेक्शन चार्जेज) वसूल

किया जाता है,जिसका भी भू-राजस्व शीर्ष में ही जमा किया जाता है ।

1.5. बिक्री-कर विभाग में कर-निर्धारण कार्य का निष्पादन

(क) कर निर्धारण वर्ष 1987-88 तथा 1988"89 के दौरान बिक्री कर विभाग द्वारा निपटाये जाने हेतु अपेक्षित तथा निपटाये गये कर-निर्धारण के मामलों की संख्या के साथ-साथ मार्च के अन्त में निपटाये जाने हेतु बकाया कर-निर्धारण के मामलों की संख्या, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित की गई है, नीचे इंगित की जा रही है:

		1987-88	1988-89
(1) वर्ष के दौरान निपटाये जाने हेतु अपेक्षित कर-निर्धारण के मामलों की संख्या			
	लम्बित मामले	7,41,316	7,73,293×
	चालू मामले	2,94,697	3,03,486
	रिमाण्ड के	9,004	9,701
	योग	**10,45,017**	**10,86,480**
(11)वर्ष के दौराननिपटाये गये कर-निर्धारण के मामलों की संख्या			

× वर्ष 1988-89 का आदि शेष 7,22,428 मामले (1987-88 का अन्तशेष) विभागद्वारा परिशोधित करके 7,73,293 मामले कर दिया गया है । 50,665 मामलों का और जुड़ जाना, विभाग द्वारा मामलों की छान-बीन के फलस्वरूप शामिल किये जाने के कारण हुई है ।

	1987-88	1988-89
लम्बित मामले	3,05,725	3,25,136
चालू मामले	11,234	12,476
रिमाण्ड के मामले	5,630	6,528
योग	**3,22,589**	**3,44,140**
(III) 31 मार्च को निपटाये जाने हेतु लम्बित कर-निर्धारण के मामलों की संख्या		
लम्बित मामले	4,35,591	4,48,157
चालू मामले	2,83,463	2,91,010
रिमाण्ड के मामले	3,374	3,173
योग	**7,22,428**	**7,42,340**
(IV) निपटाये गये मामलों की निपटाये जाने हेतु अपेक्षित कर-निर्धारण के मामलों की संख्या से प्रतिशतता	31	32

निपटाये जाने हेतु अपेक्षित कर-निर्धारण के मामलों की संख्या में से निपटाये गये मामलों की प्रतिशतता बहुत कम है और इस रफतार से प्रतिवर्ष बकाया मामलों की संख्या बढ़ना निश्चित ही है। इस बचे हुये कार्य को संमाप्त करने (ओवरटेक-करने)के लिए विभाग

को कोई न कोई युक्ति निकालनी ही होगी और बकाया मामलों का निपटारा करना होगा ।

(ख) वर्ष के अन्त में कर निर्धारण कार्य की हड़बड़ी

जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, 1987-88 तथा 1988-89 दोनों वर्षों में ज्यादा कर-प्रभाव वाले अधिकांश मामले उन वर्षों के अन्तिम त्रैमास में निपटाये गये थे :

अवधि	1987-88		1988-89	
	निपटाये गये कर-निर्धारण के मामलों की संख्या	निकाली गई मांगे (करोड़ रूपयों में)	निपटाये गये कर-निर्धारण के मामलों की संख्या	निकाली गई मांगें (करोड़ रूपयों में)
अप्रैल से दिसम्बर	1,93,293	161.20	2,02,922	166.99
जनवरी से मार्च	1,29,366	223.97×	1,41,218	243.57E
योग	**3,22,589**	**385.17**	**3,44,140**	**410.56**

(ग) प्रतिबन्धित अवधि के अन्तिम क्षणों में भारी संख्या में मामलों का निपटाया जाना

जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, 1987-88 तथा 1988-89 वर्षों के दौरान निपटाये गये कर-निर्धारण के मामलों में

× आँकड़े विभाग द्वारा संशोधित कर दिये गये है ।
E अनन्तिम

ऐसे मामलों की प्रतिशतता अधिक थी (1987-88 हेतु 66 प्रतिशत 1988-89 हेतु 62 प्रतिशत) जो यदि सम्बन्धित वर्षों में निपटाये न गये होते तो काल-बाधित हो गये होते ।

31 मार्च को समाप्त हुआ वर्ष जिसके दौरान मामले निपटाये गये	निपटाये गये मामलों का वर्षवार विभाजन		
	कर निर्धारण वर्ष जिनसे वे सम्बन्धित थे	मामलों की संख्या	प्रतिशतता
1988	1983-84तक	2,11,734	66
	1984-85	71,539	22
	1985-86	22,452	7
	1986-87	11,234	3
	रिमाण्ड के मामले	5,630	2
	योग	**3,22,589**	
1989	1984-85तक	2,13,566	62
	1985-86	80,197	23
	1986-87	31,373	9
	1987-88	12,476	4
	रिमाण्ड के मामले	6,528	2
	योग	**3,44,140**	

प्रतिबन्धित अवधि के अन्तिम क्षणों में मामलों का बड़ी संख्या में निपटाने की प्रवृत्ति से कर-निर्धारणों में जल्दबाजी, अभिलेखों की अपर्याप्त जांच और समय व्यतीत होने के साथ-साथ

व्यापारियों के दिवालिया हो जाने या न मिलने के कारण राजस्व की हानि की आशंका रहती है । इसके अतिरिक्त कर-निर्धारण के मामलों के निपटाने में बिलम्ब के फलस्वरूप एक से चार वर्षों की अवधि के लिये राजस्व (ऐसे कर-निर्धारणों के दौरान निकाली गयी अतिरिक्त मांगें) अवरूद्ध हो जाता है जो न केवल सरकार की अर्थोपाय (वेज एण्ड मीन्स) स्थिति को ही प्रभावि करता है वरन् ब्यापारियों को आकास्मिक लाभ भी प्रदान करता है ।

(घ) कर-निर्धारण हेतु मामलों के बढ़ते बकाये

31 मार्च 1989 को बकाया कर-निर्धारण के मामलों का, नीचे दिये गये वर्षवार विवरण से यह देखने में आयेगा कि बकाया मामलों की संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है:

कर-निर्धारण वर्ष	मामलों की संख्या
1983-84 तक	620x
1984-85	21,345xx
1985-86	1,69,493
1986-87	2,56,699
1987-88	2,91,010
पुन: कर-निर्धारण हेतु न्यायालयों द्वारा रिमाण्ड किये गये मामले	3,173
योग	7,42,340

x समस्त मामलों पर न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश है ।

xx इसमें निर्धारण/पुनर्निधारण के लिए उ0 प्र0 बिक्री कर 1948 की धारा 21 के अधीन पुन: शुरू किये गये 21,140 मामले सम्मिलित हैं और शेष 205 मामलों में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिये गये हैं।

31 मार्च 1989 को लम्बित पड़े हुये 7,42,340 मामलों को शीघ्र अंतिम रूप देकर बकायों को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिये जाने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि इन मामलों में निहित राजस्व की वसूली के लिये तब तक जोर नहीं दिया जा सकता जब तक कि इनका कर-निर्धारण पूर्ण नहीं कर लिया जाता और कर दाताओं को मांग नोटिसें जारी नहीं कर दी जातीं ।

(इ) अपील तथा पुनरीक्षण के मामलों की प्रगति

1987-88 और 1988-89 वर्षों के दौरान अपील तथा पुनरीक्षण (बिक्री-कर) के मामलों की प्रगति, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया है, नीचे दी गई है :

(i) निर्णीत किये जाने वाले मामलों की संख्या

	अपील के मामले		पुनरीक्षण के मामले	
	1987-88	1988-89	1987-88	1988-89
लम्बित मामले	41,747	58,896	57,114	56,891
चालू मामले	56,188	54,609	18,253	17,302
योग	**97,935**	**1,13,505**	**75,367**	**74,193**

(ii) निर्णीत किये गये मामलों की संख्या

	अपील के मामले		पुनरीक्षण के मामले	
	1987-88	1988-89	1987-88	1988-89
लम्बित मामले	32,921	19,065×	10,241	15,425
चालू मामले	6,118	15,541	8,235	5,221
योग	**39,039**	**34,606**	**18,476**	**20,646**

× विभाग द्वारा दर्शाये गये अनिर्णीत अपील के मामलों की संख्या 78,325 के बजाय 78,890 थी । 574 मामलों का अन्तर लम्बित मामलों की छानबीन के कारण हुआ बताया गया है ।

(iii) अनिर्णीत मामलों की संख्या

	अपील के मामले		पुनरीक्षण के मामले	
	1987-88	1988-89	1987-88	1988-89
लम्बित मामले	8,826	39,257	40,090	41,466
चालू मामले	50,070	39,068	16,801	12,081
योग	58,896	78,325×	56,891	53,547

बिक्री-कर विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये ब्यौरे के अनुसार 31मार्च 1989 को अनिर्णीत अपील तथा पुनरीक्षण के मामलों का वर्षवार विभाजन निम्नवत् था :

वर्ष	31मार्च 1989 को अनिर्णीत	
	अपील के मामले	पुनरीक्षण के मामले
1983 तक	156	6,857
1984	149	3,852
1985	443	7,804
1986	3,943	7,883
1987	17,057	9,949
1988	41,164	13,506
1989 (जनवरी से मार्च 1989 तक)	15,413	3,696
योग	78,325	53,547

(च) **धोखाधड़ी तथा कर अपवंचन के मामलों के निस्तारण की प्रगति**

जानकारी में आये, निस्तारित किये गये और 31मार्च

1989 को लम्बित धोखाधड़ी तथा करअपवंचन के मामलों की स्थिति, जैसा कि बिक्री-कर विभाग द्वारा सूचित की गयी है, निम्न सारिणी में दर्शित की गई है:

1988-89 के प्रारम्भ में लम्बित मामले	वर्ष के दौरान जानकारी में आये मामले	वर्ष के दौरान निस्तारित मामले (निहित धनराशि)	1988-89 के अन्त में लम्बित मामले
8,407	2,921	4,161 (32.57 करोड़ रूपये)	7,167

1.6. असंग्रहीत राजस्व

कुछ प्राप्ति शीर्षों के सम्बन्ध में वर्ष 1988-89 के अन्त में संग्रहण हेतु राजस्व के बकायों के विवरण, जैसा कि विभागों द्वारा प्रस्तुत किये गये है, नीचे दिये गये हैं :

(1) **बिक्री-कर** - 31मार्च 1988 को 783.69 करोड़ रूपयों (पुनरीक्षित) के समक्ष 31मात्र 1989 को 951.74 करोड़ रूपये असंग्रहीत रहे । वर्षवार विवरण नीचे दिये गये हैं :

वर्ष	31मार्च को बकायों की धनराशि 1988	31मार्च को बकायों की धनराशि 1989 (अनन्तिम)	1988-89 के दौरान वसूल किये गये बकायों की धनराशि
	(करोड़ रूपयों में)		
1983-84 तक	137.19 (10 वर्षों से अधिक पुराने 28.63 करोड़ रूपयों के बकाये शामिल है जो कि 1977-78 तक के हैं)	130.69 (19 वर्षों से अधिक पुराने 35.04 करोड़ रूपयों के बकाये शामिल है जोकि 1978-79 तक के हैं)	6.50 (5)

(1)	(2)	(3)	(4)
1984-85	44.26	41.05	3.21 (7)
1985-86	75.85	67.37	8.48 (11)
1986-87	200.15	156.71	43.44 (22)
1987-88	326.24	202.98	123.26 (38)
1988-89	-	352.94	-
योग	783.69	951.74	184.89 (24)

अन्तिम स्तम्भ में कोष्टकों में आंकड़े 1988-89 के दौरान की गई वसूली की 31 मार्च 1988 तक के बकायों से प्रतिशतता दर्शित करते हैं।

951.74 करोड़ रूपयों के बकायों पर कार्यवाही की स्थिति निम्नवत् थीं:

कार्यवाही की स्थिति	बकायों की धनराशि (करोड़ रूपयों में)
(क) वसूली प्रमाण-पत्र द्वारा आवृत्त मांगें (अन्य राज्यों को भेजी गई मागों को छोड़कर)	206.23
(ख) स्थगित की गयी वसूली	
(i) न्यायलयों द्वारा	207.12
(ii) सरकार द्वारा	15.58
(ग) अवरूद्ध वसूली	
(i) संशोधन/समीक्षा के प्रार्थना पत्रों के कारण	13.88

(1)	(2)
(ii) व्यापारियों के दिवालिया हो जाने के कारण	2.34
(घ) बट्टे खाते डाली जाने वाली सम्भावित धनराशि	43.29
(ङ) अन्य वर्गों के बकाये	
(i) सरकारी विभागों के विरूद्ध बकाया	37.80
(ii) परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध बकाया	79.91
(iii) अन्य राज्यों को भेजे गये वसूली प्रमाण-पत्र	38.11
(iv) विभिन्न प्रशासनिक कारणों से अन्तिम रूप से निश्चित न की गई मांगे	307.40
(v) किश्तों में भुगतान की जाने वाली धनराशि	0.88
योग	951.74

(ii) गन्ने के क्रय पर कर - 31 मार्च 1989 को चीनी मिलों से 9.19 करोड़ रूपये तथा खाण्डसारी इकाइयों से 1.08 करोड़ रूपये असंग्रहीत रहे । वर्षवार विवरण नीचे दिये गये हैं:

वर्ष	संग्रहण हेतु बकाये	
	चीनी मिलों से	खाण्डसारी इकाईयों से
	(करोड़ रूपये में)	
1981-82 तक	6.48	0.69

(1)	(2)	(3)
1982-83 से 1985-86 तक	1.39	0.26
1986-87 से 1988-89 तक	1.32	0.13
योग	9.19	1.08

(III) **भू-राजस्व** - 31 मार्च 1989 को संग्रहण हेतु 32.56 करोड़ रूपयों के बकायों में से 13.20 करोड़ रूपयों की वसूली प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को हुई क्षति के आधार पर सरकार द्वारा स्थगित कर दी गयी थी ।.

इसी प्रकार 31 मार्च 1989 को संग्रहण हेतु भूमि-विकास के 2.09 करोड़ रूपयों के बकाये में से 0.83 करोड़ रूपयों की वसूली सरकार द्वारा उन्हीं कारणों से स्थगित कर दी गई थी ।

(IV) **मनोरंजन - कर** - 31 मार्च 1989 को 0.10 करोड़ रूपये असंग्रहीत रहे जिसका वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	बकायों की धनराशि (करोड़ रूपयों में)
1983-84 तक	0.02
1984-85 से 1986-87	0.03
1987-88 से 1988-89	0.05
योग	0.10

ये बकाये कार्यवाही की निम्नलिखित स्थितियों में थे:

कार्यवाही की स्थिति	बकायों की धनराशि (करोड़ रूपयों में)
(I) वसूली प्रमाण-पत्र से आवृत्त मांगे	0.05
(II) स्थगित वसूली	
(क) उच्च न्यायालय तथा न्यायिक अधिकरणों द्वारा	0.02
(ख) सरकार द्वारा	0.01
(III) अन्य स्थितियों में	0.02
योग	0.10

(V) **वानिकी एवं वन्य जीवन** – 31 मार्च 1989 को 8.98 करोड रूपये असंग्रहीत थे । वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है :

वर्ष	बकायों की धनराशि (करोड़ रूपयों में)
1983-84 तक	2.72
1984-85 से 1986-87 तक	0.75
1987-88	1.82
1988-89	3.69 (अनन्तिम)
योग	8.98

8.98 करोड़ रूपयों के ये बकाये, कार्यवाही की निम्नलिखित स्थितियों में थे:

कार्यवाही की स्थिति	बकायों की धनराशि (करोड़ रूपयों में)
(क) ठेकेदारों की प्रतिभूतियों के समक्ष समायोजित किये जाने हेतु प्रस्तावित मांगें	6.88
(ख) वसूली प्रमाण-पत्रों द्वारा आवृत्त मांगें	1.15
(ग) न्यायालयों द्वारा स्थगित वसूली	0.65
(घ) बट्टे खाते डाली जाने वाली सम्भावित धनराशि	0.12
(ड़0) अन्य स्थितियाँ	0.18
योग	8.98

1.7. राजस्व का बट्टे खाते में डाला जाना एवं छूट प्रदान किया जाना

1988-89 के दौरान बट्टे खाते डाली गयी तथा छोड़ दी गयी मांगों के विवरण, जैसा कि कुछ विभागों द्वारा प्रस्तुत की गयी है, नीचे दी गयी है:

विभाग	मामलों की संख्या	निहित धनराशि (लाख रूपयों में)	टिप्पणी
(1) वित्त बिक्री कर	12	0.05	कारण नहीं दर्शाये गये
(2) राजस्व भू- राजस्व (किराये को शामिल करते हुये)	50	439.40	प्राकृतिक आपदायें

1.8. अनिस्तारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन

लेखापरीक्षा में देखे गये अव-निर्धारण, वित्तीय अनियमिततायें तथा मूल लेखे के रख-रखाव में त्रुटियां, जिनका मौके पर निराकरण नहीं हो पाता, कार्यालयों के अध्यक्षों और उनके ऊपर के विभागीय प्राधिकारियों को लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से सूचित की जाती है । अधिक महत्त्वपूर्ण अनियमिततायें विभागाध्यक्षों तथा सरकार को भी प्रतिवेदित की जाती है । छः माह से अधिक अनिस्तारित रहने वाली लेखापरीक्षा आपत्तियों के अर्धवार्षिक प्रतिवेदन को भी विभागाध्यक्षों तथा सरकार को, उनके शीघ्र निस्तारण हेतु, भेजे जाते हैं । लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर उनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर भेजे जाने अपेक्षित होते हैं ।

(क) दिसम्बर 1988 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या, जो विभागों में निस्तारण हेतु 30जून 1989 तक पड़े रहे, विगत दो वर्षों के तदनुरूपी आंकड़ों के साथ, नीचे दी गयी है:

	जून के अन्त में		
	1987	1988	1989
1. अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,089	2,136	1,855
2. अनिस्तारित लेखा-परीक्षा आपत्तियों की संख्या	5,219	5,302	5,050

3. निहित प्राप्ति की धनराशि (करोड़ रूपयों में)	58.70	51.91	82.03

(ख) निम्न सारणी में दिसम्बर 1988 तक जारी परन्तु 30 जून 1989 तक अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्राप्तिवार विवरण दिखाये गये हैं ।

प्राप्ति का स्वरूप	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवदनों/ प्रस्तरों की संख्या		निहित राजस्व की धनराशि (करोड़ रूपयों में)	वर्ष जिससे सबसे पुराना प्रतिवेदन संबंधित है
	प्रतिवेदन	प्रस्तर		
1. भू-राजस्व	215	436	1.25	1980-81
2. स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन फीस	352	765	1.28	1981-82
3. राज्य आबकारी	183	291	2.19	1981-82
4. बिक्री कर	409	1195	5.45	1980-81
5. गन्ने के क्रय पर कर	109	143	3.05	1980-81
6. वाहनों, माल और यात्रियों पर कर	69	647	3.82	1979-80
7. विद्युत शुल्क	35	48	0.37	1980-81

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.मनोरंजन कर	12	12	0.01	1986-87
9.सार्वजनिक निर्माण कार्य	56	208	1.36	1984-85
10.सहकारिता	17	21	0.06	1984-85
11.कृषि कार्य	24	53	0.27	1985-86
12.खाद्य और रसद	23	53	0.11	1984-85
13.वानिकी और वन्य जीवन	281	923	57.83	1975-76
14.सिंचाई	70	255	4.98	1984-85
योग	1855	5050	82.03	

(ग) निम्नलिखित प्राप्ति-शीर्षों से सम्बन्धित, 1855 लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों में से 413 लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के मामलों में 30जून 1989 तक विभागों से प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुये थे:

30जून 1989 को अनिस्तारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या			
तीन वर्ष एव उससे अधिक समय से अनिस्तारित(मार्च 1986 तक जारी)	दो वर्षों से अधिक परन्तु तीन वर्षों से कम समय से अनिस्तारित (1986-87 के दौरान जारी)	दो वर्षों से कम समय से अनिस्तारित(1987-88एवं 1988-89 के दौरान जारी)	योग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.भू-राजस्व	–	–	35	35
2.स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन फीस	–	–	25	25
3.राज्य आबकारी	–	–	18	18
4.बिक्री कर	4	3	83	90
5.गन्ने के क्रय पर कर	7	–	3	10
6.वाहनों, माल और यात्रियों पर कर	–	–	32	32
7.विद्युत शुल्क	–	–	12	12
8.सार्वजनिक निर्माण	2	10	12	24
9.सहकारिता	–	8	1	9
10.कृषि कार्य	3	5	5	13
11.खाद्य और रसद	–	2	3	5
12.वानिकी और वन्य जीवन	14	15	66	95
13.सिंचाई	10	5	30	45
योग	40	48	325	413

अध्याय 2
बिक्री-कर

2.1. लेखापरीक्षा के परिणाम

1988-89 के दौरान किये गये, बिक्री-कर कार्यालयों के अभिलेखों के जांच परीक्षण से 1,132 मामलों में 381.02 लाख रूपयों के कर के कम लगाये जाने तथा ब्याज और अर्थदण्ड के न लगाये जाने अथवा कम लगाये जाने का पता चला, जो मोटे तौर से निम्नांकित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रूपयों में)
1. ब्याज/अर्थदण्ड का न लगाया जाना अथवा कम लगाया जाना	279	120.08
2. छूटों की अनियमित स्वीकृति	137	108.56
3. कर की गलत दरों का लगाया जाना	146	82.45
4. अतिरिक्त कर का न लगाया जाना/कम लगाया जाना	108	11.03
5. टर्नओवर का कर निर्धारण से छूट जाना तथा टर्नओवर का गलत निर्धारण	74	9.82
6. गणनात्मक त्रुटियाँ	68	8.24

7. माल का गलत वर्गीकरण	81	8.05
8. अन्य अनियमितताएं	239	32.79
योग	1,132	381.02

1988-89 और पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान देखे गये कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकरण एवं नई औद्योगिक इकाइयों को बिक्री-कर मुक्ति की समीक्षा के निष्कर्ष अनुवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित है।

2.2. नई औद्योगिक इकाइयों को बिक्री-कर से मुक्ति

2.2.1. प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम 1948 की धारा 4ए के अन्तर्गत यदि राज्य सरकार का यह मत है कि किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए या राज्य में समान्यतया अथवा विशेषरूप से किसी जिले में या जिलों के किसी भाग में, उद्योग के विकास को प्रोन्नत करने के लिये ऐसा करना अपेक्षित है तो वह विज्ञप्ति द्वारा आवेदन प्राप्त करके अथवा अन्यथा यह घोषित कर सकती है कि ऐसी वस्तुओं के विक्रय से सम्बन्धित टर्नओवर, निर्माताओं द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से ऐसी अवधि के लिये जो 7 वर्षों से अधिक न हो, और ऐसी विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन जैसी की अधिसूचित की गई हों, बिक्री-कर से मुक्त होगा अथवा ऐसी घटी दरों पर आरोपणीय होगा जैसा कि वह नियत करे ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी दिनांक 30 सितम्बर 1982 की विज्ञप्ति में 3 लाख रूपये से अधिक निवेशित पूंजी वाली राज्य में स्थापित नई इकाईयों, की बिक्रियों के टर्नओवर को विभिन्न

अवधियों के लिये (उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से "ए"* क्षेत्र में 11 जिलों हेतु 7 वर्ष के लिये "बी"* क्षेत्र में 30 जिलों हेतु 6 वर्ष के लिये एवं "सी"* क्षेत्र में 17 जिलों हेतु 5 वर्ष के लिये कर के भुगतान से मुक्ति प्रदान की थी । किसी नई इकाई को इस मुक्ति हेतु पात्र होने के लिये अपेक्षित था कि वह:

(i) पहली अक्टूबर 1982 और 31 मार्च 1990 के बीच स्थापित की गई हों,

(ii) फैक्ट्री अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हों।

(iii) भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी तथा उपस्करों में 3 लाख रू० से अधिक पूंजी निवेश हों; और

(iv) ऐसी मशीनरी, पुर्जों या संघटकों का प्रयोग करती हो जो पहले प्रयुक्त न किये गये हों अथवा उत्तर प्रदेश में किसी अन्य फैक्ट्री या कर्मशाला में प्रयोग हेतु अधिप्राप्त न किये गये हों । 12 अक्टूबर 1983 से भारत में कहीं भी किसी फैक्ट्री या कर्मशाला में प्रयुक्त या प्रयोग के लिये अधिप्राप्त की गई मशीनरी इत्यादि से स्थापित नई इकाइयां भी छूट की हकदार नहीं थीं।

---

* क्षेत्र "ए" के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा चयनित वे 11 जिले आते हैं जिनमें कोई बड़ा या औसत श्रेणी का उद्योग नहीं था, क्षेत्र "बी" में वे 30 जिले आते हैं जो औद्योगिक विकास की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा पिछड़े माने गये थे और क्षेत्र "सी" के अन्तर्गत शेष जिले आते हैं ।

दिनांक 27 अगस्त 1984 की एक अन्य विज्ञप्ति द्वारा उक्त क्षेत्रों मेंस्थापित 3 लाख रूपये से कम पूंजी निवेश वाली नई इकाइयां भी (जिनके उत्पादन की तिथि 1 अक्टूबर 1982 और 31मार्च 1985 के बीच पड़ती हो, जिसे बाद में 31मार्च 1990 तक बढ़ा दिया गया) ऐसे लाभ की पात्र तो कर दी गयीं, किन्तु अपेक्षाकृत कम अवधि के लिये। 3 लाख से अनधिक पूंजी निवेश वाली नई इकाइयों के मामले में छूट की अवधि 11 जिलों (क्षेत्र "ए" के रूप में सन्दर्भित) में स्थित इकाइयों के लिये 5 वर्ष, 30 जिलों (क्षेत्र "बी" के रूप में सन्दर्भित) हेतु 4 वर्ष और शेष 17 जिलों (क्षेत्र "सी" के रूप में सन्दर्भित) हेतु 3 वर्ष थी।

सरकारी विज्ञप्तियों के अनुसार, योजना का प्रयोजन राज्य में पूंजी निवेश को बढ़ाना एवं राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक बड़ा उद्योग स्थापित करने में सहायता प्रदान करना था । 11 पिछड़े जिलों (क्षेत्र ए) में नई इकाइयों को छूट हेतु अपेक्षाकृत लम्बी अवधि, राज्य सरकार द्वारा अन्य जिलों की अपेक्षा इन जिलों के औद्योगीकरण हेतु दी गयी प्राथमिकता की सूचक है ।

2.2.2. लेखापरीक्षा का क्षेत्र

योजना के कार्य सम्पादन तथा प्रभाव की समीक्षा मार्च 1989 से जून 1989 के दौरान चार जिलों अर्थात् बरेली, गाजियाबाद न्यू ओखला इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी (नोएडा) सहित) कानपुर और लखनऊ में बिक्री कर आयुक्त तथा बिक्री कर कार्यालयों में अभिलेखों के जांच परीक्षण के माध्यम से विस्तार से समीक्षा की गई ।

इसी प्रयोजन हेतु इन जिलों में उद्योग विभाग के कार्यालयों में सम्बन्धित अभिलेखों का भी सत्यापन किया गया ।

नोएडा में सेक्टर 1 एवं 3 में बार-बार अनुरोधों के बावजूद विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये और परिणामस्वरूप बहुत से लेखापरीक्षा जांच से छूट गये ।

2.2.3. संगठनात्मकढांचा एवं प्रक्रियात्मक पहलू

अधिनियम की धारा 4-ए में प्रावधान है कि कर निर्धारण अधिकारी नई इकाई को बिक्री कर भुगतान से छूट तभी प्रदान करेगा जब वह उद्योग विभाग द्वारा इसको जारी पात्रता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे । पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए किसी इकाई को निर्धारित प्रपत्र में जिला उद्योग केन्द्र को आवेदन पत्र देना होता है । आवश्यक जांच के पश्चात्, इसे पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उद्योग निदेशक को अग्रसारित करना होता है । दूसरे शब्दों में, योजना की प्रारम्भिक अवधि में पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने में बिक्री-कर विभाग का कोई हाथ नहीं था ।

किन्तु 26 दिसम्बर 1985, से इस प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया गया । संशोधित प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों पर समितियों द्वारा आवेदन पर विचार किया जाना अनुचिन्तित है जिनमें बिक्री कर विभाग का एक प्रतिनिधि भी सदस्य रहता है । समिति का गठन निम्नवत है:

जिला स्तरीय समिति

(1)	जिलाधिकारी	अध्यक्ष

(2)	प्रधान प्रबन्धक (जिला उद्योग केन्द्र)	संयोजक
(3)	बिक्री कर अधिकारी	सदस्य

समिति की संस्तुतियां क्षेत्रीय समिति एवं तत्पश्चात् राज्य समिति के समक्ष रखी जानी होती है, जिनका गठन निम्नवत् है:

क्षेत्र स्तरीय समिति

(1)	आयुक्त	अध्यक्ष
(2)	उद्योग का क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक	समन्वय अधिकारी
(3)	उपायुक्त (कार्यकारी), बिक्री-कर	सदस्य

राज्य स्तरीय समिति

(1)	उद्योग निदेशक	अध्यक्ष
(2)	आयुक्त, बिक्री-कर	सदस्य
(3)	निदेशक, प्रादेशीय औद्योगिक एवं निवेश निगम, उत्तर प्रदेश	सदस्य

आयुक्त बिक्री-कर एवं उद्योग निदेशक के बीच किसी भी प्रकार का मतभेद होने की दशा में मामला सरकार को सन्दर्भित किया जाना अपेक्षित है।

विवादास्पद प्रकरणों की जांच एक समिति द्वारा की जानी होती है जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधान सचिव (उद्योग) और

14

सदस्यों के रूप में वित्त सचिव तथा संस्थागत वित्त के सचिव होते हैं । इस समिति का निर्णय अंतिम होता है ।

2.2.4. मुख्य – मुख्य बातें

(i) उन 244 इकाइयों में से, जिन्हें मार्च 1988 तक कर-मुक्ति का सम्पूर्ण लाभ प्राप्त हो चुका था, 93 इकाइयां (38 प्रतिशत) या तो कर-मुक्ति की अवधि के दौरान अथवा उसके उपरान्त बन्द की जा चुकी थीं; शेष 151 इकाइयों में से 94 इकाइयां घटता हुआ टर्नओवर (व्यापार) प्रदर्शित कर रही थीं जबकि शेष 57 इकाइयां (23 प्रतिशत्) प्रगतिशील टर्नओवर दर्शित कर रही थीं ।

(ii) अपेक्षाकृत अधिक अवधि के लिए स्वीकृत छूट के बावजूद औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले नई इकाइयों को आकृष्ट करने में असफल रहे । उदाहरणार्थ, 11 पिछड़े जिलों में से 7 जिले 20 लाख रूपये या अधिक निवेश वाली किसी भी इकाई को आकर्षित करने में असफल रहे ।

(iii) दूसरे राज्यों के विपरीत, उत्तर प्रदेश में यह योजना उद्योग की प्रकृति अथवा आकार अथवा निवेशित पूंजी से सम्बद्ध नहीं की गई थी बहुत सी इकाइयां जिनमें बहुत कम पूंजी निवेशित थी, अत्यधिक कर मुक्ति का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त बन्द कर दी गई ।

(iv) कर मुक्ति हेतु आवेदनों पर निर्णय में विलम्ब के कारण राजस्व की बहुत बड़ी क्षति हुई । 516 इकाइयों में से 176 इकाइयों

ने, जिनके करमुक्ति के अनुरोध अन्तत: अस्वीकृत कर दिये गये थे, अपने अनुरोधों की अस्वीकृति के पूर्व ही 12.20 करोड़ रूपयों का लाभ उठा लिया था ।

(V) 4 प्रकरणों में अनियमित कर मुक्ति स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप 38.21 लाख रूपयों के राजस्व की हानि हुई । दो अन्य प्रकरणों में विवरणों के अभाव में राजस्व-क्षति का अनुमान नहीं लगाया जा सका ।

(Vi) ऐसी इकाइयों को भी जिनमें 3 लाख रूपयों से कम पूंजी निवेश था, करमुक्ति की सुविधा दिये जाने हेतु उद्योग निदेशक द्वारा जारी किये गये त्रुटिपूर्ण स्पष्टीकरण के फलस्वरूप केवल एक इकाई के प्रकरण में ही 8.32 करोड़ रूपयों के राजस्व की क्षति हुई।

2.2.5. करमुक्त इकाइयों के सांख्यिकीय विवरण

(क) अक्टूबर 1982 से मार्च 1989 तक अनेक इकाइयों द्वारा प्राप्त बिक्रीकर से छूट की धनराशि के वर्षवार आंकड़े बिक्रीकर विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे । फिर भी मार्च 1988 तक सम्पूर्ण राज्य में मण्डलवार स्थापित इकाइयों की संख्या और उनके द्वारा प्राप्त कुल करमुक्ति की सूचना, जैसाकि बिक्रीकर विभाग द्वारा दी गई है, नीचे दर्शित की गई है:

क्रम संख्या	मंडल	स्थापित इकाइयों की संख्या	प्राप्त की गई करमुक्ति (करोड़ रूपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आगरा	232	5.74

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	अलीगढ़	68	2.23
3.	इलाहाबाद	263	4.78
4.	बरेली	357	19.27
5.	गाजियाबाद	1,078	47.74
6.	गोरखपुर	196	7.49
7.	कानपुर	350	18.85
8.	लखनऊ	276	8.54
9.	मेरठ	187	7.13
10.	मु[illegible]दाबाद	197	11.09
11.	सहारनपुर	368	9.33
12.	वाराणसी	91	2.46
	योग	3,663	144.65

(ख) सम्पूर्ण राज्य के सम्बन्ध में निम्नांकित सूचना बिक्री कर विभाग द्वारा दी गयी है:

(i) उन इकाइयों की संख्या जिनकी करमुक्ति की अवधि मार्च 1988 तक समाप्त हो गयी थी उपर्युक्त (i) में से	244
(ii) करमुक्ति की अवधि के दौरान बन्द की गई इकाइयां	76
(iii) करमुक्ति की अवधि के बाद बन्द की गई इकाइयां	17
(IV) करमुक्ति की अवधि की समाप्ति के बाद टर्नओवर व्यापार में (वर्धमान रूख) दर्शित करने वाली इकाइयां	57

(V) करमुक्ति की अवधि की समाप्ति के बाद टर्नओवर में अवरोही रूख दर्शित करने वाली इकाइयां 94

इस प्रकार, 244 इकाइयों में से 93 इकाइयां (38 प्रतिशत) या तो करमुक्ति की अवधि के दौरान या करमुक्ति की अवधि के बीत जाने पर बन्द हो गई । केवल 57 इकाइयां (23 प्रतिशत) करमुक्ति की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी प्रगति दर्शित करती रहीं।

2.2.6. पिछड़े जनपदों को सीमित लाभ

(i) उद्योग विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, कर से छूट तथा पात्रता प्रमाण-पत्र की स्वीकृति की इच्छुक नई औद्योगिक इकाइयों से पहली अक्टूबर 1982 से 31 मार्च 1989 के दौरान प्राप्त 5,350 आवेदनों में से "ब" एवं "स" परिक्षेत्रों के लिए प्राप्त क्रमशः 2,393 एवं 2,567 आवेदनों के समक्ष 11 पिछड़े जनपदों (परिक्षेत्र "अ") के सम्बन्ध में केवल 390 आवेदन थे । इसी भांति जबकि "अ" क्षेत्र में 145 पात्रता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किए गए थे, परिक्षेत्र "ब" व "स" के लिए क्रमशः 1,161 तथा 1,212 पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे ।

(ii) राज्य में औद्योगिक रूप से पिछड़े 11 जनपदों में (परिक्षेत्र "अ" के रूप में संदर्भित) छूट की अपेक्षाकृत लम्बी अवधि होने के बावजूद इस योजना से केवल सीमित लाभ ही प्राप्त किया ।

परिक्षेत्र "अ" में उद्योगों के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र की इच्छुक नई इकाइयों की संख्या कम थीं, ऐसी इकाइयों द्वारा प्राप्त किये गये पात्रता प्रमाण-पत्रों की संख्या और भी कम थी । इस प्रकार परिक्षेत्र "ब" में 49 प्रतिशत तथा परिक्षेत्र "स" में 47 प्रतिशत के विपरीत इस परिक्षेत्र के केवल 37 प्रतिशत आवेदकों ने ही पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया । पुनः मार्च 1989 तक स्वीकृत 2,518 पात्रता प्रमाण-पत्रों में से 1,934 नोएडा (परिक्षेत्र ब में) तथा परिक्षेत्र "स" के अन्य जनपदों में स्थापित इकाइयों को निर्गत किए गए थे जो पहले से ही औद्योगिक रूप से प्रोन्नत (ऐडवान्स्ड) थे । दूसरी ओर निर्गत प्रमाण-पत्रों में से केवल 5 प्रतिशत (145) परिक्षेत्र "अ" में स्थित इकाइयों के लिये थे । यह भी दृष्टिगत हुआ कि परिक्षेत्र "अ" के चमोली तथा उत्तर काशी जनपदों से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था, जबकि परिक्षेत्र "ब" के बलिया जनपद से पांच आवेदन और पिथौरागढ़ जनपद से एक आवेदन प्राप्त हुआ था । किन्तु इन चार जनपदों (चमोली, उत्तरकाशी, बलिया तथा पिथौरागढ़) में एक भी इकाई को पात्रता प्रमाण-प्रत्र नहीं प्राप्त हुआ । अल्मोड़ा, आजमगढ़, बदायूं, बहराइच, इटावा, गाजीपुर, हरदोई और ललितपुर (परिक्षेत्र "ब" में) तथा जौनपुर (परिक्षेत्र "अ" में) जनपदों में भी निर्गत पात्रता प्रमाण-पत्रों की संख्या प्रत्येक में पांच से कम थी । यह इंगित करता है कि जो जनपद, औद्योगिक रूप से पिछड़े थे, वे इस योजना के परिचालन के बावजूद भी, नई इकाइयों को, आकर्षित करने में असफल रहे ।

2.2.7. पिछड़े जनपदों में भारी औद्योगिक इकाइयों के स्थापित करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ

मार्च 1989 के अन्त में उन औद्योगिक इकाइयों द्वारा जिन्होंने परिक्षेत्र "अ" के जनपदों में पात्रता प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन किया था, पूंजी निवेश की स्थिति निम्नवत् थी:

क्रम संख्या	जनपद	पात्रता प्रमाण-पत्र स्वीकृत इकाइयां	स्तम्भ(3) की इकाइयोंकी द्वारा निवेशित पूंजी (लाख रूपयों में)	उन इकाइयों की संख्या जिनके आवेदन लम्बित हैं	स्तम्भ(5) की इकाइयों द्वारा निवेशित पूंजी(लाख रूपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बांदा	3	6.17	3	5.76
2.	चमोली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	फतेहपुर	3	18.26	7	57.89
4.	हमीरपुर	4	17.63	12	55.63
5.	जालौन	6	24.54	14	37.82
6.	जौनपुर	4	21.61	21	283.76
7.	कानपुर (देहात)	सूचना उपलब्ध नहीं			
8.	पौड़ी गढ़वाल	8	31.49	7	24.70
9.	सुल्तानपुर	5	3.52	14	177.15
10.	टेहरी गढ़वाल	4	113.44	9	122.82
11.	उत्तरकाशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग	**37**	**236.66**	**87**	**765.53**

उपर्युक्त 11 जनपदों में से केवल टेहरी गढ़वाल में 20 लाख से अधिक पूंजी निवेश की 2 औद्योगिक इकाइयों को पात्रता

प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया था । फतेहपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर और टेहरी गढ़वाल के जनपदों में 31मार्च 1989 को ऐसी 10 इकाइयों के आवेदन लम्बित थे । 7 जनपद 20 लाख अथवा उससे अधिक के निवेश वाली इकाइयों को आकर्षित करने में असफल रहे । इस प्रकार दिनांक 30 सितम्बर 1982 की शासकीय विज्ञप्ति में निर्धारित प्रत्येक पिछड़े जनपद में कम से कम एक भारी उद्योग को आकर्षित करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ ।

2.2.8. पात्रता प्रमाण-पत्र की स्वीकृति हेतु आवेदनों पर निर्णय में विलम्ब

26 दिसम्बर 1985 तक विद्यमान प्रक्रिया के अन्तर्गत, पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए, किसी नई इकाई को जिला उद्योग केन्द्र को आवेदन देना अपेक्षित था । आवश्यक जांच के उपरान्त इसे पात्रता प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए उद्योग निदेशक को अग्रसारित किया जाना था । जैसा कि ऊपर प्रस्तर 2.2.3. में उल्लिखित है पुनरीक्षित प्रक्रिया में, विभिन्न स्तरों पर अनेक समितियों द्वारा, आवेदन पर विचार करना अनुचिन्तित है ।

लम्बी अवधि तक लम्बित पड़े रहने के उपरान्त अंततः यदि आवेदन अस्वीकृत कर दिये जाते हैं तो कर के बकाये के भुगतान में व्यापारियों को होने वाली असुविधा से बचाने अथवा छूट या किस्तों की सुविधा हेतु उनकी मांगों को न उत्पन्न होने देने की दृष्टि से 15 दिसम्बर 1987 को वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र में यह निर्धारित किया गया है कि पात्रता प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन उनकी

प्राप्ति के तीन माह के अन्दर अन्तिम रूप से निर्णीत कर दिये जाने चाहिये ।

एक बार पात्रता प्रमाण पत्र के लिये आवेदन दे देने पर एवं वस्तु का उत्पादन व बिक्री प्रारम्भ हो जाने पर लम्बन की अवधि में इकाई अपने छूट के दावे का परित्याग किये बिना, अपनी बिक्रियों पर कर वसूलने के लिए प्राधिकृत नहीं रह जाता । इस प्रकार पात्रता प्रमाण पत्र स्वीकृत न होने की दशा में ऐसी इकाई से जिसने अपने आवेदन के लम्बन की अवधि में कर वसूल नहीं किया है कर वसूल किया जाना कठिन होगा ।

पांत्रंता प्रमाण-पत्र की स्वीकृति हेतु मार्च 1989 तक नई इकाइयों द्वारा दिए गए 5,350 आवेदनों में से 31 मार्च 1989 को 1,654 (31 प्रतिशत्) लम्बित थे । इनमें से 1,106 (67 प्रतिशत) जिला उद्योग केन्द्रों के पास तथा शेष संयुक्त निदेशक उद्योग के कार्यालयों में इकाइयों से सूचना प्रलेखों के अभाव में तथा साथ ही बिक्री कर विभाग से जांच प्रतिवेदन के अभाव में भी, लम्बित पड़े थे।

उन तीन जनपदों (बरेली, गाजियाबाद और कानपुर) में, जिनमें जांच की गई यह दृष्टिगत हुआ कि 31 मार्च 1989 के अन्त में 171 आवेदन लम्बित थे, जिनमें से 7 1984-85 से लम्बित थे । इन लम्बित आवेदनों में जैसा कि नीचे दर्शित है, 15.78 करोड़ रूपये की कर-सम्भाव्यता निहित है:

वर्ष जबसे छूट मांगी गई है	इकाइयों की संख्या	कर सम्भाव्यता की धनराशि (लाख रूपयों में)
1984-85	7	54.21
1985-86	17	155.64
1986-87	17	512.52
1987-88	62	607.29
1988-89	68	249.06
योग	**171**	**1578.72**

बरेली में, 1984-85 तथा 1985-86 के मध्य प्राप्त 8 आवेदन जिला स्तर समिति द्वारा जब और जैसे प्राप्त हुए क्षेत्रीय स्तर समिति को पात्रता प्रमाण-पत्र स्वीकृत न करने की संस्तुति के साथ अग्रसारित किये गये थे लेकिन उन पर मार्च 1989 तक निर्णय नहीं लिया गया ।

सम्पूर्ण राज्य में, मार्च 1989 तक 1178 आवेदन अस्वीकृत किये गये थे । इनमें से, 516 अस्वीकृत आवेदन बरेली, गाजियाबाद और कानपुर के तीन जनपदों से सम्बन्धित थे । उक्त में से, 176 नई इकाइयों ने अपने आवेदन अस्वीकार किये जाने से पहले ही अपनी छूट की अवधि पूर्ण कर ली थी । वे 127.98 करोड़ रूपयों के टर्नओवर पर 12.20 करोड़ रूपयों की छूट प्राप्त कर चुकी थी जो अनियमित थी और यह निर्णय लेने में किये गये विलम्ब के परिणाम-स्वरूप था ।

पात्रता प्रमाण-पत्रों के लिये आवेदनों पर उनकी प्राप्ति के 3 मासों के अन्दर अन्तिम रूप से निर्णय लेने के लिये शासन के विशिष्ट आदेशों के बावजूद भी, बड़ी संख्या मे आवेदन लम्बे समय तक अनिर्णीत पड़े रहे, जो निर्धारित पद्धति का अनुसरण किये जाने का द्योतक था । अतः योजना को सांविधिक रूप देने के व्यवहार्यता और आवेदनों के निस्तारण के लिए सांविधिक समय सीमा निर्धारित करने पर शासन यदि उपयुक्त समझे तो विचार कर ले । अथवा विकल्प रूप में तीन महीने की अवधि समाप्त होने के बाद आवेदक की कर-भुगतान देयता निर्धारित करने के लिए योजना में प्रावधान कर दिया जाये ।

2.2.9. कर से मुक्ति हेतु पात्रता प्रमाण-पत्र की अनियमित स्वीकृति

इस करमुक्ति के लिए अधिकृत होने के लिए नई इकाई द्वारा पूर्ण की जाने वाली शर्तों में से एक यह है कि यह उत्तर प्रदेश में स्थापित (1 अक्टूबर 1983 तक स्थापित इकाइयों हेतु) अथवा भारत में कहीं भी स्थापित (1 अक्टूबर 1983 के बाद स्थापित इकाइयों हेतु) किसी फैक्ट्री अथवा कर्मशाला में पहले ही प्रयुक्त अथवा प्रयोग हेतु अध्याप्त मशीनरी, सहायक पुर्जों तथा संघटकों से .पित नहीं की जा सकती है ।

जैसा कि नीचे दिया गया है, 4 प्रकरणों में पात्रता प्रमाण-पत्र की गलत स्वीकृति अथवा अनुबद्ध प्रावधानों/न्यायालय के निर्णयों का पालन न करने के कारण, 38.21 लाख रुपयों की हानि हुई:

(i) नोएडा की एक इकाई पहले दिल्ली में स्थित थी और पम्प का निर्माण कर रही थी । वह इकाई बन्द कर दी गई थी और उसी नाम से और उसी वस्तु का उत्पादन करने वाली एक नई इकाई नोएडा में स्थापित की गई । इस इकाई को 27 जुलाई 1987 से 6 वर्ष के लिए पात्राता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया था । उत्तर प्रदेश के वित्त निगमों ने जिन्होंने इस इकाई को आवधिक ॠण स्वीकृत किया था, जैसा कि उनकी शर्तों या प्रतिबन्धों से स्पष्ट है यह इकाई पुराने व प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी को स्थानान्तरित करके स्थापित की गयी थी । चूंकि इकाई प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी लायी थी, यह करमुक्ति की पात्र नहीं थी । वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दो वर्षों में इकाई द्वारा उठाया गया लाभ 0.54 लाख रूपयों के आस पास था ।

(ii) साहिबाबाद में, एक इकाई 18 दिसम्बर 1981 को बन्द कर दी गई थी । उसी स्थान पर उसी प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी से और उसी वस्तु के निर्माण के लिए एक नई इकाई प्रारम्भ की गई । इस इकाई को 23 फरवरी 1984 से 5 वर्ष के लिये पात्राता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया, जो अनियमित था । इसके परिणाम-स्वरूप मार्च 1986 तक 31.59 लाख रूपयों की राजस्व की क्षति हुई । कर निर्धारण पूर्ण न होने के कारण उत्तरवर्ती वर्षों के लिए कर मुक्ति की धनराशि आगणित नहीं की जा सकी ।

(iii) मेरठ में पुराने संयंत्र और मशीनों के साथ इसकी परिसम्पत्तियों और देयताओं को लेकर एक नई इकाई स्थापित की

की गई थी । चूंकि इकाई ने वही संयंत्र और मशीनरी प्रयुक्त की थी यह छूट के लिए पात्र नहीं थी । यद्यपि मेरठ एक ऐसा जनपद है जहां छूट 5 वर्षों के लिए ही प्राप्य है इस इकाई को । जून 1983 से 7 वर्षों के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र स्वीकार किया गया । वर्ष 1983-84 में इकाई द्वारा प्राप्त की गई छूट 1.22 लाख रूपयों की थी । कर निर्धारिण पूर्ण न होने के कारण उत्तरवर्ती वर्षों की छूट की धनराशि आगणित नहीं की जा सकी ।

(IV) जैसा कि न्यायिक रूप से निर्णीत किया गया है चाय तैयार करने की प्रक्रिया एवं सम्मिश्रण (प्रोसेसिंग ऐण्ड ब्लैंडिंग टी) निमार्ण का कार्य नहीं है और इस कारण यदि कोई इकाई यह कार्य करती है तो वह छूट के लिये पात्र नहीं है । मेरठ में चाय तैयार करने की प्रक्रिया तथा सम्मिश्रण करने वाली एक इकाई को पहली जनवरी 1984 से 5 वर्षों के लिए पात्राता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया था । इस प्रकरण में कर निर्धारिण अभिलेखों के अनुसार वर्ष 1984-85 व 1985-86 में 4.86 लाख रूपयों की छूट प्राप्त की गई थी ।

2.2.10. त्रुटि-पूर्ण करमुक्ति

(i) नोएडा में एक नई इकाई को धुलाई तथा सफाई पाउडर के निर्माण के लिए 28 जून 1985 से 4 वर्षों के लिए पात्राता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया था । किन्तु इकाई ने डिटर्जेन्ट केक का

---

*· निलगिरि सिलोन टी सप्लाई कं0 बनाम स्टेट आफ बम्बई (1959) 10 एस0टी0सी0 500

भी निर्माण किया था जो पात्रता प्रमाण-पत्र से आच्छादित नहीं था । इकाई द्वारा पाउडर तथा केक का अलग-अलग लेखा नहीं रखा गया था और न तो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसके लिए उसे बाध्य किया गया ।

इकाई को वर्ष 1985-86 से 1986-87 के लिये स्वीकृत की गई कर मुक्ति की धनराशि 2.39 लाख रूपये थी जिसमें से डिटर्जेन्ट केक से सम्बन्धित छूट का हिस्सा, जो विवरणों के अभावों में नहीं निकाला जा सका, अनियमित था ।

(ii) इसी प्रकार, एक इकाई को 19 अक्टूबर 1983 से 6 वर्ष के लिए एच० डी०पी० ई० बैग के निर्माण के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र स्वीकार किया गया था । इसके अतिरिक्त, इकाई ने एच०डी०पी०ई० लैमिनेटेड फैब्रिक पीसेज का निर्माण किया था जो पात्रता प्रमाण-पत्र से आच्छादित नहीं था और जिसके लिए इसने कोई अलग लेखा नहीं रखा था ।

इकाई को 1983-84 से 1985-86 तक स्वीकृत छूट की धनराशि 9.50 लाख रूपये थी, जिसमें से एच०डी०पी०ई० लैमिनेटेड फैब्रिक पीसेज से सम्बन्धित धनराशि की छूट, जो विवरणों के अभाव में नहीं निकाली जा सकी, अनियमित थी ।

2.2.11. अपेक्षित सत्यापन का न किया जाना

नोएडा में एक इकाई को अगरबत्ती निर्माण के लिए 15

फरवरी 1985 से 4 वर्षों के लिये पात्रता प्रमाण-पत्र स्वीकार किया गया था । इकाई ऐसा कोई अभिलेख नहीं प्रस्तुत कर सकी जिससे कि यह सिद्ध हो कि प्रयोग की जा रही कुछ मशीनें वास्तव में नई थीं । किन्तु पात्रता प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि बिक्री कर विभाग द्वारा तथ्यों का सत्यापन कर लें, यद्यपि इकाई 14 फरवरी 1989 तक कर की मुक्ति का लाभ उठाती रही । अभिलेखों पर ऐसा कोई साक्ष्य यह दर्शित करने के लिये नहीं था कि सत्यापन किया गया था । पात्रता प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि में प्राप्त की गई करमुक्ति की धनराशि 41.78 लाख रूपये आगणित होती है (1984-85 से फरवरी 1989 की अवधि हेतु 4.77 करोड़ रूपयों के बिक्रय धन के आधार पर आगणित) ।

2.2.12. उद्योग निदेशक द्वारा त्रुटिपूर्ण स्पष्टीकरण के कारण राजस्व की हानि

दिनांक 30 सितम्बर 1982 की विज्ञप्ति और दिनांक 15 जनवरी 1983 के शासकीय आदेशों में निहित योजना के कार्यान्वयन से संबंधित नियमों के अन्तर्गत, सभी नई इकाइयों को इस शर्त के साथ सुविधा प्रदान की गई थी कि इस प्रकार की इकाई कम से कम 3 लाख रूपयों का पूंजी निवेश करेगी । किन्तु उद्योग निदेशक कानपुर ने 16 मार्च 1983 को एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें अनुबंधित न्यूनतम पूंजीनिवेश की शर्त इंगित न करके केवल यह कहा गया था कि वे सभी इकाइयां जो उद्योग निदेशक के यहां पंजीकृत थी और कारखाना अधिनियम (फैक्ट्री ऐक्ट) के अन्तर्गत भी पंजीकृत

थी, करमुक्ति की पात्र थी । यह स्पष्टीकरण उपर्युक्त शासकीय विज्ञप्ति और आदेश के विपरीत था । यद्यपि शासन द्वारा दिनांक 27 अगस्त 1984 के बाद की विज्ञप्ति द्वारा यह लाभ 1 अक्टूबर 1982 से 3 लाख से कम पूंजी निवेश वाली इकाइयों को भी उपलब्ध करा दिया गया था किन्तु ऐसी इकाइयों के लिये छूट की अवधि कम थी (5 से 3 वर्ष) ।

दिनांक 16 मार्च 1983 को उद्योग निदेशक कानपुर द्वारा जारी गलत स्पष्टीकरण के परिप्रेक्ष्य में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्णीत* किया कि 3 लाख से कम पूंजी निवेश करने वाली इकाइयों के लिए मूल-रूप में स्वीकृत (27 अगस्त 1984 के पूर्व) छूट की अवधि (7 से 5 वर्ष) बाद में नहीं घटाई जा सकती ।

पान मसाला निर्मित करने वाली कानपुर की एक इकाई को नए संयंत्र व मशीन के साथ दिनांक 24 जनवरी 1984 से 5 वर्ष के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया था । उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि पर इकाई का पूंजी निवेश 3 लाख से कम पाया गया था । आयुक्त बिक्री कर को प्रकरण से अवगत कराने के उपरान्त, दिनांक 27 अगस्त 1984 की विज्ञप्ति के अनुसार, पात्रता प्रमाण-पत्र की अवधि घटा कर 3 वर्ष कर दी गयी । लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्णित निर्णय के आधार पर 29 जनवरी 1989 को बिक्री कर अधिकरण लखनऊ ने पुनः इसे 5 वर्ष कर दिया । त्रुटिपूर्ण स्पष्टीकरण के परिणामस्वरूप केवल एक इकाई ने 1987-88 और 1988-89 के दो वर्षों की अवधि में लगभग 8.32 करोड़ रूपये की अधिक करमुक्ति प्राप्त कर ली ।

---

*: बजाज पैवेल: बनाम स्टेट आफ उ०प्र०(1989 यू०पी०टी०सी०88)

2.2.13. अन्य रोचक विषय

पान मसाला निर्मित करने वाली कानपुर की एक पुरानी इकाई इस योजना के प्रारम्भ के पहले से ही कार्यरत थी । करदाता ने कानपुर में पान मसाला के निर्माण हेतु एक नई इकाई स्थापित की (ऊपर प्रस्तर 2.2.12 में वर्णित) जिसके लिए उसे 5 फरवरी 1985 को पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया, जो 24 जनवरी 1984 से प्रभावी था । यह देखने में आया कि पात्रता प्रमाण-पत्र के स्वीकृति के पश्चात् करदाता ने अपने पुराने इकाई में उत्पादन घटा दिया और नई इकाई ने उत्पादन बढ़ा दिया और अन्त में दिनांक 31 मार्च 1988 को पुरानी इकाई बन्द कर दी गई । पुरानी व नई इकाई के उत्पादन की तुलानात्मक स्थिति नीचे दर्शित की गई है:

वर्ष	पुरानी इकाई (करोड़ रूपयों में)	नई इकाई (करोड़ रूपयों में)
1983-84	9.41	0.24
1984-85	11.87	0.44
1985-86	0.63	19.09
1986-87	0.11	34.58
1987-88	0.10	47.72
1988-89	शून्य	56.24

उपर्युक्त प्रकरण इस बात को उजागर करता है कि राज्य के औद्योगिक विकास में किसी प्रकार का प्रत्यक्ष योगदान किये बिना ही-जो कि बिक्री-कर में छूट प्रदान किये जाने का मूलभूत उद्देश्य

है किस प्रकार चालबाजी करके करदाताओं द्वारा इस योजना को अपने लाभ के लिये नियोजित किया जा सकता था ।

लेखा परीक्षा संवीक्षायें सरकार को अगस्त 1989 में प्रतिवेदित की गयी थी; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990) ।

2.3. पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रदान करने में निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किया जाना

प्रत्येक व्यापारी को, जो कोई वस्तु बेचता है, जिसके विक्रय धन पर उ0प्र0 बिक्री कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत, बिक्री कर देय है, उसके लिये अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अपेक्षित है । पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने हेतु अधिनियम तथा विभागीय मैनुअल के अन्तर्गत निर्मित नियमावली में कुछ शर्तें तथा प्रक्रियायें निर्धारित की गई हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि व्यापारी निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित विवरण सहित आवेदन बिक्री कर अधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो, आवेदन प्राप्त होने पर मौके पर जा कर जांच द्वारा व्यापारी की पहचान, वर्तमान व्यापार के प्रारम्भ करने के पूर्व उसके जीवन यापन का स्त्रोत व्यापारी की वित्तीय स्थिति और व्यापारी अथवा उसके साझीदारों का सही स्थानीय एवं स्थायी पता का सत्यापन करेगा ।

(क) आगरा मण्डल में एक व्यापारी को तेलों का व्यापार करने के लिए पंजीयन स्वीकृत किया गया (20 जनवरी 1977)।

अभिलेख पर यह इंगित करने के लिये ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसकी वित्तीय स्थिति, स्थानीय अथवा स्थायी पता इत्यादि का सत्यापन किया गया हो ।

व्यापार के प्रथम वर्ष (1976-77) में व्यापारी को प्रान्त बाहर से सामान का आयात करने हेतु निर्धारित पांच प्रपत्र xxx। निर्गत किए गए थे, फिर भी उसके द्वारा जनवरी व मार्च 1977 हेतु कोई परिलेख (रिटर्न) प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई कर जमा किया गया । वर्ष 1976-77 का कर निर्धारण अब तक नहीं किया गया है और अब कालबाधित हो चुका है । फरवरी 1978 में कर निर्धारण अधिकारी को यह जानकारी हुई कि व्यापारी से संबंधित सभी मूल अभिलेख 7 जनवरी 1978 से गायब है । लेकिन 200 प्रपत्र xxx। प्रान्त के बाहर से रियायती दर पर सामान खरीदने के लिए निर्धारित 30 प्रपत्र "ग" और प्रान्त के बाहर से परेषण (कानसाइनमेन्ट) आधार पर माल प्राप्त करने के लिए निर्धारित 10 प्रपत्र "एफ" पहले निर्गत किये गये घोषणा प्रपत्रों के लेखे प्राप्त किये बिना खातापालक ,द्वारा अपने मन से खोली गयी द्वितीय पत्रावलियों पर 24 जनवरी और 20 मई 1978 के मध्य व्यापारी को निर्गत किये गये गये पाये गये। जुलाई 1978 में किये गये सर्वेक्षण में यह प्रतिवेदित किया गया था कि फर्म ही अस्तित्व में नहीं थी और व्यापारी का नाम तथा पता कल्पित थे ।

1978-79 के कर भुगतान की जांच पर पाया गया कि 3 चालानों से कर के रूप में 9,635.79 रूपये जमा किये गये दर्शित किये गये थे । जनवरी 1979 में कर निर्धारण अधिकारी ने अवलोकित

किया कि चालान फर्जी थे या उनमें हेराफेरी की गई थी । हेराफेरी से बनाया गया 3,110.69 रूपयों का एक चालान वास्तव में मात्र 10.69 रूपयों का था ।

वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के कर निर्धारण क्रमशः 22 मार्च 1982, 5 मार्च 1983 और 31 मार्च 1989 को पूर्ण किया गया था । कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 1977-78 से 1979-80 तक का विक्रयधन 2.91 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया था । उन पर आरोपित कर की धनराशि 28.31 लाख रूपये थी तथा 1979-80 के लिए आरोपित अर्थदण्ड 7.24 लाख रूपये था । किन्तु इसमें 1977-78 और 1978-79 के लिए आरोपणीय अर्थदण्ड सम्मिलित नहीं था जो 6.92 लाख रूपये तक हो सकता था । मई 1983 और अप्रैल 1986 के बीच विभिन्न तिथियों पर निर्गत वसूली प्रमाण-पत्र 42.47 लाख रूपयों (6.92 लाख रूपयों के अर्थदण्ड को सम्मिलित करते हुए) के स्थान पर केवल 33.09 लाख रूपयोंके लिए था । बकाया धनराशियों की वसूली के लिए प्रारम्भ की गई कार्यवाही भी केवल वसूली की नोटिसों की बार-बार तामील तक ही सीमित थी ।

इस प्रकार पंजीयन के पूर्व आरम्भिक सावधानियों का पालन न करने, व्यापारी द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत विवरणों का दोषपूर्ण सत्यापन तथा फर्म के फर्जी होने का पता चलने के बाद भी, अभिलेखों के गुम हो जाने पर शीघ्र कार्यवाही करने में असफल रहने के परिणामस्वरूप राजस्व अनुमानतः 42.47 लाख रूपयों के राजस्व की हानि हुई ।

उपर्युक्त प्रकरण शासन को जनवरी 1989 में प्रतिवेदन किया गया था, नवम्बर 1989 में निर्गत अनुस्मारक के बावजूद उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990)।

(ख) बिक्री कर मण्डल, आगरा में एक व्यापारी को, तेल निकालने के लिए, मौके पर सर्वेक्षण किये बिना या उसके स्थानीय और स्थायी पता तथा उसकी वित्तीय स्थिति के संबंध में जांच किए बिना ही उसे 28 फरवरी 1980 से प्रभावी पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किया गया था। वर्ष 1980-81 के दौरान व्यापारी को 95 घोषणा प्रपत्र xxx1 और 40 प्रपत्र "ग" विभिन्न तिथियों में, बिना यह सुनिश्चित किये कि उसे पूर्व अवसरों पर जारी प्रपत्र उचित रूप से प्रयुक्त हुए हैं या नहीं, निर्गत किए गए थे। 24 अगस्त 1981 को व्यापारी ने सूचित किया कि उसने दिनांक 30 जून 1981 से अपना व्यापार बन्द कर दिया है। लेकिन व्यापारी द्वारा व्यापार बन्द करने की सूचना की प्राप्ति (24 अगस्त 1981 को) के पश्चात् कर निर्धारण तुरन्त पूर्ण करने हेतु कोई कार्यवाही नही की गयी। इसके विपरीत 18 दिसम्बर 1982 को अर्थात् व्यापारी द्वारा व्यापार बन्द करने के 17 महीने से अधिक समय बीतने के पश्चात् 5 और 111-ग (1) घोषणा-प्रपत्र व्यापारी को जारी किये गये। व्यापारी का वर्ष 1980-81 का कर निर्धारण पूर्ण करने के लिये उसे दिनांक 23 नवम्बर 1983, 20 दिसम्बर 1983, 7 दिसम्बर 1984 और 25 जनवरी 1985 को नोटिसें जारी की गईं लेकिन वे बिना तामील हुये वापस लौट आईं। अतएव, कर निर्धारण एक-पक्षीय रूप से 27 मार्च

1985 को पूर्ण किया गया और प्रदेश में तथा अन्तर्राज्यीय व्यापार में तेल तथा तिलहन का विक्रय धन । 20 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया जिसमें 4.60 लाख रुपयों का कर निहित था और 4.39 लाख रुपयों (व्यापारी द्वारा जमा किये गये 20,682 रुपयों के कर का लाभ देने के पश्चात्) की मांग सृजित की गई । कर निर्धारण वर्ष 1981-82 के लिये नोटिसें, 3 फरवरी 1986, 17 फरवरी 1986, 27 फरवरी 1986 और 14 मार्च 1986 को जारी की गई लेकिन वे भी बिना तामील हुए वापस लौट आई और 1981-82 का कर निर्धारण 17 मार्च 1986 को एक-पक्षीय रूप से पूर्ण किया गया जिसमें तिलहन और तेल का प्रान्तीय एवं अन्तर्प्रान्तीय, दोनों बिक्रय धन 37 लाख रुपया निर्धारित किया गया जिसमें 1.36 लाख रुपयों की कर देयता निहित थी । इस प्रकार पंजीयन प्रमाण-पत्र की स्वीकृति और प्रपत्रों के निर्णय के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने के कारण शासन को 1980-81 और 1981-82 के लिए 5.75 लाख रुपयों के राजस्व से वंचित होना पड़ा, जिसकी वसूली की संभावना क्षीण है।

यह प्रकरण शासन को मार्च 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1988 में अनुस्मारक निर्गत होने के पश्चात भी उनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990)।

(ग) बिक्री कर मण्डल सुल्तान पुर में, एक व्यापारी ने 4 जून 1980 को, कोयले का व्यापार करने हेतु उ0प्र0 बिक्री कर अधिनियम 1948 तथा केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम 1956 के अन्तर्गत

पंजीयन स्वीकृति के लिये आवेदन किया । व्यापारी के स्थायी व स्थानीय पतों, व्यापारी की अचल व चल परिसम्पत्तियों और उसकी वित्तीय स्थिति आदि का, जैसा कि नियम में अपेक्षित है, मौके पर सत्यापन तथा जांच किए बिना ही व्यापारी को दिनांक 21 जून 1980 को, 4 जून 1980 से प्रभावी पंजीयन स्वीकृत कर दिया गया । यद्यपि व्यापारी को 20,000 रूपयों का जमानती बाण्ड प्रस्तुत करने को कहा गया था, तथापि पंजीयन, बिना जमानती बाण्ड प्राप्त किये स्वीकार कर लिया गया । दस घोषणा प्रपत्र (प्रपत्र XXXI) व्यापारी को 21 जून 1980 को जारी किये गये थे । पूर्व अवसरों पर जारी घोषणा-प्रपत्रों के प्रयोग को सुनिश्चित किए बिना, 225 और घोषणा-प्रपत्र 30 जून 1980 से 5 अगस्त 1980 की अवधि में उसे जारी कर दिये गये । व्यापारी ने माह जून 1980, जुलाई 1980 और अगस्त 1980 के परिलेख जमा नहीं किये थे, लेकिन अस्थाई कर निर्धारण करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई । 30 अगस्त 1980 को, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा फर्म फर्जी पाई गयी, लेकिन तब भी 17 नवम्बर 1980 तक व्यापारी को 329 और घोषणा-प्रपत्र जारी कर दिये गये । विभागीय आदेशानुसार व्यापारी द्वारा उसको निर्गत प्रत्येक घोषणा-प्रपत्र XXXI के लिये जमानत के रूप में रूपया 100 जमा करना अपेक्षित था लेकिन 564 प्रपत्रों के समक्ष केवल 51,600 रूपये ही उससे वसूल किये गये थे । 19 सितम्बर 1983 को व्यापारी को कर निर्धारण हेतु नोटिस जारी की गई थी लेकिन यह तामील हुए बिना वापस लौट आयी । 26 अक्टूबर

1983 को वर्ष 1980-81 का कर निर्धारण एक पक्षीय रूप से पारित किया गया और कोयले का बिक्रय धन 31.02 लाख रूपया निर्धारित किया गया और 1.24 लाख रूपया कर आरोपित किया गया । व्यापारी परिलेख प्रस्तुत न करने के कारण रू062020 तक अर्थदण्ड का भी भागी था,लेकिन अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया ।

लेखा परीक्षा (सितम्बर 1984) में इसके इंगित करने पर, विभाग ने बताया (जुलाई 1987) कि व्यापारी द्वारा जमा 51,600 रूपये की जमानत को उसके देय कर के विपरीत समायोजित कर लिया गया है । इस प्रकार पंजीयन स्वीकार करने के समय विभागीय प्रक्रिया का पालन न करने के कारण अधिनियम में आरोपणीय अर्थदण्ड के अतिरिक्त 72480 रूपयों के राजस्व की हानि हुई ।

प्रकरण शासन को मई 1989 में प्रतिवेदित किया गया था,' नवम्बर 1989 में निर्गत अनुस्मारक के बावजूद उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990)।

(घ) बिक्री कर मण्डल, बरेली में एक व्यापारी को, उसके स्थानीय और स्थायी पता तथा उसकी वित्तीय स्थिति का सत्यापन किए बिना, पंजीयन प्रमाणा-पत्र स्वीकृत किया गया था, जो 25 जून 1980 से प्रभावी था । व्यापारी द्वारा प्रस्तुत 5000 रूपयों का जमानती बाण्ड भी फर्जी पाया गया था । यद्यपि पंजीयन के समय, निवेशित की जाने वाली पूंजी व्यापारी द्वारा केवल 8000 रूपये घोषित की गयी थी, 17 जुलाई 1980 से 12 सितम्बर 1980 की

अवधि में व्यापारी को 35 घोषणा-प्रपत्र 3-क जारी किये गये थे और व्यापारी ने अपने जून 1980 से सितम्बर 1980 की अवधि के परिलेखों में 22.32 लाख रूपयों की बिक्री घोषित की थी । 17 सितम्बर 1980 को बिक्री कर अधिकारी कानपुर ने कर निर्धारण अधिकारी बरेली को यह सूचित किया कि उक्त व्यापारी ने कानपुर के एक व्यापारी से 3.80 लाख रूपयों का लोहे का सामान खरीदा था लेकिन बरेली के व्यापारी ने केवल 98,424 रूपयों की खरीद अपने लेखे में 30 सितम्बर 1980 को अंकित की थी । व्यापारी को नोटिस जारी की गयी लेकिन यह बिना तामली हुये वापस लौट आई । जांच करने पर व्यापारी फर्जी पाया गया । किन्तु विभाग द्वारा मौके पर जांच के लिए अथवा अस्थाई कर निर्धारण के लिए शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई । वर्ष 1980-81 का कर निर्धारण एक पक्षीय रूप से केवल 13 सितम्बर 1983 को पूर्ण किया गया जिसमें लोहे तथा इस्पात की बिक्रियों का कुल कर योग्य बिक्रयधन 30 लाख रूपये निर्धारित करते हुए और व्यापारी द्वारा जमा किये गये कर के 440 रूपये का लाभ देते हुए 1.20 लाख रूपये का कर आरोपित किया गया था और तदनुसार मांग सृजित की गई थी, लेकिन इसकी वसूली नहीं की जा सकी । इस प्रकरण में पंजीयन प्रमाण-पत्र की स्वीकृति के लिए निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन न करने से 1.20 लाख रूपयों के राजस्व की हानि हुयी ।

इसे लेखापरीक्षा में अप्रैल 1984 में इंगित किया गया था। विभाग ने मार्च 1989 में तथ्यों की पुष्टि कर दी। यह प्रकरण शासन को जून 1989 में प्रतिवेदित किया गया था ; नवम्बर 1989 में

निर्गत अनुस्मारक के बावजूद उनका उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है (अप्रैल 1990)।

(ङ0) बिक्री कर मण्डल, फर्रूखाबाद में एक व्यापारी ने रासायनिक खाद के व्यापार के लिए उ0 प्र0. बिक्री कर अधिनियम और केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत 15 फरवरी 1984 को पंजीयन प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन किया । यह प्रमाणित करने के लिये कुछ भी नही था कि व्यापारी के स्थानीय एवं स्थायी पते और उसकी वित्तीय स्थिति का सत्यापन किया गया था । किन्तु जमानती बाण्ड के सत्यापन के लिए एक पत्र तहसीलदार बरेली को सम्बोधित किया गया था, जो स्वयं व्यापारी को ही सत्यापन पूर्ण कराने के लिये दे दिया गया था । व्यापारी ने पुन: आवेदन और जमानती बाण्ड का तहसीलदार का सत्यापन 21 फरवरी 1984 को प्रस्तुत किया और तीन दिन के अन्दर पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया जो 15 फरवरी 1984 से प्रभावी था । व्यापारी को दो घोषणा प्रपत्र xxx। और एक प्रपत्र "ग" भी 24 फरवरी 1984 को निर्गत किया गया था ।

व्यापारी ने वर्ष 1983-84 से 1985-86 (दिसम्बर 1985 तक) के लिए कोई परिलेख प्रस्तुत नहीं किया था और विभाग ने भी अस्थायी कर निर्धारण हेतु कोई कार्यवाही नहीं किया । दिसम्बर 1985 में, उसके व्यापार स्थल का सर्वेक्षण किया गया और यह पाया गया कि फर्म फर्जी थी । यह भी दृष्टिगत हुआ कि जमानती बाण्ड के सत्यापन के रूप में लगाई गई तहसीलदार की मुहर भी फर्जी थी । जांच चौकियों से बिक्री कर अधिकारी को प्राप्त

घोषणा-प्रपत्र XXXI की मूल प्रतियों से यह देखा गया कि व्यापारी द्वारा 1 मार्च 1984 और 5 मार्च 1984 को रासायनिक खाद के स्थान पर 2.93 लाख रूपयों का लोहा व इस्पात आयात किया गया था।

अन्तत: 22 फरवरी 1986 को व्यापारी के कर-निर्धारण को एक पक्षीय-रूप से अन्तिम रूप दिया गया और व्यापारी का लोहा व इस्पात का विक्रयधन 4.5 लाख रूपये निर्धारित करते हुए 18000 रूपया कर आरोपित किया गया। व्यापारी परिलेख प्रस्तुत न करने के लिये रू0 9000 तक तथा मिथ्या निरूपण करते हुये" कि आयातित माल उसके पंजीयन प्रमाण-पत्र से आच्छादित था, लोहा व इस्पात के अयात के लिए रू0 54000 अर्थदण्ड के भुगतान का भागी था। विभाग ने 22 फरवरी 1986 को करनिर्धारण करते समय कोई अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

अक्टूबर 1986 में लेखापरीक्षा में अर्थदण्ड का अनारोपण इंगित करने पर, विभाग ने अगस्त 1987 में 23,486 रूपया अर्थदण्ड आरोपित कर दिया।

प्रकरण शासन को मार्च 1989 में प्रतिवेदित किया गया था,' नवम्बर 1989 में निर्गत अनुस्मारक के बावजूद भी उनकी टिप्पणी प्राप्त नहीं हुयी (अप्रैल 1990)।

2.4. मान्यता प्रमाण-पत्र की अनियमित स्वीकृति के कारण राजस्व की हानि

दिनांक 31 दिसम्बर 1976 की शासकीय विज्ञप्ति के

साथ पठित, उ0प्र0 बिक्री कर अधिनियम 1948 की धारा 4-बी में कुछ शर्तों के साथ कुछ विज्ञप्ति मालों के निर्माण में प्रयोग हेतु कच्चे माल की खरीद में मान्यता प्रमाण-पत्र धारक निर्माताओं को कर में विशेष राहत का प्रावधान है । उक्त विज्ञप्ति में अथवा उत्तरवर्ती विज्ञप्ति में निर्दिष्ट न किये गये माल के निर्माण हेतु व्यापारी कच्चे माल की खरीद में कर की रियायती दर का लाभ उठा सकता है । किन्तु यदि निर्मित माल करारोपण से युक्त है तो कच्चे माल की खरीद में कर में कोई रियायत अनुमन्य नहीं है । इसके साथ-साथ कागज, कत्था, दियासलाई, खाली दियासलाई की डिब्बी, दियासलाई की तीलियां (मैच स्पिलिण्ट) तथा दियासलाई के आवरण (वेनियर) को उक्त विज्ञप्ति की परिसीमा में नहीं आते है ।

(क) (i) बिक्री कर मण्डल कानपुर में एक व्यापारी को साइकिल सीट लेदर टाप के निर्माण के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया और उसे विभाग द्वारा कच्चा माल करमुक्त खरीदने के लिए अधिकृत किया गया था और विभाग द्वारा उसे कच्चे माल की कर-मुक्त खरीद के लिये अधिकृत कर दिया गया। यद्यपि दिनांक 31 दिसम्बर 1976 की विज्ञप्ति के अनुसार ऐसा प्रमाण-पत्र केवल सायकिल, रिक्सा व बच्चों की सायकिलों और उसके सहायक पुर्जो तथा हिस्सों के निर्माण के लिए ही निर्गत किया जा सकता था । सायकिल सीट का लेदर टाप सायकिल का हिस्सा या पुर्जा नहीं है बल्कि एक हिस्से अर्थात् सायकिल सीट का हिस्सा मात्र है और इसे उक्त वर्णित विज्ञप्ति में अन्यथा निर्दिष्ट भी नहीं किया गया है । अतः व्यापारी कच्चा माल केवल रियायती दर से खरीदने के लिए अधिकृत था । वर्ष

1983-84 से 1985-86 के मध्य व्यापारी ने घोषणा-प्रपत्र 111-बी के आधार पर 98.47 लाख रूपये का कर मुक्त कच्चा माल खरीदा। इस प्रकार अनियमित मान्यता प्रमाण-पत्र की स्वीकृति के परिणामस्वरूप 3.94 लाख रूपयों के राजस्व की हानि हुई।

यह प्रकरण विभाग को फरवरी 1989 में तथा शासन को जून 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में निर्गत अनुस्मारक के बावजूद भी उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1990).

(ii) उसी मण्डल में साइकिल सीट लेदर टाप ही निर्मित करने वाले एक अन्य व्यापारी के मामले में वर्ष 1980-81 से 1982-83 के मध्य कच्चे माल की ऐसी करमुक्त खरीदों (6.38 लाख रूपये) पर 25,520 रूपयों की राजस्व की हानि हुई थी।

यह प्रकरण विभाग को अप्रैल 1988 में और शासन को जनवरी 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में निर्गत अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1990)।

(ख) बिक्री-कर मण्डल, वाराणसी में एक व्यापारी को अन्य वस्तुओं के साथ-साथ एक तार को पोलीथीन धागा (मोनोफिलामेन्ट पाली यार्न) के निर्माण के लिए करमुकत कच्चा माल खरीदने के लिए अधिकृत किया गया था, यद्यपि वह ऐसी खरीद पर कर की रियायती दर (4 प्रतिशत) के लिए ही पात्र था। 1983-84 से 1985-86 के दौरान व्यापारी द्वारा 34.25 लाख रूपयों की करमुक्त खरीदें की गई थीं जिनमें 1.37 लाख रूपये की राजस्व की हानि निहित थी।

लेखापरीक्षा (जून 1987) में इसे इंगित करने पर विभाग ने जुलाई 1989 में सूचित किया कि करनिर्धारण पुनरीक्षित कर दिया गया है और 1.37 लाख रूपयों की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गई है ।

यह प्रकरण शासन को फरवरी 1989 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(ग) बिक्री-कर मण्डल, फैजाबाद में एक व्यापारी को हवाई चप्पलों (जूता) के निर्माण हेतु पहली अप्रैल 1980 को मान्यता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया और कच्चा माल करमुक्त खरीदने के लिए अधिकृत किया गया यद्यपि "हवाई चप्पलें" (जूता) दिनांक 31 दिसम्बर 1976 की विज्ञप्ति से अथवा बाद की किसी विज्ञप्ति से आच्छादित नहीं थीं । व्यापारी ने वर्ष 1980-81 से 1984-85 के दौरान प्रपत्र 111बी में घोषणायें देते हुए 25.81 लाख रूपयों का करमुकत कच्चा माल खरीदा । मान्यता प्रमाण-पत्र की अनियमित स्वीकृति के फलस्वरूप वर्ष 1980-81 से 1984-85 के लिए 1.03 लाख रूपयों तक की राजस्व की हानि हुई ।

लेखापरीक्षा (नवम्बर 1988) में भूल के इंगित करने पर विभाग ने वर्ष 1984-85 का कर-निर्धारण पुनरीक्षित कर दिया और 18,886 रूपयों की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी । वर्ष 1981-82 और 1982-83 के लिए कृत कार्यवाही की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

यह प्रकरण शासन को सितम्बर 1989 में प्रतिवेदति किया गया था; नवम्बर 1989 में निर्गत अनुस्मारक के बावजूद उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990)।

(घ) कानपुर मण्डल के एक व्यापारी को लोहा तथा इस्पात के निर्माण के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया था और अन्य वस्तुओं के साथ-साथ उसे प्रयोजन हेतु फायर ब्रिक्स, फायनक्ले और रिफैक्टरीज की करमुक्त खरीद के लिए भी अधिकृत किया गया था, यद्यपि ये वस्तुएं लोहा तथा इस्पात के निर्माण के लिए कच्चा माल नहीं है । उसके द्वारा गाजियाबाद के एक अन्य व्यापारी से वर्ष 1980-81 से 1982-83 के दौरान 6.21 लाख रूपये के उक्त माल की करमुक्त खरीद से 49,684 रू0 के राजस्व की हानि हुई ।

लेखापरीक्षा (नवम्बर 1985) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने अगस्त 1989 में बताया कि धारा 4बी के अन्तर्गत अर्थदण्ड सहित 1.10 लाख रूपये की अतिरिक्त मांग व्यापारी के विरूद्ध सृजित कर दी गई है ।

यह प्रकरण शासन को जून 1989 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(ङ) चूड़ियों के अलंकरण को गलत रूप से शीशे व शीशे के सामान का निर्माण मानते हुए बिक्री कर मण्डल फैजाबाद में शीशे की चूड़ियों के अलंकरण के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र धारक चार व्यापारियों को कच्चे माल की करमुक्त खरीद के लिए अधिकृत किया गया था । व्यापारियों ने वर्ष 1979-80 के दौरान 10.80 लाख रूपये का कच्चा

माल, इस घोषणा के बल पर करमुकत खरीदा कि इसका उपयोग शीशे की चूड़ियों के निर्माण में किया जाएगा । चूंकि शीशे की चूड़ियां न तो उक्त विज्ञप्ति के अनुलग्नकों में उल्लिखित है और न ही मद शीशे के सामान से आच्छादित है, व्यापारी कच्चा माल करमुक्त खरीदने के लिए अधिकृत नहीं थे । इस लिए मान्यता प्रमाण-पत्र स्वीकृत करते समय करमुक्त कच्चा माल की खरीद के लिए अधिकृत किया जाना अनियमित था। इसके कारण 43,297 रूपयों के राजस्व की हानि हुई।

अगस्त 1984 में लेखापरीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (अप्रैल 1989) कि अबसे व्यापारियों को शीशे की चूड़ियों के अलंकरण के लिए करमुक्त कच्चे माल की खरीद के लिए अनुमत नहीं किया जायेगा ।

यह प्रकरण शासन को मई 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में निर्गत अनुस्मारक के बावजूद उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990)।

(च) बिक्री-कर मण्डल, लखनऊ में एक व्यापारी को त्रिपाल के निर्माण हेतु 10 अप्रैल 1980 से मान्यता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया था और उसे रियायती दर से पैराफिन वैक्स तथा रोजिन खरीदने के लिए अधिकृत किया गया था । व्यापारी ने वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 में 10.56 लाख रूपये का पैराफिनवैक्स और रोजिन खरीदा । चूंकि त्रिपाल, "टेक्साटाइल्स" के अन्तर्गत आता है जो करारोपण से मुक्त है व्यापारी कच्चे माल के कृय पर कर में कोई

रियायत अनुमन्य नहीं थी । इस प्रकार, मान्यता प्रमाण-पत्र की अनियमित स्वीकृति के कारण 42,231 रूपये के राजस्व की हानि हुई।

यह प्रकरण विभाग को दिसम्बर 1988 में तथा शासन को जून 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में निर्गत अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1990)।

(छ) बिक्री कर मण्डल, मोदीनगर में एक व्यापारी को कागज निर्माण के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया था । उसने 1981-82 से 1984-85 की अवधि में 15.16 लाख रूपये का कच्चा माल इस आशय के घोषणा-प्रपत्र III बी के आधार पर करमुक्त क्रय किया कि ये माल विज्ञाप्ति माल के निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयोग के लिये थे यद्यपि कागज के निर्माण में संलग्न इकाई 31 दिसम्बर 1976 की विज्ञप्ति की परिसीमा से अलग है । कागज के निर्माण के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र की अनियमित स्वीकृत के कारण 90,965 रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

प्रकरण विभाग को जुलाई 1988 में और शासन को मई 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में निर्गत अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1990)।

2.5. केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत अर्थदण्ड का आरोपित न किया जाना

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत यदि कोई पंजीकृत व्यापारी, किसी वस्तु के क्रय करते समय गलत ढंग से

यह सूचित करता है कि उक्त वस्तु उसके पंजीयन प्रमाण-पत्र से आच्छादित है, तो कर निर्धारण अधिकारी उस पर अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है जो ऐसे माल की बिक्री पर आरोपणीय कर की धनराशि के ड़ेढ़ गुना से अधिक न हो ।

(क) बिक्री कर मण्डल, झींझक (कानपुर देहात) में दो व्यापारियों ने वर्ष 1983-84 में प्रान्त के बाहर से फार्म सी में घोषणाओं के आधार पर 39.29 लाख रूपये का लोहा तथा इस्पात क्रय किया, यद्यपि "लोहा तथा इस्पात" उसके पंजीयन प्रमाण-पत्र द्वारा आच्छादित नहीं थे । इसलिये इन दोनों व्यापारियों ने अपने को 4.71 लाख रूपये के अर्थदण्ड का भागी बना लिया था जो विभाग द्वारा आरोपित नहीं किया गया ।

यह विभाग को जून 1988 में तथा सरकार को जून 1989 में, प्रतिवेदित किया गया; परन्तु नवम्बर 1988 में निर्गत अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं । (अप्रैल 1990)।

(ख) बिक्री कर मण्डल, सीतापुर में एक चीनी मिल ने वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 में घोषणा-प्रपत्र "सी" के आधार पर 11.11 लाख रूपये की सीमेंट एवं वारदाना प्रान्त के बाहर से रियायती दर पर क्रय किया, यद्यपि ये वस्तुएं चीनी मिल को प्रदान किए गए पंजीयन प्रमाण-पत्र से आच्छादित नहीं थीं । इसलिए चीनी मिल 1.67 लाख रूपये अर्थदण्ड का भुगतान करने की दायी हो गयी जो आरोपित नहीं किया गया ।

यह मामला विभाग को जून 1988 में तथा शासन को

जून 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; परन्तु नवम्बर 1989 में निर्गत अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1990)।

(ग) बिक्री कर मण्डल, कानपुर में एक व्यापारी ने वर्ष 1982-83 में पी०वी०सी० पाइप तथा फिटिंग के निर्माण हेतु 8.05 लाख रूपये की मशीनरी का क्रय फार्म सी की घोषणा के आधार पर टैक्स की रियायती दर पर किया । ये वस्तुएं उसके पंजीयन प्रमाण-पत्र से आच्छादित नहीं थीं । इस मामले में 1.21 लाख रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता था परन्तु यह अनियमितता जून 1986 में कर निर्धारण के समय प्रकाश में नहीं आ सकी ।

यह मामला विभाग को अगस्त 1988 में तथा सरकार को मार्च 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; परन्तु नवम्बर 1989 में निर्गत अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1990)।

(घ) बिक्री कर मण्डल, वाराणसी में खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादनों के एक व्यापारी ने वर्ष 1983-84 में 7.84 लाख रूपये का साबुन, वेनियर तथा कोयले आदि का क्रय फार्म सी के आधार पर कर की रियायती दर से किया, यद्यपि ये वस्तुएं उसके पंजीयन प्रमाण-पत्र से आच्छादित नहीं थीं । इसलिए व्यापारी 1.17 लाख रूपये के अर्थदण्ड का भागी था जो आरोपित नहीं किया गया ।

इस भूल के लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (अगस्त 1988), विभाग ने बताया (अप्रैल 1989) कि 1.17 लाख रूपये का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है ।

मामला सरकार को मई 1989 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(ङ॰) बिक्री कर मण्डल, मुरादाबाद में वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 में एक व्यापारी ने 4.74 लाख रूपये की एल्युमिनियम कायल तथा चादरें इत्यादि का प्रान्त बाहर से घोषणा-प्रपत्र "सी" के आधार पर कर की रियायती दर से क्रय किया । ये वस्तुएं व्यापारी को प्रदान किए गए पंजीयन प्रमाण-पत्र में सम्मिलित नहीं थीं । इस मामले में 71,075 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता था परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अनियमितता प्रकाश में नहीं लाई गयीं ।

यह मामला विभाग को नवम्बर 1988 में तथा सरकार को मई 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; परन्तु [illegible] 1989 में अनुस्मारक प्रेषित करने के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1990)।

(च) बिक्री कर मण्डल, मेरठ में चीनी मिल मशीन के अवयवों (पार्ट्स) का निर्माण करने वाले एक व्यापारी ने वर्ष 1983-84 में 3.44 लाख रूपये का जेनरेटिंग सेट तथा 0.15 लाख रूपये का फोम प्रान्त के बाहर से फार्म सी की घोषणाओं के इस आशय के आधार पर कर की रियायती दर पर क्रय किया कि उक्त वस्तुएं उसके पंजीयन प्रमाण-पत्र से आच्छादित हैं यद्यपि उक्त वस्तुएं इस प्रकार आच्छादित नहीं थीं । इसलिए वह 64,692 रूपये तक के अर्थदण्ड का भागी था जो जनवरी 1987 में कर निर्धारण करते समय आरोपित होने से छूट गया।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किए जाने पर (न 1988) विभाग ने जनवरी 1989 में सूचित किया कि नवम्बर 1988 में 32,616 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है ।

यह मामला सरकार को जनवरी 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990)।

(छ) बिक्री कर मण्डल, कानपुर में एक व्यापारी ने वर्ष 1983-84 में प्रान्त के बाहर से 5.16 लाख रूपये के कोयले का क्रय फार्म सी में घोषणाओं के आधार पर किया यद्यपि कोयला उसके पंजीयन प्रमाण-पत्र द्वारा आच्छादित नहीं था । इस अपराध के लिए उस पर 61,390 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता था परन्तु कोई अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किए जाने पर (अगस्त 1988), मेंविभाग ने बताया (दिसम्बर 1988) कि 61,930 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है ।

यह मामला शासन को जून 1989 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(ज) बिक्री कर मण्डल, मेरठ में एक व्यापारी ने वर्ष 1985-86 में 2.90 लाख रूपये की मशीनरी फार्म सी में घोषणा के आधार पर प्रान्त के बाहर से कर के रियायती दर पर क्रय किया, यद्यपि मशीनरी उसके पंजीयन प्रमाण-पत्र से आच्छादित नहीं थी । इस मामले में 43,650 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता था, किन्तु यह आरोपित होने से छूट गया ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किए जाने पर (जून 1988), विभाग ने बताया (जनवरी 1989) कि 26,199 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है ।

मामला सरकार को जून 1989 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(झ) बिक्री कर मण्डल, अकबरपुर (जनपद फैजाबाद) में वर्ष 1984-85 में एक सहकारी समिति द्वारा घोषणा-प्रपत्र "सी" के आधार पर कर की रियायती दर पर 2.25 लाख रूपये का टिम्बर मिथ्यापूर्वक यह निरूपित करते हुए क्रय किया गया कि टिम्बर समिति को स्वीकृत किये गये पंजीयन प्रमाण-पत्र द्वारा आच्छादित है । इस मामले में 40,470 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता था परन्तु यह अनियमितता नवम्बर 1988 में कर निर्धारण के समय करनिर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकाश में नहीं लायी गयी ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किए जाने पर (नवम्बर 1988), विभाग ने सितम्बर 1989 में बताया कि 40,470 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है ।

मामला सरकार को मई 1989 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(ञ) बिक्री कर मण्डल, आगरा में सिन्थेटिक मोनोफिलामेन्ट यार्न तथा प्लास्टिक ट्यूबिंग का निर्माण एवं बिक्री करने वाले एक व्यापारी ने वर्ष 1982-83 में 1.96 लाख रूपये के जेनेरेटिंग सेट फार्म सी में घोषणा के आधार पर कर के रियायती दर पर क्रय

किया यद्यपि ये वस्तुएं उसके पंजीयन प्रमाण-पत्र से आच्छादित नहीं थीं अतः व्यापारी 35,324 रूपये तक के अर्थदण्ड का भागी था जो आरोपित होने से रह गया ।

लेखापरीक्षा में इस चूक के इंगित किए जाने पर (मार्च 1988), विभाग ने सूचित किया (जुलाई 1989) कि व्यापारी पर 35,324 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है ।

मामला सरकार को मार्च 1988 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(ट) मुजफ्फर नगर में एक चीनी मिल ने वर्ष 1979-80 के दौरान 1.48 लाख रूपये मूल्य के बेड्लेथ, एग्जास्ट फैन कूलरों, बिजली की मोटरों तथा एअर कम्प्रेसरों की कर की रियायती दर पर यह मिथ्या निरूपण करते हुये अन्तर्राज्यीय क्रय किया कि ये वस्तुएं उसके पंजीयन प्रमाण-पत्र द्वारा आच्छादित थीं । मिल के ऊपर मिथ्या निरूपण हेतु 22,125 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता था, परन्तु कर निर्धारण प्राधिकारी इस अनियमितता को देख पाने में असफल रहे ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किए जाने पर (जुलाई 1985), सरकार ने सूचित किया (फरवरी 1986) कि उपर्युक्त वस्तुयें चीनी मिल को स्वीकृत पंजीयन प्रमाण-पत्र में सम्मिलित की गई हैं । फिर भी, लेखापरीक्षा में पुनः सत्यापन में सरकार के उत्तर की पुष्टि नहीं हो सकी और मामला शासन को अप्रैल 1986 में पुनः सन्दर्भित किया गया तथा जुलाई 1986 तथा जून 1987 में अनुस्मारक

भी भेजे गये । मार्च 1889 में, विभाग ने बताया कि 22,123 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया है (जनवरी 1989) ।

2.6. धारा 4–बी के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित न किया जाना

(i) सरकारी अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर 1976 के साथ पठित उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम 1948 की धारा 4–बी के अन्तर्गत कुछ विज्ञापित माल के निर्माण में प्रयुक्त करने हेतु अपेक्षित कच्चे माल के कृय पर निर्माताओं को कुछ शर्तो को पूर्ण करने पर कर में विशेष छूट हेतु प्रावधान है । यदि कच्चे माल का प्रयोग मान्यता प्रमाण–पत्र में वर्णित वस्तुओं के निर्माण में न करके किसी अन्य वस्तु के निर्माण में किया जाता है तो व्यापारी ऐसी धनराशि अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करने का भंगी हो जाता है जो कर निर्धारण अधिकारी निर्धारित करेगा जो देय कर की धनराशि से कम न हो परन्तु उसके द्वारा प्राप्त कर में छूट के तीन गुने से अधिक न हो ।

(क) न्यायिक× रूप से यह निर्णय लिया गया है कि उन मामलों में जिनमें किसी माल के निर्माण में एक से अधिक कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है तो उस कच्चे माल का मूल्य, जो अन्य कच्चे मालों के मूल्य की अपेक्षा काफी अधिक है, इस बात का निर्णायक होगा कि इस प्रकार उत्पादित माल किस वर्ग में आता है ।

× आयुक्त बिक्रीकर बनाम अग्रवाल अभिहवान भण्डार (1981 एस टी सी 41 एच सी तथा तमिलनाडु राज्य बनाम भगवान चन्द एण्ड कम्पनी (1978) 42 एस टी सी० 325 (मद्रास)

बिक्री कर मण्डल, गाजियाबाद में "रबर उत्पादनों" के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 में 125.77 लाख रूपयों का रेयान/पालिस्टर कार्ड, काटन फैब्रिक्स तथा रसायनों आदि तथा 67.44 लाख रूपयों का रबर कम्पाउन्ड कच्चे माल के रूप में क्रय किया । इनमें से, 28.02 लाख रूपयें के कच्चे माल की कर-मुक्त खरीद फार्म 3-ख में घोषण के आधार पर की तथा उनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के पट्टों (बेल्टिंग) जैसे कि ट्रान्समिशन बेल्ट, एलीवेटर बेल्ट, कनवेयर बेल्ट, वीबेल्टस तथा फैन बेल्ट आदि के निर्माण में किया गया । उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत 7 सितम्बर 1981 से सभी प्रकार की बेल्टिंग पृथक रूप से वर्गीकृत कर दी गयी है अतएव उपर्युक्त उत्पादनों को रबड़ उत्पादनों या रेयान, पालिस्टर कार्ड उत्पादन या काटन फैब्रिक्स आदि के रूप में नहीं माना जा सकता । चूंकि बेल्टिंग्स रबर उत्पादनों की श्रेणी में नहीं आतीं थी, जिसके लिए कि व्यापारी के पास मान्यता प्रमाण-पत्र था, उस पर 6.72 लाख रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता था, परन्तु आरोपित किये जाने से रह गया।

लेखापरीक्षा में इस भूल के इंगित किये जाने पर (सितम्बर 1988) विभाग ने बताया (मार्च 1989) कि चूंकि निर्माण में प्रयुक्त होने वाले रबर का भार, प्रयुक्त होने वाली अन्य सामग्रियों के भार से अधिक था बेल्टिंग्स "रबर उत्पादन" ही थीं । विभाग का उत्तर इस तथ्य की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है कि संगत मामले में पालिस्टर/रेयान कार्ड तथा काटन फैब्रिक्स का मूल्य बेल्टिंग के निर्माण

में प्रयुक्त रबर के मूल्य की अपेक्षा कहीं अधिक था । इसके अतिरिक्त "बेल्टिग्स" 7 सितम्बर 1981 से अलग वर्गीकृत कर दी गयी हैं वे उक्त तिथि से "रबर उत्पादनों" की प्रविष्टि के क्षेत्र से बाहर हो गई हैं ।

यह मामला सरकार को अप्रैल 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 अनुस्मारक प्रेषित करने के बावजूद उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990)।

(ख) बिक्री कर मण्डल, गाजियाबाद में लोहा तथा इस्पात के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान फार्म III-बी में घोषणाओं के बल पर 73.43 लाख रूपये की कुछ वस्तुओं (आइटमों) का करमुक्त क्रय किया और उनका प्रयोग कंटीले तार के निर्माण में किया जो "लोहा तथा इस्पात" प्रविष्टि के अन्तर्गज नहीं आता । "लोहा तथा इस्पात" से भिन्न वस्तुओं के निर्माण हेतु कच्चे माल के प्रयोग के लिये व्यापारी पर 2.94 लाख रूपये का न्यूनतम अर्थदण्ड आरोपणीय था परन्तु फरवरी 1985 तथा मार्च 1985 में उक्त वर्षों हेतु कर निर्धारण करते समय अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा में इस चूक के इंगित किये जाने (अगस्त 1985), पर 2.93 लाख रूपये का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया (मई 1986) ।

सरकार ने, जिसे मामला अगस्त 1985 में प्रतिवेदित

किया गया था, विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही का समर्थन कर दिया है (अगस्त 1987) ।

(ग) बिक्री कर मण्डल, कानपुर में रंगों तथा रसायनों के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने 1982-83 के दौरान प्रपत्र 111-बी में घोषणाओं के बल पर 9.99 लाख रूपये का कच्चा माल करमुक्त क्रय किया तथा इसका प्रयोग रंगों तथा रसायनों के बजाय, रोज़िन आम्ल के निर्माण में किया । इसलिए व्यापारी पर 2.40 लाख रूपये तक का अर्थदण्ड आरोपणीय था जो मार्च 1985 में करनिर्धारण करते समय आरोपित किये जाने से छूट गया ।

लेखापरीक्षा में भूल के इंगित किये जाने (मई 1986) पर, विभाग ने बताया (मार्च 1987) कि 1.40 लाख रूपया का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है ।

यह मामला शासन को फरवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(घ) बिक्री कर मण्डल, कानपुर में लोहा तथा इस्पात के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण पत्र धारक एक व्यापारी ने वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान (कर निर्धारण क्रमशः अप्रैल 1983 और दिसम्बर 1982 में पूर्ण किये गये) प्रपत्र 111-बी में घोषणा के बल पर 12.28 लाख रूपये की टिन प्लेटों का करमुक्त क्रय किया और उनका प्रयोग टिन के आधानों (कन्टेनर्स) के निर्माण में किया जो लोहा तथा इस्पात के अनतर्गत नहीं आते । अतः व्यापारी 1.47 लाख रूपये तक के अर्थदण्ड का भागी था लेकिन यह आरोपित किये जाने से रह गया ।

लेखापरीक्षा में त्रुटि के इंगित किए जाने पर (जुलाई 1985), विभाग ने बताया (सितम्बर 1987) कि 95,000 रूपयों का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है ।

यह मामला सरकार को अप्रैल 1989 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(ङ॰) बिक्री कर मण्डल, आगरा में एक व्यापारी को "रबर उत्पादनों" के निर्माण के लिए मान्यता प्रमाण पत्र स्वीकृत किया गया था । उसने 1981-82 से 1983-84 की अवधि में इस आशय की घोषणा के आधार पर 12.02 लाख रूपये का कच्चा माल कर मुक्त क्रय किया कि माल रबर उत्पादनों के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयोग हेतु हैं किन्तु उसका व्यवसाय छपाई की मशीनों में प्रयुक्त स्टील रोलरों पर रबर चढ़ाना (रबराइज) था । चूंकि रबर चढ़े हुये स्टील रोलर "रबर उत्पादन" नहीं थे, बल्कि मशीनरी का भाग थे, अतः व्यापारी 1.44 लाख रूपये तक के अर्थदण्ड का भागी था जो आरोपित नहीं किया गया ।

सितम्बर 1988 में लेखापरीक्षा द्वारा इसके इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया (जुलाई 1989) कि व्यापारी ने उन स्टील रोलरों पर रबर चढ़ाया था, जिनका रबर घिस गया था और रोलरों का निर्माण नहीं किया था, बल्कि रबर उत्पादन निर्मित किये थे । उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि करनिर्धारण आदेशों के अनुसार, व्यापारी ने रबर चढ़े हुये मुद्रण मशीन के स्टील रोलरों का निर्माण किया है और उन्हें बेचा है । उन स्टील रोलरों पर जिनकी रबर

f

घिस गयी थी रबर चढ़ाना भी "रबर उत्पादनों" के निर्माण की परिभाषा में नहीं आता है ।

यह मामला सरकार को जून 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में निर्गत अनुस्मारक के बावजूद उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990)।

(च) बिक्री कर मण्डल, वाराणसी में पोलीयार्न के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने वर्ष 1983-84 के दौरान फार्म III-ख के आधार पर कर की रियायती दर पर 6 लाख रूपये के कच्चे माल का क्रय किया तथा उनका प्रयोग प्लास्टिक केन के सामानों के निर्माण में किया जो कर के आरोपण से मुक्त हैं । इसलिए व्यापारी माल के दुरूपयोग हेतु 72,000 रूपये तक के अर्थदण्ड का भागी था लेकिन फरवरी 1988 में करनिर्धारिण के समय अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा (जून 1988) में त्रुटि के इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया (जनवरी 1989) कि 72,000 रूपयें का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है ।

यह मामला सरकार को मई 1989 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(छ) इलाहाबाद मण्डल के एक व्यापारी को स्टील का तार तथा कीलों के निर्माण हेतु 10 सितम्बर 1976 से मान्यता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया । उसने 1980-81 और 1981-82 के दौरान

घोषणा प्रपत्र III-ख के आधार पर 5.23 लाख रूपये का कच्चा माल करमुक्त क्रय किया तथा उसका प्रयोग कीलों के निर्माण में किया । स्टील के तारों के निर्माण हेतु वह करमुक्त कच्चा माल क्रय करने हेतु अधिकृत था परन्तु कीलों के निर्माण हेतु वह 4 प्रतिशत की रियायती दर से कच्चा माल खरीद सकता था । कच्चे माल के दुरूपयोग हेतु व्यापारी 62,810 रूपये तक के अर्थदण्ड का भागी था परन्तु जनवरी 1983 तथा मार्च 1988 में कर-निर्धारण के समय यह आरोपित नहीं किया गया ।

मामला विभाग को अप्रैल 1989 में तथा सरकार को जून 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में निर्गत अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1990)।

(ज) बिक्री कर मण्डल, मेरठ में सी0आई0कास्टिंग (लोहा तथा इस्पात) के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने 1983-84 तथा 1985-86 के दौरान 5.10 लाख रूपयों का पिग आइरन तथा कास्ट आइरन स्क्रैप इस आशय की घोषण के आधार पर करमुक्त क्रय किया कि स्क्रैप का प्रयोग सी0आई0कास्टिंग के निर्माण में किया जाना था । परन्तु उसने 5.00 लाख रूपये मूल्य के स्क्रैप का प्रयोग मशीनरी के अवयवों (पार्ट्स) के निर्माण में किया । इसलिए व्यापारी 60,154 रूपये तक के अर्थदण्ड का भागी था जो आरोपित किये जाने से छूट गया था ।

मामला विभाग को जुलाई 1986 तथा सरकार को जनवरी 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में निर्गत

अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1990)।

(झ) बिक्री कर मण्डल, गाजियाबाद में साइकिल के भागों के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण पत्र धारक एक व्यापारी ने 1980-81 से 1982-83 के दौरान 13.08 लाख रूपयों का कच्चा माल क्रय किया तथा 4.64 लाख रूपये मूल्य का माल रिक्शा रिमों के निर्माण में प्रयोग किया जो अधिनियम के अन्तर्गत विज्ञापित नहीं हैं। जिसके लिये व्यापारी को मान्यता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया था, उससे अन्य प्रयोजन हेतु कच्चे माल का प्रयोग करने के लिये व्यापारी 55,192 रूपये तक के अर्थदण्ड का भागी था, परन्तु कोई अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

यह मामला विभाग को मई 1989 में तथा सरकार को जून 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में निर्गत अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1990)

(ii) उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 4 बी में कुछ शर्तों को पूरा करने पर कुछ अधिसूचित माल के निर्माण में प्रयोग हेतु अपेक्षित कच्चे माल के क्रयों पर कुछ निर्माताओं को कर में विशेष छूट हेतु एक योजना का प्रावधान है। इस प्रकार से निर्मित वस्तुएं प्रान्त के अन्दर या अन्तरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान अथवा भारत के बाहर निर्यात के दौरान बेची जानी अपेक्षित हैं। इस शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में, व्यापारी अर्थदण्ड के रूप में एक ऐसी धनराशि के भुगतान का दायी हो जाता है जो राज्य में ऐसे अधिसूचित माल के विक्रय मूल्य पर देय कर से कम नहीं होगी और ऐसे कर की धनराशि के तीन गुने से अधिक नहीं होगी।

(क) बिक्री कर मण्डल, ओरई में तेल के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने 1983-84 में 5.57 लाख रूपयों के तिलहन का क्रय कर की रियायती दर पर किया तथा उक्त तिलहन से उत्पादित तेल कन्साइनमेंट के आधाार पर स्थानान्तरित कर दिया चूंकि व्यापारी विज्ञापित माल की बिक्री नहीं की अतएव वह 33,899 रूपयों तक के अर्थदण्ड के भुगतान का भागी था किन्तु अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा (अक्टूबर 1988) में इस त्रुटि के इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया (मार्च 1989) कि 33,899 रूपयों का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है ।

यह मामला सरकार को जुलाई 1989 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(ख) बिक्री कर मण्डल, गाजियाबाद में बाईसाइकिलों के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 में प्रपत्र 111-ख में घोषणा के आधार पर 48.17 लाख रूपये मूल्य के टायर, टयूब पीतल के इनगाटस तथा चेन आदि का करमुक्त क्रय किया और उनका उपयोगा बाई साइकिलों के निर्माण में किया । उसने 51.81 लाख रूपये मूल्य की साइकिलों को प्रान्त बाहर कन्साइनमेंट के आधार पर स्थानान्तरित कर दिया । बिक्री से अन्यथा माल के निस्तारण हेतु व्यापारी 2.56 लाख रूपयों तक के अर्थदण्ड के भुगतान का भागी था जो आरोपित किये जाने से छूट गया ।

मामला विभाग को जून 1986 तथा सरकार को जनवरी

1988 मे प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में निर्गत अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1990)।

(ग) बिक्री कर मण्डल, देहरादून में तारपीन तेल तथा रोजिन के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण पत्र धारक एक निगम ने वर्ष 1981-82 के दौरान घोषणा प्रपत्र III-ख के आधार पर 49.97 लाख रूपयों का रोजिन करमुक्त क्रय किया तथा उक्त रोजिन से निर्मित 46.78 लाख रूपये मूल्य का तारपीन का तेल तथा रोजिन कन्साइनमेन्ट के आधार पर प्रान्त के बाहर हस्तांतरित कर दिया। शर्त के उल्लघंन हेतु व्यापारी पर 1.40 लाख रूपयों तक का अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता था परन्तु यह आरोपित किये जाने से छूट गया।

मामला विभाग को जनवरी 1989 तथा सरकार को मई 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में निर्गत अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1990)।

(घ) बिक्री कर मण्डल, गाजियाबाद में एक व्यापारी ने जिसने 1983-84 में कर में छूट प्राप्त करके 1.17 लाख रूपयों के उडऊल का क्रय किया था, निर्मित माल की बिक्री नहीं की बल्कि 2.58 लाख रूपये मूल्य का निर्मित माल प्रान्त के बाहर कन्साइनमेंट के आधार पर हस्तान्तरित कर दिया अतएव व्यापारी 61,929 रूपये तक के अर्थदण्ड के भुगतान करने का दायी था। जो आरोपित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा (जुलाई 1986) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने सितम्बर 1986 में 61,929 रूपये अर्थदण्ड आरोपित कर दिया जो अगस्त 1988 में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा घटाकर 51,600 रूपये कर दिया गया।

यह मामला सरकार को जुलाई 1989 में प्रतिवेदित किया गया था।

(ङ) बिक्री कर मण्डल, आगरा में तेल निकालने के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने वर्ष 1982-83 में घोषणा प्रपत्र III-ख के आधार पर 15.68 लाख रूपयों का महुआ बीज, कर की रियायती दर पर क्रय किया और 4.74 लाख रूपये मूल्य का तेल (महुआ बीजों से निकाले गए) प्रान्त के बाहर कन्साइनमेंट के आधार पर स्थानान्तरित कर दिया। शर्त के उल्लघंन हेतु व्यापारी पर 56,880 रूपये तक का अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता था परन्तु आरोपित किये जाने से छूट गया (जून 1986)।

लेखापरीक्षा (मार्च 1988) में त्रुटि के इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया (दिसम्बर 1988) कि 38,400 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है।

यह मामला सरकार को जून 1989 में प्रतिवेदित किया गया था।

(च) बिक्री कर मण्डल, हरदोई में तेल निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण पत्र धारक एक व्यापारी ने 1982-83 में प्रपत्र III-ख में घोषणाओं के आधार पर 6.51 लाख मूल्य के तिलहन का क्रय कर की रियायती दर पर किया। निर्माण किए गए तेलों से, व्यापारी ने 7.83 लाख रूपये का तेल उत्तर प्रदेश के बाहर अपनी शाखाओं को स्थानान्तरित कर दिया जिसे बिक्री नहीं माना जा सकता। इसलिये व्यापारी 31,500 रूपये के न्यूनतम अर्थदण्ड के भुगतान का भागी था जो आरोपित किये जाने से रह गया।

लेखापरीक्षा (अगस्त 1987) में भूल के इंगित करने पर, विभाग ने बताया (दिसम्बर 1988) कि 31,500 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है, जिसमें से 15,731 रूपयों की वसूली हो चुकी है।

यह मामला सरकार को फरवरी 1989 में प्रतिवेदित किया गया था।

पर 56,880 रूपये तक का अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता था परन्तु आरोपित किये जाने से छूट गया (जून 1986) ।

लेखापरीक्षा (मार्च 1988) में त्रुटि के इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया (दिसम्बर 1988) कि 38,400 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है ।

यह मामला सरकार को जून 1989 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(च) बिक्री कर मण्डल, हरदोई में तेल निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण पत्र धारक एक व्यापारी ने 1982-83 में प्रपत्र III-ख में घोषणाओं के आधार पर 6.51 लाख मूल्य के तिलहन का क्रय कर की रियायती दर पर किया । निर्माण किए गए तेल से, व्यापारी ने 7.83 लाख रूपये का तेल उत्तर प्रदेश के बाहर अपनी शाखाओं को स्थानान्तरित कर दिया जिसे बिक्री नहीं माना जा सकता । इसलिए व्यापारी 31,500 रूपये के न्यूनतम अर्थदण्ड के भुगतान का भागी था जो आरोपित किये जाने से रह गया ।

लेखापरीक्षा (अगस्त 1987) में भूल के इंगित करने पर, विभाग ने बताया (दिसम्बर 1988) कि 31,500 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है, जिसमें से 15,731 रूपयों की वसूली हो चुकी है ।

यह मामला सरकार को फरवरी 1989 में प्रतिवेदित किया गया था ।

2.7. धारा 15 ए के अन्तर्गत अर्थदण्ड का आरोपित न किया जाना

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर नियमावली, 1948 के नियम 85 के साथ पठित उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 28 ए के अन्तर्गत प्रान्त के बाहर से सामान आयात करने के लिए इच्छुक पंजीकृत व्यापारी कर निर्धारण अधिकारी से घोषणा-प्रपत्र XXXI प्राप्त करेगा । यदि इस प्रकार के सामान रेल, नदी, वायुयान या डाक द्वारा प्रेषित किये जाते हैं तो आयातकर्ता तब तक उनका परिदान (डिलिवरी) प्राप्त नहीं करेगा जब तक कि वह करनिर्धारण अधिकारी को अपने द्वारा विधिवत् भरे गये तथा हस्ताक्षरित घोषणा, दो प्रतियों में पृष्ठांकन हेतु प्रस्तुत नहीं कर देता । इन प्रावधानों के उल्लघंन किये जाने की स्थिति में कर-निर्धारण प्राधिकारी निदेशित कर सकता है कि ऐसा व्यापारी या व्यक्ति, धारा 15 ए(1) (ओ) के अन्तर्गत मद (IX) में किये गये प्रावधान के अनुसार आयातित माल के मूल्य के 40 प्रतिशत से अनधिक धनराशि का अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करेगा ।

दो मामलों में, जिनमें प्रपत्र 31 में घोषणा प्रस्तुत किए बिना ही माल आयात किये गये थे, लेखपरीक्षा द्वारा इसके इंगित किए जाने पर 1.21 लाख रूपयों का अर्थदण्ड आरोपित तथा वसूल कर लिया गया । कुछ अन्य मामले नीचे उल्लिखित हैं ।

(i) बिक्री कर मण्डल, गाजियाबाद में एक व्यापारी ने वर्ष 1980-81 में 34.62 लाख रूपये मूल्य की टिन प्लेटें रेल द्वारा

प्रान्त के बाहर से आयात कीं तथा करनिर्धारण अधिकारी को दो प्रतियों में घोषणा प्रपत्र 31 प्रस्तुत किये बिना माल छुड़ा [illegible] या । इस अपराध के लिए, 13.85 लाख रूपयों तक का अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता था, परन्तु नवम्बर 1983 में करनिर्धारण करते समय इस पर विचार नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा (अप्रैल 1986) में त्रुटि के इंगित किये जाने पर, विभाग ने जुलाई 1989 में बताया कि 3.55 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है ।

यह मामला सरकार को दिसम्बर 1988 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(ii) बिक्री कर मण्डल, कानपुर में दो व्यापारियों ने 1978-79 तथा 1979-80 में 203.40 लाख रूपयों का लोहा तथा इस्पात क्रेताओं द्वारा तथा कथित प्रस्तुत की गयी इस आशय की घोषणाओं के आधार पर करमुक्त बेचा कि उनका आशय माल को उसी रूप तथा दशा में पुनर्विक्रय किये जाने का है । बाद में यह पाया गया कि उक्त घोषणा प्रपत्र क्रेता व्यापरियों द्वारा नहीं प्रस्तुत किए गए थे तथा वे जाली थे । इस लिए विक्रेता व्यापारी 12.20 लाख रूपयों तक के अर्थदण्ड के भुगतान के भागी थे, परन्तु जुलाई 1983 तथा सितम्बर 1984 में करनिर्धारण करते समय अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा (दिसम्बर 1984) में इसके इंगित किए जाने पर, विभाग ने जुलाई 1986 में बताया कि 12.20 लाख रूपयों

का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है ।

यह मामला सरकार को सितम्बर 1989 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(ख) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 की धारा 15 ए (1) (क्यू क्यू) के अन्तर्गत, यदि कोई व्यापारी बिक्रीकर अथवा क्रयकर के रूप में कोई धनराशि वसूल करता है, जबकि बिक्रीकर या क्रयकर विधिक रूप से देय नहीं है अथवा विधिक रूप से देय कर की धनराशि से अधिक कर वसूल करता है तो कर निर्धारण प्राधिकारी व्यापारी को अर्थदण्ड के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करने के लिये निदेशित कर सकता है जो इस प्रकार वसूली गई या अधिक वसूली गयी कर की धनराशि से कम नहीं होगी तथा उस धनराशि के तीन गुने से अधिक नहीं होगी ।

बिक्री कर मण्डल, देहरादून में दो व्यापरियों ने वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान चूना तथा टिम्बर की बिक्री पर अधिनियम के अन्तर्गत देय कर से 27,494 रूपयों का अधिक कर वसूल किया तथा जमा किया । अगस्त 1986 तथा जनवरी 1987 में कर निर्धारण के समय अधिक वसूल की गयी धनराशियाँ व्यापारियों के विरूद्ध सृजित माँगों के समक्ष समायोजित कर दी गयीं । कर निर्धारण प्राधिकारी अधिनियम में संकल्पित 27,494 रूपयों का न्यूनतम अर्थदण्ड आरोपित करने में असफल रहा ।

लेखापरीक्षा (मार्च 1988) में त्रुटि के इंगित किये जाने

पर, विभाग ने बताया (फरवरी 1989) कि 27,494 रूपयों का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है, जिसमें से 13,932 रूपये की धनराशि मई 1988 में वसूल की जा चुकी है ।

यह मामला सरकार को मार्च 1989 में प्रतिवेदित किया गया था ।

2.8. केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण तथा अर्थदण्ड का आरोपित न किया जाना

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8(2) के अन्तर्गत, प्रपत्र "सी" या "डी" में घोषणाओं से अनाच्छादित घोषित वस्तुओं की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री के मामले में राज्य में एसे माल की बिक्री पर लागू दर के दो गुने दर से कर आरोपणीय है । इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यापारी ने अपने विक्रयधन को छिपा लिया है अथवा टर्नओवर के गलत विवरण दिये हैं तो वह इस प्रकार बचा लिये गये होते कर के डेढ़ गेने तक अर्थदण्ड का भागी हो जाता है ।

बिक्री कर मण्डल, कानपुर में एक व्यापारी ने 1984-85 में 56.58 लाख रूपयों के लोहे तथा स्पात का प्रान्त के बाहर कन्साइनमेंट के आधार पर हस्तान्तरण दर्शित किया था । 1 अप्रैल 1985 को व्यापारी ने कर निर्धारण अधिकारी को अपना व्यापार बन्द करने की सूचना प्रेषित की । जून 1985 में, विभागीय अनुसंधान शाखा ने सूचित किया कि व्यापारी द्वारा दर्शित कन्साइनमेंट विक्रियां जाली पायी गयीं हैं । इस पर व्यापारी का उक्त वर्ष के

लिए कर निर्धारण मार्च 1987 में एक पक्षीय रूप से पारित किया गया तथा व्यापारी द्वारा दर्शित कन्साइनमेंट बिक्रियों को अन्तरप्रान्तीय बिक्रियां मानते हुए और 1.50 लाख रूपयों पर निश्चित की गयी ऐसी बिक्रियों के टर्नओवर पर, 8 प्रतिशत् की सही दर के बजाय 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया । इससे 6 लाख रूपयों का कर कम आरोपित हुआ । टर्नओवर के गलत विवरण देने तथा छिपाने के लिए व्यापारी 9 लाख रूपये तक के अर्थदण्ड अदा करने का भी भागी था, जो आरोपित नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा (अगस्त 1988) में इसके इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया (जनवरी 1989) कि कर निर्धारण पुनरीक्षित कर दिया गया है तथा 6 लाख रूपये की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गयी है । अर्थदण्ड आरोपित करने के संबंध में कृत कार्यवाही की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (अप्रैल 1990) ।

यह मामला सरकार को दिसम्बर 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में निर्गत अनुस्मारक के बावजूद भी उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990)।

2.9. माल के गलत वर्गीकरण के कारण अवनिर्धारण

(i) न्यायिक रूप से यह निर्णय× लिया जा चुका है कि चक्की का पत्थर "मिल स्टोर्स" की प्रविष्टि के अन्तर्गत आयेगा, जिसका

×आयुक्त बिक्री कर बनाम सुभाष मिल स्टोर्स एस0टी0आई0 1978 इलाहाबाद उच्च न्यायालय 169

विक्रयधान निर्माता या आयातक के हाथों 7 सितम्बर 1981 से 8 प्रतिशत् की दर से कर योग्य है ।

बिक्रीकर मण्डल, गाजियाबाद में वर्ष 1984-85 से 1986-87 के दौरान एक व्यापारी द्वारा की गयीं 21.99 लाख रूपये की चक्की के पत्थर की बिक्रियों पर, चक्की के पत्थर को "मशीनरी का भाग" मानते हुए, 6 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया । गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप 43,984 रूपये के कर का अवनिर्धारण हुआ । व्यापारी से 2 प्रतिशत् प्रतिमाह की दर से ब्याज भी प्रभार्य था ।

यह मामला विभाग को दिसम्बर 1988 में तथा सरकार को मई 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में अनुस्मारक प्रेषित करने के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1990)।

(ii) उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत, 7 सितम्बर 1981 से, रसायनों पर निर्माताओं आयातकर्ता द्वारा बिक्री के बिन्दु पर 8 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है । पोटेशियम क्लोरेट एक रसायन है, जो ऊष्मा से विस्फोटित होता है और माचिस, आतिशबाज़ी तथा विस्फोटकों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है ।

बिक्री कर मण्डल, हापुड़ में एक व्यापारी ने वर्ष 1983-84 में 13.70 लाख रूपयों का पोटेशियम क्लोरेट (रसायन) की बिक्री की, जिसपर त्रुटिवश (नवम्बर 1987) में रसायनों पर

आरोपणीय 8 प्रतिशत् की दर के स्थान पर (इस वस्तु को उर्वरक रसायन मानते हुए) 5 प्रतिशत् की दर से कर आरोपित किया गया । परिणाम स्वरूप 41,118 रूपयों का कर कम आरोपित हुआ ।

लेखापरीक्षा में इस त्रुटि के इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 1988) विभाग ने नवम्बर 1989 मे बताया कि करनिर्धारण आदेश संशोधित कर दिया गया है तथा 39,528 रूपयों की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गयी है, जिसकी वसूली सितम्बर 1989 में हो चुकी है ।

यह मामला सरकार को अप्रैल 1989 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(iii) सरकार की दिनांक 7 सितम्बर 1981 की विज्ञप्ति के अनुसार शोधित नारियल के तेल की बिक्री पर 7 सितम्बर 1981 से निर्माणकर्ता या आयातकर्ता के बिन्दु पर 10 प्रतिशत् की दर से कर देयता है ।

बिक्री कर मण्डल, मुरादाबाद में एक व्यापारी द्वारा वर्ष 1982-83 में की गई 6.56 लाख रूपये के शोधित नारियल के तेल की बिक्री पर इसे सभी प्रकार के तेल के अन्तर्गत मानते हुये (जून 1986) 10 प्रतिशत् की निर्धारित दर के स्थान पर 4 प्रतिशत् की दर से आरोपित किया गया । इस त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण 39,375 रूपयों के कर का अवनिर्धारण हुआ । चूंकि यह व्यापारी का स्वीकृत कर था, अतः जमा करने की तिथि तक इस पर 2 प्रतिशत् प्रतिमाह की दर से ब्याज भी देय था ।

यह मामला विभाग को जनवरी 1989 में तथा सरकार को मई 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; परन्तु नवम्बर 1989 में अनुस्मारक देने के बावजूद अभी तक उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990)।

(iv) दिनांक 1 मार्च 1979 की सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार बुनाई के धागों पर चाहे वह ऊनी, एक्रीलिक या अन्य किसी प्रकार के हों, आयातकर्ता या निर्माणकर्ता के बिन्दु पर 6 प्रतिशत् की दर से कर देय है। 4 दिसम्बर 1979 से 6 सितम्बर 1981 तक एक प्रतिशत् की दर से अतिरिक्त कर भी देय था।

बिक्री कर मण्डल, कानपुर में एक व्यापारी द्वारा वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 में बेचे गये 7.53 लाख रूपये के बुनाई के धागों पर इसको "सभी प्रकार के धागे" (यार्न आफ आल कांइन्ड्स) मानते हुये (मार्च 1983, जनवरी 1985 तथा फरवरी 1985) 6 प्रतिशत् के स्थान पर 2 प्रतिशत् की दर से कर आरोपित किया गया यद्यपि विज्ञप्ति में बुनाई के धागों का विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण 30,816 रूपयों के कर का अवनिर्धारण हुआ। चूंकि यह कर व्यापारी द्वारा स्वीकृत रूप से देय था, अतः इस पर 2 प्रतिशत् प्रतिमाह की दर से कर जमा होने की तिथि तक ब्याज भी देय था।

लेखापरीक्षा में इस त्रुटि के इंगित किये जाने पर (मई 1986) विभाग ने बताया (मार्च 1987) कि कर निर्धारण आदेश संशोधित कर दिया गया है और 30,816 रूपयों की अतिरिक्त मांग

सृजित कर दी गयी है ।

यह मामला सरकार को फरवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया था ।

2.10. अनियमित छूट दिया जाना

न्यायिक× रूप से यह निर्णय किया गया है कि नट तथा बोल्ट्स हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं तथा इनके बिक्रयधान पर निर्माणकर्ता या आयातकर्ता के बिन्दु पर दिनांक 7 सितम्बर 1981 से 8 प्रतिशत् की दर से कर देयता है ।

बिक्री कर मण्डल, बड़ौत (जनपद मेरठ) में वर्ष 1982-83 से 1984-85 में चार व्यापारियों द्वारा 18.93 लाख रूपयों के नट तथा बोल्ट की बिक्री पर इनको कृषि यंत्र मानते हुए कर मुक्ति प्रदान की गयी । अनियमित करमुक्ति प्रदान किये जाने के कारण व्यापरियों पर 1.52 लाख रूपयों का कर आरोपित होने से रह गया । चूंकि ये कर व्यापारियों द्वारा स्वीकृत रूप से देय थे, अतः इस पर व्यापारी से 2 प्रतिशत् प्रतिमाह की दर से ब्याज भी देय था।

यह मामला विभाग को दिसम्बर 1988 में तथा सरकार को मई 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; परन्तु नवम्बर 1989 में अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1990)।

× सी० एस० टी० बनाम नारंग सेल्स कारपोरेशन (1980) यू० पी० टी० सी 453 के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय

(ii) उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 4 ख के अन्तर्गत कुछ अधिसूचित वस्तुओं के निर्माताओं को निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल के क्रय करने हेतु विशेष रियायतों का प्रावधान है । विभागीय अनुदेश दिनांक 27 अक्टूबर 1979 के अनुसार कच्चे चमड़े से सुसज्जित चमड़े के निर्माण के लिए रसायन (उपचार की एक वस्तु) को कच्चा माल नहीं माना गया है और सुसज्जित खाल एवं चर्म के निर्माताओं को इसके लिए रसायन के क्रय पर रियायती दर की सुविधा नहीं दी जानी थी । पक्के चमड़े (ड्रेस्ड्हाइड्स) के निर्माण में बबूल की छाल, उसमें टैनिन का अंश होने के नाते, उपचार की वस्तु की भांति प्रयोग में लाई जाती है ।

बिक्री कर मण्डल, कानपुर में पक्के चमड़े के एक निर्माता को त्रुटिवश कच्चे माल की भांति बबूल की छाल के रियायती दर पर क्रय करने के लिए अधिकृत किया गया था । व्यापारी ने वर्ष 1983-84 में 6.88 लाख रूपयों की बबूल की छाल अपंजीकृत व्यापरियों से क्रय की । अक्टूबर 1987 में करनिर्धारण सम्पन्न करते समय इसके क्रय पर सामान्य दर 8 प्रतिशत् के स्थान पर 4 प्रतिशत् की दर से कर लगाया गया । इससे कर में 27,335 रूपये का अवनिर्धारण हुआ ।

यह मामला विभाग को अगस्त 1988 में तथा सरकार को जून 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; परन्तु नवम्बर 1989 में अनुस्मारक भेजने के बाद भी उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990)।

2.11. घोषणा पत्रों का दुरूपयोग

(1) उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 4ख के अन्तर्गत जारी दिनांक 11 जून 1984 की विज्ञप्ति के अनुसार कोई नई इकाई कुछ विशिष्ट विज्ञापित वस्तुओं के निर्माण के लिए जिस जिले में इकाई स्थित है, उसके अनुसार 5 या 3 वर्षों के लिए कच्चा माल बिना कोई कर अदा किए क्रय कर सकती है यदि कोई व्यापारी मिथ्या घोषणा-पत्र जारी करता है जिसके परिणामस्वरूप कर आरोपणीय नहीं रह जाता तो ऐसा व्यापारी कर में प्राप्त किये गए रियायत के बराबर धनराशि अदा करने का भागी हो जाता है । इसके अतिरिक्त मिथ्या घोषणा प्रस्तुत करने हेतु उसपर अपवंचित कर की धनराशि के डेढ़ गुने के बराबर अर्थदण्ड भी आरोपित किया जा सकता है ।

(क) बिक्री कर मण्डल, गाजियाबाद में एक व्यापारी को आइरन कास्टिंग, आयल इंजिन तथा कोल्हू (आयल एक्सपेलर्स) के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, जिसकी प्रभावी तिथि 31 दिसम्बर 1973 थी । व्यापारी आयल इंजिन तथा कोल्हू के निर्माण के लिए करमुकत कच्चा माल 31 दिसम्बर 1976 तक क्रय कर सकता था । फिर भी यह देखा गया कि वर्ष 1978-79 से 1984-85 तक की अवधि में व्यापारी ने प्रपत्र "ख" की घोषणाओं के आधार पर आयल इंजिन तथा कोल्हू के निर्माण हेतु बिना कर अदा किए 66.36 लाख रूपयों का कच्चा माल क्रय किया और कच्चे माल का प्रयोग आयल इंजिन तथा कोल्हुओं के निर्माण में किया था । मिथ्या घोषणा-पत्र जारी कर के व्यापारी ने कच्चे माल के क्रय में, अनाधिकृत

रियायत प्राप्त किया था इसलिए वह कर में प्राप्त रियायत के बराबर 2.65 लाख रूपयों की धनराशि का देनदार हो गया था । इसके अतिरिक्त व्यापारी पर 3.98 लाख रूपये तक का अर्थदण्ड भी आरोपित किया जा सकता था परन्तु मार्च 1983 से अक्टूबर 1987 तक की अवधि में उक्त वर्षों के लिए करनिर्धारण सुनिश्चित करते समय कोई भी कर या अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 1987) विभाग ने बताया (जनवरी 1989) कि वर्ष 1983-84 के लिए 48,880 रूपयों की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गयी है । वर्ष 1978-79 से 1982-83 तथा 1984-85 के लिए कर निर्धारण में संशोधन तथा अर्थदण्ड आरोपित करने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अप्रैल 1990) ।

यह मामला सरकार को मई 1988 में प्रतिवेदित किया गया था, नवम्बर 1989 में अनुस्मारक के बावजूद उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990)।

(ख) बिक्री कर मण्डल, कानपुर में एक व्यापरी जिसको उसकी उन्नाव स्थित इकाई में प्लास्टिक के सामान हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया था, 1 अप्रैल 1976 से उत्पादन प्रारम्भ कर दिया था । अतः वह 31 मार्च 1981 तक करमुक्त कच्चा माल क्रय करने हेतु अधिकृत था । परन्तु व्यापारी ने 5 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी प्रपत्र 3 ख में घोषणाएं जारी करके वर्ष 1981-82 में

3.16 लाख रूपयों का करमुक्त कच्चा माल क्रय किया । इसलिए वह कर में प्राप्त रियायत के बराबर अर्थात् 12,635 रूपयों की धनराशि तथा इसके अतिरिक्त 18,952 रूपये तक का अर्थदण्ड अदा करने का भागी था । परन्तु जून 1986 में उक्त अवधि के लिए कर निर्धारण करते समय कर तथा अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया ।

यह मामला विभाग को अगस्त 1988 में तथा सरकार को मार्च 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990) ।

(ii) उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 4 ख के साथ पठित विज्ञप्ति दिनांक 31 दिसम्बर 1976 के अन्तर्गत कुछ अधिसूचित मालों के निर्माण में प्रयोग हेतु कच्चे माल की खरीद पर निर्माताओं को कुछ शर्तों के साथ कर में विशिष्ट छूट देने का प्राविधान है । नई इकाइयों को कच्चे माल के क्रय हेतु कर मुक्ति की रियायत तभी प्राप्त हो सकती थी जबकि उत्पादन 1 जनवरी 1979 से पूर्व प्रारम्भ किया गया हो । मिथ्या या गलत घोषणाओं को जारी करने के कारण यदि माल के विक्रय या क्रय करने पर कोई कर देय नहीं रह जाता तो व्यापारी कर के रूप में ऐसी धनराशि अदा करने का भागी होता है, जो घोषणा-पत्र ज़ारी न किये जाने की स्थिति में कर के रूप में देय होता । इसके अतिरिक्त व्यापारी पर अर्थदण्ड भी आरोपणीय हो जाता है, जो देय कर का कम से कम पचास प्रतिशत तथा ऐसे कर के डेढ़ गुने से अधिक न हो ।

(क) बिक्री कर मण्डल, लखनऊ में कन्डक्टर वायर के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने वर्ष 1982-83 में मिथ्या प्रपत्र 3ख की घोषणाओं के आधार पर झूठ में यह प्रदर्शित करते हुये कि वह कर मुक्त क्रय करने हेतु अधिकृत था, 36.33 लाख रूपयों का लोहे का तार कर-मुक्त क्रय किया । चूंकि कन्डक्टर वायर दिनांक 31 दिसम्बर 1976 की विज्ञप्ति के परिशिष्ट 111 के अन्तर्गत अधिसूचित नहीं है, इसलिए व्यापारी कच्चा माल 4 प्रतिशत् के रियायती दर से ही क्रय करने के लिए अधिकृत था न कि कर-मुक्त क्रय करने के लिये । घोषणा-पत्र के दुरूपयोग के कारण कर में 1.45 लाख रूपयों का अवनिर्धारण हुआ । इसके अतिरिक्त घोषणा-पत्र के दुरूपयोग हेतु 2.18 लाख रूपये तक का अर्थदण्ड भी आरोपित किया जा सकता था । परन्तु विभाग ने अर्थदण्ड आरोपित करने पर विचार नहीं किया ।

यह मामला विभाग को अक्टूबर 1987 में तथा सरकार को जनवरी 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में अनुस्मारक देने के बावजूद उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990)।

(ख) बिक्री कर मण्डल, अलीगढ़ में एक व्यापारी को 9 मई 1979 से रसायन के निर्माण के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र दिया गया था । व्यापारी ने प्रपत्र 3ख की घोषणाओं के आधार पर वर्ष 1979-80 से 1981-82 की अवधि में 3.29 लाख रूपये के करमुकत कच्चे माल का क्रय किया । चूंकि इस ईकाई में उत्पादन एक जुलाई

1979 के पश्चात् प्रारम्भ किया गया था अतएव व्यापारी कर-मुक्त कच्चा माल क्रय करने के लिए अधिकृत नहीं था, बल्कि केवल 4 प्रतिशत के रियायती दर पर क्रय कर सकता था । घोषणा-पत्रों के दुरुपयोग के कारण कर में 13,140 रूपयों का अवनिर्धारण हुआ । इसके अतिरिक्त घोषणा पत्र के दुरुपयोग हेतु 19,170 रूपये तक का अर्थदण्ड भी आरोपित किया जा सकता था ।

लेखापरीक्षा में इस उक्त भूल को इंगित किये जाने पर (मई 1986) विभाग ने बताया (मार्च 1988) कि 13,142 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित करके वसूल कर लिया गया है । अधिनियम की धारा 3ख के अन्तर्गत कर आरोपित करने के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (अप्रैल 1990)।

यह मामला सरकार को दिसम्बर 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में अनुस्मारक प्रेषित करने के बाद भी उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990)।

2.12. अतिरिक्त कर का आरोपित न किया जाना

(i) उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 3 एफ के अन्तर्गत 6 सितम्बर 1981 तक व्यापारी के विक्रयधन पर एक प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय था ।

बिक्री कर मण्डल, वाराणसी में एक व्यापारी ने वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 में प्रपत्र 3 घ की घोषणाओं के आधार

पर सरकारी विभागों को क्रमशः 5.45 लाख रूपये तथा 49.09 लाख रूपये के स्पनपाईप की बिक्री की, जिस पर 4 प्रतिशत् की दर से कर आरोपित किया गया (जून 1987) 54.94 लाख रूपयों के विक्रय धन पर 54,935 रूपयों का अतिरिक्त कर (एक प्रतिशत् की दर से) आरोपित नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा में इस भूल के इंगित किये जाने पर (नवम्बर 1988) विभाग ने बताया (मई 1989) कि दोनों वर्षों के कर निर्धारण को संशोधित करते हुए फरवरी 1989 में 54,935 रूपयों की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गयी है ।

यह मामला सरकार को जून 1989 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(ii) उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 3ई के अन्तर्गत ऐसे व्यापरियों को जिनका समस्त वार्षिक विक्रयधन 10 लाख रूपयों से अधिक हो, दिनांक 1 अक्टूबर 1983 से, देयकर के 5 प्रतिशत् की दर से अतिरिक्त कर भुगतान करना था । वर्ष 1983-84 के लिए अतिरिक्त कर 1 अक्टूबर 1983 से 31 मार्च 1984 तक की अवधि हेतु ही देय था ।

(क) बिक्री कर मण्डल, गोंडा में वन विभाग के एक प्रखण्ड द्वारा 1 अक्टूबर 1983 से 31 मार्च 1984 की अवधि में 290.42 लाख रूपयों के टिम्बर की बिक्री की गयी तथा 12 प्रतिशत् की दर से

34.85 लाख रूपये कर आरोपित किया गया । परन्तु 1.74 लाख रूपयों का अतिरिक्त कर आरोपित होने से रह गया ।

लेखापरीक्षा में भूल के इंगित किये जाने पर (सितम्बर 1988) विभाग ने सितम्बर 1989 में बताया कि 1.74 लाख रूपये की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गयी है ।

यह मामला सरकार को मई 1989 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(ख) बिक्री कर मण्डल, सिकन्दराबाद (जनपद बुलन्दशहर), में कागज के एक व्यापारी का 1 अक्टूबर 1983 से 31 मार्च 1984 की अवधि के लिए 96.15 लाख रूपयों का विक्रयधन निर्धारित किया गया तथा 5.77 लाख रूपये कर आरोपित किया गया था । परन्तु 28,845 रूपयों का अतिरिक्त कर आरोपित नहीं किया गया (अक्टूबर 1987) ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 1988) विभाग ने कर निर्धारण आदेश संशोधित करते हुए उक्त धनराशि की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी है ।

यह मामला सरकार को जून 1989 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(ग) बिक्री कर मण्डल, रायबरेली में एक व्यापारी का 1 अक्टूबर 1983 से 31 मार्च 1984 की अवधि में सीमेंट पाईप का

विक्रयधन 60 लाख रूपये निर्धारित करते हुए उस पर 4.80 लाख रूपयों का कर आरोपित किया गया । परन्तु 24,000 रूपये अतिरिक्त कर आरोपित नहीं किया गया (जनवरी 1987) ।

3 जून 1988 को लेखापरीक्षा में इस भूल के इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (जनवरी 1989) कि 7 जून 1988 को 24,000 रूपयों का अतिरिक्त कर आरोपित कर दिया गया है ।

यह मामला सरकार को जनवरी 1989 में प्रतिवेदित किया गया था ।

2.13. क्रय कर का आरोपित न किया जाना

(1) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम 1948 की धारा 3 जी के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के विभागों व केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित कम्पनी या उपक्रमों को (निर्धारित घोषणापत्रों से समर्थित) की गई बिक्रियों पर 4 (प्रतिशत) की रियायती दर से कर आरोपण का प्रावधान इस शर्त के साथ किया गया है कि ऐसे विभागों द्वारा इन वस्तुओं को पुनः बेचा नहीं जाता, या बिक्री हेतु अन्य वस्तुओं के निर्माण अथवा पैकिंग में प्रयुक्त नहीं किया जाता । इन शर्तों के उल्लंघन किये जाने पर विभाग या उपक्रम आरोपणीय कर तथा रियायती दर पर आरोपित कर के अंतर के बराबर क्रय कर का भुगतान करने के लिये [illegible] होंगे।

(अ) बिक्री कर मण्डल इलाहाबाद में रेलवे मंत्रालय के एक उपक्रम ने 1981-82 में 55.60 लाख रुपये मूल्य की [illegible] के बल

पर टिकने वाली बैंन्चे (पिन सपोर्ट स्ट्रेस बेन्चेज) सीमेंट पत्थर की गिट्टियें तथा बालू का क्रय रियायती दर पर किया तथा उसका उपयोग रेलवे स्लीपरों के निर्माण में किया । फलतः उपक्रम 1.29 लाख रुपये अंतरीय क्रय कर का देनदार हुआ, जोकि आरोपित होने से रह गया (फरवरी 1988) ।

यह मामला विभाग को मार्च 1989 में तथा शासन को जून 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में निर्गत अनुस्मारक के बावजूद उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।(अप्रैल 1990)

(ब) बिक्री कर मण्डल लखनऊ में राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग को एक इकाई ने प्रपत्र IIIडी में की गई घोषणाओं के आधार पर 1979-80 से 1983-84 के मध्य 46.13 लाख रूपये मूल्य की औषधीय जड़ी बूटियों का क्रय, कर की रियायती दर पर किया तथा उनका प्रयोग दवाओं के निर्माण में किया । फलस्वरूप फार्मेसी आरोपणीयकर की दर में 2 प्रतिशत के अंतर के हिसाब से 92,274 रूपयों के क्रय कर की देनदार हुई जो आरोपित किये जाने से रह गया ।

दिसम्बर 1984 में सम्प्रेक्षा के दौरान इंगित किये जाने पर विभाग ने सूचित किया (फरवरी 1989) कि कर निर्धारण आदेश को संशोधित कर 92,274 रूपयों की मांग सृजित कर दी गई है, जिसमें से अब तक 43,850 रूपयें वसूल कर लिये गये हैं ।

यह प्रकरण मार्च 1989 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था ।

(स) बिक्री कर मण्डल देहरादून में राज्य विद्युत परिषद् की एक डिवीजन ने वर्ष 1982–83 में फार्म III–डी के घोषणा प्रपत्रों के आधार पर 2.66 लाख रूपये मूल्य के विद्युत सामानों (इंसूलेटर, इंसूलेटिंग सामग्री, थ्रस्ट बियरिंग, केबुल्स, मोटर स्पेयर्स तथा बैटरी) का क्रय रियायती दर पर किया तथा उनका प्रयोग विद्युत प्रजनन में किया गया। चूंकि इन वस्तुओं का प्रयोग विद्युत प्रजनन में किया गया था, अतः डिवीजन आरोपणीय कर में हुये अन्तर के बराबर 21,253 रूपयों का क्रय कर भुगतान करने का दायी हो गया, जिसे आरोपित नहीं किया गया (दिसम्बर 1986)।

संपरीक्षा के दौरान इंगित किये जाने पर (सितम्बर 1988) विभाग ने बताया कि कर निर्धारण आदेश अब संशोधित कर दिया गया है और 21,253 रूपयों की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गई है।

यह प्रकरण सरकार को मई 1989 में प्रतिवेदित किया गया था।

(ii) उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम 1948 की धारा 3 कककक के अन्तर्गत, ऐसी वस्तु जो उपभोक्ता को की गई बिक्री के बिन्दु पर कर देय है, जब किसी व्यापारी को बेची जाती है परन्तु अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत विक्रेता द्वारा बिक्री कर देय नहीं होता और क्रेता व्यापारी उस वस्तु को उसी रूप एवं अवस्था में जिसमें उसने उसे क्रय किया था, राज्य के भीतर या अन्तर्प्रान्तीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री नहीं करता है तो क्रेता व्यापारी उक्त क्रय पर उसी दर से क्रय कर का देनदार होगा, जिस दर पर वह वस्तु राज्य के अन्तर्गत उपभोक्ता को बिक्री के बिन्दु पर कर

(क) बिक्री कर मण्डल कानपुर में एक व्यापारी ने वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में फार्म III क की घोषणाओं के आधार पर रेलवे विभाग से 6.79 लाख रुपयों में निष्प्रयोज्य रेलवे वैगनों का कर-मुक्त क्रय किया । उसने वैगनों को तोड़कर तोड़े गये माल की रद्दी लोहे (स्क्रैप) के रूप में प्रपत्र 3 ख के समक्ष कर-मुक्त बिक्री की चूंकि वैगनों की बिक्री उसी रूप तथा अवस्था में नहीं की गई थी जिसमें उन्हें खरीदा गया था, क्रेता व्यापारी 54,300 रुपये (8 प्रतिशत की दर से) के क्रय कर का देनदार हो गया था, जिसे आरोपित नहीं किया गया (अक्टूबर 1986 तथा फरवरी 1987) ।

यह प्रकरण विभाग को अगस्त 1988 में तथा सरकार को मार्च 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में निर्गत अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं ।(अप्रैल 1990)

(ख) बिक्री कर मण्डल गाजीपुर में एक व्यापारी (आसवक-डिस्टिलर) ने वर्ष 1983-1984 में 11.90 लाख रुपये का कोयला अपंजीकृत व्यापारियों से खरीदा तथा उसका उपभोग किया । अतः व्यापारी 47,560 रुपयों के क्रय कर का दायी हो गया परन्तु इसे मार्च 1986 में कर निर्धारण के समय आरोपित नहीं किया गया है ।

संपरीक्षा के दौरान इंगित किये जाने पर (मई 1988) में विभाग ने मांग सृजित कर दी (मई 1988) ।

यह प्रकरण सरकार को जून 1989 में प्रतिवेदित किया गया था ।

2.14. गलत दर से कर का आरोपण

(क) *न्यायिक रूप से यह स्वीकार किया गया है कि पैकिंग की लागत माल के विक्रयधन में सम्मिलित की जानी है तथा बिक्रीकर पैक किये गये माल पर लागू दर से कर आरोपणीय है ।

इलाहाबाद मण्डल में एक व्यापारी ने 1983-84 में जूट के बोरों की 256.15 लाख रूपयों की कीमत छोड़कर जो अलग से प्रदर्शित की गई थी, सीमेन्ट की बिक्री प्रदर्शित किया । कर निर्धारण सुनिश्चित करते समय जूट के बोरों के सकल विक्रय मूल्य पर सीमेंट की बिक्री पर लागू होने वाली 8 प्रतिशत् दर के स्थान पर 6 प्रतिशत् की दर से कर आरोपित किया गया । इसके फलस्वरूप 5.27 लाख रूपयों का प्रथम अक्टूबर 1983 से देय कर पर 5 प्रतिशत् की दर से अतिरिक्त कर को लेकर कम कर आरोपित हुआ । कम प्रदत्त कर पर 2 प्रतिशत् प्रतिमाह की दर से ब्याज की भी देयता बनती थी ।

यह प्रकरण विभाग को अप्रैल 1989 एवं सरकार को जून 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में निर्गत अनुस्मारक के बावजूद उनका उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है (अप्रैल 1990)।

(ख) उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत मसाला एवं मिर्च की बिक्री पर आयातकर्ता एवं निर्माणकर्ता के बिन्दु पर कर की देयता प्रथम जून 1985 से अवर्गीकृत वस्तुओं की भांति 8 प्रतिशत् हो गई ।

<u>बिक्री कर मण्डल मेरठ में एक आयातकर्ता व्यापारी की</u>

---

* आयुक्त बिक्री कर बनाम राय भरतदास एण्ड ब्रदर्स (1988 यू०पी०टी०सी० 1326)

मसाले एवं मिर्च की बिक्री जून 1985 से मार्च 1987 तक 165.70 लाख रूपये निर्धारित की गई थी तथा उक्त पर 8 प्रतिशत की उचित दर के स्थान पर 6 प्रतिशत् की दर से कर देयता निर्धारित की गई। इस गलत दर के आरोपण से 3.61 लाख रूपये मूल्य के कर (अतिरिक्त कर को लेकर) 2 प्रतिशत अवधारण हुआ। देय कर के भुगतान न करने के कारण व्यापारी पर प्रतिमाह की निर्धारित दर से ब्याज की भी देयता बनती है।

सम्प्रेक्षा में इंगित किये जाने पर (सितम्बर 1988) विभाग ने कर निर्धारण आदेश संशोधित कर दिया (सितम्बर 1988) तथा मांग सृजित की।

यह प्रकरण सरकार को मई 1989 में प्रतिवेदित किया गया था।

(ग) केन्द्रीय विक्रीकर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत घोषित वस्तुओं की अन्तरराज्यीय बिक्रियाँ पर जो निर्धारित घोषणा प्रपत्र "सी" अथवा "डी" द्वारा आच्छादित न हों, ऐसी वस्तुओं का प्रान्त के अंदर की गई बिक्रियों पर लागू कर की दुगुनी दर से कर देयता होती है।

बिक्री कर मण्डल, देहरादून में वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में एक व्यापारी द्वारा फार्म सी से अनाच्छादित 74.24 लाख रूपये के काटन यार्न की अन्तरराज्यीय बिक्री पर 6 सितम्बर 1981 तक 5 प्रतिशत् एवं 7 सितम्बर 1981 से 31 मार्च 1982 तक 4

प्रतिशत् की सही दर के स्थान पर क्रमशः 2 1/2 प्रतिशत् तथा 2 प्रतिशत् की दर से कर आरोपित किया गया । कर की गलत दर लागू किये जाने से 1.81 लाख रूपयों का अवनिर्धारण हुआ ।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (जनवरी 1989) विभाग ने सितम्बर 1989 में बताया कि वर्ष 1981-82 की 72,062 रुपये की मांग सृजित की जा चुकी है तथा वर्ष 1980-81 का प्रकरण कालबाधित हो गया।

यह प्रकरण सरकार को मई 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में निर्गत अनुस्मारक के बावजूद उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990)।

(घ) यदि व्यापारी द्वारा नियत समय के अन्दर विवरण प्रपत्र (रिटर्न) प्रस्तुत नहीं किया जाता या उसके द्वारा प्रस्तुत विवरण प्रपत्र कर निर्धारण अधिकारी को त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण प्रतीत होता है तो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यापारी के विक्रयधन का निर्धारण अपने सर्वोत्तम न्याय एवं विवेक से किया जाना तथा उस आधार पर कर का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है । अपने विक्रयधन का विवरण प्रस्तुत न किये जाने हेतु व्यापारी पर अधिनियम की धारा 15 ए(1)(1) के अन्तर्गत अर्थदण्ड की भी देयता बनती है । 7 सितम्बर 1981 से साइकिल के हिस्सों एवं पुर्जो की विक्री पर 8 प्रतिशत् की दर से निर्माणकर्ता एवं आयातकर्ता के बिन्दु पर कर देयता बनती है ।

बिक्री कर मण्डल, उन्नाव में साइकिल पार्ट्स के एक व्यापारी ने अप्रैल 1983 से मार्च 1984 की अवधि का निर्धारित विवरण प्रपत्र या तो प्रस्तुत नहीं किया था अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत विवरण प्रपत्र त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण थे । अधिनियम की धारा 7(3) की प्रावधान के अन्तर्गत, कर निर्धारण 1983-84 में ही किया जाना चाहिए था किन्तु यह कार्य वास्तव में 19 मार्च 1988 को हाथ में लिया गया, जिस समय तक व्यापारी का उसके व्यापार स्थल या निवास स्थान पर कुछ भी पता न लग पाया । तद्नुसार, एक पक्षीय रूप से कर निर्धारण किया गया (मार्च 1988) तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उसका कर योग्य बिक्रयधन 50 लाख रूपये निर्धारित किया गया । देयकर निर्धारण करते समय कर की देयता 8 प्रतिशत की स्थान पर 6 प्रतिशत निर्धारित की गई थी, जिसके फलस्वरूप 4.10 लाख रूपये के कर (1 अक्टूबर 1983 से आरोपणीय 5 प्रतिशत अतिरिक्त कर को लेकर) के स्थान पर 3.07 लाख रूपये के कर की मांग सृजित की गई । विवरण प्रपत्र के प्रस्तुत न किये जाने अथवा त्रुटिपूर्ण विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने हेतु अर्थदण्ड आरोपित करने पर विचार नहीं किया गया ।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर (सितम्बर 1988) 20 सितम्बर 1988 को 1.03 लाख रूपये की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गई । चूंकि व्यापारी का अभी तक पता नहीं लग पाया, तथा उस पर (4.10 लाख रूपये) 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज की धनराशि की वसूली की संभावना क्षीण प्रतीत होती है ।

जून 1989 में यह प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में निर्गत अनुस्मारक के बावजूद उनका उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है (अप्रैल 1990)।

(ड़•) उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तुओं की बिक्री पर 8 प्रतिशत् की कर देयता है तथा निर्धारित घोषणा प्रपत्र सी तथा डी से अनाच्छादित घोषित वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय बिक्री पर 10 प्रतिशत् अथवा राज्य के अन्दर देयकर जो भी उच्चतर हो, उसी दर से कर देयता होती है । 16 फरवरी 1987 के विभागीय परिपत्र में यह स्पष्ट किया गया था कि फुटबाल तथा वालीबाल के निर्माण के लिये रबर ब्लैडर/अपरलेदर कवर कच्चे माल हैं तथा उनको फुटबाल तथा वालीबाल के निर्माण हेतु क्रय किया जा सकता है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि रबर ब्लाडर/अपर रबर कवर्स फुटबाल/वालीबाल के भाग हैं तथा स्वत. खेल के सामान नहीं है ।

बिक्री कर मंडल मेरठ में खेल के सामानों का निर्माण करने हेतु मान्यता प्रमाण पत्र धारक दो व्यापारियों ने वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 में राज्य के अन्दर तथा बाहर रबर ब्लेडर की बिक्रियां कीं । राज्य के अन्दर इन वस्तुओं की क्रमशः 2.70 लाख रूपये तथा 4.89 लाख रूपये की बिक्रियों पर अवर्गीकृत वस्तुओं पर देय 8 प्रतिशत् की उचित दर के स्थान पर गलती से इनको खेल सामग्री मानते हुये 6 प्रतिशत् की दर से कर आरोपित किया गया । इससे 15,237 रूपये के कर का अवनिर्धारण हुआ ।

इसके साथ-साथ प्रपत्र "सी" तथा "डी" से अनाच्छादित राज्य के बाहर इन वस्तुओं की उन्हीं व्यापारियों द्वारा उसी अवधि में क्रमशः 13.53 लाख रूपये तथा 3.94 लाख रूपये की बिक्रियों पर 10 प्रतिशत् के दर के स्थान पर 4 प्रतिशत् की करदेयता निर्धारित की गई । इस त्रुटि के फलस्वरूप 1.05 लाख रूपये कर की कम वसूली हुई ।

इन प्रकरणों को विभाग को जून 1988 एवं जुलाई 1988 में तथा सरकार को जून 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1990) ।

(च) दिनांक 7 सितम्बर 1981 की राजकीय विज्ञप्ति के अनुसार सिनेमा आर्क कार्बन के विक्रय धन पर निर्माता अथवा आयात कर्ता के विन्दु पर 12 प्रतिशत की दर से कर देयता होती है ।

बिक्री कर मण्डल लखनऊ में एक व्यापारी द्वारा वर्ष 1983-84 में सिनेमा आर्क कार्बन की 17.02 लाख रूपयों की बिक्री पर 12 प्रतिशत् की सही दर के स्थान पर 8 प्रतिशत् की दर से कर आरोपित किया गया (जुलाई 1987) । गलत दर की प्रयुक्ति के कारण 68,080 रूपये कम कर आरोपित हुआ । कर जमा करने की तिथि तक व्यापारी पर 2 प्रतिशत् प्रतिमाह की दर से ब्याज भी देय है ।

यह प्रकरण विभाग को दिसम्बर 1988 में तथा सरकार को जून 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में निर्गत अनुस्मारक के बावजूद उनके प्राप्त नहीं हुये हैं ।(अप्रैल 1990)

(छ) उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत

वनस्पति के निर्माणकर्ता तथा आयातकर्ता द्वारा वनस्पति की बिक्री पर 7 सितम्बर 1981 से 10 प्रतिशत् की दर से कर देयता थी ।

बिक्री कर मण्डल, कासगंज में एक व्यापारी ने वर्ष 1981-82 हेतु केवल एक ही विवरण-पत्र प्रस्तुत किया था । अभिलेखों में उपलब्ध दिनांक 21 फरवरी 1983 को एक सर्वेक्षण आख्या (अभिलेख) से पता चलता था कि फर्म कुछ माह पूर्व बन्द हो चुकी थी। इसके बावजूद एक पक्षीय रूप से कर निर्धारण मार्च 1986 में किया गया। मार्च 1986 में कर निर्धारण करते समय कर निर्धारण अधिकारी ने व्यापारी द्वारा प्रस्तुत फार्म xxx1 (राज्य के बाहर से सामान आयातित करने के प्रयोजन) के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अवलोकन से यह जानकारी प्राप्त की कि व्यापारी ने 7 सितम्बर 1981 से 31 मार्च 1982 की अवधि में राज्य के बाहर से 5.79 लाख रूपये मूल्य का बनस्पति घी क्रय किया था। उक्त अवधि में व्यापारी ने किसी क्रय अथवा विक्रय का विवरण प्रदर्शित नहीं किया था। क्रय/विक्रय की धनराशि को छिपाने को दृष्टि में रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त अवधि में विक्रय धन की धनराशि 15 लाख रूपये निर्धारित किया (मार्च 1986)। कर निर्धारण अधिकारी ने इस 15 लाख की विक्री पर 10 प्रतिशत् की सही दर के स्थान पर पर 6 प्रतिशत् की दर से कर आरोपित किया। इससे 60,000 रूपये के कर का अवनिर्धारण हुआ। कर निर्धारण में कर निर्धारण अधिकारी ने यह इंगित किया था कि विक्रयधन छिपाने के कारण दण्डविषयक प्रक्रिया अलग से की जायेगी परन्तु अब तक ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई। अधिनियम के अन्तर्गत 90,000 रूपये

तक का अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता था।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (सितम्बर 1986) कर निर्धारण अधिकारी ने बताया (मई 1988) कि कर निर्धारण आदेश को संशोधित कर दिया गया है तथा 60,000 रूपये की अतिरिक्त माँग सृजित कर दी गई है परन्तु अर्थदण्ड आरोपित करने के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है।

यह प्रकरण सरकार को जून 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में अनुस्मारक के बावजूद उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (अप्रैल 1990)

(ञ) उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 7 सितम्बर 1981 से पुरानी, छटनी की गई, निष्प्रयोज्य अथवा अप्रचलित मशीनरी स्टोर्स अथवा छटनी की गई वस्तुओं समेत वाहनों की उपभोक्ता के बिन्दु पर की गई बिक्रियों पर 8 प्रतिशत् की दर से कर आरोपणीय था।

(i) बिक्री कर मण्डल, आगरा में पश्चिमी रेलवे की एक इकाई द्वारा 1982-83 में निष्प्रयोज्य रेल के डिब्बों की विक्रय धनराशि 12.50 लाख रूपये निर्धारित की गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इन निष्प्रयोज्य डिब्बों को आइरन स्क्रैप माना गया तथा 8 प्रतिशत् की सही दर के स्थान पर 4 प्रतिशत् की दर से कर आरोपित किया गया। कर की गलत दर लगाने के कारण 50,000

रूपयो का कम कर आरोपित हुआ

सम्प्रेक्षा द्वारा इस त्रुटि की ओर ध्यान आकृष्ट किये जाने पर (दिसम्बर 1987) कि करनिर्धारण आदेश अब संशोधित कर दिया गया है तथा 50,000 रूपयो की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गई है।

यह प्रकारण सरकार को जनवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया था।

(ii) विक्रीकर मण्डल, इलाहाबाद में एक व्यापारी द्वारा 1984-85 तथा 1985-86 में पुराने निष्प्रयोज्य एवं अप्रचलित स्टोर की क्रमशः 4 लाख रूपये तथा 10 लाख रूपये की विक्री पर 8 प्रतिशत् की सही कर की दर के स्थान पर 6 प्रतिशत् की दर से कर आरोपित किया गया। फलतः 29,800 रूपयों का कम (1 नवम्बर 1985 से 10 प्रतिशत् की दर से आरोपणीय अतिरिक्त कर समेत) कर आरोपित किया गया।

सम्प्रेक्षा द्वारा इस त्रुटि की ओर इंगित किये जाने पर (अप्रैल 1989) विभाग ने बताया (नवम्बर 1989) कि दोनो वर्षों से सम्बंधित कर निर्धारण आदेश संशोधित कर दिये गये हैं और 29,800 रूपयों की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गई है।

यह प्रकरण सरकार को जून 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में निर्गत अनुस्मारक के बावजूद उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990)।

(झ) उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत जून 1985 से सभी प्रकार के तेलों की बिक्री पर 5 प्रतिशत् की दर से कर आरोपणीय है (इसके पूर्व यह 4 प्रतिशत् थी)।

बिक्री कर मण्डल, आगरा में एक व्यापारी द्वारा 1985-86 में बेचे गये खाद्य तेल का विक्रय धन 38.14 लाख रुपया निर्धारित किया गया, जिसमें से 31.78 लाख रुपयों की बिक्री । जून 1985 से 31 मार्च 1986 की अवधि से सम्बंधित थी। इन बिक्रियों पर 5 प्रतिशत् की सही कर की दर के स्थान पर 4 प्रतिशत् की दर से कर आरोपित किया गया। गलत कर की दर के लगाये जाने से 31,780 रुपयों का कम कर आरोपित किया गया। ।नवम्बर 1985 से 31 मार्च 1986 की अवधि में की गई बिक्रियों पर 10 प्रतिशत् की दर से कर पर अधिभार भी आरोपणीय था।

यह प्रकरण विभाग को नवम्बर 1988 में तथा सरकार को मई 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में निर्गत अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1990)।

(ञ) आयुक्त बिक्री कर उत्तर प्रदेश के दिनाँक 8 मार्च 1982 को निर्गत परिपत्र के साथ पठित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निर्धारित घोषणा से अनाच्छादित स्प्रिट तथा स्प्रिट युक्त मदिरा की आयातकर्ता या निर्माण कर्ता द्वारा की गई बिक्री के बिन्दु पर 28.6 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था।

बिक्री कर मण्डल, गाजीपुर में 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान की गई 1.32 लाख रूपयों की अन्तर्राज्यीय बिक्रियों (निर्धारित घोषणाओं से अनाच्छादित बिक्रियों पर 28.6 प्रतिशत् की सही दर के स्थान पर 10 प्रतिशत् की दर से कर आरोपित किया गया (मार्च 1988)। इससे 24,643 रूपयों का कम कर आरोपित हुआ ।

सम्प्रेक्षा के दौरान इंगित किये जाने पर (जुलाई 1988) विभाग ने 1982-83 के लिए 0.11 लाख रूपयों की मांग सृजित कर दी । वर्ष 1983-84 के सम्बंध में कृत कार्यवाही की सूचना प्राप्त नहीं है (अप्रैल 1990) ।

(ट) उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत, दिनांक 6 जून 1985 से स्टेनलेस स्टील के बर्तन की बिक्री पर निर्माता एवं आयातकर्ता के बिन्दु पर 12 प्रतिशत् की दर से कर लगता है। 1 नवम्बर 1985 से, टर्नओवर की चाहे जो भी राशि हो, कर पर 10 प्रतिशत् की दर से अतिरिक्त कर भी लगने लगा था (इसके पूर्व जिन मामलों में टर्नओवर 10 लाख रूपयों से अधिक होता था उन मामलों में 5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर लगता था)।

बिक्रीकर मण्डल, गाजियाबाद में एक व्यापारी द्वारा जुलाई 1985 से मार्च 1986 के दौरान 10 लाख के मूल्य के स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की बिक्रियों (5 लाख रूपयों की राज्य के अन्दर तथा 5 लाख रूपयों की राज्य के बाहर) पर 12 प्रतिशत् के स्थान पर 10 प्रतिशत् की दर से कर आरोपित किया गया। फलतः

नवम्बर 1985 से 31 मार्च 1986 की अवधि में की गई 3 लाख रूपयों की स्थानीय बिक्री पर 3,600 रूपयों के अतिरिक्त कर को सम्मिलित करते हुए 23,600 रूपये का कम कर आरोपित हुआ।

लेखापरीक्षा के दौरान दिसम्बर 1988 में इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने जुलाई 1989 में बताया कि अब 23,600 रूपये की मांग सृजित कर दी गई है ।

सरकार को यह मामला जून 1989 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(ठ) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अन्तर्गत अघोषित माल की अन्तर्राज्यीय बिक्रियाँ जो निर्धारित घोषणा-प्रपत्रों से समर्थित नहीं हैं, उनपर 10 प्रतिशत की दर से अथवा राज्य में ऐसे माल की बिक्री पर लागू दर से, जो भी उच्चतर हो, कर आरोपणीय है । उत्तर प्रदेश स्प्रिट डिजल तेल और आल्कोहल कर अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत स्प्रिट (अघोषित वस्तु) की बिक्री पर 1979-80 में 25 पैसे प्रति लीटर की दर से कर आरोपणीय था । उस वर्ष एक लीटर स्प्रिट का मूल्य 81.99 रूपये था । दिनांक 8 मार्च 1982 के आयुक्त बिक्री कर द्वारा निर्गत आदेश के अनुसार स्प्रिट के अन्तर्राज्यीय बिक्री पर आरोपणीय कर की प्रतिशतता 30.4878 आती थी ।

बिक्री कर मण्डल, धामपुर (बिजनौर) में एक चीनी मिल ने वर्ष 1979-80 में 11.45 लाख रूपयों की स्प्रिट की अन्तर्राज्यीय बिक्री (फार्म सी से अनाच्छादित) की। इन बिक्रियों पर 30.4878 प्रतिशत की सही कर की दर के स्थान पर 26 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया (मार्च 1984)। यह भी पाया गया कि विक्रय धनराशि में 3.49 लाख रूपये आबकारी शुल्क की धनराशि सम्मिलित किये जाने से रह गयी थी। आबकारी शुल्क को बिक्रय धन में सम्मिलित न करने की भूल तथा कर की गलत दर की प्रयुक्ति के फलस्वरूप 1.58 लाख रूपयों का कम कर आरोपित किया गया।

लेखा परीक्षा में इस भूल को इंगित किये जाने पर (सितम्बर 1984) विभाग ने बताया (जून 1988) कि 1.58 लाख रूपयों की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गई है और वसूली कर ली गई है (52,591 रूपये नवम्बर 1985 में तथा 1,05,181 रूपये जनवरी 1986 में)।

यह प्रकरण शासन को मई 1989 में प्रतिवेदित किया गया था।

2.15. ब्याज का न लगाया जाना अथवा कम लगाया जाना

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9(2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 8(1) में प्रावधान है कि स्वीकृत रूप से देय कर निर्धारित समय के अन्दर अथवा 31 अगस्त 1975 तक, जो बाद में है, जमा किया जायगा,

ऐसा न करने पर 2 प्रतिशत् प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय हो जायेगा तथा निर्धारित अन्तिम तिथि के तुरन्त बाद की तिथि से या पहली जून 1975 से जो भी बाद में हो, अदत्त धनराशि पर भुगतान योग्य होगा ।

(क) बिक्री कर मण्डल, बरेली में बरेली में स्थित रेल मंत्रालय की एक इकाई द्वारा निष्प्रयोज्य रेल बैगनों तथा आयरन स्क्रैप की वर्ष 1971-72 हेतु बिक्रियों का टर्न ओवर 50 लाख रूपये निर्धारित किया गया (29 मार्च 1976) और 1.77 लाख रूपया कर निर्धारित किया गया । उक्त कर निर्धारण आदेश के विरूद्ध इकाई ने अपील कर दी तथा मामला पुनर्करनिर्धारण हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया गया । 28 मई 1987 को टर्नओवर 35 लाख निश्चित करते हुये प्रतिप्रेषित वाद का पुनः कर निर्धारण किया गया । तदनुसार 1.49 लाख रूपयों का देय कर इकाई पर आरोपित कर दिया गया । इसके विरूद्ध इकाई ने 81,405 रूपये 26 मई 1976 को तथा शेष 68,470 रूपये 24 मार्च 1983 को जमा कर दिये । अतएव इकाई कर को विलम्ब से जमा करने हेतु 1.48 लाख रूपये ब्याज (81,405 रूपये पर पहली जून 1975 से 25 मई 1976 की अवधि हेतु तथा 68,470 रूपये पर पहली जून 1975 से 23 मार्च 1983 की अवधि हेतु) के भुगतान की दायी थी, परन्तु विभाग ने मात्र 995 रूपये ब्याज की धनराशि प्रभारित की । इससे 1.38 लाख रूपये का ब्याज कम प्रभारित हुआ।

लेखा परीक्षा (नवम्बर 1988) में इस त्रुटि के इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया (जुलाई 1989) कि 1.38 लाख

रूपयों की अतिरिक्त मांग सृजित की गई तथा उसकी वसूली कर ली गई ।

यह प्रकरण सरकार को सितम्बर 1989 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(ख) वर्ष 1974-75 हेतु गोरखपुर स्थित भारत सरकार के एक उपक्रम का रासायनिक खाद का अन्तर्राज्यीय टर्नओवर 3.44 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया (31 दिसम्बर 1977) जिस पर 31.56 लाख रूपयों का कर आरोपित किया गया परन्तु उक्त कर निर्धारण के विरूद्ध उपक्रम ने अपील दायर कर दी तथा कर घटा कर 17.01 लाख रूपये कर दिया गया (30 सितम्बर 1986), जिसमें से स्वयं व्यापारी द्वारा स्वीकृत टर्नओवर पर कर 16.94 लाख रूपये आया। इसके विरूद्ध, व्यापारी द्वारा जुलाई 1974 और फरवरी 1976 के बीच विभिन्न तिथियों पर 10.88 लाख रूपये (31 अगस्त 1975 के बाद जमा किये गये 55,263 रूपये सहित) जमा कर दिये गये । बकाया कर की धनराशि जो 31 अगस्त 1975 को 6.61 लाख रूपये थी, गलती से 9 सितम्बर 1976 को 6.06 लाख रूपये ले ली गई थी और उस पर 9 सितम्बर 1976 से 31 मार्च 1978 की अवधि हेतु लगने वाले 2.30 लाख रूपये ब्याज की राशि व्यापारी द्वारा अपील में जाने के पूर्व जमा की गई धनराशियों के समक्ष समायोजित कर दिया गया । किन्तु उपक्रम वस्तुतः 55,263 रूपये (22 फरवरी 1976 को जमा किये गये) के कर पर पहली जून 1975 से 21 फरवरी 1976 की अवधि हेतु और 6.06 लाख रूपये (31 मार्च 1978 को

जमा किये गये) के कर पर पहली जून 1975 से 30 मार्च 1978 की अवधि हेतु 4.21 लाख रूपये ब्याज की धनराशि के भुगतान का भागी था । इसके फलस्वरूप 1.91 लाख रूपयों का ब्याज कम आरोपित किया गया ।

यह प्रकरण विभाग को अक्टूबर, 1987 में तथा सरकार को सितम्बर 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में निर्गत अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अप्रैल 1990).

2.16. गणना में त्रुटि के कारण कर का कम आरोपण

(क) बिक्री कर मण्डल, वाराणसी में रेल मंत्रालय के एक उपक्रम द्वारा 1983-84 में 97.33 लाख रूपयों के संघटकों (कम्पोनेन्ट्स) तथा विद्युत सामग्री की की गयी बिक्री तथा क्रय पर वस्तुतः आरोपणीय कर 5.02 लाख रूपये आता था । परन्तु गणना में त्रुटि के कारण, यह बिक्री कर अधिकारी द्वारा 4.41 लाख रूपये निर्धारित किया गया (मार्च 1988) इसके फलस्वरूप 60,201 रूपयों का कर कम आरोपित हुआ । इसके अतिरिक्त, उपक्रम ने 4.75 लाख रूपये मूल्य के रंग 4 प्रतिशत् की रियायती दर पर खरीदा था तथा इसका प्रयोग रेलवे इंजिनों के निर्माण में किया । उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 3जी के अन्तर्गत, ऐसी रियायती दर केवल तभी स्वीकृत की जानी है यदि उपक्रम द्वारा खरीदे गये माल निर्माण में प्रयुक्त न किये जायें । इस प्रकार वर्तमान प्रकरण में, उक्त क्रयों पर 6 प्रतिशत् (देय कर एवं प्रदत्त कर में अन्तर के बराबर)

की दर से क्रयकर आरोपणीय था, परन्तु विभाग ने 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया । इससे 9,508 रूपये का कर और कम आरोपित हुआ ।

लेखा परीक्षा (नवम्बर 1988) में त्रुटि के इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया (फरवरी 1989) कि त्रुटियों का निराकरण कर दिया गया है तथा 69,709 रूपये की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गयी है ।

यह प्रकरण सरकार को अप्रैल 1989 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(ख) बिक्री कर मण्डल, पीलीभीत में वर्ष 1983-84 में वन विभाग द्वारा वन के विभिन्न उत्पादों की बिक्रियों पर आरोपणीय समस्त कर की वास्तविक धनराशि 24.09 लाख रूपये आती थी परन्तु गणना में त्रुटि के कारण यह 20.50 लाख रूपये संगणित की गयी (मार्च 1988) । इसके फलस्वरूप 3.59 लाख रूपयों का कर कम आरोपित हुआ । व्यापारी इस धनराशि पर जमा करने की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज के भुगतान का भी दायी था।

लेखापरीक्षा (सितम्बर 1988) में इस चूक के इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया (दिसम्बर 1988) कि त्रुटि का निराकरण कर दिया गया है तथा 3.59 लाख रूपयों की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गयी है । विभाग द्वारा यह भी बताया गया कि शासन के दिनांक 26जून 1988 के आदेश को दृष्टिगत रखते हुये वसूली स्थगित कर दी गई है ।

तथापि उक्त आदेश विवाद ग्रस्त मामलों के सम्बन्ध में वन विभाग/वननिगम के विरुद्ध आरम्भ की जा रही दण्डात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में वसूली के स्थगन के लिये शासन की ओर से आयुक्त, बिक्रीकर को एक सामान्य निर्देश मात्र था और चूंकि इस मामले में कर की देयता के विषय में कोई विवाद नहीं था, वसूली स्थगित करने का आदेश इस पर लागू नहीं होता और इस प्रकार वसूली स्थगित करने हेतु विभाग की कार्यवाही शासन के दिनांक 26 जून 1988 के आदेश के अनुरूप नही थी ।

यह प्रकरण सरकार कोमई 1989 में प्रतिवेदित किया गया था, नवम्बर 1989 में निर्गत अनुस्मारक के बावजूद उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । (अप्रैल 1990)

(ग) उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 4बी में कुछ शर्तों को पूर्ण करने पर विज्ञापित वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग हेतु कच्चे माल के क्रय पर निर्माताओं को कर में विशिष्ट छूट हेतु एक योजना का प्रावधान है । ऐसे कच्चे माल का, उन वस्तुओं से भिन्न वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किये जाने की दशा में, जिनके लिये कि मान्यता प्रमाण पत्र स्वीकृत किया गया था, व्यापारी कर में प्राप्त की गई रियायत के तीन गुणे तक के अर्थदण्ड का देनदार हो जायेगा ।

बिक्री कर मण्डल, कानपुर में पालीथीन बान्डेड हेसियन क्लाथ तथा काटन क्लाथ स्टिफनेस के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण पत्र

धारक एक व्यापारी ने 1980-81 के दौरान प्रपत्र III-बी में घोषणाओं के बल पर 6,13,516 रूपये की पोलीथीन फिल्मों का कर मुक्त क्रय किया तथा इसका प्रयोग पोलीथीन बान्डेड हैसियन बैग के निर्माण में किया । कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 4बी(5) के अन्तर्गत कार्यवाही करने के स्थान पर दिसम्बर 1985 में उक्त अधिनियम की धारा 3बी के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किया । परन्तु अर्थदण्ड आरोपित करते समय आंकड़ों में 6,13,516 रूपये के बजाय गल्ती से 63,516 रूपये ग्रहण कर लिये गये । इसके फलस्वरूप 44,000 रूपयों का अर्थदण्ड कम आरोपित किया गया । साथ ही उसी कर निर्धारण में, विभिन्न अन्य मदों पर आरोपणीय कर की धनराशि 8.04 लाख रूपये अती थी परन्तु गणना की त्रुटियों के कारण यह 6.74 लाख रूपये निकाली गयी । इन त्रुटियों के कारण 1.30 लाख रूपयों का कर कम आरोपित किया गया ।

लेखापरीक्षा (जुलाई 1987) में इसके इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया (फरवरी 1989) कि कर निर्धारण पुनरीक्षित कर दिया गया है तथा 1.74 लाख रूपयों की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गयी है ।

यह प्रकरण सरकार को मई 1989 में प्रतिवेदित किया गया था ।

2.17. टर्नओवर का कर निर्धारण से छूट जाना

(i) न्यायिक रूप से यह माना गया है कि माल की बिक्री पर व्यापारी द्वारा वसूल किया गया उत्पाद शुल्क उसके टर्नओवर का एक भाग होता है तथा उस पर कर आरोपणीय है ।

बिक्री कर मण्डल, पलिया कलान खीरी में एक व्यापारी ने 1979-80 से 1981-82 की अवधि में 3.88 लाख कुन्तल शीरे की बिक्री की । व्यापारी द्वारा क्रेताओं से वसूल किया गया 12.20 लाख रूपये का उत्पाद शुल्क उन वर्षों के लिये निर्धारित 20.90 लाख रूपये के टर्नओवर में सम्मिलित किये जाने से छूट गया । इसके कारण 1.57 लाख रूपये का कर कम आरोपित हुआ । स्वीकृत रूप से देय कर का भुगतान न करने के कारण व्यापारी से 2 प्रतिशत् प्रतिमाह की दर से ब्याज भी वसूल किया जाना था।

यह प्रकरण विभाग तथा सरकार को जून 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1990) ।

(ii) बिक्रीकर मण्डल, वाराणसी में एक व्यापारी द्वारा वर्ष 1982-83 में की गई कोयले की बिक्रियां 8 लाख रूपये निर्धारित की गयी और 19 जनवरी 1987 को 32,000 रूपये कर आरोपित किया गया। व्यापारी के कर निर्धारण पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि बिक्री कर अधिकारी देवरिया ने मार्च 1987 में सूचित किया था कि व्यापारी ने वर्ष 1982-83 में देवरिया जनपद के लिए 5.200 टन कोयले का आवंटन भी प्राप्त किया था, जिसका मूल्य 400

× विनायक बियर एण्ड माइन्स स्टोर्स बनाम सी.टी.ओ. 1983, 7 यस टी एल (ए.पी.) 22

रुपये प्रतिटन की दर से 8.80 लाख रुपये आगणित होता था, तथापि यह टर्नओवर कर निर्धारण से छूट गया, फलस्वरूप 35,200 रुपये का कर आरोपित नहीं हुआ। टर्नओवर को छिपाने के लिए व्यापारी 52,800 रुपये तक के अर्थदण्ड के भुगतान का भी भागी था जो आरोपित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा (अक्टूबर 1987) में इसकों इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (जून 1988) कि कर निर्धारण आदेश पुनरीक्षित कर दिया गया है तथा मार्च 1984 में 35,200 रुपये की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गई है। वसूली तथा अर्थदण्ड के आरोपण की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (अप्रैल 1990)।

यह प्रकरण सरकार को जून 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में निर्गत अनुस्मारक के बावजूद उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990)।

2.18 धनवापसी में विलम्ब के फलस्वरूप व्याज का परिहार्य भुगतान.

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 की धारा 29(1) के अन्तर्गत देय धनराशि से अधिक भुगतान किये गये कर, फीस अथवा अन्य देयों की धनराशि, धनवापसी के आदेश की तिथि से अथवा ऐसे आदेश किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा पारित किये जाने की दशा में कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा धनवापसी के आदेश की प्राप्ति की तिथि से तीन मासों के अन्दर कर निर्धारित

को वापस की जानी अपेक्षित है। यदि वापसी की धनराशि तीन माह के अन्दर वापस नहीं की जाती है तो व्यापारी, धनवापसी के आदेश की तिथि से या कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसे आदेश की प्राप्ति की तिथि से वापसी की तिथि तक 18 प्रतिशत् वार्षिक दर से व्याज का अधिकारी हो जाता है।

बिक्री कर मण्डल, कानपुर में सहायक आयुक्त (न्याय) ने एक व्यापारी द्वारा कर के रूप में अधिक भुगतान किये गये 21,544 रूपयों की वापसी हेतु 29 जनवरी 1982 को आदेश पारित किये। यह आदेश कर निर्धारण अधिकारी ने 8 फरवरी 1982 को प्राप्त किया। किन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने 11,424 रूपये 28 नवम्बर 1987 को एवं 10,120 रूपये 29 जनवरी 1988 को वापस किये। व्यापारी द्वारा प्रदत्त अधिक कर को निर्दिष्ट अवधि के अन्दर वापस न करने के कारण विभाग को 12 दिसम्बर 1988 को व्यापारी को 217.69 रूपये के व्याज का भुगतान करना पड़ा।

जून 1988 में लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किये जाने पर विभाग ने व्याज के भुगतान की पुष्टि कर दी (मई 1989) तथा बताया कि इस मामले में जाँच प्रगति पर है। यह भी कहा गया कि इससे सरकार के राजस्व को कोई क्षति नहीं हुई है, क्योंकि व्यापारी को देय धनराशि बराबर सरकारी लेखे में रही। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्याज का भुगतान परिहार्य था। जाँच का परिणाम सूचित नहीं किया गया है (अप्रैल 1990)।

प्रकरण सरकार को जनवरी 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में निर्गत अनुस्मारक के बावजूद उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990)

2.19 अधिक क्रेडिट का दिया जाना

(i) बिक्रीकर मण्डल, अल्मोड़ा में वर्ष 1983-84 हेतु वन विभाग के एक खण्ड का कर निर्धारण करते समय (30 जनवरी 1988), वर्ष 1983-84 हेतु खण्ड द्वारा जमा किये गये 14,595 रूपये के समक्ष 42,228 रूपये का क्रेडिट दे दिया गया। यह देखा गया कि खण्ड ने 1984-85 के कर के लिए 27,633 रूपये तीन चालानों द्वारा जुलाई तथा सितम्बर 1984 में जमा किये, परन्तु उक्त धनराशि का क्रेडिट गलती से दोनों वर्षों में अर्थात् 1983-84 तथा 1984-85 के लिए दे दिया गया। इसके फलस्वरूप 1983-84 हेतु 27,633 रूपये का क्रेडिट अधिक दे दिया गया।

लेखापरीक्षा (मई 1988) में चूक के इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण को जून 1988 में पुनरीक्षित कर दिया तथा खण्ड को दिया गया अधिक क्रेडिट वापस ले लिया एवं साथ ही व्याज की वसूली के लिए भी आदेशित कर दिया।

यह प्रकरण सरकार को मई 1989 में प्रतिवेदित किया गया था।

(ii) बिक्री कर मण्डल, इलाहाबाद में एक व्यापारी ने वर्ष

1970-71 में 24.70 लाख रुपये मूल्य के तेल की अन्तरराज्यीय बिक्रियां की। उसने अपने परिलेखों में टिन तथा ड्रमों की बिक्रियाँ प्रकट नहीं की थी। कर निर्धारण अधिकारी ने 31 मार्च 1973 को वर्ष 1970-71 हेतु कर निर्धारण करते समय तेल की बिक्रियों के सम्बंध में व्यापारी के लेखे स्वीकार कर लिए परन्तु टिन तथा ड्रमों की बिक्रिया 98,079 रुपये निर्धारित की और तेल की बिक्रियों पर 24,703 रुपये तथा टिन और ड्रमों की बिक्रियों पर 2,942 रुपये कर आरोपित किया।

व्यापारी ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील कर दी तथा मामला 1973 से 1986 की अवधि में अनेक अपीलीय न्यायालयों में चलता रहा। जून 1986 में, टिन तथा ड्रमों की बिक्रियों पर कर 2,942 रुपये से घटाकर 981 रुपये कर देने हेतु आदेश दिये गये तथा व्यापारी द्वारा जमा किया गया अधिक कर वापस किया जाना था । उत्तरवर्ती वर्षों हेतु मांगों के समक्ष समायोजित किया जाना था।

व्यापारी ने 1970-71 वर्ष हेतु मांग के प्रति 27,648 रुपये कर को जमा किया था। टिन तथा ड्रमों की बिक्री पर उपर्युक्त कर में कमी के बाद, कर निर्धारण वर्ष 1970-71 के लिए उसके द्वारा 25,684 रुपयों का कर देय था, और मात्र 1,962 रुपये की धनराशि वापस/समायोजित की जानी थी । परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने 1972-73 तथा 1975-76 के दौरान 1,962 रुपये के बजाय 26,665 रुपयों का गलत क्रेडिट दे दिया, इस तरह से

व्यापारी को 24,703 रूपयों की धनराशि का अधिक क्रेडिट अनुमत कर दिया।

इस चूक के इंगित किये जाने पर (दिसम्बर 1987), विभाग ने सितम्बर 1989 में बताया कि 1972-73 तथा 1975-76 में अनुमत 24,703 रूपयों का अधिक क्रेडिट वापस ले लिया गया है।

यह प्रकरण सरकार को जनवरी 1989 में प्रतिवेदित किया गया था।

अध्याय 3

राज्य आबकारी

3.1. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1988-89 के दौरान लेखापरीक्षा में राज्य आबकारी कार्यालयों के लेखा तथा सम्बद्ध अभिलेखों के जांच परीक्षण से 150 मामलों में 93.40 लाख रूपयों के कर और शुल्क के न लगाये जाने अथवा कम लगाये जाने का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित वर्गों में आते हैं ।

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रूपयों में)
1. लाइसेंस फीस का संग्रह न किया जाना अथवा कम संग्रह किया जाना	20	21.56
2. स्पिरिट की अधिक छीजन पर आबकारी शुल्क का न लगाया जाना अथवा कम लगाया जाना	20	11.10
3. ठेकेदारों द्वारा देशी शराब/भांग की संपूर्ति न किये जाने से आबकारी शुल्क की हानि	2	5.44
4. स्पिरिट के उत्पादन में कमी	9	26.23
5. लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क का न लगाया जाना अथवा कम लगाया जाना	3	0.68

6. बकाया भुगतानों पर ब्याज का वसूल न किया जाना अथवा कम वसूल किया जाना	18	19.14
7. अन्य मामले	78	9.25
योग	**150**	**93.40**

1988-89 एवं पूर्ववर्ती वर्षों में देखे गये कुछ महत्त्वपूर्ण मामलों का उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है ।

3.2. नियमों की अवहेलना के फलस्वरूप लाइसेंस शुल्क का वसूल न किया जाना

(क) वर्ष 1987-88 हेतु शाहाबाद ग्रुप की देशी शराब की दूकानों की नीलामी

हरदोई जिले में वर्ष 1987-88 के लिए शाहाबाद ग्रुप की देशी शराब की दूकानों की नीलामी, संयुक्त रूप से चार व्यक्तियों के पक्ष में 32.60 लाख रूपयों की उच्चतम बोली पर तय की गई । लाइसेंस धारियों ने मार्च 1987 में अग्रिम प्रतिभूति के रूप में 8.15 लाख रूपये (नकद 5.45 लाख तथा एक अननुसूचित बैंक की बैंक गारन्टी) जमा किए । लाइसेंसधारियों ने मई 1987, जून 1987 तथा नवम्बर 1987 की 2.71 लाख रूपये की मासिक किश्तों के जमा करने में एक माह से अधिक का विलम्ब किया । दिसम्बर 1987 हेतु लाइसेंस धारकों ने किश्त का केवल आंशिक भुगतान किया जबकि जनवरी 1988 से तीन महीनों की किश्तों का भुगतान बिल्कुल ही नहीं किया।

दिसम्बर 1987 हेतु लाइसेंस धारकों ने किश्त का केवल आंशिक भुगतान किया जबकि जनवरी 1988 से तीन महीनों की किश्तों का भुगतान बिल्कुल ही नहीं किया । नकद प्रतिभूति के समायोजन के पश्चात लाइसेंसधारकों पर 31 मार्च 1988 को 3.72 लाख रूपये बकाया था, जिसमें से 56,500 रूपये दो किश्तों में अप्रैल एवं जून 1988 में जमा किये जाने के बाद 3.16 लाख रूपये का अवशेष बाकी रहा । यथाकथित ग्रुप की दूकानों की नीलामी तय करने तथा उनके संचालन में निम्नलिखित अनियमितताएं की गयी :

(i) अननुसूचित (अनशड्यूल्ड) बैंक की बैंक गारन्टी को स्वीकार किया गया इसके अतिरिक्त बैंक गारन्टी की अवधि बकायों के निस्तारण तक न होकर केवल 31 मार्च 1988 तक की थी ।

(ii) बैंक गारन्टी, 31 मार्च 1988 के पूर्व लागू नहीं की गयी, जबकि जनवरी 1988 में ही यह स्पष्ट हो गया था कि नकद प्रतिभूति से, 31 मार्च 1988 के पूर्व देय लाइसेंस शुल्क की समस्त धनराशि की प्रतिपूर्ति किया जाना संभव नहीं होगा, न ही बैंक गारन्टी की अवधि को समस्त दावों तथा बकायों के निस्तारण की तिथि तक बढ़ानें के लिए कार्यवाही की गई ।जिला आबकारी अधिकारी द्वारा मई 1988 में संदर्भित किए जाने पर बैंक ने बताया कि चूंकि बैंक गारन्टी केवल 31 मार्च 1.988 तक वैध थी अतः इस तिथि के पश्चात् बैंक गारन्टी के विरूद्ध बकाए का समायोजन संभव नहीं है ।

(iii) लाइसेंसधारकों द्वारा मई 1987 के पश्चात् लाइसेंस शुल्क के भुगतान में विलम्ब किए जाने पर लाइसेंस शुल्क की प्रत्याप्ति

(रिकवरी) जमा प्रतिभूति से नहीं की गई तथा लाइसेंसधारकों को जमा प्रतिभूति में कमी के लिए किसी भी माह न तो कोई नोटिस दी गई और न ही उनके लाइसेंस निरस्त किए गये

(iv) वसूली प्रमाण पत्र जारी करने में 27 जुलाई 1988 तक विलम्ब किया गया जिसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया ।

(v) इसके साथ-साथ मार्च 1988 के निर्गम मूल्य के 86900 रूपयों में से केवल 70400 रूपये अगस्त 1988 में जमा किया गया था जब कि पूरी रकम का भुगतान 5 मार्च 1988 तक कर देना चाहिए था । जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अवशेष धनराशि के 16500 रूपयों की वसूली हेतु कृत कार्यवाही से आडिट को अवगत नहीं कराया गया । अक्टूबर 1988 में जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि लाइसेंसधारकों द्वारा लाइसेंस फीस जमा कर देने के आश्वासन पर उन्हें दूकान चलाने दिया गया था ।

मामला सरकार को जुलाई 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में अनुस्मारक दिए जाने पर भी उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990)।

(ख) वर्ष 1986-87 हेतु मिर्जापुर जिले में विदेशी मदिरा की दूकानों की नीलामी

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत, लाइसेंसधारक द्वारा नीलामी बोली की

की चौथाई धनराशि अग्रिम प्रतिभूति के रूप में जमा किया जाना अपेक्षित है । इस अग्रिम का दो तिहाई भाग सफल बोली की घोषणा (फाल आफ हैमर) पर तथा शेष दस दिन के भीतर नकद अथवा बैंक गारन्टी के रूप में अदा किया जा सकता है । तत्पश्चात् लाइसैंस धारक द्वारा बोली की शेष धनराशि अथवा लाइसैंस शुल्क की मासिक किश्तों का भुगतान प्रत्येक माह की 20 तारीख को किया जाना अपेक्षित है ।

पिपरी एवं कोटा खरिया (मिर्जापुर) की वर्ष 1986-87 हेतु, विदेशी मदिरा की दूकानें एक व्यक्ति के पक्ष में क्रमश: 9.50 लाख रूपये तथा 11.10 लाख रूपये उच्चतम बोली पर स्वीकार की गईं । लाइसैंस धाकर ने नकद प्रतिभूति देने के साथ-साथ आँशिक प्रतिभूति हेतु 92500 रूपये की बैंक गारन्टी दी थी किन्तु लाइसैंस शुल्क की मासिक किश्तों की प्रत्येक माह की देय तिथि को जमा करने में लाइसैंस धारक असफल रहा । जून 1986 का 1.72 लाख रूपये का कूल लाइसैंस शुल्क (79166 रूपये पिपरी दूकान तथा 92408 कोटा खड़िया दूकान) जमा ही नहीं किया गया था । आबकारी विभाग के अधिकारियों ने लाइसैंसधारक का यह कथन कि धनराशि कोषागार में जमा कर दी गई है, स्वीकार कर लिया , जो 31 मार्च 1987 के बाद विभाग द्वारा सत्यापित करने पर सही नहीं पाया गया ।

इस मामले में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये:

(i) यद्यपि वर्ष के दौरान लाइसैंसधारक ने प्रत्येक माह की

मासिक किश्त जमा करने में विलम्ब किया था फिर भी जमा प्रतिभूति की धनराशि यथावत पड़ी रहने दी गई, लाइसेंस निरस्त नहीं किया गया, दूकान चलाने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था जिसमें पुन: नीलामी किया जना सम्मिलित है- यद्यपि अनुमन्य थी, नहीं की गई,

(ii) आबकारी अधिकारी द्वारा मांग तथा वसूली पंजिका का अभीष्ठ (प्रापर) रख रखाव नहीं किया गया तथा विभाग मांग व वसूली पर निगरानी रखने में असफल रहा ,

(iii) लाइसेंसधारी का मौखिक कथन कि जून 1986 की धनराशि जमा कर दी गई है, कोषागार से समय रहते सत्यापन के बिना स्वीकार कर लिया गया,

(iv) यद्यपि बकाये की वसूली बैंक गारन्टी से समायोजित की जा सकती थी परन्तु विभाग, गारन्टी की वैधता की 31 मार्च 1987 की तिथि के पूर्व नौ महीने तक इस मामले में बैंक से संपर्क करने में असफल रहा । जिस उद्देश्य से जमा प्रतिभूति के रूप में बैंक गारन्टी स्वीकार की गई थी उसकी पूर्ति नहीं हुई । विभाग ने आडिट को सूचित किया (दिसम्बर 1988) कि रजिस्टर में गलत प्रतिष्टियां किए जाने के कारण ऐसा हो गया और अब अप्रैल 1988 में वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है ।

मामला सरकार ने मार्च 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990) ।

(ग) बकाया वसूलियों पर उचित कार्यवाही न किए जाने से राजस्व की हानि

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत, लाइसेंस शुल्क की मासिक किश्तों के भुगतान में चूक के मामले में लाइसेंस निरस्त किया जाना अपेक्षित है तथा दूकानों की पुर्ननिलामी मूल लाइसेंसधारक की जिम्मेवारी पर कर दी जाती है तथा इसमें यदि कोई हानि हो तो वर्ष 1985 में बनाया गया नियम 368(6)(ii) जिसमें इस प्रकार की हानि या आबकारी राजस्व की वसूली के लिए भू-राजस्व के बकायों की भांति वसूली किये जाने का प्रावधान किया गया है, उसके लागू किए जाने के पूर्व ऐसी हानि चूककर्ता से दीवानी वाद के जरिये वसूली योग्य होती थी ।

बिजनौर जिले में 9 देशी स्पिरिट की दूकानों (एक ग्रुप में 8 दूकानें तथा एक अलग दूकान) की वर्ष 1977-78 की नीलामी क्रमशः 10.91 लाख रूपये तथा 68,000 रूपये में दो लाइसेंसधारियों के पक्ष में तय की गई (अप्रैल 1977) । दोनों लाइसेंसधारियों ने जुलाई 1977 से लाइसेंस शुल्क के भुगतान में चूक की । तदनुसार उनके लाइसेंस निरस्त कर दिये गये तथा दूकानों की नुनर्नीलामी अक्टूबर 1977 एवं सितम्बर 1977 में की गई और इस प्रकार लाइसेंस शुल्क की 91,730 रूपये तथा 32,600 रूपये की हानि हुई । भू-राजस्व के बकाए की भांति हानि की धनराशि की वसूली हेतु विभाग ने तहसीलदार को वसूली प्रमाण पत्र जारी किया, जिसके विरूद्ध चूककर्ता लाइसेंसधारियों ने उच्च न्यायालय में रिट याचिकाए दायर कीं

उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया (जून तथा जुलाई 1980) की वसूली भू राजस्व की बकाये की हानि नहीं की जा सकती थी । विभाग के पास धनराशि की वसूली हेतु केवल दीवानी वाद दायर करने का विकल्प बचा था । 9 वर्ष बीत जाने के बाद भी विभाग ने वाद दायर नहीं किया ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (दिसम्बर 1988) कि वाद दायर करने की कार्यवाही प्रगति पर है ।

मामला सरकार को अप्रैल 1989 में प्रतिवेदित किया गया; नवम्बर 1989 में अनुस्मारक जारी किए जाने के बावजूद उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990)।

3.3. स्पिरिट के मार्गस्थ-छीजन पर आबकारी शुल्क का न लगाया जाना या कम लगाया जाना

स्पिरिट निर्गम नियमावली 1910 (1978 में यथा संशोधित) के साथ पठित उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 के अंतर्गत आसवनियों से लकड़ी के पीपों में अथवा धातु के पात्रों में बांड (बन्ध-पत्र) के अधीन निर्यातित स्पिरिट में हुई वास्तविक मार्गस्थ हानि (रिसन, वाष्पीकरण या अन्य अपरिहार्य कारणों से) के लिए 0.5 प्रतिशत तक की छूट स्वीकार्य है । जहां स्पिरिट बोतलों में ले जायी जाती है मार्गस्थ हानि हेतु नियमों में किसी छूट का प्रावधान

नहीं है तथा इस प्रकार की छीजन पर संबंधित उप आबकारी आयुक्त के आदेशों के अंतर्गत, जिन्हें आसवनी के प्रभारी अधिकारी द्वारा छीजन आख्या (वेस्टेज स्टेटमेंट) भेजी जाती है, आसवकों से आबकारी शुल्क वसूल किया जाना होता है । फिर भी नियमों में आसवनी के प्रभारी अधिकारी द्वारा छीजन आख्या तैयार करने तथा प्रेषित करने एवं आबकारी आयुक्त द्वारा वसूली आदेश जारी करने के लिये किसी काल सीमा का प्रावधान नहीं किया गया है । छीजन आख्याओं के प्रेषण तथा वसूली आदेशों के निर्गमन हेतु काल सीमा निर्धारित किये जाने की अनिवार्यता प्रदर्शित किये जाने हेतु कुछ मामले जिनमें बोतलों में भेजी गई मदिरा की मार्गस्थ हानि के लिये काफी विलम्ब हो जाने पर भी वसूलियां नहीं की गई थी, नीचे दी गई तालिका में प्रदर्शित किये गये हैं:

आसवनी का नाम	बंध के अंतर्गत निर्यातित		मार्गस्थ हानि की मात्रा ए०एल० (अल्कोहलिक लीटर में)	निहित शुल्क (लाख रूपयों में)	हानियों के लिये आख्या भेजने में विलम्ब की अवधि (माहों में)
	कन्साइनमेन्टों की संख्या	अवधि			
(1)	(2) क	ख	(3)	(4)	(5)
मझोला, पीलीभीत	49 (देशी मदिरा)	अगस्त 1987 से जनवरी 1988 तक	1,157	0.35	4 से 8 माह
सरदार नगर गोरखपुर	1,953 (आई एम एफ एल)	जनवरी 1984 से मार्च 1988 तक	23,910	7.05	3 से 20 "

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
नवाबगंज गोंडा	625 (देशी मदिरा) 159 (आई एम एफ एल)	जनवरी 1984 से दिसम्बर 1987 तक	4,612	1.40	1 से 121"
नन्दगांव गाजीपुर	35 (देशी मदिरा)	सितम्बर 1983 से दिसम्बर 1987 तक	517	0.15	8 से 60"
		योग	8.95		

ये मामले विभाग का मार्च 1988 से सितम्बर 1988 के बीच प्रतिवेदित किए गए थे । अक्टूबर 1988 में विभाग ने, मझोला आसवनी से संबंधित, अगस्त 1987 तथा जनवरी 1988 के बीच हुई 35,358 रूपये की हानि की वसूली कर ली । अन्य मामलों में शुल्क प्रभार्य किए जाने हेतु संबंधित उप आबकारी आयुक्तों के आदेश अभी तक (नवम्बर 1989) प्राप्त नहीं हुए हैं तथा बहुत से मामलों में पांच वर्षों से अधिक समय बीत जाने पर भी वसूजी नहीं की जा सकी ।

यह मामले सरकार को जनवरी 1989 तथा मार्च 1989 के बीच प्रतिवेदित किए गये थे; उनके उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1990) ।

3.4. भारत के बाहर निर्यात में आवश्यकता से अधिक मार्गस्थ छीजन पर शुल्क का न लिया जाना

भारत के राज्य व्यापार निगम को अपने एजेन्ट के माध्यम से भारत के बाहर 66 ओ0पी0 (ओवर प्रूफ) से अनधिक सांद्रता की अर्थात आयतन के आधार पर 94.78 प्रतिशत तीव्रता वाली स्प्रिट निर्यात किये जाने हेतु आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के दिनांक 13 मार्च 1983 के आदेश के अंतर्गत राजय की चार आसवनियों को 18 मार्च 1983 से 30 अप्रैल 1983 के मध्य 50 लाख बल्क लीटर स्प्रिट आपूर्ति करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी। कन्साइनमेंट, बज-बज स्थित बंधित गोदाम (पश्चिम बंगाल) से होकर भेजा जाना था तथा 0.5 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से अधिक की मार्गस्थ छीजन पर शुल्क (उत्तर प्रदेश में आई एम एफ एल पर अधिकतम दर पर प्रभार्य) का भुगतान करने के लिए संचालन एजेन्ट जिम्मेदार था।

मार्च 1985 में, आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के कार्यालय की लेखा परीक्षा में पाया गया कि संचालन एजेन्ट द्वारा सूचित शुद्ध मार्गस्थ तथा संचालन छीजन क्रमशः 34232.7 बल्क लीटर तथा 4390 बल्क लीटर थी, जिसको पश्चिम बंगाल के आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर मान लिया गया था। इसी आधार पर संचालन एजेन्ट द्वारा अनुबन्ध में विहित दायित्वों की पूर्ति हेतु निष्पादित 26.50 करोड़ रुपयों का बन्ध-पत्र भी के बंध निष्पादन ठेके की उत्तर प्रदेश के आबकारी अधिकारियों द्वारा मुक्त कर दिया गया। किन्तु छीजन की 34,232.7 बल्क लीटर मात्रा को आयतन के परिपेक्ष्य में न्यूनतम निर्धारित 94.78 प्रतिशत तीव्रता के

आधार पर अल्कोहालिक लीटर में परिवर्तित किये जाने पर यह मात्रा 32,445.75 अल्कोहलिक लीटर (ए एल) आती है न कि 15,128.3 ए एल जैसी कि संचालन एजेंट द्वारा मार्गस्थ एवं संचालन हानियों की आख्या में प्रदर्शित किया था तथा पश्चिम बंगाल के आबकारी अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया गया था। इसमें 4220 ए एल की संचालन छीजन जोड़ने पर कुल छीजन 36,665.75 ए एल आती थी जो 13,115.95 ए एल की स्वीकृत सीमा से अधिक थी और इस पर 7.21 लाख रूपयों के शुल्क की देयता बनती थी। उक्त धनराशि पर 29 मार्च 1985 से 18 प्रतिशत वार्षिक दर से व्याज भी वसूली योग्य था।

लेखापरीक्षा (मई 1985) में इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया (दिसम्बर 1988) कि संचालन एजेंट को 7.21 लाख की डिमांड नोटिस भेज दी गई है। उत्तर से यह स्पष्ट नहीं होता कि व्याज की वसूली हेतु भी डिमांड भेजी गई है अथवा नही। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बंध-पत्र मुक्त करने के पश्चात् विभाग के पास कोई प्रतिभूति नहीं बची है जिससे वसूली की जा सके।

मामला सरकार को मार्च 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में अनुस्मारक दिए जाने के बावजूद उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990)।

3.5 भण्डारण में आवश्यकता से अधिक छीजन

उत्तर प्रदेश वाटलिंग आफ फारेन लिकर रूल्स, 1983 के अन्तर्गत बंधित गोदामों में रखी गई बोतलों में बन्द स्पिरिट को छोड़कर, विदेशी मदिरा के भण्डारण की कुल मात्रा में प्रतिमाह 0.8 प्रतिशत तक छीजन की छूट अनुमन्य है। यदि छीजन स्वीकृत सीमा से अधिक होती है तो इस प्रकार की मदिरा की अधिछीजन पर शुल्क की देयता हेतु लाइसेंसधारक उत्तरदायी होता है।

नबाबगंज (जिला गोण्डा) में स्थित एक आसवनी में यह पाया गया (फरवरी 1988) कि छीजन की अनुमन्य मात्रा निकालने के लिए बोतलों में बन्द विदेशी मदिरा (स्पिरिट) का प्रारंभिक अवशेष त्रुटिवश कुल स्टाक में शामिल कर लिया गया था जिसके फलस्वरूप माह अप्रैल 1986 से जुलाई 1986, सितम्बर 1986, नवम्बर 1986, जनवरी 1987 अप्रैल 1987 से सितम्बर 1987 तथा नवम्बर 1987 में 1718.4 अल्कोहलिक लीटर अधिक छीजन की छूट स्वीकृत की गई, जिसमें 68,736 रूपये तक की आबकारी शुल्क की हानि निहित थी।

यह मामला विभाग को मार्च 1988 में तथा सरकार को मार्च 1989 में प्रतिवेदित किया गया था, नवम्बर 1989 में अनुस्मारक दिए जाने के बावजूद उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990)।

3.6 सादी स्पिरिट के निर्यात पर शुल्क का कम लिया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 तथा उसके

अधीन बने नियमों के अन्तर्गत, आबकारी शुल्क लगाए जाने के उद्देश्य से मदिरा को या तो देशी मदिरा या विदेशी मदिरा में वर्गीकृत किया जाता है। आसवन प्रक्रिया से प्राप्त देशी मदिरा की श्रेणी में आने वाली लिकर या तो सादी स्पिरिट अथवा आउटस्टिल लिकर होती है और विदेशी मदिरा की श्रेणी में आने वाली लिकर रेक्टीफाइड स्प्रिट होती है। वह स्पिरिट जिसकी सांद्रता 60 ओ०पी० से कम की है अर्थात् जिसमें अल्कोहल की आयतनिक मात्रा 91.27 प्रतिशत से कम है, सादी स्पिरिट कही जाती है तथा वह स्पिरिट जिसमें 60ओ०पी० और इससे अधिक की सांद्रता हो रेक्टीफाइड स्पिरिट के नाम से जानी जाती है। ये दोनों स्पिरिट, जिनमें आयतनिक सांद्रता 42.8 प्रतिशत से अधिक होती है, मानव उपभोग के उपयुक्त नहीं होती। अतः 60 ओ०पी० से कम सांद्रता की सादी स्पिरिट, चाहे वह शीरा के आसवन से अथवा माल्ट, अंगूर और सेब के आसवन से प्राप्त की गई हो, आबकारी शुल्क के लिए देशी मदिरा की श्रेणी में आती हैं। राज्य सरकार ने अपनी दिनांक 28 अप्रैल 1986 की अधिसूचना में देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा के निर्यात पर क्रमशः 10.65 रुपये तथा 7.50 रुपये प्रति अल्कोहलिक लीटर का शुल्क निर्धारित किया है।

गाजियाबाद की एक आसवनी में यह देखा गया कि (अगस्त 1988) कि आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के दिनांक 5 सितम्बर 1987 के आदेश के अनुसार 60 ओ०पी० से कम सांद्रता की सादी स्पिरिट (माल्ट से तैयार की गई) पर, जो देशी शराब की श्रेणी में आती थी लेकिन मानव उपभोग के उपयुक्त नहीं थी, निर्यात शुल्क 10.65 रुपये प्रति ए०एल० के सही दर पर वसूल किया गया

था। किन्तु उसी आसवनी में उसी प्रकार की 21,730.8 ए0एल0 सादी स्पिरिट पर जो कि उत्तर प्रदेश के बाहर अगस्त 1987 के दौरान निर्यात की गई थी, 10.65 रूपये प्रति ए0एल0 के स्थान पर 7.50 रूपये प्रति ए0एल0 की दर से निर्यात शुल्क लिया गया। शुल्क की गलत दर लगाए जाने के फलस्वरूप 68,452 रूपये का शुल्क कम वसूल किया गया।

लेखापरीक्षा (अगस्त 1988) में इसे इंगित किये जाने पर प्रभारी अधिकारी, आबकारी ने बताया (अगस्त 1988) कि आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 7 अगस्त 1987 के अनुसार 7.50 रूपये प्रति ए0एल0 की दर से निर्यात शुल्क लिया गया था तथा कम ली गई धनराशि की वसूली, आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश से आवश्यक आदेशों के प्राप्त होने पर की जायेंगी।

यह मामला विभाग को सितम्बर 1988 में तथा सरकार को मार्च 1989 में प्रतिवेदित किया गया था, नवम्बर 1989 में अनुस्मारक दिए जाने के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1990)।

3.7 कम अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता अपनाये जाने से लाइसेंस फीस के भुगतान में कमी

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत आसवनी चलाने के लिए किसी आवेदक को लाइसेंस तभी स्वीकृत किया जाता है जब आबकारी आयुक्त संतुष्ट हो कि (क) प्रस्तावित भवन पात्र सयंत्र तथा उपकरण, जिनका स्पिरिट के उत्पादन में उपयोग किया जाना है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत

योजनाओं के अनुरूप है, (ख) प्रतिभूति की अपेक्षित धनराशि जमा कर दी गई तथा (ग) लाइसेंस फीस का अग्रिम भुगतान कर दिया गया है। विद्यमान भवन में अथवा ऐसे ही स्थाई भभकों (स्टिल्स) तथा अन्य उपकरणों में परिवर्तन अथवा परिवर्धन (उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए) आबकारी आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है। वर्ष 1974-75 से लाइसेंस फीस, 1000 रूपये प्रति वर्ष की नियत दर के स्थान पर आसवनी की वार्षिक अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता पर प्रभार्य निर्धारित दर से की जानी थी।

आबकारी आयुक्त द्वारा जुलाई 1965 में स्वीकृत प्रदान किए जाने पर हरगाँव (जिला सीतापुर) स्थित एक आसवनी ने अपनी अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता 11,530 किलोलीटर से बढ़ाकर 15900 किलोलीटर कर लिया था तथा अपने पत्र दिनांक 2 दिसम्बर 1967 द्वारा विभाग को बढ़ोत्तरी कार्य पूर्ण किए जाने की सूचना दे दी थी। तद्नुसार आसवनी ने पहले ही (फरवरी 1967 में) आबकारी आयुक्त से इसकी लाइसेंस -क्षमता बढ़ाये जाने के लिए प्रार्थना किया था, जिस पर विभाग द्वारा कोई निर्णय नहीं किया गया। इस पर भी आसवक से 15,900 किलोलीटर की बढ़ी हुई क्षमता के स्थान पर पूर्व स्वीकृत लाइसेंस की 11,530 किलोलीटर की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता के आधार पर वर्ष 1974-75 से वार्षिक लाइसेंस का भुगतान करने को कहा गया। विभाग द्वारा कार्यवाही न किए जाने के फलस्वरूप वर्ष 1974-75 से वर्ष 1988-89 तक 1.64 लाख रूपयों के लाइसेंस फीस की हानि हुई।

जून 1987 में इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, सरकार ने जनवरी 1989 में बताया कि, जब तक आसवनी द्वारा इसके लिए दिए गए प्रार्थना-पत्र पर भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय सम्बंधित विभाग द्वारा बढ़ाई गई अधिष्ठापित क्षमता मान्य नही होती, उस क्षमता पर लाइसेंस फीस नहीं ली जा सकती। सरकार द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण इस तथ्य के आधार पर ठीक नहीं था कि पूर्वोक्त नियम 703(4) के अनुसार लाइसेंस फीस अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता" पर प्रभार्य थी तथा लाइसेंस फीसआरोपित किए जाने के उद्देश्य से स्वीकृत लाइसेंस क्षमता का लिया जाना प्रासंगिक नहीं था।

3.8 बिलम्बित भुगतानों पर ब्याज का वसूल न किया जाना

29 मार्च 1985 से यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 1910 के प्रावधानों के अनुसार जहाँ कोई आबकारी राजस्व देय तिथि से तीन माह के अन्दर अदा नहीं कर दिया जाता है, वहाँ जिस तिथि से आबकारी राजस्व देय होता है उस तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक के लिए 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूली योग्य हो जाता है। उक्त संशोधन के प्रारम्भ होने की तिथि अर्थात् 29 मार्च 1985, के पूर्व देय होने वाले आबकारी राजस्व के सम्बंध में यदि आबकारी राजस्व का भुगतान संशोधन की तिथि के तीन माह के अन्दर नहीं किया जाता है तो उक्त दर पर ब्याज 29 मार्च 1985 से प्रभारित किया जाता है।

एक मामले में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने 29 मार्च 1985 से 3 जनवरी 1988 तक की अवधि के लिए 30,546 रुपये ब्याज की वसूली (फरवरी 1988 में) कर ली। कुछ अन्य मामले नीचे दिए गये हैं।

(क) जुलाई 1983 तथा सितम्बर 1986 के मध्य उप आबकारी आयुक्त, उन्नाव ने, बंधित गोदामों को ले जाई गयी देशी मदिरा की मार्गस्थ अधि-छीजनों पर 3.46 लाख रुपयों के आबकारी शुल्क की वसूली हेतु आदेश पारित किये थे। आबकारी शुल्क, उप-आबकारी आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने की तिथि से देय था। किन्तु 3.46 लाख रुपये की धनराशि आसवनी द्वारा अक्टूबर 1986 तथा जून 1987 के बीच, 6 से लगायत 21 महीनों के विलम्ब के पश्चात् जमा की गई। आबकारी राजस्व विलम्ब से जमा किये जाने हेतु 18 प्रतिशत ब्याज की दर से 73,977 रुपये भी आसवनी द्वारा देय था लेकिन इसकी वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

यह मामला विभाग को नवम्बर 1988 में तथा सरकार को जून 1989 में प्रतिवेदित किया था; नवम्बर 1989 में अनुस्मारक दिये जाने के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1990)।

(ख) सहारनपुर में तीन लाइसेंस धारियों द्वारा 29 मार्च 1985 के पूर्व की अवधि हेतु देय 4.49 लाख रुपयों का आबकारी राजस्व, जिसमे लाइसेंस फीस तथा एसेस्ड फीस सम्मिलित थी, 29 मार्च 1985 के बाद लगभग तीन माह से लेकर बाइस माहों के विलम्ब से थोड़ा थोड़ा करके भुगतान किया गया था। विलम्ब से किये गये इन

भुगतानों पर 1.06 लाख रुपयों का व्याज लगाया जाना था किन्तु यह आरोपित एवं वसूली नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा (जून 1988) में इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (फरवरी 1989) कि 1.06 लाख रुपयों का वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है।

यह मामला सरकार को मार्च 1989 में प्रतिवेदित किया गया था।

(ग) देहरादून में 5.54 लाख रुपयों का आबकारी राजस्व जो 10 लाइसेंस धारियों द्वारा 29 मार्च 1985 के पूर्व देय हो गया था, 29 मार्च 1985 के बाद से आगणित 8 से लेकर 36 माहों के विलम्ब के उपरान्त भुगतान किया गया था। आबकारी राजस्व के इन विलम्बित भुगतानों पर 1.44 लाख रुपया व्याज आरोपित किया जाना था किन्तु यह आरोपित एवं वसूल नहीं किया गया।

यह मामला विभाग को जुलाई 1988 में तथा सरकार को मार्च 1989 में प्रतिवेदित किया गया था, नवम्बर 1989 में अनुस्मारक दिए जाने के बावजूद उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990)।

3.9. अर्थदण्ड का न लगाया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 तथा इसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत, एक लाइसेंसधारी फुटकर विक्रेता, थोक विक्रेता (ठेकेदार) से, शुल्क तथा अनुबन्धित मूल्य के भुगतान के

पश्चात् उपयुक्त (तर्कसंगत) समय के भीतर, स्पिरिट प्राप्त करने का हकदार होता है। जिलाधिकारी द्वारा आँके गये उपयुक्त समय के भीतर, थोक विक्रेता (ठेकेदार) द्वारा स्पिरिट की आपूर्ति न किए जाने की दशा मे, जिलाधिकारी द्वारा स्पिरिट कहीं और से उपलब्ध करायी जायगी तथा इसमें सरकार को थोक हुई किसी प्रकार की हानि अथवा खर्च, थोक विक्रेता (ठेकेदार) से वसूल कर लिया जायगा। इसके साथ साथ स्पिरिट की उस मात्रा पर जिसकी माँग की गई किन्तु आपूर्ति नही की जा सकी, आबकारी आयुक्त की मर्जी के अनुसार ठेकेदार 17.50 रूपये प्रति अल्कोहलिक लीटर से अनधिक अर्थदण्ड का दायी होगा।

बंधित गोदाम, (देशी मदिरा) देहरादून की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया (दिसम्बर 1986) कि वर्ष 1984-85 से वर्ष 1986-87 के बीच उपरोक्त बंधित गोदाम को स्पिरिट की आपूर्ति किये जाने हेतु देहरादून स्थित एक आसवनी (थोक विक्रेता) को ठेका दिया गया था। किन्तु आसवनी उपरोक्त अवधि में दिसम्बर 1986 तक) लाइसेंसधारी फुटकर विक्रेताओं द्वारा मांगी गयी 5.18 लाख लीटर स्पिरिट की उपयुक्त समय के अन्दर आपूर्ति करने में विफल रही। जिलाधिकारी देहरादून द्वारा इतनी ही मात्रा में स्पिरिट की आपूर्ति का प्रबन्ध राज्य की अन्य आसवनियों से किया गया स्पिरिट की आपूर्ति न किए जाने के लिए, 90.68 लाख रूपये का अधिकतम अर्थदण्ड आरोपणीय था फिर भी चूक कर्ता थोक विक्रेता पर कोई भी अर्थदण्ड नहीं लगाया गया। इसके विपरीत, आगामी वर्षों में स्पिरिट की आपूर्ति का ठेका उसी आसवनी को प्रदान किया गया।

यह मामला विभाग को फरवरी 1987 में प्रतिवेदित किया गया। अंतत: की गई कार्यवाही की सूचना प्राप्त नही हुई (अप्रैल 1990)।

मामला, सरकार को फरवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया था, नवम्बर 1989 में अनुस्मारक दिए जाने के बावजूद उनका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990)।

3.10. प्रतिभूति की धनराशि का राज्य खाते में न जमा किया जाना अथवा विलम्ब से जमा किया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत, नीलामी के दिन 2 बजे तक, देशी मदिरा या भारत निर्मित विदेशी मदिरा की दूकानों के लिए उच्चतम् बोली लगाने वालों से अग्रिम प्रतिभूति के रूप में प्राप्त नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट की समस्त धनराशि राज्य खाते में, उसी दिन जमा (केडिट) कर दिया जाना अपेक्षित है। उसी दिन बाद में अदा की गई धनराशि मुहरबन्द थैलों में भर कर कोषागार में रख दी जाती है तथा दूसरे दिन लेखा में सम्मिलित कर लिया जाता है।

इटावा में वर्ष 1987-88 के लिए 27 मार्च 1987 की नीलामी मे चार समूहों की देशी मदिरा की दूकानों तथा छ: विदेशी मदिरा की दूकानों के लिए नीलामी तय की गयी। नीलामी के दिन उच्चतम बोली लगाने वालों द्वारा अग्रिम प्रतिभूति के रूप में अदा किया गया 25.16 लाख रूपया (3.16 लाख रूपये नकद तथा 22 लाख

रूपये बैक ड्राफ़्ट में राज्य खाते में उसी दिन अथवा अगले दिन जमा नहीं किया गया। बाद में, 16 जुलाई 1987 को यानी 3 महीने 19 दिन व्यतीत हो जाने के बाद 3.16 लाख रूपये राज्य के खाते में जमा किए गये जब कि बैंक ड्राफट जमा ही नहीं किये गये (फरवरी 1988)।

लेखापरीक्षा (फरवरी 1988) में इंगित किये जाने पर, जिला आबकारी अधिकारी इटावा ने फरवरी 1988 में बताया कि सम्बधित लिपिक के सेवा निवृत्त हो जाने से, बैंक ड्राफट उनकी बैधता की अवधि के अन्दर राज्य खाते में जमा नहीं किये गये तथा बाद में वे सम्बंधित बैकों को नवीनीकरण हेतु भेज दिये गये थे। परन्तु यह देखा गया कि बैंक ड्राफटों की प्रविष्टि राजस्व पंजिका (जी-6) या जमाकर्ता को दी गई रसीद (फार्म जी-16) में भी नहीं की गई थी तथा विभाग के पास अब इन बैंक ड्राफटों का कोई व्योरा प्राप्त नहीं था (फरवरी 1988)।

यह मामला सरकार को अप्रैल 1989 में प्रतिवेदित किया गया;. नवम्बर 1989 में अनुस्मारक दिए जाने के बावजूद उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990)।

3.11. जमा प्रतिभूति से लाइसेंस फीस का समायोजन न किया जाना

जिला आबकारी कार्यालय गोंडा में यह देखा गया (जून 1988) कि वर्ष 1977-78 के लिए रानीगंज ग्रुप की देशी मदिरा की

दूकानों के लाइसेंसधारियों द्वारा लाइसेंस फीस के 29,670 रुपयों का भुगतान न किये जाने के उपरान्त इस धनराशि की वसूली के विरुद्ध सिविल जज गोंडा की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। अदालत के आदेशानुसार वसूली योग्य धनराशि के बराबर धनराशि, स्टेट बैंक आफ इंडिया, गोंडा में प्रतिभूति के रूप में जमा कर दी गई। मुकदमा अन्त में 4 अप्रैल 1982 को खारिज कर दिया गया। किन्तु विभाग द्वारा छः वर्ष बीत जाने के बाद भी, बैंक से इस धनराशि को निकलवाने तथा राज्य खाते में जमा कराने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस त्रुटि को लेखापरीक्षा (जुलाई 1988) में इंगित किये जाने पर विभाग ने (फरवरी 1989 में) बताया कि धनराशि को निकलवाने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

यह मामला सरकार को मार्च 1989 में प्रतिवेदित किया गया; नवम्बर 1989 में अनुस्मारक दिए जाने के बावजूद उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990)।

अध्याय 4

वाहनों,माल और यात्रियों पर कर

4.1. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1988-89 के दौरान परिवहन विभाग के अभिलेखों के जांच-परीक्षण से 232 मामलों में 190.03 लाख रूपयों के कर कम लगाये जाने का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रूपयों में)
1.यात्री-कर/अतिरिक्त यात्री-कर का कम लगाया जाना	114	57.14
2.मार्ग-कर का अवनिर्धारण	35	14.73
3.माल-कर का कम लगाया जाना	27	63.31
4.अन्य मामले	56	54.85
योग	**232**	**190.03**

वर्ष 1988-89 तथा उसके पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान जानकारी में आये कुछ महत्वपूर्ण मामलों और "यात्री-कर निर्धारण एवं संग्रह" पर की गयी समीक्षा के निष्कर्षों का उल्लेख उत्तरवर्ती प्रस्तरों में किया गया है ।

4.2. यात्री-कर का निर्धारण एवं संग्रह

4.2.1. प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी प्रक्रम वाहन अथवा अनुबंधित वाहन द्वारा ले जाये गये प्रत्येक यात्री पर ऐसे यात्री द्वारा देय किराये के 20 प्रतिशत से अनधिक दरों पर यात्री-कर आरोपित किया जाना है। प्रारम्भ में यात्री-कर की दर किराये का 5 प्रतिशत थी, जो बढ़ाकर पहली दिसम्बर 1962 से 10 प्रतिशत, पहली जनवरी 1966 से 15 प्रतिशत और पहली मई 1979 से 16 प्रतिशत कर दी गई थी। इसके अलावा, 15 नवम्बर 1971 से, नगर अथवा नगर पालिका की सीमा के बाहर चलने वाले किसी प्रक्रम वाहन द्वारा ले जाये गये प्रत्येक यात्री पर, यदि ऐसी यात्रा हेतु सामान्य किराया एक रुपये से कम नहीं है, 10 पैसे की दर से अतिरिक्त यात्री-कर आरोपित किया जाता है। पहली नवम्बर 1976 से कर एवं अतिरिक्त-कर के योग के 5 प्रतिशत की दर से, प्रत्येक यात्री पर उसकी हर यात्रा हेतु, एक अधिभार भी यात्रियों के बीमे के प्रयोजनार्थ आरोपित किया जाना है। कर प्रक्रम वाहन के परिचालक द्वारा संग्रहीत किया जाता है और राज्य सरकार को उसका भुगतान निर्धारित रीति से किया जाता है।

प्रक्रम वाहन के परिचालक को यह विकल्प उपलब्ध है कि वह यात्री-कर का भुगतान वे-बिल के आधार पर (अर्थात्, ले जाये गये यात्रियों की वास्तविक संख्या के आधार पर) अथवा एक मुश्त आधार पर करे। बाद वाले विकल्प के सम्बंध में देय कर निम्नलिखित

निर्धारित सूत्र (फार्मूला) के अनुसार परिगणित किया जाता है :

देय कर = एफ × टी × आर

जबकि,

एफ = बैठने की पूर्ण क्षमता तथा खड़े होने की 50 प्रतिशत क्षमता के वास्ते सम्पूर्ण मार्ग का सामान्यतया देय कुल किराया,

टी = एक-तरफा फेरों की संख्या, और

आर = कर की दर

परन्तु शर्त यह भी है कि एक मुश्त की धनराशि उपर्युक्त सूत्र के अनुसार निर्धारित की गयी धनराशि से अधिक नहीं होगी और उसके 75 प्रतिशत से कम नहीं होगी ।

इसके साथ ही उपर्युक्त रीति से निर्धारित यात्री-कर के 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर तथा यात्री-कर के 5 प्रतिशत की दर से बीमा अधिभार भी प्रभार्य है ।

मोटर कैब को छोड़कर अनुबंधित वाहन के सम्बन्ध में एक मुश्त आधार पर कर के भुगतान हेतु निम्नलिखित सूत्र अपनाया जाता है :

देय कर = एफ × डी × आर

जबकि,

एफ = प्रति किलोमीटर किराया की अधिकतम दर अथवा ऐसी निम्नतर दर, जो किसी भी दशा में अधिकतम दर के

75 प्रतिशत् से कम नहीं होगी,

डी = वाहन द्वारा एक माह में सफर किये जाने की कुल प्रत्याशित दूरी;' और

आर = कर की दर

वे-बिल प्रणाली के अन्तर्गत, परिचालक को, वस्तुतः वसूल किया गया किराया दिखाते हुये साप्ताहिक/मासिक परिलेख (रिटर्न्स) दाखिल करने पड़ते हैं , जबकि एक मुश्त प्रणाली के अन्तर्गत कोई भी परिलेख विभाग को दाखिल किये जाने अपेक्षित नहीं हैं ।

4.2.2. लेखापरीक्षा का कार्य-क्षेत्र

उत्तर प्रदेश में नियत्र प्राधिकारियों द्वारा यात्री-कर लगाने तथा उसकी वसूली के सम्बन्धा में जिन विधान नियमों तथा प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है उनके अध्ययन हेतु लेखापरीक्षण में एक समीक्षा की गयी । समीक्षा दिसम्बर 1988 से मई 1989 की अवधि के दौरान की गयी और परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय तथा राज्य में 14 सम्भागीय परिवहन कार्यालयों, 39 उप-सम्भागीय परिवहन कार्यालयों एवं 35 जांच-चौकियों में से लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद, मेरठ, कानपुर, मुरादाबाद तथा देहरादून स्थित 8 सम्भागीय परिवहन अधिकारियों के कार्यालयों, सीतापुर, हरदोई, आजमगढ़, गाजियाबाद, हमीरपुर, उरई एवं मैनपुरी स्थित 7 उप-सम्भागीय परिवहन अधिकारियों के कार्यालयों और 4 जांच-चौकियों को इस समीक्षा के अन्तर्गत लिया गया है ।

4.2.3. संगठनात्मक व्यवस्था

करों के निर्धारण तथा संग्रह का एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देशों के जारी किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश पर है । राज्य 14 संभागों में, प्रत्येक एक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के कार्य-भार के अधीन तथा 39 उप-सम्भागों में, प्रत्येक एक सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) के कार्य-भार के अधीन, विभाजित किया गया है । इसके अतिरिक्त, राज्य में विभिन्न प्रवेश-स्थलों (एन्ट्री प्वांइट्स) पर 35 जांच-चौकियाँ हैं जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले अथवा इससे गुजरने वाले दूसरे राज्यों के वाहनों से पथ-कर तथा अन्य कर संग्रह करती हैं ।

4.2.4. प्रकाश में लाई गई मुख्य-मुख्य बातें

(i) यात्री-कर प्राप्तियों में वृद्धि, बसों की संख तथा यात्री किराया में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं रही जो 1982-83 से 1937-88 की अवधि के दौरान राजस्व में 95.5 प्रतिशत् तक की कमी उपदर्शित करती है । इन वर्षों में राज्य के सम्पूर्ण कर राजस्व में यात्री-कर राजस्व के योगदान में भी गिरावट आयी है ।

(ii) वाराणसी और गोरखपुर सम्भागों में सभी मार्गों के तथा अन्य 4 सम्भागों एवं 4 उप-सम्भागों में 21 मार्गों के सम्बन्ध में यात्री-कर की संगणना करते समय, सरकार द्वारा मार्च 1987 में यथा निर्धारित, किराये की बढ़ी हुयी दरों को गणना में नहीं लिया

गया, जिसके फलस्वरूप राजस्व की काफी हानि हुयी ।

(iii) राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा किराये की न्यूनतम दरों को लागू कराने में विलम्ब करने से राज्य सरकार को 13.26 लाख रूपयों के राजस्व से वंचित रहना पड़ा ।

(iv) मार्गों की वास्तविक लम्बाई के अनुरूप किराये के आधार पर यात्री-कर निर्धारण न किये जाने के फलस्वरूप 7.23 लाख रूपयों का यात्री-कर कम वसूल किया गया ।

(v) पचास पैसे के निकटतम गुणांक (मल्टीपुल) में किराये को (यात्री-कर, अतिरिक्त यात्री-कर तथा बीमा अधिभार सहित) पूर्णांकित न किये जाने के फलस्वरूप 2.26 लाख रूपये का कर कम वसूल किया गया ।

(vi) सम्पूर्ण अनुमन्य मार्ग हेतु यात्री-कर निर्धारण न किये जाने के फलस्वरूप 4 सम्भागों तथा एक उप-सम्भाग में 10.58 लाख रूपये का कर कम वसूल किया गया ।

(vii) अनुबंधित वाहनों के सम्बन्ध में न्यूनतम निर्धारित मील-दूरी (माइलेज) तथा किराया लागू न किये जाने के कारण 3.78 लाख रूपये का यात्री-कर कम वसूल किया गया ।

(viii) उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के 8 अन्तर्राज्यीय मार्गों पर अनुज्ञा-पत्रों के जारी किये जाने में अत्यधिक विलम्ब के कारण राज्य सरकार 7.88 लाख रूपये के यात्री-कर से वंचित हुयी ।

(ix) दिल्ली परिवहन निगम से यात्री-कर के रूप में प्राप्य

और प्रेषित किये जाने वाली धनराशियों के प्रेषणों पर नियंत्रण की कमी के कारण उनके द्वारा 226.35 लाख रूपयों के समक्ष केवल 150 लाख रूपये की धनराशि प्रेषित की गयी ।

(x) अन्य राज्यों द्वारा जारी किये गये अस्थायी/विशेष अनुज्ञा-पत्रों से समर्थित अनुबंधित वाहनों के सम्बन्ध में नियमों और प्रक्रियाओं के अननुपालन के फलस्वरूप 4.69 लाख रूपयों का कर कम वसूल किया गया ।

4.2.5. यात्री-कर राजस्व की गतिविधि

1981-82 से 1987-88 वर्षों हेतु सड़क पर बसों की संख्या के समक्ष यात्री-कर एवं राज्य के सम्पूर्ण कर-राजस्व की स्थिति नीचे दर्शायी गई है:

वर्ष	बसों की संख्या	यात्री-कर के अन्तर्गत राजस्व	उत्तर प्रदेश का सम्पूर्ण कर राजस्व	सम्पूर्ण कर राजस्व में यात्री-कर के योगदान का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1981-82	9,032	33.73	822.82	4.09
1982-83	9,932	36.23	929.30	3.88
1983-84	16,425	41.94	992.10	4.23
1984-85	18,345	46.71	1,140.17	4.09
1985-86	17,602	51.65	1,291.41	3.90

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1986-87	19,183	55.40	1,528.60	3.62
1987-88	21,313	65.10	1,988.66	3.27

उक्त अवधि के दौरान, सड़क पर बसों की संख्या में 136 प्रतिशत और प्रति किलोमीटर किराये में 52 प्रतिशत की कुल वृद्धि हुयी । वृद्धि के इन दो कारणों (फैक्टर्स) को दृष्टिगत रखते हुये यात्री-कर राजस्व में 188.5 प्रतिशत् की वृद्धि होनी चाहिये थी । इसके समक्ष यात्री-कर के अन्तर्गत वृद्धि केवल 93 प्रतिशत् हुयी, और आनुपातिक कमी 95.5 प्रतिशत् तक की हुयी । उसी अवधि के दौरान, पतिवाहन यात्री-कर 1981-82 में 37,345 रूपये से घटकर 1987-88 में 30,545 रूपये हो गया और कुल कर राजस्व में यात्री-कर का अंशदान 1981-82 में 4.09 प्रतिशत् से घटकर 1987-88 में 3.27 प्रतिशत् रह गया । दिसम्बर 1986 में परिवहन आयुक्त ने सरकार को सूचित किया था कि जांच स्टाफ की कमी, के कारण बड़े पैमाने पर यात्री-कर के अपवंचन की संभावनायें थी ।

1985-86 से 1987-88 की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य की तुलना में प्राप्त किये गये यात्री-कर निम्नवत् थे :

वर्ष	यात्री-कर हेतु लक्ष्य	यात्री-कर के अन्तर्गत वास्तविक राजस्व	लक्ष्य में कमी
	(करोड़ रूपयों में)		
1985-86	59.86	51.63	8.23

(1)	(2)	(3)	(4)
1986-87	63.56	55.44	8.12
1987-88	77.32	65.10	12.22

परिवहन आयुक्त के अनुसार लक्ष्यों की प्राप्ति में मुख्य मजबूरी स्टाफ की कमी थी और उसके परिणामस्वरूप निजी परिचालकों के मार्गों पर एकमुश्त अनुबन्धों के अन्तर्गत कर का भुगतान करने वाली बसों में फेरों की संख्या एवं सीटों के दखल किये जाने का अनुपात (आक्यूपेन्सी रेशियों) तथा वे-बिल प्रणाली के अन्तर्गत कर का भुगतान करने वाली बसों के वे-बिलों की शुद्धता के सम्बन्ध में सर्वेक्षण एवं जांच प्रक्रियाओं की अपर्याप्तता के कारण थी ।

4.2.6. गलत किराये का संघटक (कम्पोनेन्ट) अपनाये जाने के कारण यात्री-कर की हानि

मोटर वाहन अधिनियम, 1939 में प्रावधान है कि मोटर वाहन स्वामियों के बीच अलाभकर प्रतियोगिता रोकने की दृष्टि से राज्य सरकार प्रक्रम वाहनों एवं अनुबंधित वाहनों के परिचालकों द्वारा प्रभार्य अधिकतम एवं न्यूनतम किराये निर्धारित करने के लिये प्राधिकृत है । इस उद्देश्य से सर्वप्रथम हितबद्ध पार्टियों (इन्टरेस्टेड पार्टीज़) से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुये प्रस्तावित निर्देशों का एक ड्राफट सरकारी गजट में मुद्रित कराया जाता है और तब इन पार्टियों को सुनने का अवसर प्रदान करने के बाद राज्य

परिवहन प्राधिकारी के परामर्श से किराये की दरें सुनिश्चित की जाती हैं । सरकार द्वारा अतिरिक्त पुर्जों, ईंधन तथा अन्य परिचालन सम्बन्धी प्रभारों के लागत मूल्य में वृद्धि को ध्यान में रखते हुये, हित बद्ध पार्टियों की प्रार्थना पर किरायों में वृद्धि की जाती है । अनुबंधित वाहनों के सम्बन्ध में नियमों में यह शर्त है कि किराया सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम किराये के 75 प्रतिशत् से कम नहीं होगा ।

(1) सरकार द्वारा यथा निर्धारित किराये का न बढ़ाया जाना

मार्च 1987 में राज्य सरकार ने प्रक्रम वाहनों के किराये की उच्चतम दरें 20 प्रतिशत से बढ़ा दीं और राज्य परिवहन प्राधिकारी को उसी के अनुसार किराये की उच्चतम दरें निर्धारित करने के निर्देश दिये । राज्य परिवहन प्राधिकारी ने दरों का अनुमोदन 29 अप्रैल 1987 की अपनी मीटिंग में किया यद्यपि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा मार्च 1987 से ही तथा कुमायूं सम्भाग के निजी बस परिचालकों द्वारा पहली अप्रैल 1987 से किराये की बढ़ायी गयीं उच्चतम दरें प्रभारित की जा रही थीं ।

दिसम्बर 1988 और मई 1989 के बीच वाराणसी और गोरखपुर सम्भागों के सभी मार्गों तथा अन्य 4 सम्भागों एवं 4 उप-सम्भागों के 21 मार्गों के सम्बन्ध में जांच-परीक्षण में यह पाया गया कि यात्री-कर की संगणना करते समय किराये की बढ़ायी गयी

दरों को गणना में नहीं लिया गया था । इन मार्गों के सर्वेक्षण के नितान्त अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि प्रक्रम, वाहनों के परिचालकों द्वारा कब और किस सीमा तक किराये वस्तुत: बढ़ाये गये थे और सरकार को इस कारण राजस्व की वास्तविक हानि कितनी हुयी ।

(11) राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा किराये की न्यूनतम दरों के अनुमोदन में विलम्ब

9 जुलाई 1987 को जारी की गयी एक अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार ने राज्य परिवहन प्राधिकारी को, उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में जैसा कि उल्लिखित किया गया था, प्रक्रम वाहनों के लिये किराये की न्यूनतम दरें निर्धारित करने के निर्देश जारी किये गये थे । किन्तु, राज्य परिवहन प्राधिकारी ने उनहें क्रियान्वित करने के लिये अपनी 16 दिसम्बर 1987 को हुयी मीटिंग में दरें निर्धारित कीं यद्यपि कि दरें सरकार द्वारा पहले ही राज्य परिवहन प्राधिकारी और हितबद्ध पार्टियों के परामर्श से परिनिश्चित की जा चुकी थीं । राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा किराये की न्यूनतम दरें निर्धारित किये जाने में विलम्ब के कारण 9 जुलाई 1987 से 15 दिसम्बर 1987 की अवधि में, जिसके दौरान सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम से कम किराये की दर पर यात्री-कर का भुगतान किया जाता रहा, 5 सम्भागों और 3 उप-सम्भागों में 53 मार्गों पर चलने वाले 725 वाहनों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को 13.26 लाख रुपये तक के यात्री-कर से वंचित होना पड़ा ।

लेखापरीक्षा (दिसम्बर 1988) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसे मामलों में राज्य परिवहन प्राधिकारी को अधिकारों के प्रतिनिधान के लिये मामला सरकार से उठाया जायेगा ।

4.2.7. "बी" श्रेणी के मार्गों पर लागू किराया न अपनाये जाने के कारण यात्री-कर की हानि

उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1935 के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा किया गया मार्गों का वर्गीकरण तब तक वैध नहीं है जब तक कि राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न किया गया हो ।

वाराणसी सम्भाग में तीन मार्गों (1.वाराणसी-तरवा, 2.वाराणसी- मेहनाजपुर और 3.बलिया-रेवती) का सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा अगस्त 1987 में बी श्रेणी से ए श्रेणी में उन्नयन किया गया और जनवरी 1988 में राज्य परिवहन प्राधिकारी को अनुमोदन हेतु संस्तुति अग्रसारित की गयी जिसकी स्वीकृति लेखापरीक्षा की तिथि (जनवरी 1989) तक नहीं दी गयी थी । राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा मार्गों के पुनःवर्गीकरण के अनुमोदन की प्रतीक्षा किये बिना सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने "ए" श्रेणी मार्ग हेतु लागू किराये की न्यूनतम दर, जो "बी" श्रेणी मार्ग हेतु लागू दर से निम्नतर है, उसके आधार पर 16 दिसम्बर 1987 से यात्री-कर निर्धारण और वसूली प्रारम्भ कर दी । किन्तु, मार्ग-कर

"बी" श्रेणी मार्गों हेतु लागू दर पर्‌ही, जो "ए" श्रेणी मार्ग पर लागू कर की दर से निम्नतर है, निर्धारित किया जातना रहा । इसके फलस्वरूप 16 दिसम्बर 1987 से 15 जनवरी 1989 की अवधि के दौरान 23 वाहनों के सम्बन्ध में 0.81 लाख रुपये का यात्री-कर कम वसूल किया गया ।

4.2.8. मार्ग की वास्तविक लम्बाई हेतु प्रभार्य किराये के आधार पर यात्री-कर का निर्धारण न किया जाना

(i) 6 मार्गों (2 वाराणसी सम्भाग में और 4 आजमगढ़ उप-सम्भाग में) के सम्बन्ध में यात्री-कर अनुज्ञा-पत्र अभिलेखों में उपदर्शित मार्ग की वास्तविक लम्बाई हेतु न्यूनतम दर पर प्रभार्य किराये के आधार पर निर्धारित नहीं किया गया । इसके फलस्वरूप 16 दिसम्बर 1987 से 31 जनवरी 1989 की अवधि के दौरान 2.03 लाख रुपये का कर कम निर्धारित हुआ ।

(ii) गाजियाबाद उप-सम्भाग में, गाजियाबाद-फारूखनगर मार्ग के सम्बन्ध में, अनुज्ञा-पत्र अभिलेखों में उपदर्शित 20 कि0मी0 की वास्तविक लम्बाई के समक्ष मार्ग की लम्बाई 15 कि0मी0 मानते हुये उस पर उच्चतम दर से प्रभार्य किराये के आधार पर अक्तूबर 1987 से यात्री-कर निर्धारित किया जा रहा था । इसके फलस्वरूप अक्तूबर 1987 से फरवरी 1989 की अवधि के दौरान 0.49 लाख रुपये का कर कम निर्धारित हुआ ।

(iii) गाजियाबाद उप-सम्भाग में, दिल्ली-गाजियाबाद और

दिल्ली – कोटना अन्तर्राज्यीय मार्गों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के भाग की लम्बाइयां, उत्तर प्रदेश सरकार के दिनांक 31 दिसम्बर 1985 के सरकारी गजट में मुद्रित, उत्तर प्रदेश राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली के बीच पारस्परिक परिवहन अनुबन्ध में क्रमशः 15 कि0मी0 और 55 कि0मी0 दिखायी गयी हैं । उत्तर प्रदेश में मार्गों की उक्त लम्बाई के समक्ष यात्री-कर का निर्धारण 5 मई 1987 से क्रमशः 11 कि0मी0 (10 सितम्बर 1988 से 13 कि0मी0) और 46 कि0मी0 के लिये उच्चतम दरों पर प्रभार्य किराये के आधार पर किया गया । मार्गों की वास्तविक लम्बाई की अपेक्षा कम लम्बाई पर कर की गणना के फलस्वरूप मई 1987 से मार्च 1989 की अवधि के दौरान 4.71 लाख रूपये का यात्री-कर कम वसूल किया गया ।

4.2.9. सकल किराये के पूर्णांकित न किये जाने के कारण यात्री-कर का अवनिर्धारण

राज्य सरकार ने प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में मार्च 1987 में किराये की उच्चतम दरों में वृद्धि की और जुलाई 1987 में किराये की न्यूनतम दरों को इन प्रावधानों के साथ निर्धारित किया कि यात्री-कर, अतिरिक्त यात्री-कर तथा बीमा अधिभार की धनराशि सहित किराया पचास पैसे के निकटतम राशि में पूर्णांकित किया जायेगा।

6 मार्गों (2 मेरठ सम्भाग में, 3 जालौन उप-सम्भाग में और एक हमीरपुर उप-सम्भाग में) के सम्बन्ध में, करों सहित सकल किराये को पूर्णांकित करने के प्रावधान का विचार न करते हुये,

गलत किराये पर यात्री-कर निर्धारित किया गया । इसके फलस्वरूप मई 1987 और अप्रैल 1989 के बीच विभिन्न अवधियों हेतु 2.26 लाख रूपये का कर कम निर्धारित हुआ ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मेरठ ने बताया (मार्च 1989) कि दिल्ली-सहारनपुर मार्ग के सम्बन्ध में कर का अन्तर (0.50 लाख रूपये) वसूल कर लिया गया है । अन्य मार्गों के सम्बन्ध में सम्बंधित कर अधिकारियों ने बताया कि कर का अन्तर वसूल कर लिया जायेगा

4.2.10. अवैध रूप से वाहनों के चलने की रोक-थाम के लिये अकुशल/निष्प्रभावी व्यवस्था के कारण राजस्व की हानि

किसी मार्ग पर प्रक्रम वाहन अनुज्ञा-पत्रों की संख्या, प्रत्येक वाहन द्वारा किये जाने वाले फेरे और उस मार्ग पर अनुमत भार कारक (दखल की गई सीटों का अनुपात) यात्री-कर आरोपण को प्रभावित करने वाले अन्तर-सम्बन्धीय कारक हैं । राज्य सरकार ने दिसम्बर 1978 में जारी की गयी एक अधिसूचना के द्वारा राज्य में अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर प्रक्रम वाहन अनुज्ञा-पत्रों हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में विचार करने के लिये राज्य परिवहन प्राधिकारी और सम्भागिय परिवहन प्राधिकारियों को निर्देश दिये थे । चूंकि उक्त निर्देशों के क्रियान्वयन में कतिपय दिक्कतों का अनुभव हुआ, उपर्युक्त अधिसूचना सितम्बर 1980 में विखण्डित (रिसिंड) कर दी गयी । जनसंख्या, व्यापार, माल के पारगमन और सरकारी कार्य में

वृद्धि को ध्यान में रखते हुये, मार्च 1987 में एक दूसरी अधिसूचना जारी की गयी, जिसमें यह निर्देशित किया गया था (क्लाज एक) कि किसी अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर जहां पांच वर्षों से अधिक की अवधि के दौरान ऐसे अनुज्ञा-पत्रों में कोई वृद्धि नहीं हुयी है, प्रक्रम वाहन अनुज्ञा-पत्रों की संख्या 100 प्रतिशत् बढ़ा दीं जायेगी और जहां दो वर्षों से अधिक की अवधि में कोई वृद्धि नहीं हुयी है, 30 प्रतिशत् बढ़ा दी जायेगी । जहां एक से अधिक और दो वर्षों से कम की अवधि के दौरान कोई वृद्धि नहीं हुयी है, प्रक्रम वाहन अनुज्ञा-पत्रों की संख्या 20 प्रतिशत बढ़ा दी जायेगी ।

अधिसूचना के उपर्युक्त प्रावधान को इस आधार पर चुनौती देते हुये कि यातायात तथा सार्वजनिक आवश्यकताओं में वृद्धि की प्रकल्पनाएं मनमानी हैं, अराष्ट्रीयकृत मार्गों के कुछ विद्यमान अनुज्ञा-पत्र धारकों ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एक रिट याचिका दायर की (1987) । सरकार ने अपने प्रति शपथ-पत्र में स्पष्टीकरण दिया कि अन्य राज्यों की तुलना में राज्य के विभिन्न मार्गों पर प्रक्रम वाहनों की उपलब्धता काफी कम थी, जिससे वाहनों के अवैध परिचालन को प्रोत्साहन मिलता था । साथ ही यह भी बताया गया कि अनुभव से यह प्रमाणित होता है कि विभिन्न सम्भागीय परिवहन अधिकारी इस स्थिति में नहीं थे कि वे यात्रा करने वाली जनता की वास्तविक आवश्यकताओं का निर्धारण, इस प्रयोजन हेतु अपेक्षित आवश्यक साधनों के अभाव में, कर सकें । माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 20 सितम्बर 1988 के अपने

निर्णय में यह कहा कि "जनता की सुविधा के लिये यातायात सुगम बनाने हेतु अधिक बसों का प्रावधान करना एक प्रशंसनीय उद्देश्य है किन्तु इसकी प्रक्रिया विधिक ढांचे के अन्तर्गत ही होनी चाहिये जो केवल इस लिये नहीं तोड़ा जाना चाहिये कि वाहनों के अवैध परिचालन की रोक-थाम के लिये व्यवस्था अकुशल/निष्प्रभावी है अथवा सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्राप्त रिपोर्टें त्रुटिपूर्ण हैं। सरकार को आवश्यकतानुसार नहीं वरन वाहनों के अवैध परिचालन के डर के कारण अथवा सम्भागीय परिवहन प्राधिकारियों द्वारा उचित रिपोर्टें प्राप्त करने में असमर्थता के कारण शक्ति बढ़ाने हेतु कानून की उपेक्षा करने और बिना पर्याप्त प्रमाण के तथ्यों को मान लेने का अधिकार नहीं है" । इन्हीं कारणों से अधिसूचना के विवादित (इम्प्यूनड) उपवाक्य एक को अधिकारातीत (अल्ट्रा वायरेस) मानते हुये निरस्त कर दिया गया । तत्पश्चात् सरकार ने विकास कार्य, औद्योगिक कार्यकलापों, समाजकल्याण योजनाओं, जनसंख्या, व्यापार, माल के पारगमन में वृद्धि और रेलवे द्वारा प्रावधानित सुविधाओं की अपर्याप्तता को ध्यान में रखते हुये एवं उपलब्ध सर्वेक्षण रिपोर्टों तथा परिवहन की दीर्घावधि योजनानुसार आवश्यकता के आधार पर प्रक्रम वाहन अनुज्ञा-पत्रों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करने हेतु एक अन्य अधिसूचना जनवरी 1989 में जारी की । किन्तु इसके लिये कोई मानक (नार्म) निर्धारित नहीं किया गया और मामला सम्भागीय परिवहन प्राधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिया गया है । इस प्रकार, सरकार 1978 से अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर प्रक्रम वाहनों की संख्या (स्ट्रेन्थ) निर्धारित करने हेतु कोई निश्चित मानक अथवा विश्वसनीय माप

निर्धारित करने में और साथ ही भार कारक अर्थात् किसी बस में दखल की जाने वाली सीटों का अनुपात (आक्यूपैंसी रेशियो) निर्धारित करने में भी विफल रही । फेरों/भार कारक का कम अनुमान किये जाने के कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं :

(i) हरदोई उप-सम्भाग में, हरदोई-बेनीगंज-संडीला तथा हरदोई-सीतापुर मार्गों पर वाहन चलाने के लिये अनुमत 15 तथा 25 वाहनों की स्वीकृत संख्या (स्ट्रेन्थ) के समक्ष वस्तुतः केवल 9 और 17 वाहन ही चला रहे थे फिर भी यात्रियों पर एकमुश्त अनुबन्ध के अन्तर्गत यात्री-कर क्रमशः अगस्त 1971 और जनवरी 1981 से 75 प्रतिशत भार कारक (लौड फैक्टर) पर ही निर्धारित किया गया । इसी प्रकार से, आजमगढ़ उप-सम्भाग में, महाराजगंज-खैरउद्दीनपुर मार्ग पर चलाने के लिये अनुमत 7 प्रक्रम वाहनों की स्वीकृत संख्या के समक्ष 2 प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में सितम्बर 1977 से 75 प्रतिशत् भार कारक पर कर निर्धारित किया गया था, जो बिना किसी सर्वेक्षण के सितम्बर 1981 से बढ़ाकर 77 प्रतिशत कर दिया गया था और वही भार कारक 6 वर्षों से अधिक समय से अभी भी अविरत चला आ रहा है । अभिलेख पर ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं हैं, जिससे यह ज्ञात होता हो कि उपर्युक्त मार्गों पर फेरों और भार-कारक के सम्बन्ध में कभी भी कोई सर्वेक्षण भी किया गया है ।

(ii) अलीगढ़ उप-सम्भाग में, अलीगढ़-जीवर-टप्पल मार्ग पर चलने वाले 40 प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में, अप्रैल 1987 के पूर्व प्रतिदिन 42 वापसी फेरों और 92 प्रतिशत भार कारक के आधार पर

निर्धारित किया जाता था । अप्रैल 1987 से मार्ग, टप्पल से वजना तक बढ़ा दिया गया जिस पर प्रतिदिन 6 वापसी फेरे स्वीकृत किये गये और अलीगढ़-जीवर-टप्पल (मूल मार्ग) मार्ग पर वापसी फेरे 42 से घटाकर 40 कर दिये गये । क्योंकि मूल मार्ग पर फेरे घटा दिये गये थे और परिचालन का क्षेत्र बढ़ा दिया गया था, मार्ग पर भार कारक बढ़ाये जाने के बजाय बिना किसी सर्वेक्षण के 92 प्रतिशत् से घटाकर 84 प्रतिशत् कर दिया गया । 92 प्रतिशत् भार कारक पर भी संगणित किये जाने पर अप्रैल 1987 से सितम्बर 1988 तक की अवधि हेतु कम वसूल किया गया कर 2.11 लाख रूपये बनता था ।

(iii) वाराणसी सम्भाग में, मिर्जापुर-वाराणसी-गाजीपुर और मिर्जापुर-वाराणसी मार्गों पर चलने के लिये अनुमत 49 और 29 प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में, मई 1988 के पूर्व अगस्त 1977 से कर निर्धारण क्रमशः 81 और 85 प्रतिशत् भार कारक पर किया गया था । अप्रैल 1988 में दोनों मार्गों के अनुज्ञा-पत्र धारकों ने कर अधिकारी से इस आधार पर भार कारक के घटाये जाने का अनुरोध किया कि मिर्जापुर से गाजीपुर मार्ग पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लगाये गये वाहनों द्वारा प्रतिदिन 10 वापसी फेरे किये जा रहे थे । कर अधिकारी ने बिना किसी सर्वेक्षण के मई 1988 से मिर्जापुर-गाजीपुर मार्ग पर भार कारक 81 से घटाकर 75 प्रतिशत् तथा मिर्जापुर-वाराणसी मार्ग पर 85 से घटाकर 80 प्रतिशत कर दिया।

(iv) मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 48 (3) में प्रावधान है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी किसी प्रक्रम वाहन को

अनुज्ञा-पत्र प्रदान करते समय, उस मार्ग पर जिसके लिये अनुज्ञा-पत्र प्रदान किया जाता है, वाहन द्वारा किये जाने वाले दैनिक फेरों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या सम्बन्धी शर्त लगा दे । अनुज्ञा-पत्र की शर्तों से किसी भी प्रकार के विचलन (डीवियेशन) हेतु सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित है । जब किसी प्रक्रम वाहन का परिचालक यात्री-कर के भुगतान हेतु एक मुश्त अनुबन्ध करता है तो वह अनुबन्ध तीन माह की अवधि हेतु अथवा अनुज्ञा-पत्र की प्रचनल-अवधि की असमाप्त अवधि हेतु, जो भी कम हो, किया जायेगा

लखनऊ सम्भाग में, सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी ने लखनऊ-अलीगढ़ मार्ग पर चलने वाले प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में प्रतिदिन 7 वापसी फेरे निश्चित किये (अप्रैल 1984), किन्तु सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किये बिना ही दैनिक सेवाओं की संख्या घटाकर 6 कर दी जो अनियमित था और जिसके फलस्वरूप 10 वाहनों के सम्बन्ध में अप्रैल 1984 से जनवरी 1988 की अवधि हेतु 0.57 लाख रूपये का यात्री-कर कम आरोपित हुआ ।

(V) 30 दिन के माह के आधार पर यात्री-कर की गणना न करना

लोक लेखा समिति ने 1981-82 के अपने प्रतिवेदन के प्रस्तर 167 में संस्तुति की थी (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 1978-79 के प्रस्तर 4.3 पर विचार-विमर्श करते समय) कि भविष्य में यात्री-कर

की गणना सम्पूर्ण राज्य में 30 दिन के माह के आधार पर की जानी चाहिये ।

इसके अतिरिक्त, 1984-85 वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 4.3(अ) में कुछ मार्गों (वाराणसी सम्भाग में जौनपुर-शाहगंज वाया मार्टिनगंज, तथा जौनपुर-गैरवाह मार्गों सहित) के विषय में उल्लेख किया गया था कि वहां एकमुश्त यात्री-कर के भुगतान हेतु 90 दिन की अवधि के लिये अनुबन्ध तो किये जा रहे थे, किन्तु यात्री-कर निर्धारण हेतु फेरों की संख्या का संगणन, वाहनों के खराब हो जाने (ब्रेक-डाउन) तथा मरम्मत हेतु छूट देते हुये कम दिनों (78 से 82 दिनों तक) के आधार पर किया गया था जो नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं हैं । लेखापरीक्षा में की गई टिप्पणी (सितम्बर 1985) के आधार पर विभाग ने वाराणसी सम्भाग में तीन मार्गों पर (जौनपुर-शाहगंज वाया मार्टिनगंज, जौनपुर-गैरवाह और जौनपुर-शाहगंज वाया खुटाहन मार्ग) चलने वाले 22 वाहनों के सम्बन्ध में प्रति वाहन प्रतिमाह 52 से 56 फेरों के बजाय प्रति वाहन प्रतिमाह 60 एकतरफा फेरों के आधार पर, अर्थात् महीने में 30 दिन मानते हुये, मार्च 1986 में यात्री-कर निर्धारण पुनरीक्षित कर दिया था । किन्तु, जब उपर्युक्त मार्गों के सम्बन्ध में 16 दिसम्बर 1987 से न्यूनतम किराया निश्चित किया गया, जो प्रसंगतः उस किराये से अधिक था जिसके आधार पर एकमुश्त अनुबन्ध किये जा रहे थे, तो विभाग ने पुनः प्रति वाहन प्रति माह 60 एकतरफा फेरों के बजाय प्रति वाहन प्रति माह 52 से 56 एकतरफा फेरों के आधार पर एकमुश्त यात्री-कर का निर्धारण करने लगा । एक माह में 60 एकतरफा फेरों के आधार

पर (माह में 30 दिन मानते हुये) यात्री-कर निर्धारण न किये जाने के फलस्वरूप दिसम्बर 1987 से मार्च 1989 की अवधि हेतु 1.26 लाख रुपये का कर कम वसूल हुआ ।

4.2.11. अनुज्ञा-पत्र के अभाव में मार्ग-कर स्वीकार किया जाना तथा यात्री-कर का वसूल न किया जाना

मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के प्रावधान के अनुसार किसी सार्वजनिक स्थान में परिवहन वाहन चलाने हेतु अनुज्ञा-पत्र उसकी एक पूर्वआवश्यकता (प्रीरेक्वैजिट) है । उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1935 में प्रावधान है कि कर अधिकारी किराये हेतु चलाये जाने वाले किसी भी परिवहन वाहन के सम्बन्ध में मार्ग-कर तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि उसके पास अनुज्ञा-पत्र न हो और उसका भाग ख विधिवत पूर्ण न कर लिया गया हो एवं निबन्धन प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित न कर दिया गया हो ।

(i) वाराणसी सम्भाग में, जून 1987 से दिसम्बर 1988 की अवधि के दौरान टाटा डीजल मॉडल 407 के 46 वाहन प्रक्रम वाहनों के रूप में पंजीकृत किये गये और उन में बैठने हेतु 16 तथा 21 के बीच अलग-अलग क्षमताएँ अनुमत की गयीं । वाहनों को पंजीकृत करते समय कर अधिकारी ने इन वाहनों के सम्बन्ध में मार्ग-कर स्वीकार कर लिया और मालिकों को पंजीकरण प्रमाणपत्र इस आधार पर दे दिया कि उन्होंने प्रक्रम वाहन अनुज्ञा-पत्रों के लिये आवेदन दिया हुआ था जबकि अनुज्ञा-पत्र उन्हें वस्तुतः जारी नहीं किये गये थे । इसके

बाद अप्रैल 1988 से सितम्बर 1988 की अवधि के बीच इन वाहनों में से 13 का बिना अनुज्ञा-पत्र के किराये हेतु चलाये जाने के कारण चालान किया गया (6 वाहनों का चालान दो बार तथा एक का 6 बार) । इन मामलों में विभाग द्वारा यात्री-कर का निर्धारण केवल उसी माह हेतु किया गया था जिस माह में ये वाहन बिना अनुज्ञा-पत्र के चलते हुये पाये गये थे और वह भी एक माह में यात्रा की जाने की प्रत्याशित दूरी, तदर्थ आधार पर, 3,000 किलोमीटर मानते हुये । किन्तु, बिना अनुज्ञा-पत्र के चलते हुये पाये गये अनुबन्धित वाहनों सहित प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में उस अवधि हेतु जिसके लिये यात्री-कर निर्धारित किया जाना होगा, कोई मानक निश्चित नहीं किया गया है । ऐसे मानकों के अभाव में इस प्रकार के मामलों में राजस्व की सही हानि परिमाणित नहीं की जा सकी ।

(ii) बांदा उप-सम्भाग में, 2 मिनी बसों के सम्बन्ध में, जिनमें से प्रत्येक 21 सीटों की क्षमता वाली थी, कर-अधिकारी द्वारा सितम्बर 1985 से सितम्बर 1987 तथा फरवरी 1984 से दिसम्बर 1986 की अवधियों हेतु मार्ग-कर नियमित रूप से स्वीकार किया जाता रहा यद्यपि वे अनुज्ञा-पत्रों से समर्थित नहीं थीं । इन वाहनों का उक्त अवधियों के दौरान बिना अनुज्ञा-पत्र के चलाये जाने के कारण क्रमशः 6 बार तथा 4 बार चालान किया गया और यात्री-कर के रूप में 0.30 लाख रूपये की धनराशि, केवल उन्हीं महीनों के लिये आरोपित की गई जिनमें कि इन वाहनों का बिना अनुज्ञा-पत्र चलाये जाने हेतु चालान किया गया था। मानकों के अभाव में दोनों मामलों में राजस्व की सही हानि परिमाणित नहीं की जा सकी ।

4.2.12. समस्त अनुमत मार्ग हेतु यात्री-कर का निर्धारण न किया जाना

उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली, 1940 में, अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि किसी प्रक्रम वाहन को अनुज्ञा-पत्र जारी करते समय सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी उसमें यह शर्त जोड़ सकता है कि वाहन प्रत्येक यात्रा में उस समस्त मार्ग पर चलेगा जिसके लिये अनुज्ञा-पत्र प्रदान किया गया है ।

(i) इलाहाबाद, आगरा और कानपुर सम्भागों में तथा सीतापुर उप-सम्भाग में 5 मार्गों पर अपने वाहन चलाने वाले 46 प्रक्रम वाहनों के परिचालक मार्ग के अंश भाग हेतु देय किराये के आधार पर यात्री-कर का भुगतान इस आधार पर कर रहे थे कि मार्गों के कुछ भाग मोटर वाहन चलाये जाने योग्य नहीं थे हालांकि तथ्य यह है कि उन्हें सम्पूर्ण मार्ग हेतु अनुज्ञा-पत्र प्रदान किये गये थे । जनवरी 1985 से मार्च 1989 की अवधि के दौरान सम्पूर्ण मार्ग हेतु देय यात्री-कर 24.88 लाख रूपये होता था जिसके समक्ष केवल 16.30 लाख रूपये उनसे वसूल किये गये थे ।

(ii) मेरठ सम्भाग में, 8 अप्रैल 1987 को सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा बागपत-चामरवल-रतौल मार्ग फुलेरा तक 5 किलोमीटर बढ़ा दिया गया था और मार्ग के सभी 26 अनुज्ञा-पत्र धारकों को पहली जुलाई 1987 से समस्त मार्ग पर अपने वाहन चलाने की अनुमति दे दी गई थी । किन्तु, मार्ग के बढ़ाये गये भाग हेतु कोई यात्री-कर निर्धारित एवं वसूल नहीं किया गया । इसके फलस्वरूप

जुलाई 1987 से फरवरी 1989 की अवधि हेतु 2 लाख रूपये का कर कम वसूल हुआ ।

4.2.13. अनुबन्धित वाहनों के सम्बन्ध में यात्री-कर का कम वसूल किया जाना

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) नियमावली, 1962 के अन्तर्गत किसी अनुबन्धित वाहन (मोटर कैब को छोड़कर) के सम्बन्ध में एकमुश्त अनुबन्ध के अन्तर्गत यात्री-कर का निर्धारण, अन्य बातों के साथ-साथ, देय किराया तथा एक महीने के दौरान की जाने वाली यात्री की प्रत्याशित दूरी पर निर्भर करता है । अनुबन्धित वाहन के सम्बन्ध में नियमों में प्रावधान है कि यात्री-कर के आरोपण हेतु गणना में लिया जाने वाला किराया मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत निर्धारित अधिकतम दरों के 75 प्रतिशत से कम नहीं होगा और एक महीने में की जाने वाली यात्रा की प्रत्याशित दूरी 4,000 किलोमीटर से कम नहीं होगा ।

(i) कानपुर सम्भाग में, एक परिचालक के 13 वाहन जून 1985 से एक कम्पनी के साथ कर्मचारियों को नगर के विभिन्न भागों से कम्पनी की फैक्टरी तक ले जाने तथा वापस लाने हेतु अनुबन्धित थे । परिचालक को एकमुश्त आधार पर वर्ष 1985-86 हेतु 1.25 लाख रूपये प्रतिमाह का भुगतान किया गया जो 1986-87 से आगे के लिये बढ़ाकर 1.287 लाख रूपये प्रतिमाह कर दिया गया । प्रत्येक बस द्वारा प्रतिमाह वास्तव में वय की गई दूरी (किलोमीटर में) और प्रति

किलोमीटर भुगतान की गयी धनराशि कम्पनी द्वारा सूचित नहीं की गयी थी । सम्भागीय कार्यालय में निविदा एवं अनुबन्ध विलेखों की प्रतिलिपियों के अभाव में लेखापरीक्षा में भी इसे सुनिश्चित नहीं किया जा सका । चूंकि ये वाहन अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों पर चल रहे थे, कम से कम 4,000 किलोमीटर प्रतिमाह की दूरी हेतु और 2.52 रूपये प्रति किलोमीटर के न्यूनतम किराये पर (फरवरी 1983 में सरकार द्वारा निर्धारित 3.36 रूपये प्रति किलोमीटर की अधिकतम दर का 75 प्रतिशत) संगणित यात्री-कर प्रति वाहन प्रति माह 1,693.45 रूपये आता था । किन्तु, परिचालक से यात्री-कर 1,392.65 रूपये और 1,435.30 रूपये प्रतिवाहन प्रतिमाह की दर से क्रमशः जून 1985 और अप्रैल 1986 से वसूल किया गया था । इसके फलस्वरूप जून 1985 से मार्च 1989 की अवधि के दौरान 1.58 लाख रूपये यात्री-कर कम वसूल हुये।

(ii) इसी प्रकार, उक्त सम्भाग में एक परिचालक के स्थायी अनुज्ञा-पत्रों से समर्थित 7 वाहन और अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों से समर्थित 4 वाहन तथा एक अन्य परिचालक का अस्थायी अनुज्ञा-पत्र से समर्थित एक वाहन एक अन्य कम्पनी के साथ नगर के विभिन्न भागों से स्टाफ सदस्यों को कम्पनी की फैक्टरी तक ले जाने तथा वापस लाने हेतु क्रमशः अप्रैल 1981 एवं अप्रैल 1983 से अनुबन्धित थे । जैसाकि कम्पनी द्वारा अक्तूबर 1982 और जुलाई 1984 में सूचित किया गया था, पहले मामले में (11 बसों के सम्बन्ध में) प्रति बस प्रति माह तय किया गया औसत किलोमीटर लगभग 3,250/3,350 किलोमीटर था और दूसरे मामले में (एक बस के सम्बन्ध में) 3,000 किलोमीटर था ।

सभी बसों के सम्बन्ध में जुलाई 1981 से भुगतान किया गया प्रति किलोमीटर किराया 3.65 रूपये था । अप्रैल 1985 से मार्च 1989 की अवधि के दौरान इन 12 वाहनों के सम्बन्ध में प्रतिमाह 4,000 किलोमीटर की निर्धारित न्यूनतम दूरी के आधार पर संगणित 2.20 लाख रूपये का यात्री-कर कम वसूल हुआ ।

4.2.14. अनुबन्धित वाहनों के रूप में चलने वाले प्रक्रम वाहनों से यात्री-कर का वसूल न किया जाना

लखनऊ सम्भाग में, स्थायी अनुज्ञा-पत्रों के अन्तर्गत लखनऊ-हरदोई मार्ग पर चलने वाले 5 प्रक्रम वाहन अनुबन्ध के आधार पर नवम्बर 1983 और जुलाई 1988 के बीच की विभिन्न अवधियों हेतु कम्पनियों के स्टाफ को नगर के विभिन्न स्थानों से फैक्टरियों तक ले गये और वापस ले आये थे । इन प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में परिचालकों द्वारा उस अवधि हेतु जिसमें वे प्रक्रम वाहनों के रूप में चल रहे थे कर का भुगतान वे-बिल आधार पर किया गया । किन्तु, उस अवधि हेतु जिसमें इन प्रक्रम वाहनों का प्रयोग अनुबन्धित वाहन के रूप में किया गया था, परिचालकों द्वारा न तो कर का भुगतान ही किया गया और न ही विभाग द्वारा उसकी मांग की गयी । 4,000 किलोमीटर प्रतिमाह की न्यूनतम दूरी और सरकार द्वारा निर्धारित किराये की दर के आधार पर देय कर 66,000 रूपये बनता था ।

4.2.15. आस-पास के राज्यों के साथ द्विपक्षीय अनुबन्ध

अन्तर्राज्यीय सड़क मार्गों पर परिवहन वाहनों के

यातायात को बढ़ावा देने और उनके संचलन तथा परिचालन को नियमित एवं नियंत्रित करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने 8 राज्यों एवं 2 केन्द्र शासित प्रदेशों से द्विपक्षीय अनुबन्ध किये, जिनके अन्तर्गत, पारस्परिक आधार पर, संवादी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा जारी किये गये स्थायी अनुज्ञा-पत्र राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने की दशा में (फीस प्रभारित करने के पश्चात) उस राज्य में वैध हो जाते हैं । प्रक्रम वाहन अनुज्ञा-पत्र जोप्रतिहस्ताक्षरित किये जा सकते हैं उनकी संख्या अनुबन्ध के अनुरूप सीमित होती है । जिन मामलों में अनुज्ञा-पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कर दिये गये हैं उनमें प्रतिहस्ताक्षर करने वाले राज्य द्वारा मार्ग-कर प्रभारित नहीं किया जाता । किन्तु, प्रतिहस्ताक्षर करने वाले राज्य में आरोपणीय यात्री-कर के भुगतान के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है । प्रत्येक राज्य को प्रक्रम वाहनों का बटवारा (ऐलोकेशन) राज्य में पड़ने वाले मार्ग की किलोमीटर दूरी (रूट किलोमीटरेज) के अनुसार किया जाता है और सम्मत मार्ग दोनों राज्यों द्वारा परिचालित किये जाते हैं ।

उत्तर प्रदेश में प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में यात्री-कर राज्य की सीमा के अन्दर की गयी यात्राओं हेतु प्रभारित किराये के आधार पर आरोपणीय है । द्विपक्षीय अनुबन्धों के तहत मामलों में भी राज्य द्वारा यात्री-कर आरोपित और संग्रहीत किया जाता है ।

(i) अन्तर्राज्यीय मार्गों पर अनुज्ञा-पत्रों के जारी किये जाने में आवश्यकता से अधिक विलम्ब

उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश राज्यों के बीच सितम्बर

1980 में एक द्विपक्षीय अनुबन्ध किया गया था । अनुबन्ध के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य को उन 8 मार्गों के लिये 15 अनुज्ञा-पत्र जारी करने थे जिनके लिये राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा मई 1982 में प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये गये थे और जिन्हें अक्तूबर 1982 तक प्राप्त किया जाना था । प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के विरूद्ध आपत्तियां काफी विलम्ब से अक्तूबर 1986 में आमंत्रित की गयीं । यद्यपि कोई भी आपत्तियां प्राप्त नहीं हुयी थीं, फिर भी अनुज्ञा-पत्र जारी नहीं किये गये । मार्च 1987 में पुन: नये सिरे से प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये गये । अनुज्ञा-पत्रों के जारी किये जाने के मामलों को राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा सात वर्षों से अधिक (मई 1989) तक विलम्ब होने पर भी अन्तिम रूप नहीं दिया गया था । अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाने में हुई बेहद विलम्ब में केवल अप्रैल 1987 से मार्च 1989 की अवधि हेतु 7.88 लाख रूपये (लगभग) का राजस्व आलिप्त है ।

(ii) सम्पूर्ण अवधि (स्पैल) हेतु बिहार राज्य द्वारा जारी किये गये अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों का प्रतिहस्ताक्षरित न किया जाना

राज्य परिवहन प्राधिकारी, बिहार द्वारा रांची-भभुआ (बिहार) और धरौली-चंदौली (उत्तर प्रदेश) मार्ग पर परिचालन हेतु चार प्रक्रम वाहनों को चार-चार महीनों के दौर के लिये अस्थायी अनुज्ञा-पत्र नियमित रूप से जारी किये जाते रहे, किन्तु वे राज्य परिवहन प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा या तो प्रतिहस्ताक्षरित ही नहीं किये गये अथवा केवल 9 दिनों तक की

अल्पकालीन अवधियों हेतु ही प्रतिहस्ताक्षरित किये गये । अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों के ऐसी सम्पूर्ण अवधि हेतु, जिसके लिये कि वे राज्य परिवहन प्राधिकारी बिहार द्वारा निरन्तर नियमित रूप से जारी किये गये थे, प्रतिहस्ताक्षरित न किये जाने के फलस्वरूप सितम्बर 1982 से सितम्बर 1988 की अवधि के दौरान 60,385 रुपये के यात्री-कर की हानि हुयी ।

लेखापरीक्षा में (जून 1987) इसके इंगित किये जाने पर सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकारी ने बताया कि अस्थायी अनुज्ञा-पत्र उन तिथियों से प्रतिहस्ताक्षरित किये गये थे जिन तिथियों पर वे परिचालकों द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत किये गये थे । किन्तु, अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों का सम्पूर्ण अवधि हेतु, जिसके लिये कि वे राज्य परिवहन प्राधिकारी, बिहार द्वारा जारी किये गये थे, प्रतिहस्ताक्षरित न किये जाने के कोई कारण नहीं बताये गये ।

(iii) राज्य परिवहन प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों के सम्बन्ध में कर का भुगतान न किया जाना

चार प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में, बक्सर-वाराणसी और रांची-चन्दौली मार्गों पर परिचालन हेतु राज्य परिवहन प्राधिकारी, बिहार द्वारा जारी किये गये अस्थायी अनुज्ञा-पत्र, राज्य परिवहन प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा फरवरी 1987 और जनवरी 1988 के बीच की विभिन्न अवधियों हेतु प्रतिहस्ताक्षरित किये गये थे किन्तु, परिचालकों द्वारा न तो यात्री-कर

का भुगतान सम्भागीय परिवहन कार्यालय, वाराणसी में किया गया और न ही विभाग द्वारा उस अवधि हेतु जिसके लिये कि अस्थायी अनुज्ञा-पत्र प्रतिहस्ताक्षरित किये गये थे, यात्री-कर की मांग की गयी । इसके फलस्वरूप 29,457 रूपये का यात्री-कर वसूल नहीं हुआ । उत्तर में सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञा-पत्रों की प्रतिलिपियां राज्य परिवहन प्राधिकारी से प्राप्त नहीं हुयी थीं और जब परिचालकों द्वारा उसके कार्यालय में प्रतिहसताक्षरित अनुज्ञा-पत्र प्रस्तुत किये गये, उन पर कर का निर्धारण कर दिया गया ।

4.2.16. देय यात्री-कर के प्रेषण (रेमिटेंस) पर नियंत्रण तथा अनुश्रवण की कमी

दिल्ली परिवहन निगम, हरियाणा रोड़वेज तथा पंजाब राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में इस राज्य को प्राप्य यात्री-कर अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के परिवहन उपक्रम के विभिन्न डिपो द्वारा मेरठ, देहरादून तथा आगरा स्थित सम्भागीय परिवहन कार्यालयों को, मार्गों का विवरण तथा परिचालन सम्बन्धी किलोमीटर दूरी (प्रति माह) प्रस्तुत किये बिना, बैंक ड्राफ्टों के माध्यम से भेजा जाता है । उत्तर प्रदेश को देय यात्री-कर, चाहें एक ही डिपो द्वारा संग्रहीत किया गया हो, राज्य के विभिन्न संभागीय परिवहन कार्यालयों को भेजा जाता है । इस राज्य को प्राप्य और दूसरे राज्यों द्वारा वस्तुतः प्रेषित करों पर किसी प्रकार का नियंत्रण अथवा उनका अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) न तो परिवहन आयुक्त के स्तर

पर और न ही क्षेत्रीय एवं सम्भागीय स्तर पर किया जाता है । गाजियाबाद से विभिन्न मार्गों से होकर दिल्ली की ओर जाने वाली दिल्ली परिवहन निगम की बसों के परिचालन के सम्बन्ध में परिवहन उपायुक्त, मेरठ क्षेत्र द्वारा जनवरी 1988 में किये गये एक सर्वेक्षण से पता चला कि दिल्ली परिवहन निगम की बसें जनवरी 1986 से प्रभावी द्विपक्षीय अनुबन्ध में संकल्पित 20 मार्गों पर 256 वापसी फेरों के समक्ष 25 मार्गों पर प्रति दिन 285 वापसी फेरे कर रही थीं । उसने परिवहन आयुक्त को यह भी प्रतिवेदित किया कि अतिरिक्त सेवाओं (एक्सेस सर्विसेस) के सम्बन्ध में राज्य परिवहन प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुज्ञा-पत्र भी प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किये गये थे । अतः, ऐसे मामलों में यात्री-कर के अतिरिक्त मार्ग-कर, पथ-कर तथा प्रतिहस्ताक्षर शुल्क भी देय थे । सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली - नोएडा मार्गों पर दिल्ली परिवहन निगम की बसों का दैनिक परिचालन 49,830 किलोमीटर होता है, जिस पर जनवरी 1988 से मार्च 1989 की अवधि हेतु केवल यात्री-कर (अतिरिक्त यात्री-कर तथा बीमा अधिभार को छोड़कर) 15.09 लाख रूपये प्रतिमाह अर्थात् 226.35 लाख रूपये परिगणित हुआ जिसके समक्ष मेरठ तथा आगरा स्थित सम्भागीय परिवहन कार्यालयों को केवल 150 लाख रूपये का कर प्रेषित किया गया ।

फिर भी, सरकार को राजस्व की हानि से बचाने के लिये, विभाग द्वारा, जैसाकि अनुबन्ध में संकल्पित था, मार्ग-वार कर का भुगतान करने के लिये दबाव डालने हेतु अथवा फेरों की संख्या एवं

वस्तुतः परिचालितबसों की संख्या पर नियंत्रण करने हेतु, उपाय और साधन विकसित करने की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

4.2.17. बैंक ड्राफ्टों के माध्यम से अन्य राज्यों द्वारा किये गये भुगतानों के विवरणों का अभाव

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) नियामवली, 1962 के प्रावधानों के अन्तर्गत (कर अधिकारी) फ्लीट ओनर के सम्बंध में, जहाँ कि ऐसा फ्लीट ओनर परिवहन उपक्रम है, टैक्स के बदले में फ्लीट ओनर द्वारा राज्य की सीमा के अन्दर की गई यात्राओं हेतु अर्जित यात्री-कर समेत किराये की धनराशि का 4/29 वें भाग के समतुल्य एक मुश्त राशि स्वीकार कर सकता है।

दिल्ली परिवहन निगम और हरियाना रोडवेज द्वारा 1987-88 और 1988-89 के दौरान यात्री-कर का भुगतान करने के लिए मेरठ, देहरादून तथा आगरा के सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को 3.75 करोड़ रूपयों के बैंक ड्राफ्ट भेजे जिनके समर्थन में कोई ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया गया था, ब्यौरों के अभाव में, लेखापरीक्षा में में कर की धनराशि की शुद्धता सत्यापित नहीं की जा सकी।

4.2.18. अस्थायी और विशिष्ट अनुज्ञा-पत्र

उत्तर प्रदेश में वाहनों के पारस्परिक आधार पर परिचालन हेतु अन्य राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा विवाह पार्टियों, तीर्थयात्रियों आदि के वहन के लिए भी अस्थायी अनुज्ञा-पत्र तथा पर्यटक पार्टियों के सम्बंध में विशिष्ट अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाते

है। ऐसे अनुबंधित वाहनों के सम्बंध में अस्थायी/विशिष्ट अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाने की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। बहिर्गामी एवं वापसी यात्राओं की तिथियों का अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है और विशिष्ट अनुज्ञा-पत्रों के लिए अपेक्षित है कि उनमें पर्यटन का विस्तृत कार्य-क्रम हो जिसमें यह दिखाया गया हो कि किस क्रम से विभिन्न स्थानों को देखने जाया जायेगा तथा यह इंगित किया गया हो कि प्रत्येक स्थान पर आगमन एवं वहाँ से प्रस्थान की सम्भावित तिथियाँ क्या हैं। इस प्रकार के अस्थायी/विशिष्ट अनुज्ञा-पत्रों के अन्तर्गत चलने वाले वाहनों पर उत्तर प्रदेश में आरोपणीय यात्री-कर के भुगतान से कोई छूट नहीं है, किन्तु इस राज्य में आरोपणीय कर अन्य राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा पारस्परिक आधार पर अस्थायी/विशिष्ट अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाने के समय बैंक ड्राफ्टों की शक्ल में संगृहीत किया जाता है जो बाद में अनुज्ञा-पत्र धारकों को, इस राज्य में अपनी सीमाओं पर स्थापित जाँच-चौकियों पर सौंप देने के लिए, दे दिये जाते हैं।

इस प्रकार , राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा नियमों के अन्तर्गत देय एकमुश्त धनराशि सुनिश्चित किये जा सकने हेतु अन्य राज्यों के परिवहन प्राधिकारियों द्वारा सम्बंधित जाँच-चौकियों पर प्राधिकार रखने वाले सम्भागीय परिवहन अधिकारी को अस्थायी/विशिष्ट अनुज्ञा-पत्रों की प्रतिलिपियों के साथ की जाने वाली यात्राओं एवं यात्रियों से प्रभार्य किराये का विवरण प्रस्तुत किया जाना होता है।

(i) नियत प्रक्रिया के अनुरूप बैंक ड्राफ्टों द्वारा यात्री-कर का प्रेषित न किया जाना

अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों के जारी किये जाने के समय बैंक ड्राफ्टों के रूप में उत्तर प्रदेश को प्राप्य यात्री-कर संग्रहीत करने के बजाय, अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश अनुज्ञा-पत्र धारकों को समान्यतया निर्देश दे देते हैं कि वे इसका भुगतान जांच-चौकियों पर नगद कर दें । सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मेरठ के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत महाराजपुर तथा शाहिबाबाद जांच-चौकियों पर बैंक ड्राफ्टों के रूप में प्राप्त यात्री-कर की प्रतिशतता वर्ष 1986-87 में 7 प्रतिशत् से घटकर 1988-89 में एक प्रतिशत के नीचे आ गयी । इसी प्रकार सम्भागीय परिवहन अधिकारी, वाराणसी के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत बिछिया (नौबतपुर) जांच-चौकी पर यह 1986-87 में 26.5 प्रतिशत् से घटकर 1988-89 में 13 प्रतिशत् हो गयी ।

(ii) अन्य राज्यों से अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों की प्रतिलिपियों का प्राप्त न होना

सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में अभिलेखों की जाँच से पता चला कि ऐसे अस्थायी/विशिष्ट अनुज्ञा-पत्रों की प्रतिलिपियाँ प्राप्त नहीं हुयी थीं और न ही उनके द्वारा वसूले गये और प्रदत्त करों की शुद्धता सत्यापित करने के लिये विभाग द्वारा उनकी मांग की गयी । जाँच-चौकियों पर, इन अनुज्ञा-पत्रों और पार्टी के अनुमोदित कार्य-क्रम की किसी प्रतिलिपि के अभाव में, प्रदत्त करों की धनराशि की शुद्धता लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी ।

(iii) अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों के सम्बन्ध में यात्री-कर का कम वसूल किया जाना

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, वाराणसी के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत बिछिया (नौबतपुर) जाँच-चौकियों तथा सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मेरठ के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत मोहननगर, महाराजपुर औरशाहिबाबादजांच-चौकियोंपरकुछमामलोंमें जांच-चौकियों पर नियुक्त यात्री-कर अधीक्षकों द्वारा दिनों की संख्या के आधार पर डीलक्स बसों के सम्बन्ध में 200 रूपये प्रतिदिन की दर से तथा सामान्य बसों के सम्बन्ध में 160 रूपये प्रतिदिन की दर से यात्री-कर वसूल किया गया, जबकि कुछ मामलों में यह दूरी के आधार पर वसूल किया गया जो देय एकमुश्त धनराशि से कम था। सम्भागीय कार्यालयों और/ अथवा जाँच-चौकियों, दोनों ही स्थानों पर अनुज्ञा-पत्रों तथा पर्यटन कार्यक्रमों की प्रतिलिपियों के अभाव में लेखापरीक्षा में यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि इस राज्य को प्राप्य करों की गणना और वसूली ठीक की गयी है। किन्तु, अनुज्ञा-पत्रों की वैधता की अवधि तथा जाँच-चौकियों पर वाहनों के प्रवेश की तिथि, जैसाकि प्राप्ति रजिस्टर में अंकित की गयी है, उनके आधार पर 7 महीनों में (बिछिया जाँच-चौकियों के सम्बन्ध में अगस्त तथा अक्तूबर 1987 एवं अप्रैल 1988, मोहननगर जाँच-चौकी के सम्बन्ध में जनवरी तथा फरवरी 1988 और महाराजपुर जाँच-चौकी के सम्बन्ध में जनवरी तथा दिसम्बर 1988 में) 238 मामलों में 6.53 लाख रूपये का यात्री-कर आरोपणीय था, जिसके समक्ष अनुमत दिनों की संख्या की अपेक्षा कम दिनों के आधार पर 1.84 लाख रूपये की धनराशि वसूल की गयी।

4.2.19. **उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा यात्री-कर के कम जमा/विलम्बित जमा के लिये अर्थदण्ड न लगाया जाना**

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 में प्रावधान है कि राज्य सरकार को किसी माह अथवा उसके किसी भाग के लिये देय यात्री-कर का, समय से अर्थात् आगामी माह के पन्द्रहवें दिन अथवा उसके पूर्व के किसी दिन, यदि भुगतान नहीं किया जाता है तो कर अधिकारी कर के 25 प्रतिशत् से अनधिक अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

(i) वाराणसी सम्भाग में, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, वाराणसी के जनरल मैनेजर द्वारा अक्तूबर 1988 को छोड़कर मार्च 1988 से नवम्बर 1988 के महीनों हेतु प्रस्तुत विवरणं के अनुसार किराये (सब करों को छोड़ते हुये) के 16 प्रतिशत् की दर से देय यात्री-कर 125.26 लाख रूपये परिगणित होता था, जबकि निगम ने भुगतान के लिये देय धनराशि की गणना 124.45 लाख रूपये की थी और उसमें से केवल 124.22 लाख रूपयों का भुगतान सरकारी खजाने में किया गया था। शेष 1.04 लाख रूपये की धनराशि वसूल करने के लिये विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त, कर के भुगतान में विलम्ब के लिये 25 प्रतिशत् तक का अर्थदण्ड भी आरोपणीय था।

(ii) आजमगढ़ उप-सम्भाग में, जनरल मैनेजर, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, आजमगढ़ द्वारा दिसम्बर 1983 से अगस्त 1985 की अवधि हेतु भुगतान के लिये देय 132.40 लाख रुपये यात्री-कर का भुगतान मई 1987 से मार्च 1989 की अवधि के दौरान सरकारी खजाने में किस्तों में किया गया । विभाग से कर के विलम्ब से जमा किये जाने के लिये जून 1989 तक अर्थदण्ड आरोपित और वसूल किये जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की थी ।

ऊपर दिये गये ये मामले सरकार को अगस्त 1989 में प्रतिवेदित किये गये थे; [illegible] 19[illegible] में अनुस्मारक जारी किये जाने के उपरान्त भी उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990)।

4.3. न्यूनतम किराये पर यात्री-कर का निर्धारण न किया जाना

मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 43 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 9 जुलाई 1987 के द्वारा राज्य में प्रक्रम वाहनों के किरायों की न्यूनतम दरें निर्धारित कीं तथा राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश को उक्त विज्ञप्ति के साथ अनुलग्न अनुसूची में यथावर्णित प्रक्रम वाहनों के किरायों की दरें निर्धारित करने हेतु निर्देशित किया ।

फिर भी, किराये की न्यूनतम दरें राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा पांच महीनों के बाद 16 दिसम्बर 1987 को अनुमोदित/प्रवर्तित किया गया ।

(क) बरेली सम्भाग में चार मार्गों पर, वाराणसी सम्भाग में एक मार्ग पर, उप-सम्भाग आजमगढ़ में 6 मार्गों पर तथा उप-सम्भाग मिर्जापुर में 5 मार्गों पर प्रक्रम वाहनों पर यात्री-कर के भुगतान हेतु अनुमोदित न्यूनतम किराये से कम किरायों पर एक मुश्त संविदायें सम्पादित की गयीं थी, जिसके कारण 16 दिसम्बर 1987 से दिसम्बर 1988 के दौरान 3.93 लाख रूपयों के राजस्व की हानि हुई ।

ये मामले विभाग को क्रमशः अगस्त 1988, सितम्बर 1988, अक्तूबर 1988 तथा फरवरी 1989 में और शासन को मार्च 1989 में प्रतिवेदित किये गये थे; जून 1989 में निर्गत किये गये अनुस्मारकों के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1990)

(ख) परिवहन वाहनों के सम्बन्ध में देय कर की धनराशि निर्धारित करने के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश में समस्त मार्ग विहित प्राधिकारी द्वारा विशेष मार्ग अथवा सामान्य मार्ग के रूप में वर्गीकृत किये गये हैं और प्रत्येक सामान्य मार्ग "ए", "बी" अथवा "सी" वर्ग के मार्ग के रूप में अग्रेतर वर्गीकृत किये गये हैं ।

सहारनपुर उप-सम्भाग में लाहबोली होकर जाने वाला "मंगलौर-लखनऊटी" मार्ग प्रारंभ से ही एक "बी" वर्ग का मार्ग था । इस मार्ग के लिये न्यूनतम किराया जैसा कि शासन द्वारा निर्धारित एवं राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा 16 दिसम्बर 1987 से अनुमोदित किया

गया था, 10.43 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर था । फिर भी, यात्री-कर के निर्धारण/वसूली के लिये मार्ग पर चलने वाले 18 वाहनों के चालकों के साथ 31 जुलाई 1988 तक एक मुश्त संविदायें गलती से इसे "ए" वर्ग मार्ग मानते हुये (न्यूनतम किराया 9.56 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर) तथा उसके बाद एक "बी" वर्ग मार्ग के रूप में मानते हुए सम्पादित की गई थी । इस भूल के कारण 16 दिसम्बर 1987 से 31 जुलाई 1988 तक के दौरान 43,375 रूपयों के यात्री-कर की वसूली कम हुई ।

यह मामला विभाग को दिसम्बर 1988 में एवं शासन को मई 1989 में प्रतिवेदित किया गया था, अक्तूबर 1989 में निर्गत हुए अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 199

4.4.(क) पंजीयन शुल्क का कम वसूल किया जाना

उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन विभाग, के दिनांक 30 मार्च 1987 की विज्ञप्ति द्वारा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी नियमावली, 1940 के नियम 31 (क) (iv) के अनुसार "किसी अन्य वाहन" के पंजीयन का शुल्क 25 रूपये से 75 रूपये संशोधित किया गया था । रजिस्ट्रेशन फीस के अतिरिक्त, बैंक आदि के साथ (हायर - परचेज) किराये पर की गई खरीद के समझौते के अन्तर्गत उपलब्ध वाहनों के सम्बन्ध में रजिस्ट्रेशन फीस के पचास प्रतिशत के समतुल्य अतिरिक्त शुल्क प्राभार्य है, जिसके लिये रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र पर इस आशय का पृष्ठांकन कर दिया जाता है । इस प्रकार एक ट्रैक्टर के

मामले में किराये पर की गई खरीद के पृष्ठांकित किये जाने हेतु और रजिस्ट्रेशन के लिये कुल प्रभार्य फीस 112.50 रुपये (75 रूपये+37.50 रूपये) प्रति वाहन थी ।

आगरा, मेरठ, वाराणसी, और गोरखपुर सम्भागों में तथा गाजीपुर, फैजाबाद, देवरिया और रायबरेली उप-सम्भागों में, 31 मार्च 1987 एवं 31 अगस्त 1988 के मध्य पंजीकृत किये गये 5,058 ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में, रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्रों पर किराये पर की गई खरीद की टिप्पणी के पृष्ठांकन हेतु लिये जाने वाले शुल्क को सम्मिलित करते हुए रजिस्ट्रेशन फीस गलती से वाराणसी, गाजीपुर, फैजाबाद, गोरखपुर, देवरिया रायबरेली सम्भागों में, "मध्यम माल वाहन" के लिये लागू दरों पर प्रभारित की गयी थी; जबकि मेरठ सम्भाग में पृष्ठांकन फीस प्रभारित ही नहीं की गई थी तथा आगरा सम्भाग में अप्रैल 1987 में 30 रूपये के तदर्थ दर से प्रभारित की गई और मई 1987 से "अशक्त वाहन" के लिये लागू दर से प्रभारित की गई थी । कम वसूली गई फीस की धनराशि 3.64 लाख रूपये थी ।

यह मामला विभाग को अप्रैल 1988 एवं नवम्बर 1988 के बीच तथा शासन को मार्च 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; जून 1989 में निर्गत किये गये अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अप्रैल 1990)।

[ख] **ट्रैक्टर-ट्रेलरों के लिये परमिट फीस का वसूल न किया जाना**

मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत मोटर

वाहन का स्वामी किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा अन्य स्थान पर यात्री या माल ले जाने के उद्देश्य से वाहन का न तो प्रयोग करेगा और न ही प्रयोग करने की अनुमति देगा, जब तक कि अधिनियम के अनुसार वाहन पंजीकृत न किया गया हो और निर्धारित फीस के भुगतान पर किसी सम्भागीय या राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रदान किये गये परमिट से आच्छादित न हो । अधिनियम में मोटर कार द्वारा (जिसमें ट्रैक्टर सम्मिलित नहीं है) खींचे गये 800 किलोग्राम से अनधिक भारा क्रांत (लेडेन) पंजीबद्ध भार वाले दुपहिये ट्रेलर को परमिट प्राप्त करने से छूट दिये जाने का प्राविधान है ।

बरेली सम्भाग तथा सीतापुर और लखीमपुर खीरी उप-सम्भाग में 1987-88 के दौरान पंजीकृत किये गये 800 किलोग्राम से अधिक भार ढोने वाले 78 ट्रैक्टर-ट्रेलरों को अस्थायी परमिट प्राप्त करने के लिये नहीं कहा गया तथा बिना परमिट प्राप्त किये अथवा निर्धारित फीस प्रदान किये बिना चलाये जाने के लिये अनुमति दे दी गई यद्यपि अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे ट्रेलरों को परमिट प्राप्त करने से छूट नहीं थी । इस चूक के परिणाम स्वरूप कम से कम 74,100 रूपयों (चार महीनों के सीमित समय के लिये अस्थायी परमिटों के लिये वसूली योग्य फीस के आधार पर आगणित) की परमिट फीस वसूल किये जाने से रह गई ।

ये मामले विभाग को अक्तूबर 1988, नवम्बर 1988 एवं जनवरी 1989 में तथा शासन को जनवरी 1989 में प्रतिवेदित किये गये थे; नवम्बर 1989 में निर्गत हुए अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अप्रैल 1990)।

(ग) प्रशमन शुल्क का कम वसूल किया जाना

21 दिसम्बर 1982 को जारी की गयी सरकारी अधिसूचना के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम, 1939, की धारा 127-बी के अन्तर्गत, दण्डनीय अपराधों का प्रशमन, सरकार द्वारा नियत दरों पर प्रशमन शुल्क वसूल करने के बाद, प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है । बाद में 23 जनवरी 1985 को जारी की गयी सरकारी अधिसूचना में प्रशमन शुल्क की दरें पुनरीक्षित कर दी गयीं । दिनांक 17 अप्रैल 1985 के रेडियोग्राम में अपर परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने स्पष्ट कर दिया था कि जिन मामलों में मालिक तथा चालक दोनों ही अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अपराधी पाये जाते हैं वहां दोनों से ही प्रशमन शुल्क वसूली योग्य होता है ।

ऋषिकेश उप-सम्भाग में 17 वाहनों के सम्बन्ध में फरवरी 1985 से नवम्बर 1987 की अवधि के दौरान अपराधों का प्रशमन किया गया था । जबकि 14 मामलों में प्रशमन शुल्क पुराने दरों से वसूल किया गया था, तीन मामलों में अपराधों का वर्गीकरण भी गलत किया गया था । कम वसूल किये गये प्रशमन शुल्क की धनराशि 27,040 रूपये थी ।

लेखापरीक्षा (मई 1988) में इसके इंगित किये जाने पर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश ने बताया (मई 1988) कि उनके कार्यालय में ये आदेश 6 नवम्बर 1986 को ही प्राप्त हुए थे और इन मामलों में आवश्यक कार्यवाही अब की जायेगी । कृत

कार्यवाही अब की जायेगी । कृत कार्यवाही की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अप्रैल 1990) ।

यह मामला शासन को मई 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में जारी किये गये अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1990)।

4.5. यात्री-कर का अवनिर्धारण

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत, किसी विशिष्ट मार्ग पर चलने वाले प्रक्रम वाहन के सम्बन्ध में देय एक मुश्त यात्री-कर, अन्य बातों के साथ-साथ एक-तरफा फेरों की स्वीकृत संख्या अथवा प्रक्रम वाहन द्वारा प्रत्याशित संख्या और पूरे सीटों की क्षमता के लिये सम्पूर्ण मार्ग के सम्बन्ध में सामान्यत: देय कुल किराया तथा खड़े रहने की क्षमता, यदि कोई स्वीकृत की गई हो, तो उसके 50 प्रतिशत पर निर्भर करता है । फेरों, किराया इत्यादि में किये गये किसी भी परिवर्तन से जिससे चालक की प्राप्तियों में बढ़ोत्तरी होती हो, ऐसे परिवर्तन की तिथि से अनुबन्ध रद्द हो जाता है और उसके बाद असमाप्त अवधि के संबंध में एक नया एक मुश्त अनुबन्ध सम्पादित किया जाना अपेक्षित होता है । नियमत: तदर्थ आधार पर कर के भुगतान की अनुमति नहीं है ।

(क) गलत किराये का अपनाया जाना

(1) झाँसी सम्भाग में प्रवर्तन दल के एक अधिकारी ने

जनवरी 1987 में सूचित किया कि उरई-जगमानपुर वाया बांगरा और उरई-रामपुर वाया बांगरा इन दो मार्गों पर चालक क्रमशः 7.00 रूपये और 6.75 रूपया किराया चार्ज कर रहे थे । लेखापरीक्षा के दौरान (फरवरी 1988) यह जानकारी में आया कि उन मार्गों पर चलने वाले प्रक्रम वाहनों के संबंध में यात्री-कर के स्थान पर एक मुश्त भुगतान करने के अनुबन्ध का आगणन जनवरी 1987 के बाद भी क्रमशः 6.30 रूपया और 5.45 रूपयाकिराये पर किया गया जब कि प्रवर्तन दल द्वारा उंच्च दर से किराया चार्ज किये जाने की सूचना दी जा चुकी थी । यात्रियों से वसूल किये गये वास्तविक किराये के आधार पर उन मार्गों के प्रक्रम वाहनों पर यात्री-कर के स्थान पर एक मुश्त भुगतान हेतु अनुबन्ध के परिशोधित न किये जाने के परिणामस्वरूप जनवरी 1987 एवं फरवरी 1988 के बीच 2.25 लाख रूपयों के यात्री-कर की कम वसूली हुई ।

यह मामला विभाग को अप्रैल 1988 में एवं शासन को सितम्बर 1989 में प्रतिवेदित किया गया था, नवम्बर 1989 में जारी किये गये अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ii) फर्रुखाबाद उप-सम्भाग में, इन्दरगढ़-धार्थिक मार्ग पर आठ प्रक्रम वाहन परमिटें जून 1988 तक के लिये मान्य थीं और जून 1988 से आगे उनमें से पांच के संबंध में यात्री-कर तदर्थ आधार पर 1,000 रूपये प्रतिमाह प्रतिवाहन की दर से वसूल किया गया था । ये सभी आठ प्रक्रम वाहन मई 1985 से प्रतिवाहन प्रतिदिन दो एकल फेरों, 80 प्रतिशतभारकारकऔर 2.30 रूपया प्रति सीट के किराये के

आधार पर एक मुश्त यात्री-कर का भुगतान कर रहे थे । । मई 1987 से परिशोधित किराया 2.90 रूपये प्रति सीट हो गया था परन्तु परिशोधित किराये के आधार पर एक मुश्त यात्री कर का भुगतान नहीं किया गया था । पहली मई 1987 से परिशोधित किरायें के आधार पर एक मुश्त यात्री-कर (जो कि 66.81 रूपये प्रति सीट प्रति त्रैमासिक आगणित होता है) वसूल न किये जाने के फलस्वरूप आठ वाहनों के सम्बन्ध में पहली मई 1987 से 31 मई 1988 की अवधि के दौरान तथा 5 वाहनों के सम्बन्ध में पहली जून 1988 से 30 नवम्बर 1988 की अवधि के दौरान 60,358 रूपयों के राजस्व की हानि हुई ।

यह मामला विभाग को जनवरी 1989 में और शासन को मार्च 1989 में प्रतिवेदित किया गया था, जून 1989 में निर्गत हुए अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1990)।

(iii) फैजाबाद सम्भाग में, 15 दिसम्बर 1985 की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बलरामपुर-कोयलबासा मार्ग के लिये चालकों द्वारा वसूल किया गया कुल किराया 5.00 रूपये प्रति सीट था, और तदनुसार, शुद्ध किराया 4.20 रूपये प्रति सीट था । सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने, फिर भी उक्त मार्ग के लिये यात्री-कर के निर्धारण के लिये चालकों के साथ दिसम्बर 1985 से जुलाई 1986 तक के लिये एक मुश्त अनुबन्ध, 2.75 रूपये प्रति सीट शुद्ध किराये के आधार पर तथा अगस्त 1986 से आगे 3.90 रूपये प्रति सीट शुद्ध किराये के आधार पर, अन्तिम रूप दिया था । कम किरायों के आधार पर एक मुश्त अनुबन्धों को अन्तिम रूप दिये जाने के परिणाम स्वरूप 33 वाहनों के सम्बन्ध में

दिसम्बर 1985 से जुलाई 1986 की अवधि के दौरान तथा 4 वाहनों के सम्बन्ध में अगस्त 1986 से अप्रैल 1987 की अवधि के दौरान 70,138 रूपयों के यात्री-कर की कम वसूली हुई ।

लेखापरीक्षा (जून 1987) में इसके इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया (फरवरी 1989) कि 16 वाहनों के सम्बन्ध में 19,751 रूपयों की वसूली कर ली गई है । अवशेष वाहनों के लिये कृत कार्यवाही की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अप्रैल 1990) ।

यह मामला शासन को अप्रैल 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में निर्गत हुए अनुस्मारक के बावजूद उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990)।

(iv) फर्रूखाबाद उप-सम्भाग में, तीन मार्गों पर चलने वाले, नौ प्रक्रम वाहनों के यात्री-कर का निर्धारण (एक मुश्त अनुबन्धों पर) उत्तर प्रदेश शासन की दिनांक 20 सितम्बर 1983 की अधिसूचना द्वारा लागू किये गये किरायों की दरों के आधार पर किया गया था । यद्यपि किरायों की दरें पहली मई 1987 से परिशोधित कर दी गई, यात्री-कर पूर्व-परिशोधित किराये की दरों पर वसूल किया जाता रहा और नये एक मुश्त अनुबन्धों का निष्पादन नहीं किया गया । इस चूक के परिणामस्वरूप 1 मई 1987 से 31 दिसम्बर 1988 की अवधि के दौरान 39,572 रूपयों के यात्री-कर की कम वसूली हुई ।

यह मामला विभाग तथा शासन को फरवरी 1989 में प्रतिवेदित किया गया,' जुलाई 1989 में निर्गत हुए अनुस्मारक के बावज़ूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1990)।

(V) फैजाबाद सम्भाग में 1980 में दार्जीकुआँ-गौराचौकी मार्ग सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा गोण्डा तक बढ़ा दिया गया और दार्जीकुआँ-गौराचौकी के बीच चलने वाले 21 प्रक्रम वाहनों में से 19 की परमिटों पर मार्ग बढ़ाये जाने का पृष्ठांकन कर दिया गया। अप्रैल 1982 में, मार्ग पर चलने वाले प्रक्रम वाहनों की समय अनुसूची (टाइम शेड्यूल) प्रदान करते समय चालकों ने सूचित किया कि 21 प्रक्रम वाहन दार्जीकुआँ और गौराचौकी के बीच बारी-बारी से चल रहे थे। फिर भी विभाग द्वारा एक मुश्त आधार पर देय यात्री-कर की गणना सम्पूर्ण मार्ग "गोण्डा-दार्जीकुआँ-गौराचौकी" के बजाय "गोण्डा-दार्जीकुआँ" और "दार्जीकुआँ-गौराचौकी" के रूप में मार्ग को विभाजित करके की गयी। यात्री-कर की गलत गणना के परिणामस्वरूप 18 दिसम्बर 1985 से 17 जुलाई 1988 के दौरान 25,120 रूपयों के कर की वसूली कम की गई। यह भी जानकारी में आया कि उसी अवधि में कर की गलत गणना के परिणामस्वरूप 21 प्रक्रम वाहनों में से चार के सम्बन्ध में 22,906 रूपयों के यात्री-कर की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा (अगस्त 1988) में इसके इंगित किये जाने पर, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, फैजाबाद ने बताया (जनवरी 1989) कि 3,806 रूपयों की वसूली कर ली गई थी।

यह मामला अगस्त 1988 में विभाग को एवं अप्रैल 1989 में शासन को प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में निर्गत हुए अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1990)

(VI) बरेली सम्भाग में दिसम्बर 1985 की सर्वेक्षण रिपोर्ट

तथा चालक संघ द्वारा दी गई सूचना (अगस्त 1986) के अनुसार पीलीभीत–खटीमा और बदायूँ–बिसौली मार्गों पर किराया (करो सहित) क्रमशः 4.50 रूपये तथा 4.00 रूपयें था । फिर भी, दो मार्गों के लिये एक मुश्त अनुबन्ध क्रमशः शुद्ध किराया 3.75रूपये और 3.25रूपये के बजाय शुद्ध किराया 3.60 रूपये और 3.25 रूपये पर निष्पादित किया गया था । इस चूक के फलस्वरूप नवम्बर 1985 से अप्रैल 1987 की अवधि के दौरान 22,000 रूपयों के यात्री–कर की वसूली कम हुई ।

यह मामला विभाग को सितम्बर 1988 में तथा शासन को मार्च 1989 में प्रतिवेदित किया गया था, जून 1989 में निर्गत हुए अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1990)।

(ख) फेरों की न्यूनतर संख्या का अपनाया जाना

मोटर वाहन अधिनियम, 1939ए की धारा 48(3) के अनुसार, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण किसी मार्ग के सम्बन्ध में प्रतिदिन किये जाने वाले फेरों की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या की शर्त परमिट के साथ लगा सकता है । उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री–कर) अधिनियम, 1962 और उसके अधीन बनी नियमावली के अन्तर्गत किसी विशिष्ट मार्ग पर प्रक्रम वाहन के सम्बन्ध में देय यात्री–कर के एक मुश्त भुगतान करने हेतु अनुबन्ध, अन्य बातों के साथ–साथ, विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान मार्ग पर प्रक्रम वाहन द्वारा लगाये जाने वाले एक तरफा फेरों की स्वीकृत संख्या अथवा प्रत्याशित संख्या पर निर्भर करता है ।

फेरों की गलत संख्या के अपनाये जाने के कारण गाजियाबाद-नोएडा-दादरी मार्ग पर चलने वाले वाहनों से 30,258 रूपयों के यात्री-कर की कम वसूली किये जाने का लेखापरीक्षा में उल्लेख किये जाने पर उसकी वसूली कर ली गई । कुछ अन्य मामले जो लेखापरीक्षा में देखे गये, उनका वर्णन नीचे किया गया है:

(1) सहारनपुर उप-सम्भाग में, सहारनपुर-गंगोह-टिटारो-जलालाबाद मार्ग पर सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण ने जून 1985 में नये चालकों को पांच अतिरिक्त प्रक्रम वाहन परमिटें, इस शर्त के साथ जारी किया था कि प्रत्येक वाहन के लिये सम्पूर्ण मार्ग पर किये जाने वाले फेरों की संख्या में एक वापसी फेरे बढ़ा दिया जाय । नये चालकों को इस मार्ग पर पांच अतिरिक्त परमिटें स्वीकृत करने सम्बन्धी सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के आदेश के विरूद्ध मार्ग पर प्रक्रम वाहनों के वर्तमान चालकों ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया । मई 1989 में, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण ने सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), सहारनपुर को सूचित किया कि वर्तमान चालकों की याचिका को माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया तथा स्थगन आदेशों को निरस्त कर दिया है । अतः उन्होंने उप-सम्भागीय अधिकारी, सहारनपुर को तदनुसार मार्ग पर प्रक्रम वाहनों का चलना नियमित करने के लिये कहा । नये चालकों ने 17 मई 1988 से अपने वाहन चलाना प्रारम्भ किया परन्तु उप-सम्भागीय अधिकारी, सहारनपुर ने बिना फेरों की संख्या बढ़ाये (32 से 42) मार्ग पर चलने वाले प्रक्रम वाहनों पर यात्री-कर (एक मुश्त आधार पर) निर्धारित करना जारी रखा । सम्भागीय

परिवहन प्राधिकरण के आदेशों का क्रियान्वयन न किये जाने के फलस्वरूप 17 मई 1988 से 16 नवम्बर 1988 के दौरान 1.18 लाख रूपयों के यात्री-कर का अवनिर्धारण हुआ ।

यह मामला विभाग को दिसम्बर 1988 में तथा शासन को मई 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में निर्गत हुए अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1990)

(ii) वाराणसी सम्भाग में, दो मार्गों (वाराणसी-तारवा वाया मेंहनाजपुर और शाहगंज-(बिजेठना) पर सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा क्रमशः आठ प्रक्रम वाहन परमिटें बारह एक तरफा फेरे लगाने हेतु और चार प्रक्रम वाहन परमिटें आठ एकतरफा फेरे लगाने हेतु जारी किये गये । प्रत्येक मार्ग पर एक वाहन के अपरिचालित होने के कारण वाराणसी-तारवा मार्ग पर 15 नवम्बर 1985 से सात प्रक्रम वाहन और शाहगंज-बिजेठना मार्ग पर 1 नवम्बर 1985 से तीन प्रक्रम वाहन, बारी-बारी से चल रहे थे । क्योंकि समय सारणी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था, मार्ग पर वास्तविक रूप से चलने वाले शेष वाहनों को समय के अनुसार सेवा कायम रखने हेतु अतिरिक्त फेरे लगाने पड़े थे । फिर भी, सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने, मार्ग पर चलने वाले शेष प्रक्रम वाहनों द्वारा लगाये गये फेरों की बढ़ी हुई संख्या के आधार पर यात्री-कर के पुनर्निर्धारण की कोई कार्यवाही नहीं की गई यद्यपि अपरिचालित दो प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में यात्री-कर का कुछ भी भुगतान नहीं किया गया था । मार्ग पर चलने वाले शेष वाहनों द्वारा लगाये गये फेरों की बढ़ी हुई संख्या को ध्यान

में रखे बिना शेष वाहनों के सम्बन्ध में एक मुश्त आधार पर यात्री-कर का निर्धारण जारी रखने के परिणामस्वरूप नवम्बर 1985 से मई 1987 की अवधि में 64,881 रूपयों के यात्री-कर का कम आरोपण हुआ।

यह मामला विभाग को अप्रैल 1988 में तथा शासन को सितम्बर 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रापत नहीं हुए (अप्रैल 1990) है।

(iii) वाराणसी सम्भाग में, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), जौनपुर की सर्वेक्षण रिपोर्ट (जून 1986) के अनुसार, जनूनपुर-राम दयालगंज मार्ग पर 4 प्रक्रम वाहनों के चलने की अनुमति थी और वे मार्च 1986 से बारी-बारी प्रतिदिन 18 एक तरफा फेरे लगा रहे थे। तदनुसार, 90 दिनों में एक प्रक्रम वाहन द्वारा लगाये गये एक तरफा फेरों की संख्या 405 आगणित हुई। किन्तु, विभाग ने एक मुश्त अनुबन्ध के अन्तर्गत यात्री-कर के भुगतान की गणना के लिये प्रति बस फेरों की संख्या 270 परिगणित किया। इस गलती के फलस्वरूप मार्च 1986 से जुलाई 1988 की अवधि के दौरान 55,332 रूपयों के यात्री-कर की कम वसूली हुई।

यह मामला विभाग को अगस्त 1988 में एवं शासन को मार्च 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में निर्गत हुए अनुस्मारकों के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1990)।

(iv) उप-सम्भाग लखीमपुर-खीरी में, सम्भागीय परिवहन

प्राधिकरण द्वारा चार वाहनों के सम्बन्ध में जारी की गई (मई 1988) परमिटों की शर्तों के अनुसार, गोला-बिजनौर वाया अलीगंज मार्ग पर वाहनों द्वारा प्रतिदिन 14 एक-तरफा फेरे लगाये जाने थे । सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के अनुमोदन प्राप्त किये बिना, सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने 6 एक-तरफा फेरों (गोला-बिजनौर मार्ग पर 4 एक-तरफा फेरों तथा गोला-अलीगंज मार्ग पर 2 एक तरफा फेरों) के आधार पर एक मुश्त अनुबन्ध को अन्तिम रूप प्रदान कर दिया (मई 1988) ।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी के अनुमोदन प्राप्त किये बिना, सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा एक-तरफा फेरों को कम कर देना अनियमित था और फलतः मई 1988 से नवम्बर 1988 की अवधि के दौरान 44,226 रुपयों का यात्री-कर कम आरोपित हुआ ।

यह मामला विभाग एवं शासन को जनवरी 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; अक्तूबर 1989 में निर्गत किये गये अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1990)।

(V) मुरादाबाद सम्भाग में, ध्योती-शेरपुर-अमरोहा-हसनपुर वाया अटरासी मार्ग पर, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण ने दो प्रक्रम वाहनों के लिये प्रतिवाहन प्रतिदिन एक एक-तरफा फेरे सहित अस्थाई परमिटें स्वीकृत (अक्तूबर 1986) की थीं । तदनन्तर, 5 दिसम्बर 1986 को दो और प्रक्रम वाहनों के लिये अस्थाई परमिटें स्वीकृत की गई और सभी चार प्रक्रम वाहनों के लिये फेरों की संख्या आदेश की

तिथि से प्रतिदिन दो एक-तरफा फेरे निर्धारित की गई । तीन वाहनों के मामले में, एक मुश्त यात्री-कर 5 दिसम्बर 1986 के बाद भी एक एक-तरफा फेरे के आधार पर वसूल किया गया और शेष एक वाहन के लिये गलत गणना के कारण कर कम वसूल किया गया । इसमें नवम्बर 1986 से फरवरी 1987 की अवधि के दौरान 23,074 रूपये कर की कम वसूली हुई थी ।

लेखापरीक्षा (अप्रैल 1987) में इसके इंगित किये जाने पर एक वाहन से 3,239 रूपये की धनराशि वसूल कर ली गई और शेष की वसूली के लिये विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी थी।

यह मामला शासन को सितम्बर 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में निर्गत हुए अनुस्मारक के बावजूद उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990)।

(vi) मेरठ सम्भाग में, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण ने नवम्बर 1986 और नवम्बर 1987 के दौरान 4 दिनों की वैधता के साथ प्रक्रम वाहनों को 60 मेला परमिटें जारी की और परमिटों की वैधता अवधि के दौरान 10 वापसी फेरे लगाये जाने के लिये अधिकृत किया था । विभाग ने इन वाहनों के सम्बन्ध में कर के भुगतान के लिये एक मुश्त अनुबन्ध निष्पादित किये थे । यह देखा गया कि वास्तविक रूप से अधिकृत 10 वापसी फेरों के बजाय केवल 7 वापसी फेरों के आधार पर, कर निर्धारित एवं वसूल किया गया । अधिकृत फेरों से कम फेरों की संख्या पर यात्री-कर के निर्धारण के परिणामस्वरूप 14 नवम्बर 1986 से 17 नवम्बर 1986 की अवधि

अन्तर्गत सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित की गई थी । वसूल किये गये किराये की सत्यता, लगाये गये फेरों और वाहनों में दखल की गई सीटों का अनुपात सुनिश्चित करने के लिये विभाग द्वारा मार्ग का कोई सर्वेक्षण भी नहीं किया गया था । प्रतिदिन प्रति वाहन न्यूनतम एक एक-तरफा फेरे के आधार पर और दखल की गई सीटों का अनुपात 34 प्रतिशत मानते हुये, जिस आधार पर विभाग द्वारा कर निर्धारित किया जा रहा था, मई 1987 से मई 1988 की अवधि के दौरान 0.63 लाख रूपयों की राजस्व-हानि आगणित हुई ।

लेखापरीक्षा (मई 1988) में इसके इंगित किये जाने पर, सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने बताया (जून 1988) कि वाहनों के मालिक द्वारा मई 1988 से सही किराये पर कर का भुगतान किया जा रहा था तथं पूर्व के समय के लिये उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962, के प्रावधानों के अन्तर्गत कर निर्धारण के लिये मालिक को नोटिस जारी कर दी गई थी ।

4.6. अनुबन्धित वाहनों पर यात्री-कर का अवनिर्धारण

(क) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) नियमावली, 1962, के अन्तर्गत अनुबन्धित वाहन के सम्बन्ध में एकमुश्त अनुबन्ध के अधीन यात्री-कर का निर्धारण, अन्य बातों के साथ-साथ, देय किराये तथा एक महीने की अवधि में की जाने वाली यात्रा की प्रत्याशित दूरी पर निर्भर करता है । नियमों में यह भी व्यवस्था है कि अनुबन्धित वाहनों के सम्बन्ध में यात्री-कर आरोपण हेतु लिया जाने वाला किराया

और 3 नवम्बर 1987 से 6 नवम्बर 1987 की अवधि के दौरान यात्री-कर के 21,073 रूपये की कम वसूली हुई ।

यह मामला विभाग को जून 1988 में एवं शासन को मई 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में निर्गत हुए अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1990)।

(ग) वे-बिलों में गलत किराया प्रदर्शित किये जाने के कारण राजस्व की हानि

देहरादून सम्भाग में, हाईवे मोटर ट्रांसपोर्ट कम्पनी की 9 वाहनें देहरादून-चकराता-त्युनी मार्ग पर चल रहीं थीं और वे-बिल के आधार पर यात्री-कर का भुगतान कर रही थीं । जैसा कि कम्पनी के मालिक द्वारा सम्भागीय परिवहन अधिकारी को सूचित किया गया (मई 1987), शासन द्वारा मार्च 1987 में निर्धारित अधिकतम दर पर मार्ग का किराया 21 मई 1987 से बढ़ा दिया गया था । परन्तु चालकों द्वारा सम्भागीय परिवहन अधिकारी को प्रस्तुत किये गये वे-बिलों में कम्पनी के मालिक द्वारा सूचित किये गये किराये से कम किराया दिखाया गया था । सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने दिसम्बर 1987 तक गलत किराये पर जैसा कि वे-बिलों में दिखाया गया था, कर निधारित और वसूल किया । इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्भागीय परिवहन अधिकारी को न तो कोई समय उपलब्ध करायी गई थी और न ही कोई समय मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के प्रावधानों के

मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत निर्धारित अधिकतम किराये की दर के 75 प्रतिशत से कम नहीं होगा और एक महीने में की जाने वाली यात्रा की प्रत्याशित दूरी 4,000 किलोमीटर से कम नहीं ली जायेगी ।

(i) झाँसी सम्भाग में, ताप विद्युत गृह के स्वामित्व वाले दो वाहन (नवम्बर 1981 से) शहर से विद्युत गृह तक एवं वापस स्टाफ-सदस्यों एवं उनके बच्चों को ले जाने व ले आने के लिये चलाये गये थे । लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि वाहन अस्थाई परमिटों पर चल रहे थे और यात्री-कर कम से कम 4,000 किलोमीटर प्रतिमाह की दूरी के लिये देय था । इस आधार पर, यात्री-कर (बीमा अधिभार सहित) किराये के अधिकतम निर्धारित दर का 75 प्रतिशत प्रतिवाहन प्रतिमाह 1,692.60 रूपये आगणित होता था । फिर भी यात्री-कर (अतिरिक्त यात्री-कर और बीमा अधिभार सहित) केवल 1,076.30 रूपयेप्रति वाहन प्रतिमाह की दर से वसूल किया गया था । इस प्रकार 5 नवम्बर 1981 से 5 दिसम्बर 1988 की अवधि के दौरान दो वाहनों के सम्बन्ध में 1.05 लाख रूपयों के यात्री-कर का अवनिर्धारण हुआ ।

यह मामला विभाग को फरवरी 1989 तथा शासन को मई 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; अक्तूबर 1989 में निर्गत हुए अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1990)।

(ii) मथुरा उप-सम्भाग में, दो चालकों के दो वाहन मथुरा तेल शोध शाला के साथ, 15 जून 1983 से स्टाफ सदस्यों को

शोधशाला कालोनी से फैक्ट्री साइट तक ले जाने तथा वापस ले जाने के लिये अनुबन्धित थे । अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार, एक मुश्त अनुबन्ध में 3.36 रूपये प्रति किलोमीटर किराया और 75 प्रतिशत भार कारक के साथ यात्रा की जाने वाली कुल मासिक दूरी 4,000 किलोमीटर लिये जाने का प्रावधान था । चूँकि अनुबन्धित वाहनों के मामलों में प्रभारित किये जाने वाला किराया ढोये गये यात्रियों की संख्या पर निर्भर नहीं करता इसलिये उक्त एक मुश्त अनुबन्ध में 75 प्रतिशत भार कारक हेतु किया गया प्रावधान अनियमित था । शत प्रतिशत के बजाय 75 प्रतिशत भार-कारक का प्रावधान कर के गलत एक मुश्त अनुबन्ध किये जाने के फलस्वरूप 15 जून 1983 से 30 जून 1988 के दौरान 69,265 रूपयों के यात्री-कर की वसूली कम हुई ।

यह मामला विभाग को नवम्बर 1988 में तथा शासन को जनवरी 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में निर्गत हुए अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1990)।

(ख) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत, किराये के 16 प्रतिशत के बराबर दर से कर तथा दुर्घटना की दशा में यात्रियों को सहायता देने के उद्देश्य से 5 प्रतिशत की दर प्राधिभार और प्रत्येक यात्रा के लिये एक प्रक्रम वाहन द्वारा ढोये गये प्रत्येक यात्री द्वारा देय यात्री-कर पर अतिरिक्त यात्री-कर आरोपित किया जायेगा और राज्य सरकार को भुगतान किया जायेगा । इस उद्देश्य के लिये, अनुबन्धित वाहन के किराये के रूप में देय अनुबन्धित धनराशि, मोटर वाहन अधिनियम

1939 के प्रावधानों के अन्तर्गत "किराया" मानी जाती है ।

मथुरा उप-सम्भाग में केन्द्र सरकार के एक उपक्रम-मथुरा शोधशाला, द्वारा, स्टाफ-सदस्यों को फैक्ट्री से मथुरा शहर ले जाने के लिये एक निश्चित धनराशि के भुगतान पर, 12 गाडियाँ अनुबन्धित की गई थीं । उपरोक्त मामले में यात्री-कर अनुबन्धित धनराशि के 16/180 के बजाय 16/116 अंश पर (यह मानते हुए कि अनुबन्ध धनराशि में यात्री-कर का अंश सम्मिलित था यद्यपि कि ऐसा नहीं था) आगणित किया गया और इसके परिणामस्वरूप 6 अप्रैल 1982 से 31 अक्तूबर 1987 की अवधि से सम्बन्धित यात्री-कर और बीमा अधिभार का क्रमशः 89,190 रूपये और 4,412 रूपये का अवनिर्धारण हुआ ।

यह मामला विभाग को नवम्बर 1988 में और शासन को अप्रैल 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में निर्गत अनुस्मारकों के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1990)।

4.7. सरकारी कम्पनियों/निगमों के स्वामित्व वाले वाहनों के सम्बन्ध में करों का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान नियमावली, 1935 तथा उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत सरकारी विभाग के स्वामित्व वाले तथा केवल उनके द्वारा अथवा उनकी ओर से प्रयुक्त मोटर वाहन, मार्ग-कर तथा माल-कर के भुगतान से मुक्त है । जबकि यह छूट सरकारी कम्पनियों/निगमों के

स्वामित्व वाले वाहनों को अनुमन्य नहीं है । इसके अतिरिक्त यदि किसी कारण से अधिनियम के अन्तर्गत आरोप्य माल-कर अथवा उसके किसी भाग का कर-निर्धारण किया जाना रहा जाता है तो कर अधिकारी, उस महीने के व्यतीत होने से तीन वर्षों के अन्दर, किसी समय नोटिस जारी करने के उपरान्त, ऐसी जांच पड़ताल करने के बाद जैसा कि वह अधिकारी आवश्यक समझे, छूटे हुये कर-निर्धारण के सम्बन्ध में, कर निर्धारित कर सकता है ।

आगरा सम्भाग और उप-सम्भाग हरदोई में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के तीन वाहनों और आगरा सम्भाग में जल निगम के एक वाहन के सम्बन्ध में, अप्रैल 1975 और नवम्बर 1988 के बीच विभिन्न अवधि के लिये मार्ग-कर और माल-कर हेतु क्रमश: 1.17 लाख और 1.02 लाख रूपये निर्धारित /अथवा वसूल नहीं किये गये थे ।

लेखापरीक्षा (जून 1988 और नवम्बर 1988) में इसके इंगित किये जाने पर, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा और सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हरदोई ने बताया कि वसूली के लिये माँग नोटिसें जारी की जायेगी यद्यपि माल-कर का निर्धारण सम्बन्धित माह के व्यतीत होने से केवल तीन वर्षों के अन्दर ही किया जा सकता है ।

यह मामला शासन को अप्रैल 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; जुलाई 1989 में जारी किये गये अनुस्मारक के बावजूद उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990)।

4.8. न्यूनतर भार कारक और किराये पर एक मुश्त अनुबन्ध के निष्पादन से यात्री-कर का कम आरोप ।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) नियमावली, 1962 के अन्तर्गत, प्रक्रम वाहनों के मामले में एक मुश्त अनुबन्ध के अन्तर्गत यात्री-कर का निर्धारण, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी विशिष्ट मार्ग के लिये सामान्यतः देय किराया और भार कारक पर निर्भर करता है ।

सम्भागीय परिवहन कार्यालय, बरेली में, बदायूँ-दातागंज-सहसवाँ-बिल्सी मार्ग पर चलने वाले 37 प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में यात्री-कर के भुगतान के लिये एक एक-मुश्त अनुबन्ध को, बदायूँ-सहसवाँ और बदायूँ-बिल्सी के आंशिक मार्गों पर नवम्बर 1984 में लिये जा रहे 75 प्रतिशत भार कारक और क्रमशः 3.30 रुपये और 2.85 रुपये प्रति यात्री द्वारा देय किराये के आधार पर अन्तिम रूप दिया था । जबकि बदायूँ-बिल्सी-सहसवाँ-गवाँ मार्ग पर चलने वाले 22 अन्य वाहनों के सम्बन्ध में, एक मुश्त यात्री-कर का, अक्तूबर 1982 से मार्ग के उपरोक्त उभयनिष्ठ हिस्सों (बदायूँ-सहसवाँ और बदायूँ-बिल्सी) के लिये क्रमशः 81 प्रतिशत और 90 प्रतिशत भार कारक तथा 3.30 रुपये और 3.10 रुपये प्रति यात्री किराये के आधार पर, भुगतान किया जा रहा था । बदायूँ-दातागंज-सहसवाँ-बिल्सी मार्ग पर चलने वाले 37 वाहनों के सम्बन्ध में, उन्हीं आंशिक मार्गों (बदायूँ-सहसवाँ और बदायूँ-बिल्सी) के लिये न्यूनतर भार कारक और किराये के आधार पर एक मुश्त अनुबन्ध को अन्तिम रूप दिये जाने के परिणामस्वरूप नवम्बर

1984 से मार्च 1987 की अवधि के दौरान 36,715 रूपयों के यात्री-कर का कम आरोपण हुआ ।

लेखापरीक्षा (मई 1987) में इसके इंगित किये जाने पर, सम्भागीय परिवहन अधिकारी बरेली ने कर के अन्तर की वसूली के लिये कार्यवाही प्रारम्भ कर दिया था (जनवरी 1989) । उसके बाद की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 1989) ।

शासन ने, जिसको मामला जून 1987 में प्रतिवेदित किया गया था; विभाग के उत्तर की पुष्टि की है (अप्रैल 1990) ।

4.9. माल-कर और मार्ग-कर का निर्धारण न किया जाना

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) अधिनियम, 1964 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत किसी माल वाहन के परिचालक द्वारा नियत दरों पर माल-कर और मार्ग-कर का भुगतान किया जाना अपेक्षित है । मालिक द्वारा कर का भुगतान अग्रिम रूप से प्रत्येक वर्ष में जनवरी के 15वें दिन तक कर जमा किया जाना होता है । 1964 के अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत यदि किसी कारणवश किसी माह के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अन्तर्गत आरोप्य कर अथवा उसका कोई भाग कर-निर्धारण से छूट गया है तो कर अधिकारी, उस माह के बीतने से तीन वर्षों के अन्दर किसी समय इस प्रकार छूट गया कर-निर्धारण निर्धारित कर सकता है ।

(क) मिर्जापुर उप-सम्भाग में ग्यारह माल वाहनों के सम्बन्ध

में जनवरी 1984 और दिसम्बर 1988 के बीच विभिन्न अवधियों के लिये माल-कर और मार्ग-कर निर्धारित एवं वसूल नहीं किये गये थे। उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) नियमावली, 1964 के नियम 5 के अन्तर्गत एक मुश्त आधार पर आगणित न वसूल किये गये कर की धनराशि 3.08 लाख रूपये थी। जनवरी 1986 से पूर्व अवधि के लिये माल-कर का निर्धारण कालातीत हो गया और विभाग की निष्क्रियता के कारण 18,731 रूपये अप्राप्य हो गये।

दिसम्बर 1988 में लेखापरीक्षा में इसे इंगित किया गया था। विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990)।

यह मामला शासन को मई 1989 में प्रतिवेदित किया गया था, जून 1989 में दिये गये अनुस्मारक के बावजूद उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990)।

(ख) उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत किसी भी वाहन का प्रयोग किसी सार्वजनिक स्थान में तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके स्वामी ने अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपयुक्त दर पर मार्ग-कर का भुगतान न कर दिया हो। उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) अधिनियम 1964 के अन्तर्गत, राज्य में सड़क द्वारा ले जाये गये समस्त माल पर माल-कर आरोपित और राज्य सरकार को भुगतान किया जाना है। लोक लेखा समिति (1985-86) ने अपनी पाँचवीं रिपोर्ट (पैरा 173) में सिफारिश किया था कि कोई कर लगाये जाने से रह न जाय इसके लिये इन दोनों करों का निर्धारण एक ही स्थान पर किये जाने की व्यवस्था

करनी चाहिए । लोक लेखा समिति की इस सिफारिश पर अभी तक अमल नहीं किया गया है ।

रायबरेली उप-सम्भाग में, दो माल परिवहन वाहनों के मामलों में अक्तूबर 1986 से जून 1988 की अवधि के लिये मार्ग-कर वसूल नहीं किया गया यद्यपि माल-कर वसूल किया गया था । दूसरी तरफ, इटावा, रायबरेली, बाँदा और बहराइच उप-सम्भागों में, 15 माल परिवहन वाहनों के मामलों में फरवरी 1985 से अगस्त 1988 के लिये और लखनऊ सम्भाग में एक माल परिवहन वाहन के मामले में जनवरी 1983 से दिसम्बर 1987 के लिये मार्ग-कर वसूल किया गया था जबकि माल-कर निर्धारित एवं वसूल नहीं किया गया । माल-कर और मार्ग-कर का प्रबन्ध करने वाले सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के सम्बन्धित कार्यालय के दो अनुभागों के बीच तालमेल के अभाव में 87,820 रूपयों के राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

लेखापरीक्षा (फरवरी - नवम्बर 1988) में इसके इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया कि मार्ग और माल करों की वसूली हेतु, जो इन मामलों में निर्धारण से छूट गयी थी, माँग नोटिसें जारी की जायेंगी । कृत कार्यवाही की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अप्रैल 1990) ।

यह मामला शासन को जनवरी 1989 में प्रतिवेदित किया गया था, जून 1989 में निर्गत अनुस्मारक के बावजूद उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । (अप्रैल 1990) ।

(ग) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) अधिनियम, 1964 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत किसी माल वाहन के परिचालक द्वारा नियत दरों पर माल-कर का भुगतान किया जाना अपेक्षित है । माल-कर अधिकारी को माल-कर के स्थान पर नियत दरों (वाहन के माल वहन करने की प्राधिकृत क्षमता पर आधारित) पर एक मुश्त भगतान स्वीकार करने का अधिकार है । निर्धारित समय के भीतर माल-कर का भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में वाहन स्वामी, कर के अतिरिक्त उसके द्वारा देय कर की धनराशि के 25 प्रतिशत से अनधिक तक अर्थदण्ड के भुगतान का दायी है ।

14 माल वाहनों के मामलों में (पौड़ी सम्भाग: 3, रायबरेली उप-सम्भाग: 8 और लखीमपुर खीरी उप-सम्भाग: 3) जुलाई 1985 और सितम्बर 1987 के बीच विभिन्न अवधियों के लिये माल-कर या तो निर्धारित नहीं किया गया या कम निर्धारित हुआ । वसूल न किये गये कर की धनराशि (एक मुश्त दरों पर आगणित) 56,382 रूपये थी । इसके अतिरिक्त परिचालकों से देय कर की धनराशियों के 25 प्रतिशत से अनधिक तक अर्थदण्ड भी वसूली योग्य था।

लेखापरीक्षा (मई 1987 - अगस्त 1987) में इसके इंगित किये जाने पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी और उप-सम्भागीय परिवहन अधिकारी रायबरेली और खीरी ने भूल स्वीकार किया । कृत कार्यवाही की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अप्रैल 1990)

ये मामले शासन को जुलाई 1987 तथा सितम्बर 1987 के बीच और पुनः मई 1989 में प्रतिवेदित किये गये थे, नवम्बर

1989 में जारी किये गये अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1990)।

(घ) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत, किसी प्रक्रम वाहन द्वारा देय मार्ग-कर, अन्य बातों के साथ-साथ, मार्ग की श्रेणी, अर्थात् स्पेशल श्रेणी, "ए" श्रेणी, "बी" श्रेणी अथवा "सी" श्रेणी जिस पर वाहन चलता है, उस पर निर्भर करता है । स्पेशल श्रेणी के मार्ग पर चलने वाले वाहनों पर की उच्चतम दर लागू होती है, ए, बी तथा सी श्रेणी के मार्गों की दरें अपेक्षाकृत निम्नतर हैं । यदि कोई प्रक्रम वाहन विभिन्न श्रेणियों में पड़ने वाले मार्ग से होकर जाता है, तो वह सम्पूर्ण मार्ग के लिये उच्चतम श्रेणी के मार्ग हेतु लागू दर पर मार्ग-कर के भुगतान का दायी होता है।

मिर्जापुर उप-सम्भाग में, आठ प्रक्रम वाहन अहरौरा-पुन्नूगंज वाया हिन्दुआरी, अहरौरा-राबर्ट्सगंज वाया हिन्दुआरी, अहरौरा-शाहगंज वाया हिन्दुआरी तथा अहरौरा-हिन्दुआरी मार्गों पर चल रही थीं । अहरौरा-हिन्दुआरी मार्ग, जो समस्त मार्गों में उभयनिष्ठ था, स्पेशल श्रेणी के रूप में वर्गीकृत था और शेष मार्ग ए श्रेणी के वर्ग में आते थे । अतएव् इन मार्गों पर वाहन चलाने के लिये परिचालकों को स्पेशल श्रेणी मार्ग पर लागू दर से कर का भुगतान करना था परन्तु जैसा कि "ए" श्रेणी के मार्ग पर लागू था विभाग निम्नतर दर पर कर वसूल करता रहा । इस भूल के परिणास्वरूप जनवरी 1985 से दिसम्बर 1988 की अवधि के दौरान 26,996 रूपयों के मार्ग-कर की वसूली कम हुई ।

यह मामला विभाग को दिसम्बर 1988 में तथा शासन को मार्च 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; जून 1989 में जारी किये गये अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1990)।

अध्याय 5

स्टाम्प एवं पंजीकरण

5.1. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1988-89 की अवधि के बीच सम्पन्न आडिट में जिला निबन्धकों तथा उप निबन्धकों के लेखे तथा सम्बद्ध अभिलेखों के जांच परीक्षण में 180 में स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस के 22.33 लाख रूपये कम लगाये जाने का पता लगा, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित मदों में आते हैं:

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रूपयों में)
1. सम्पत्तियों के कम मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का कम लगाया जाना	146	18.25
2. प्रलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण कम स्टाम्प शुल्क का लगाया जाना	19	2.42
3. अन्य मामले	15	1.66
योग	180	22.33

वर्ष 1988-89 तथा विगत वर्षों में पाये गए कुछ महत्वपूर्ण मामले आगामी प्रस्तरों में दिये गये हैं ।

5.2. भूमि के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने हेतु यथा संशोधित, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत किसी हस्तांतरण विलेख के विषयवस्तु वाली किसी सम्पत्ति की बाजारू कीमत अथवा उसे विलेख में दिखायी गयी प्रतिफल की राशि इनमें से जो भी अधिक हो, उसके आधार पर स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है । उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली 1942 के अनुसार जिले के पंजीकरण अधिकारी के मार्गदर्शन हेतु संबंधित जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न वर्गों की जिला में स्थित भूमि की द्विवार्षिक बाजारू कीमत निश्चित तथा अधिसूचित की जाती है ।

(क) साहिबाबाद (जिला गाजियाबाद) में भूमि के विक्रय (7466 वर्ग गज) से संबन्धित एक विलेख का निबंधन जून 1984 में किया गया था । जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दरों पर की गयी गणना के आधार पर भूमि का मूल्यांकन 26.88 लाख रूपये आता था परन्तु निबन्धन अधिकारी द्वारा भूमि का मूल्य 14.25 लाख रूपये अपनाया गया । सम्पत्ति के 12.63 लाख रूपये कम मूल्यांकन के फलस्वरूप 1.33 लाख रूपये के स्टाम्प शुल्क का कम कराधान हुआ ।

लेखापरीक्षा (अप्रैल 1985) में इंगित किए जाने पर जिला निबंधक ने बताया (फरवरी 1988) कि 1.35 लाख रूपये का अतिरिक्त शुल्क तथा साथ-साथ इतनी ही धनराशि का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है ।

यह मामला सरकार को जून 1986 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(ख) नवाबगंज (जिला बाराबंकी) तथा महमूदाबाद (जिला सीतापुर) में नवम्बर 1982 से अगस्त 1983 के बीच पंजीकृत किये गये 39 हस्तान्तरण विलेखों के संबंध में (कुल भूखण्डों को मिला कर 68,323 वर्ग फुट) भू-खण्डों का मूल्यांकन जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दरों से कम दरों पर किया गया था । भूखण्डों के अवमूल्यांकन के फलस्वरूप स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क का क्रमशः 40,635 रूपये तथा 1,049 रूपये कम का कराधान हुआ ।

लेखापरीक्षा (मई 1983 एवं फरवरी 1984) में इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (मई 1989 एवं फरवरी 1989) कि जिलाधिकारी ने अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क 30,978 रूपये तथा पंजीकरण शुल्क 2,147 रूपये आरोपित कर दिया है । इसके अतिरिक्त 12,069 रूपये अर्थदण्ड के रूप में आरोपित किया गया, इस धनराशि में से 19,353 रूपये वसूल किये जा चुके हैं ।

यह मामला सरकार को मार्च 1989 तथा जून 1989 में प्रतिवेदित किया गया था ।

5.3. संशोधित दरों पर स्टाम्प शुल्क आरोपित न किया जाना

उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने हेतु यथा संशोधित, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अंतर्गत किसी हस्तान्तरण विलेख

के विषयवस्तु वाली किसी सम्पत्ति की बाजारू कीमत अथवा उस विलेख में दिखाये गये प्रतिफल की राशि इनमें से जो भी अधिक हो, उसके आधार पर स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है । सरकार ने एक अध्यादेश, सं० 6 वर्ष 1988, जारी करके स्टाम्प अधिनियम के शिड्यूल 1-बी के अंतर्गत हस्तांतरण विलेख (अनुच्छेद 23) के लिये स्टाम्प शुल्क की दरें 24 जून 1988 से संशोधित कर दी थीं ।

बाँसी (जिला बस्ती), देवरिया तथा पट्टी (जिला प्रतापगढ़) में 24 जून 1988 तथा 5 जुलाई 1988 के बीच पंजीकृत किए गए 160 हस्तांतरण विलेखों में स्टाम्प शुल्क पूर्व संशोधित दरों पर आरोपित किया गया, जिसके फलस्वरूप 60,726 रुपये का कम स्टाम्प शुल्क आरोपित हुआ ।

मामले की सूचना विभाग को अगस्त 1988 एवं अक्तूबर 1988 के बीच तथा सरकार को मार्च 1989 में दी गई; नवम्बर 1989 में अनुस्मारक दिए जाने के बावजूद उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990)।

5.4. मामले के निस्तारण में जिलाधिकारी द्वारा असाधारण विलम्ब

उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने हेतु यथा संशोधित, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अंतर्गत किसी विलेख पर प्रभार्य सही स्टाम्प शुल्क उस विलेख की विषय वस्तु के आधार पर निर्धारित किया जाना होता है न कि निष्पादनकर्ता द्वारा दिए गये शीर्षक पर

अंतरण (कन्वेएन्स) के अंतर्गत विक्रय के माध्यम से किया गया अंतरण, जिससे संपत्ति का हस्तान्तरण किया गया हो, चाहे वह चल संपत्ति हो अथवा अचल संपत्ति, सम्मिलित है ।

उप निबंधक कानपुर के कार्यालय में पाया गया (नवम्बर 1982) कि एक विलेख, जिसके द्वारा "क" ने "ख" को 17 बीघा 3 बिस्वा 16 विस्वांसी का एक भूखण्ड 1666 रूपये मासिक किराये पर 10 वर्षों के लिए दिया था, उसका पंजीकरण "पट्टा" के रूप में किया गया (अक्तूबर 1982) । विलेख पर केवल 3150 रूपये का स्टाम्प शुल्क आरोपित एवं अदा किया गया । चूंकि विलेख में ईंट बनाने के उद्देश्य से भूमि से मिट्टी निकालने का अधिकार दिया गया था, और यह भूमि की मिट्टी पर अधिकार का हस्तान्तरण था, अत: इस पर स्टाम्प शुल्क के लिए "हस्तान्तरण" पर देय शुल्क प्रभार्य था । तद्नुसार कथित विलेख के 2 लाख रूपये मूल्यांकन पर 17,000 रूपये का स्टाम्प शुल्क आरोपणीय था । विलेख के गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप 13,850 रूपये का कम स्टाम्प शुल्क वसूल किया गया ।

लेखापरीक्षा (दिसम्बर 1982) में इंगित किए जाने पर सरकार ने जून 1983 में तथा सितम्बर 1983 में अनुवर्ती अनुस्मारक द्वारा जिलाधिकारी कानपुर को मामले में कार्यवाही सुनिश्चित करने का आदेश किया । यद्यपि नियमों में ऐसा प्रावधान है कि जाँच कार्य यथा संभव, तीन महीने में पूरा कर लिया जाना चाहिए, जिलाधिकारी कानपुर ने मामले के निस्तारण (30 मार्च 1989) में 5 वर्ष से भी अधिक समय लगा दिया । जिलाधिकारी ने मई 1989 में सूचित किया कि स्टाम्प

शुल्क तथा अर्थदण्ड को मिलाकर 21,000 रूपये (शुल्क 13,850 रूपये तथा अर्थदण्ड 7,150 रूपये) आरोपित कर दिया गया है ।

अध्याय 6

भू-राजस्व

6.1. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1988-89 के दौरान लेखापरीक्षा में किये गये राजस्व विभाग के कार्यालयों के लेखो तथा सम्बद्ध अभिलेखों के जाँच-परीक्षण से 282 मामलों में 56.09 लाख रूपयों के भू-राजस्व का न लगाया जाना/कम लगाया जाना तथा संग्रह प्रभारों की कम वसूली, आदि का पता चला, जो मोटे तौर से निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रूपयों में)
1. भू-राजस्व न लगया जाना अथवा कम लगाया जाना तथा भूमि विकास कर की वसूली न करना	108	35.91
2. संग्रह प्रभारों की कम वसूली	89	12.86
3. अन्य मामले	85	7.32
योग	**282**	**56.09**

वर्ष 1988-89 तथा पूर्व वर्षों के दौरान प्रकाश में आये कुछ महत्वपूर्ण मामले अनुवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित किये गये हैं ।

6.2. संग्रह प्रभारों की वसूली न करना

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धन (देयों की वसूली)

अधिनियम, 1972 के अनुसार राजस्व अधिकारी किसी निगम या बैंकिंग कम्पनी से वसूली प्रमाण-पत्र के प्राप्त होने पर, उसमें उल्लिखित धनराशि के साथ ही वसूली की कार्यवाही पर होने वाले व्यय (संग्रह प्रभारों) की वसूली भू-राजस्व के बकायों के रूप में करेंगे । राजस्व अधिकारियों द्वारा वसूल किये गये देयों के 10 प्रतिशत की दर से संग्रह प्रभार वसूल किये जाने होते हैं ।

वर्ष 1986-87 से 1988-89 तक के दौरान 16 जनपदों की 21 तहसीलों में वसूली प्रमाण-पत्र जारी हो. के उपरान्त वसूल किये गये देयों के सम्बन्ध में 6.10 लाख रूपयों के संग्रह प्रभार, जिनका विवरण निम्नवत् है, वसूल नहीं किये गये :

	वसूल किये गये देयों का स्वरूप	वसूल न की गई संग्रह प्रभार की धनराशि (लाख रूपयों में)
1.	बैंक ऋण की अदायगी (18 तहसीलें)	2.81
2.	कर्मचारी राज्य वीमा निगम को नियोक्ता का अंशदान (2 तहसीलें)	2.45
3.	अन्य (9 तहसीलें)	0.84
	योग	**6.10**

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (अप्रैल 1986 और दिसम्बर 1988 के मध्य), सम्बन्धित तहसीलदारों ने बताया कि संग्रह

प्रभारों की वसूली के लिये कार्यवाही की जा रही थी । अग्रेतर सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अप्रैल 1990) ।

उपरोक्त मामले शासन को जुलाई 1989 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990) ।

6.3. अनधिकृत दखीलकारों से भूमि के लगान का निर्धारण अथवा वसूल न किया जाना

1956-65 के दौरान उत्तराखण्ड एवं कुमायूँ परिक्षेत्रों में किये गये बन्दोबस्त के समय कुछ जमींदार गलती से सिरतान अर्थात् सरकारी भूमि के अनधिकृत दखीलकार के रूप में अभिलेखित हो गये थे । फलस्वरूप किसी समय वर्ष 1960 में उस क्षेत्र में जमींदारी उन्मूलन के बाद ये जमींदार भूमिधरी अधिकारों से वंचित हो गये तथा ऐसी भूमि के सम्बन्ध में भू-राजस्व के लिये माँग निर्धारित एवं आरोपित नहीं की गयी । जून 1976 में तहसीलदार, रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा की लेखापरीक्षा के दौरान ऐसी कृषि सम्बन्धी भूमि का 1363 फसली (जुलाई 1975 से जून 1976) से अनधिकृत कब्जा प्रकाश में आया । जब इसे इंगित किया गया, तो जून 1978 में शासन ने कहा कि यह समस्या अब उनकी जानकारी में आयी है और शीघ्र ही कोई निर्णय ले लिया जायेगा । लगभग 9 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त शासन द्वारा मार्च 1985 में यह निर्णय लिया गया कि शासकीय अनुदान अधिनियम, 1895 के अन्तर्गत प्रत्येक मामले में 12.5 एकड़ की अधिकतम सीमा तक के ऐसे काश्तकारों (लैण्ड होल्डर्स) को पट्टे दे दिये

जायं । अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शर्त थी कि 1960 के अधिनियम की गढ़वाल और चमोली के जनपदों में प्रभावी होने की तिथि अर्थात् 19 जून 1965 तक तथा अल्मोडा, पिथौरागढ़ और नैनीताल के जनपदों में प्रभावी होने की तिथि अर्थात् 30 जून, 1966 तक प्रचलित ग्राम दर की ो गुनी दर से आकलित धनराशि और 1 जुलाई, 1976 से भू-राजस्व (मालगुजारी) की संशोधित दर से आगणित धनराशि सरकार को भूमि के लगान के रूप में देय होगी।

मार्च 1985 में शासन के इस निर्णय के बावजूद अनधिकृत दखीलकारों के सम्बन्ध में भूमि के लगान का निर्धारण न किये जाने और वसूल न किये जाने के मामले, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, लेखापरीक्षा (मई 1986 और जून 1988 के मध्य) में देखने में आये:

तहसील	लेखापरीक्षा का माह और वर्ष	संक्षिप्त आपत्ति		अनिर्धारित/वसूल न किया गया भूमि का लगान (लाख रूपयों में)	विभाग/शासन के उत्तर
		अनधिकृत कब्जे के अन्तर्गत क्षेत्र (एकड़)	अवधि		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डीडीहाट (जनपद पिथौरागढ़)	मई 1986	762	जुलाई 1966 से जून 1986 तक	0.51	तहसीलदार ने बताया (दिसम्बर 1987) कि भूमि का लगान निर्धारित कर दिया गया था परन्तु बकायों की वसूली पट्टा विलेख प्रारूप और राजस्व परिषद के आदेशों के अभाव में नहीं हो पाई थी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
थराली (जनपद चमोली)	मई 1986	258	जुलाई 1965 से जून 1986 तक	0.11	जिला अधिकारी, चमोली ने सूचित किया (मई 1987) कि मामला शासन एवं राजस्व परिषद् के साथ पत्र व्यवहार के अन्तर्गत था।
सदर (जनपद पिथौरागढ़)	जून 1988	3239.91	जुलाई 1966 से	2.37	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ ने सूचित किया (मई 1987) कि 0.20 लाख रूपयों की वसूली अब तक की जा चुकी थी
धारचुला (जनपद पिथौरागढ़)	जून 1988	500.05	जुलाई 1968 से जुलाई 1985 तक	0.21	शासन ने बताया (मार्च 1989) कि अब तक 0.11 लाख रूपयों की वसूली की जा चुकी थी।

प्रथम तीन मामले शासन की जानकारी में जुलाई 1986 और फरवरी 1989 के मध्य लाये गये थे, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1990)।

6.4. मत्स्य आखेट के अधिकार प्रदान किये जाने में अनियमितताएँ

उत्तर प्रदेश गाँव सभा और भूमि प्रबन्धक समिति मैन्युअल के पैरा 62 के अनुसार, मत्स्य आखेट के अधिकार के पट्टे

एक वर्ष से अनधिक समय के लिये, नीलामी के आधार पर, उच्चतम् बोली बोलने वाले (वालों) को इस शर्त पर दिये जाते हैं कि पट्टे की धनराशि का एक-चौथाई भाग बोली स्वीकृत किये जाने पर तुरन्त अदा करना होगा और शेष तीन-चौथाई भाग का भुगतान तीन समान त्रैमासिक किस्तों में करना होगा। किस्तों के भुगतान में चूक होने की दशा में पट्टा रद्द कर दिये जाने योग्य हो जायेगा और मत्स्य आखेट के अधिकारों की पुनः नीलामी की जायेगी। जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है विहित प्रक्रिया का पालन न करने, एवं प्रतिकारात्मक (रेमेडियल) उपाय करने में विभाग के स्तर पर विलम्ब के कारण शासन को कम से कम 56,067 रूपयों, के राजस्व से वंचित होना पड़ा:

(क) देवबन्द तहसील (जनपद सहारनपुर) में मत्स्य आखेट के अधिकारों का एक पट्टा, उच्चतम बोली बोलने वाले को 16,500 रूपये वार्षिक किराये पर, एक साल के बजाय 10 साल के लिये 21 जून, 1986 से दिया गया था। फिर भी पट्टे की । 10 साल की धनराशि के 1/4 भाग के बराबर पेशगी के बजाय केवल एक साल की राशि के 1/4 भाग के लिये ली गई थी। बोली बोलने वाले ने वर्ष 1986-87 के लिये 16,500 रूपये किराये का भुगतान किया और उसके बाद कोई भी और भुगतान नहीं किया, तिस पर भी उसे मत्स्य आखेट के अधिकारों का उपभोग, 23 फरवरी 1988 को बोली रद्द किये जाने की तिथि तक करने दिया गया। बोली रद्द किये जाने में विलम्ब के कारण शासन को 21 जून 1987 से 22 फरवरी 1988

तक किराये के रूप में 11,092 रूपयों के राजस्व से वंचित होना पड़ा। रद्द किये जाने की तिथि (25 फरवरी 1988) से 18 जनवरी 1989 के बीच, मत्स्य आखेट के अधिकारों की पुनः नीलामी हेतु एवं बोली बोलने वाले से 11,092 रूपयों की वसूली हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

यह मामला विभाग को जून 1988 में और शासन को सितम्बर 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1990) ।

(ख) रामसनेही घाट तहसील (जनपद-बाराबंकी) में मत्स्य आखेट के अधिकारों का एक पट्टा जनवरी 1987 में 32,000 रूपयों में दिया गया था परन्तु लेखापरीक्षा की तिथि (अगस्त 1988) तक पट्टेदार द्वारा कोई धनराशि का भुगतान नहीं किया गया था । विभाग ने न तो भुगतान के लिये जोर दिया और नही बोली के अधिकारों को रद्द करके पुनः नीलामी की । उक्त तहसील के एक अन्य मामले में, जिसमें एक पट्टा जनवरी 1987 में 17,300 रूपयों में दिया गया था, पट्टे की धनराशि का एक-चौथाई भाग, अंकन 4,325 रूपये पट्टेदार द्वारा 25 फरवरी 1987 को दिया गया था, शेष धनराशि 12,975 रूपये (शेष तीन किस्तों के भूगतान की धनराशि) लेखापरीक्षा की तिथि (अगस्त 1988) तक वसूली हेतु अवशे पड़ी थी । अवशेष धनराशि की वसूली हेतु अथवा बोली रद्द करके अधिकारों की पुनः नीलामी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा काई कार्यवाही नहीं की गई ।

यह मामला विभाग को सितम्बर 1988 में तथा शासन को सितम्बर 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1990)।

अध्याय 7

अन्य कर प्राप्तियाँ

क – विद्युत शुल्क

7.1. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1988–89 के दौरान लेखापरीक्षा में किये गये सहायक विद्युत निरीक्षकों/नियुक्त प्राधिकारियों के लेखों के जाँच परीक्षण में 22 मामलों में 34.23 लाख रूपयों के विद्युत शुल्क के न लगाये जाने अथवा कम लगाये जाने का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं ।

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रूपयों में)
1. विद्युत ऊर्जा के आपूर्ति पर विद्युत शुल्क का भुगतान न किया जाना	7	13.16
2. गलत दर लगाए जाने के कारण विद्युत शुल्क का कम लगाया जाना	5	0.85
3. विद्युत प्रतिष्ठानों की निरीक्षण-फीस की वसूली न किया जाना अथवा कम वसूली किया जाना	4	12.70
4. ब्याज की वसूली न किया जाना अथवा कम वसूली किया जाना	3	7.33
5. अन्य मामले	3	0.19
योग	22	34.23

"विद्युत शुल्क एवं फीस की वसूली" विषयक समीक्षा (रिव्यू) के अन्तर्गत पाये गये मामलों का उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है।

7.2. विद्युत शुल्क एवं फीस की वसूली

7.2.1. परिचयात्मक

उत्तर प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम 1952 के अन्तर्गत —

(i) किसी लाइसेंस धारी, परिषद्, राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा उपभोक्ता को बेची गई ऊर्जा पर या

(ii) लाइसेंसधारी, परिषद्, राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यवसायिक या आवासीय प्रयोजन हेतु प्रयोग में लाये गये परिसर में अथवा उस पर अथवा उन परिसर को छोड़कर जिसमें उनका निर्माण कार्य, उसका रखरखाव या संचालन होता हो किसी अन्य परिसर में या उस पर उपभोग की गई ऊर्जा पर, या

(iii) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने संसाधनों से पैदा करके, उपभोग की गई ऊर्जा पर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर से विद्युत-शुल्क आरोपित किया जाता है ।

जिस माह में मीटर रीडिंग अभिलिखित की जाती है उस माह की समाप्ति के पश्चात् के दो कलेण्डर माहों के अन्दर लाइसेंसधारी, परिषद और नियुक्त प्राधिकारी, (राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के पक्ष में जैसा भी मामला हो) तथा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपभुक्त ऊर्जा के मामले में वह व्यक्ति विद्युत-शुल्क का भुगतानकरेगा।

भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 तथा भारतीय विद्युत नियमावली 1956 के अंतर्गत विद्युत आपूर्तिकर्ता की ऊर्जा-आपूर्ति पद्धति से सम्बद्ध प्रतिष्ठानों के परीक्षण एवं निरीक्षण की फीस उस दर पर प्रभार्य एवं राज्य सरकार को देय है जैसा कि सामान्यतया निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश (पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य विद्युत निरीक्षक के नाम से जाना जाने वाला) की सेवाओं, परीक्षण एवं निरीक्षण हेतु आरोपणीय फीस को संयमित करने के लिये समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है ।

1987-88 में विद्युत शुल्क का वास्तविक संग्रह 41.78 करोड़ रूपये था जो कि वर्ष 1988-89 में बढ़कर 62 करोड़ रूपये हो गया और इसे राज्य के राजस्व का एक प्रमुख स्त्रोत बना दिया ।

7.2.2. लेखापरीक्षा का कार्य-क्षेत्र

पुनरीक्षण (रिव्यू) का ध्येय, उपरोक्त अधिनियम व नियमावली में निर्धारित प्रावधान के सन्दर्भ में विद्युत शुलक के निर्धारण एवं वसूली तथा विद्युत प्रतिष्ठानों के निरीक्षणों की पर्याप्तता, प्रभावशीलता तथा भारतीय विद्युत नियमावली 1956 के अर्न्तगत निर्धारित फीस की वसूली हेतु अपनायी गयी पद्धति का अध्ययन करना था । समीक्षा कार्य जनवरी 1989 से मई 1989 की अवधि में सम्पन्न किया गया तथा समीक्षा से 42 सहायक निदेशकों (ई0एस0) में से 11 के कार्यालय, 32 नियुक्त प्राधिकारियों में से 10 के कार्यालय, 3 लाईसेंसधारकों तथा निदेशक (ई0एस0) उत्तर प्रदेश लखनऊ को कार्यालयों का निरीक्षण किया गया । इस समीक्षा में

पूर्ववर्ती वर्षों में देखे गये कुछ मामले भी शामिल किये गये हैं ।

7.2.3. संगठनात्मक ढाँचा

उत्तर प्रदेश शासन का ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम 1952, उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) नियमावाली 1952, भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 तथा भारतीय विद्युत नियमावली 1956 के प्रावधानों को, निदेशक (ई०यस०) उत्तर प्रदेश, जो इस संगठन का विभागाध्यक्ष है, उसके माध्यम से प्रशासित करता है । उसे मुख्यालय पर तथा सम्भागों मे उप निदेशक (ई०यस०)उत्तर प्रदेश (पहले जो उप विद्युत निरीक्षक, उत्तर प्रदेश शासन के नाम से जाना जाता था) का सहयोग प्राप्त रहता है । सम्भागों को एक या एक से अधिक जिलों को मिलाकर परिक्षेत्रों (जोन) में पुनः विभाजित किया गया है जिनका प्रभारी, सहायक निदेशक उत्तर प्रदेश (पहले जो सहायक विद्युत निरीक्षक उत्तर प्रदेश के नाम से जानां जाता था) होता है । लाइसेंसधारकों, परिषद, नियुक्त प्राधिकारियों या अन्य व्यक्तियों द्वारा वसूल किये गये तथा जमा किये गये विद्युत शुल्क का सम्यक लेखा-जोखा रखने तथा अदायगी की निगरानी के लिए तथा ऊर्जा पूर्तिकर्ता आपूर्ति निकाय से सम्बद्ध प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने व निरीक्षण फीस की वसूली के लिये निदेशक (ई०यस०) उत्तर प्रदेश, उत्तरदायी है ।

7.2.4. प्रकाश में आई मुख्य-मुख्य बातें

(i) बजट में "विद्युत पर कर एवं शुल्क" से प्राप्तियाँ निरन्तर कम अनुमानित रहीं । इस प्रकार 1984-85 से 1987-88

के दौरान बजट अनुमान में आँकी गई प्राप्तियों से वास्तविक प्राप्तियाँ 14.70 करोड़ रूपये (औसतन 3.675 करोड़ प्रति वर्ष) अधिक थीं । मार्च 1988 के अन्त में असंग्रहीत राजस्व के बकाये की धनराशि 24.00 करोड़ रूपये थी ।

(ii) शुल्क की कुल धनराशि का नब्बेप्रतिशतउत्तरप्रदेशराज्य विद्युत परिषद् (उ०प्र०रा०वि०प०) से प्राप्त होताहै ।तबभीउपभोग की गई यूनिटों के सन्दर्भ में भुगतान किये गये शुल्क की धनराशि का सत्यापन करने का कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

(iii) शुल्क दर केपुनरीक्षण के कारण आये हुए अन्तर के फलस्वरूप 1986-87 में 20.71 करोड़ रूपये की धनराशि का उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा भुगतान/समायोजन किया गया था। एक परिक्षेत्रीय कार्यालय में लेखापरीक्षण में यह पता चला कि आंकलित अन्तरीय (डिफरेंशियल इयूटी) की 3.67 करोड़ की धनराशि उपरोक्त धनराशि में सम्मिलित नहीं किया गया था । इसके अतिरिक्त निदेशक (ई०यस०) द्वारा निर्धारित शुल्क की धनराशि एवं परिषद् के वार्षिक विवरण के अनुसार भुगतान किये गये शुल्क की धनराशि के बीच वर्ष 1984-85 से 1987-88 के दौरान 7.27 करोड़ रूपयों का अन्तर था । इस धनराशि को बकाया मान लिया गया, जिसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है (नवम्बर 1988) ।

(iv) छः नियुक्त प्राधिकारियों, एक लाईसेंसधारक (लैंसेन होल्डर) व उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के दो वितरण खण्डों

के मामलों में, विद्युत शुल्क की गलत दर लागू करने से 24.77 लाख रूपयों के विद्युत शुल्क की कम वसूली हुई ।

(V) एक नियुक्त प्राधिकारी, एक लाईसेंसधारक (शैंक्शन होल्डर) तथा बाइस अन्य व्यक्तियों के मामले में, 75.44 लाख रूपयों के विद्युत शुल्क की अदायगी, 10 माह से 25 वर्षों के बीच तक के विलम्ब के बाद भी लम्बित थे ।

(VI) तीन लाईसेंसधारकों (शैंक्शन होल्डरों) के मामले में, विद्युत-शुल्क का विलम्ब से भुगतान करने पर 76.17 लाख रूपयों का ब्याज नहीं लगाया गया ।

(VII) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा विलम्ब से शुल्क का भुगतान करने पर मार्च 1975 तक ब्याज की 1.76 करोड़ रूपये की धनराशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है । वर्ष 1975-76 से 1979-80 तक के दौरान ब्याज की 3.44 करोड़ रूपयों की धनराशि शासन द्वारा माफ कर दी गयी, जब कि अधिनियम में इस आशय का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है । निदेशक (ई0एस0) उत्तर प्रदेश ने अप्रैल, 1986 के बाद विलम्ब से भुगतान करने पर ब्याज का आकलन इस आधार पर बन्द कर दिया कि अन्ततोगत्वा शासन द्वारा यह भी माफ किया जाना है ।

(VIII) निदेशक (ई0एस0) द्वारा प्रतिष्ठापनों का समय-समय पर निरीक्षण व परीक्षण केवल सोलह प्रतिशत तक ही किया गया । विद्युत प्रतिष्ठापनों के अनिरीक्षित रहने में वर्ष 1984-85 से

1987-88 के दौरान 4.76 करोड़ के निरीक्षण फीस की शुद्ध हानि के अलावा सुरक्षा के लिए खतरा व बाधा भी निहित है ।

(ix) 1969-70 से 1986-87 तक के वर्षों में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के ऊँचे (हाई) या अतिरिक्त ऊँचे (एक्सट्रा हाई) वोल्टेज के विद्युत प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, निदेशक (ई0यस0) द्वारा इसलिये सम्पन्न नहीं किया गया क्योंकि निर्धारित फीस की धनराशि 1.79 करोड़ रूपये जमा नहीं किये गये थे ।

7.2.5. राजस्व की गतिविधि

(I) वर्ष 1988-89 के अन्त तक के पाँच वर्षों में शुल्क के बजट अनुमान के समक्ष वास्तविक प्राप्ति के आँकड़ों का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है :

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर बढ़ोत्तरी (+)	अन्तर का प्रतिशत बढ़ोत्तरी(+)
	(करोड़	रूपयों	में)	
1984-85	14.14	17.85	(+) 3.71	(+) 26
1985-86	28.08	30.79	(+) 2.71	(+) 10
1986-87	33.80	36.21	(+) 2.41	(+) 7
1987-88	35.91	41.78	(+) 5.87	(+) 16
1988-89	40.02	62.00	(+)21.98	(+) 55

(II) **बकाया**

मार्च 1988 के अन्त में असंग्रहीत शुल्क की बकाया

धनराशि 24.00 करोड़ रूपये थी । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, नियुक्त प्राधिकारियों तथा अन्य व्यक्ति, जो स्वयं के प्रजनन् साधन से प्राप्त ऊर्जा का उपभोग करते हैं, उनके द्वारा देय धनराशि का विवरण निम्नवत् है:

	धनराशि (करोड़ रूपयों में)
1. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद	7.27
2. नियुक्त प्राधिकारियों	0.05
3. अन्य व्यक्तियों	16.68

"अन्य व्यक्तियों" के अर्न्तगत देय धनराशि के 16.68 करोड़ रूपयों में से 15.79 करोड़ रूपये वर्ष 1982 से एक पावर कम्पनी द्वारा तथा एक लाईसेंसधारी द्वारा स्वये के प्रजनन् साधन से प्राप्त ऊर्जा के उपभोग के सम्बन्ध में देय थी । जुलाई 1988 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् यह धनराशि अक्तूबर 1988 में वसूल कर ली गयी । अन्य व्यक्तियों (10 चीनी मिलों) द्वारा देय 0.39 करोड़ की धनराशि की वसूली उच्चतम न्यायालय अथवा उच्चन्यायालय द्वारा स्थगित कर दी गई है ।

7.2.6. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के संबंध में अपनाई गई भुगतान की अनियमित प्रणाली तथा भुगतान की गई धनराशि का सत्यापन न किया जाना

वर्ष 1974-75 तक उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्

अपने वितरण-खण्डों के माध्यम से विद्युत-शुल्क का भुगतान किया करता था जो इस धन को कोषागार में जमा करते थे । भुगतान सामान्यतया विलम्ब से किया गया जाता था और फलस्वरूप बड़ी मात्रा में बकाया व ब्याज संचित हो गये । किन्तु शासन तथा राज्य विद्युत परिषद् के प्रतिनिधियों के बीच 1975-76 में हुई एक बैठक में लिए गए निर्णय के फलस्वरूप, वर्ष 1975-76 से आगे का शुल्क, परिषद् को राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋण में से कटौती कर के समायोजित किया जाने लगा । इसके लिए प्रत्येक परिक्षेत्र का सहायक निदेशक (ई0यस0) परिषद् के वितरण खण्डों द्वारा, फार्म सं0 (सी0यस04) पर बनाये गये विवरण के आधार पर प्रत्येक माह के देय विद्युत शुल्क के आँकड़ों को एकत्र करके, उसे निदेशक (ई0यस0) लखनऊ को अग्रसारित करता है, जहाँ पूरे राज्य का आँकडा समेकित (कनसालिड़ेट) किया जाता है। उस समेकित आंकड़े को शुल्क की मांग के रूप में लिया जाता है और परिषद को दिए गए ऋण से इस मांग की राशि को काटने का कार्य निदेशक (ई0यस0) द्वारा किया जाता है किन्तु यह पद्धति नीचे दिये गये पैरा 7.2.8. में वर्णित नियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है । इसके साथ ही, निदेशक (ई0यस0) को शुल्क की धनराशि सूचित करते समय, परिक्षेत्रीय सहायक निदेशक श्रेणीवार उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा की उपभुक्त यूनिटों की संख्या के सन्दर्भ में विवरणों में दर्शायी गई शुल्क की धनराशि के सही होने की जांच नहीं करते । परिणाम यह होता है कि किसी भी स्तर पर प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा की वास्तविक उपभुक्त यूनिटों की संख्या के सन्दर्भ में निदेशक द्वारा एकत्र की गई

शुल्क के मांग की धनराशि के सही होने का सत्यापन नहीं किया जाता ।

पाँच सहायक निदेशक के कार्यालयों के छः वितरण खण्डों से सम्बन्धित 21 मासिक विवरणों (सी0एस04) के जांच परीक्षण 1.30 लाख रूपयों के विद्युत शुल्क के कम प्रभार का पता चला, जो निम्नवत् हैं:

विद्युत वितरण खण्ड का नाम	विवरण-पत्र सी0एस0 4 का माह उपभोग की श्रेणी	उपभुक्त यूनिटों की कुल संख्या जो सी0एस4 में दर्शायी गई है	विद्युत शुल्क दर प्रतियूनिट	देय शुल्क की राशि	सी0एस04 में दिखाई शुल्क की निर्धारित राशि
				रू0 पै0	रू0 पै0
मिर्जापुर	4/86 घरेलू	13,39,634	2 पैसे	26792.68	20044.20
" "	4/86 वाणिज्यिक	6,606	2 पैसे	132.12	323.18
" "	4/86 औद्योगिक				
	(I) छोटा और भारी शक्ति	7,56,566	4 पैसे	30262,64	19543.28
	(II) बड़ा और भारी शक्ति	58,80,937	6 पैसे	352856.22	455401.76
" "	4/86 सार्वजनिक बत्तियां	29,477	2 पैसे	589.54	650.66

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मिर्जापुर	4/86 सार्वजनिक जल कार्य	80,810	2 पैसे	1616.20	2194.74
वाराणसी	2/88 घरेलू	10,96,826	4 पैसे	43873.04	32399.48
" "	2/88 वाणिज्यिक	96,987	4 पैसे	3879.48	4519.00
" "	2/88 औद्योगिक बड़ी व भारी शक्ति	12,69,059	6 पैसे	76143.54	8109.60
आजमगढ़	10/86 घरेलू	10,87,593	4 पैसे	43503.72	14457.70
" "	10/86 औद्योगिक छोटा व मध्यम शक्ति	7,14,192	4 पैसे	28567.68	14440.96
I देवरिया	1/88 घरेलू	6,39,617	5 पैसे	31980.85	20460.00
"	1/88 औद्योगिक बड़ी शक्ति	3,98,298	6 पैसे	23897.88	23585.47
II देवरिया	9/86 घरेलू	5,47,901	4 पैसे	21916.04	7392.40

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाहजहाँपुर	5/87 घरेलू	7,90,157	5 पैसे	39507.85	7457.43
"	5/87 औद्योगिक लघु तथा मध्यम शक्ति	5,03,455	5 पैसे	25172.75	17776.00
			योग	795975.73	666008.56
			कम प्रभार	129967.17	

इस प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से वसूल की गई शुल्क की धनराशि जो कुल विद्युत शुल्क की धनराशि का 90 प्रतिशत है, उसके सही होने की जांच किसी भी प्राधिकारी द्वारा नहीं की जाती, क्योंकि विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं है । इसके अतिरिक्त सी0यस0 4 विवरण में, जिसके आधार पर शुल्क की धनराशि निकाली जाती है, पूर्ण सूचना जिनके आधार पर विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के मामलों में लगने वाली सही दर निर्धारित की जा सके जैसे कि श्रेणी-वार उपभोग की गई यूनिट, शुल्क से मुक्त यूनिट, आदि नहीं रहती और इसी लिये यह विवरण गलत नतीजा देने वाला (एरर-प्रोन) होता है ।

7.2.7. अन्तर-शुल्क (डिफरैंशियल ड्यूटी) का निर्धारण न किया जाना

(अ) राज्य सरकार ने अपने अधिसूचना दिनांक 29 मार्च

1985 (1 अक्तूबर 1984 से प्रभावी) तथा 1 अगस्त 1985 (1 अगस्त 1985 से प्रभावी) द्वारा विद्युत शुल्क के दरों को पुनरीक्षित किया था । किन्तु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ने पुनरीक्षित दर को कुछ श्रेणियों केउपभोक्ताओंपरएकफरवरी1986सेलागूकियाऔरअन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में 1 अगस्त 1986 से लागू किया । फलस्वरूप 1 अक्तूबर 1984 से 31 जुलाई 1986 के अवधि का अन्तर-शुल्क परिषद् से वसूली योग्य था परन्तु न तो परिषद् के वाणिज्यिक शाखा ने , न ही निदेशक (ई0एस0) ने अभी तक (मई 1989) इसका निर्धारण किया है । जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के लेखा विभाग ने सूचित किया है इस हेतु 20.71 करोड़ की धनराशि का शासन को भुगतान/समायोजन 1986-87 में किया गया था । इस समायोजन का विवरण भी निदेशालय में उपलब्ध नहीं था ।

कानपुर के एक परिक्षेत्रीय कार्यालय की जाँच-परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अप्रैल 1989) कि अक्तूबर 1984 से जुलाई 1986 की अवधि हेतु देय अन्तर-शुल्क की 3.67 करोड़ रूपयों की एक अनुमानित धनराशि, जो कि कानपुर विद्युत आपूर्ति प्राधिकरण से सम्बन्धित थी, परिक्षेत्रीय सहायक निदेशक (ई0एस0) द्वारा निदेशक (ई0एस0) को सूचित नहीं की गई थी । जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है अन्तर-शुल्क के निमित्त भुगतान/समायोजित किये गये 20.71 करोड़ रूपयों की धनराशि की परिशुद्धता/ यथार्थताविवरणों के अभाव में सुनिश्चित नहीं की जा सकी ।

(ब) परिषद् के विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित शुल्क के आंकड़ों का समन्वय न किया जाना

परिषद् द्वारा भुगतान की जाने वाली शुल्क की धनराशि का निर्धारण निदेशक (ई0यस0) द्वारा, परिषद् के वितरण खण्डों द्वारा तैयार किये गये सी0यस0 4 विवरणों के आधार पर, किया जाता है । परिषद् का वाणिज्यिक विभाग और लेखा विभाग परिषद् द्वारा देय शुल्क का अपना निर्धारण अलग से करते हैं । किन्तु तीनों आंकड़े न तो आपस में आते हैं न ही किसी स्तर पर मिलाये जाते हैं ।

निदेशक (ई0यस0) द्वारा निर्धारित शुल्क तथा परिषद् के लेखा विभाग का वार्षिक विवरण, जिसके आधार पर शुल्क का भुगतान किया जाता है, के बीच 1984-85 से 1987-88 वर्षों के दौरान 7.27 करोड़ रूपयों के अन्तर को (नीचे दिये गये विवरण के अनुसार) बकाया मान लिया गया परन्तु परिषद् से अभीतक (नवम्बर 1989) वसूल नहीं किया गया ।

वर्ष	शुल्क की निर्धारित धनराशि		परिषद् के लेखा विभाग द्वारा	राज्य विद्युत परिषद् के लेखा के वार्षिक विवरण के आधार पर भुगतान किया गया शुल्क
	निदेशक (ई0यस0) द्वारा	परिषद् के वाणिज्यिक विभाग द्वारा		
	(करोड़ रूपयों में)			
1984-85	17.96	12.39	12.47	15.62
1985-86	28.00	15.95	16.06	28.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1986-87	35.00	29.11	50.07	33.00
1987-88	42.04	32.09	35.16	39.07
योग	122.96	89.54	113.76	115.69

7.2.8. शुल्क के आरोपण तथा भुगतान हेतु निर्धारित पद्धति का अनुसरण न किया जाना

(अ) उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम 1952 तथा उसके अधीन बने नियमावली के अर्न्तगत विद्युत शुल्क की धनराशि लाईसेंसधारी, नियुक्त प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा सरकारी खजाने में जिस माह में मीटर रीडिंग अभिलिखित की जाती है, उसके बाद के दो कलेण्डर माहों के अन्दर जमा करना आवश्यक है । उपरोक्त दो माहों की समाप्ति के 10 दिन के अन्दर उसे प्राप्त किये गये ट्रेजरी चालान की प्रति को संबन्धित सहायक निदेशक को प्रेषित करना आवश्यक होता है । निर्धारित अवधि के भीतर शुल्क के जमा न किये जाने की दशा में लाईसेंसधारी, परिषद् या अन्य व्यक्ति से विद्युत-शुल्क की अदत्त राशि पर जब तक वह जमा नहीं की जाती, 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी लिया जायेगा ।

सहायक निदेशक (ई0यस0) बरेली के कार्यालय में, यह देखा गया कि एक नियुक्त प्राधिकारी, गैरिसन अभियन्ता (यम0ई0यस0) बरेली में नवम्बर 1977 से मार्च 1981 तक की अवधि के विद्युत शुल्क का भुगतान लगभग 5 वर्ष से 9 वर्ष के विलम्ब से मार्च 1986 माह में

किया था । अप्रैल 1981 व आगे की अवधि के भुगतान के सम्बन्ध में कोई सूचना उस कार्यालय में उपलब्ध नही थी । सहायक निदेशक द्वारा न तो इस सम्बन्ध में, न ही विलम्ब से भुगतान करने पर ब्याज लगाने के सम्बन्ध में कोई प्रभावी कार्यवाही की गई ।

(ब) उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) नियमावली 1952 में यह भी प्रावधान है कि जहां आपूर्ति मिश्रित भार टैरिफ पर सुलभ की जाती है, जब तक सहायक निदेशक की सन्तुष्टि के अनुरूप विभिन्न वर्गों के उपभोग को नापने की (मीटरिंग की) समुचित व्यवस्था नहीं रहती, ऐसे मामले में उपरोक्त टैरिफ के लिए कुल उपभोग के 20 प्रतिशत पर रोशनी, पंखे व अन्य प्रयोजनों के लिए निर्धारित दर से शुल्क देय है और शेष 80 प्रतिशत पर औद्योगिक उपभोग पर आरोपण के लिए निर्धारित दर से शुल्क देय है ।

(i) बरेली के नियुक्त प्राधिकारी, गैरिसन अभियन्ता (यम0ई0यस0) कार्यालय मे यह देखा गया कि सितम्बर 1988 से आगे के शुल्क का बिल उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के विद्युत वितरण खण्ड द्वारा बनाया जा रहा था तथा भुगतान उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को किया जा रहा था जबकि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसे सीधे खजाने में जमा किया जाना चाहिये था ।

यह भी देखा गया कि नवम्बर 1988 के बिल के साथ अप्रैल 1986 से अगस्त 1988 के बकाया 3.20 लाख रूपयों की धनराशि का भी भुगतान किया गया था । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के वितरण खण्ड द्वारा बनाये गये बिलों के अनुसार अप्रैल 1986

से जनवरी 1989 तक उपभोग की गई ऊर्जा 4,36,97,697 यूनिट होती थी किन्तु कुल उपभोग के केवल 20 प्रतिशत (87,39,539 यूनिट) पर रोशनी व पंखे के लिये निर्धारित शुल्क का आरोपण किया गया था जबकि 3,49,58,158 यूनिट (कुल उपभोग का 80 प्रतिशत) पर औद्योगिक उपभोग के आरोपण के लिए निर्धारित निम्नतम् दर पर 16.76 लाख रूपयों का शुल्क लगाया ही नहीं गया । इसके इंगित किये जाने पर निर्देशक (ई0यस0) ने स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के वितरण खण्ड द्वारा नियुक्त प्राधिकारी से शुल्क वसूल नहीं करना चाहिए था तथा 80 प्रतिशत उपभोग पर शुल्क का आरोपित न किया जाना तथा 20 प्रतिशत उपभोग पर शुल्क आरोपित किया जाना नियम के अनुकूल नहीं था । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि अनियमितता का सुधार करने के लिए कार्यवाही की जा रही थी ।

(ii) पिथौरागढ़ के एक वितरण खण्ड के मामले में यह देखा गया कि फरवरी 1986 से जनवरी 1988 तक की अवधि में 48,27,450 यूनिट ऊर्जा मिश्रित भार टैरिफ पर एक उपभोक्ता को बेची गयी । उपभोग की गई सम्पूर्ण यूनिटों (ऊर्जा) पर 2 पैसे प्रति यूनिट की दर से अर्थात् रोशनी व पंखे के लिए निर्धारित दर पर विद्युत शुल्क वसूल किया गया जब कि कुल उपभोग के 80 प्रतिशत पर, औद्योगिक उपभोग के लिए निर्धारित दर से शुल्क लगाया जाना चाहिए था । फलस्वरूप 1.90 लाख रूपयों के शुल्क की कम वसूली हुई ।

इसके इंगित किये जाने पर (जून 1988) वितरण खंण्ड के अधिशासी अभियन्ता ने इस भूल को स्वीकार किया और कहा कि कम

वसूली गई धनराशि की बिल (मांग) प्रस्तुत की जायेगी ।

7.2.9. गलत दर के लागू करने से शुल्क की कम वसूली

उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम 1952 तथा उसके अधीन बनी नियमावली के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा गजट में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से समय-समय पर निर्धारित दर से विद्युत शुल्क आरोपित किया जाता है । राज्य सरकार ने मार्च 1985, अगस्त 1985, तथा दिसम्बर 1986 में अधिसूचना जारी करके विद्युत शुल्क के दरों को परिशोधित किया था और परिशोधित दरें क्रमशः अक्तूबर 1984, अगस्त 1985 तथा 23 दिसम्बर 1986 से प्रभावी की गयीं थी ।

एक लाईसैंसधारी, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के दो वितरण खण्डों तथा छः नियुक्त प्राधिकारियों के कार्यालयों की जांच परीक्षण (जून 1987 से अप्रैल 1989) में पाया गया कि प्रचलित दर के बजाय परिशोधित दर के पूर्व की दरों से विद्युत शुलक आरोपित व जमा किये जाने के कारण, अक्तूबर 1984 से जनवरी 1989 की अवधि के दौरान 24.77 लाख रूपयों के शुल्क की कम वसूली की गई।

सम्प्रेक्षा में इसके इंगित किये जाने पर वितरण खण्ड, मुरादाबाद ने कम वसूल किये गये 6.72 लपख रूपये के शुल्क की धनराशि अक्तूबर 1987 में वसूल कर ली । शेष मामलों से सम्बन्धित अतिरिक्त मांग तथा वसूली के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं हुई है (मार्च 1990) ।

7.2.10. ऊर्जा की मुफ्त आपूर्ति पर विद्युत - शुल्क आरोपित न किया जाना

उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम 1952 के अन्तर्गत उपभोक्ता को बेची गई ऊर्जा पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर से विद्युत शुल्क प्रभार्य है । अधिनियम में यह भी है कि विद्युत शुल्क का आकलन करने के ध्येय से लाइसेंसधारी या परिषद् द्वारा कुछ वर्गों के उपभोक्ताओं को मुफ्त या रियायती दर पर दी गई ऊर्जा उसी वर्ग के अन्य उपभोक्ताओं को बेची गई ऊर्जा पर लगने वाली दर पर बेचा गया माना जायेगा । सितम्बर 1984 में शासन ने स्पष्ट किया था कि नियुक्त प्राधिकारियों द्वारा रियायती दर सेना के अधिकारियों (रक्षा विभाग) को आपूर्ति की गई ऊर्जा के संबंध में भी उपभुक्त ऊर्जा के लिये लगाई जाने वाली दर उसी वर्ग के अन्य उपभोक्ताओं के लिये लागू पूरी दर मानी जायेगी (क्योंकि सामान्य दर तथा रियायती दर का अन्तर रक्षा विभाग द्वारा वहन किया जा रहा था) इस सम्बन्ध में निदेशक (ई०यस०) ने भी रक्षा सम्भाग के सभी नियुक्त प्राधिकारियों को मुफ्त दी गई ऊर्जा के सम्बन्ध में विद्युत शुल्क साधारण उपभोक्ताओं पर लागू दर से, वसूल करने हेतु एक परिपत्र जारी किया था (अगस्त 1986) ।

चार नियुक्त प्राधिकारियों के मामलों में जांच परीक्षण के दौरान मार्च तथा अप्रैल 1989 में यह पाया गया कि रक्षा विभाग के कुछ वर्गों के व्यक्तियों को विद्युत - ऊर्जा की आपूर्ति निर्धारित मात्रा में घरेलू प्रयोजन हेतु मुफ्त में की गई थी । घरेलू प्रयोजन हेतु आपूर्ति की

गई ऊर्जा पर विद्युत-शुल्क 4 पैसे प्रति यूनिट (1 अक्तूबर 1984 से प्रभावी) और 5 पैसे प्रति यूनिट (23 दिसम्बर 1986 से प्रभावी) था अक्तूबर 1984 से मार्च 1989 की अवधि में नियुक्त प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा का उपभोग 2,21,13,370 यूनिट के लगभग था और 1 अक्तूबर 1984 से 31 मार्च 1989 के मध्य विभिन्न अवधियों में गलती से न लगाये गये विद्युत शुल्क की धनराशि 9.75 लाख रूपये थी ।

कानपुर में एक अन्य नियुक्त प्राधिकारी के मामले में (गैरिसन इन्जिनियर एयंर फोर्स चकेरी) एक वर्ग के व्यक्तियों के लिये मुफ्त उपभोग की निर्धारित मात्रा 135 व 80 यूनिट प्रतिमाह तथा दूसरे वर्ग के व्यक्तियों के लिए 80 व 55 यूनिट प्रतिमाह क्रमशः गर्मी तथा जाड़े के लिये निर्धारित किया गया था। कर्मचारियों की संख्या जिन्हें मुफ्त आपूर्ति की गई थी, सम्प्रेक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी । अतः इस मामले में अनारोपित शुल्क आकलित नहीं किया जा सका ।

7.2.11. सड़क की रोशनी व सार्वजनिक लैम्प्स हेतु उपभुक्त ऊर्जा पर विद्युत शुल्क का कम आरोपण/आरोपण का न किया जाना

सार्वजनिक लैम्प्स तथा सड़कों की रोशनी हेतु उपभुक्त ऊर्जा के मामले में जहां आपूर्ति मीटर युक्त नहीं थी, 22 दिसम्बर 1986 तक शुल्क दर बल्ब के कुल वाटेज पर आधारित थी तथा 23 दिसम्बर 1986 से देय शुल्क उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा ऐसे उपभोग के लिए निर्धारित दर के 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य

था । जहां मीटर युक्त आपूर्ति की जाती है वहां राज्य सरकार द्वारा रोशनी व पंखे के उपभोग के लिए समय-समय पर निर्धारित दर लागू है ।

परिषद् के 9 विद्युत वितरण खण्डों तथा एक विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठान में यह देखा गया कि परिषद् द्वारा सड़क की रोशनी तथा सार्वजनिक लैम्प्स के उपभोग के लिए 698 उपभोक्ताओं (1 नगर महापालिका, 8 नगरपालिका, 1 कैन्टूनमेंट बोर्ड, 1 प्रोजेक्ट इन्जिनियर, 1 औद्योगिक आस्थान (इस्टेट) 2 पंचायत राज अधिकारी, 51 टाउन एरिया, 610 ग्राम सभायें तथा 23 ब्लाकों) को अगस्त 1986 तथा अक्तूबर 1988 के बीच विभिन्न अवधियों में बेची गई ऊर्जा पर 8.78 लाख रूपयों का विद्युत शुल्क या तो नहीं आरोपित किया गया या कम आरोपित किया गया था ।

7.2.12. एक सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा ऊर्जा के उपभोग पर विद्युत शुल्क का आरोपण न किया जाना

उत्तर प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत राज्य या केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठान के आवासीय कालोनी में आपूर्तित ऊर्जा के उपभोग पर विद्युत शुल्क प्रभार्य है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के राबर्ट्सगंज वितरण खण्ड में केन्द्रीय सरकार के एक प्रतिष्ठान के आवासीय कालोनी में उर्जा की आपूर्ति पर अक्तूबर 1988 तक विद्युत शुल्क आरोपित नहीं किया गया

था । अप्रैल 1985 से अक्तूबर 1988 तक की अवधि में, जिसके अभिलेख सम्प्रेक्षा को प्रस्तुत किये गये,आरोपित न किये गये विद्युत शुल्क की धनराशि 7.04 लाख रूपये आती थी । इसके बाद नवम्बर 1988 से सम्प्रेक्षा आपत्ति के आधार पर विद्युत शुल्क आरोपित किया जाने लगा ।

7.2.13. विद्युत-शुल्क की वसूली न किया जाना

उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम 1952 के अन्तर्गत विद्युत-शुल्क के निमित्त देय किसी धनराशि का भुगतान यदि निर्धारित समय के अन्दर नहीं किया जाता है तो भू-राजस्व के बकाए की भांति लाईसैंसधारी, या अन्य व्यक्तियों से जैसा भी मामला हो, वसूली योग्य हो जाता है ।

एक लाईसैंसधारी (सैंक्शन होल्डर) तथा 22 अन्य व्यक्तियों के मामले में विद्युत शुल्क के 75.25 लाख रूपयों की वसूली जनवरी 1964 से सितम्बर 1988 की अवधि में 6 माह से 25 वर्षों के बीच विभिन्न अवधियों के विलम्ब के पश्चात् भी लम्बित पड़ी थी । केन्द्रीय सरकार के नियुक्त प्राधिकारी द्वारा जून 1986 से मार्च 1988 तक की अवधि के लिए देय विद्युत शुल्क की राशि 0.18 लाख रूपये भी अंसग्रहीत पड़े थे ।

सम्प्रेक्षा में इसके इंगित किये जाने पर बकाये की वसूली के लिए उत्तरदायी सम्बन्धित सहायक निदेशक ने बताया कि वसूली की

प्रक्रिया प्रगति पर थी फिर भी कृत कार्यवाही के पक्ष में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किये जा सके ।

7.2.14. विद्युत शुल्क के विलम्ब से किये गये भुगतान पर ब्याज की वसूली का न किया जाना

उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम 1952 तथा उसके अधीन बनी नियमावली के अन्तर्गत यदि लाईसेंसधारी, परिषद्, या अन्य किसी उपभोक्ता द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर देय विद्युत शुल्क की धनराशि का भुगतान सरकारी खजाने में नहीं किया जाता है तो विद्युत शुल्क की धनराशि पर, जब तक वह जमा नहीं किया जाता, 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष के दर से ब्याज देय हो जाता है ।

तीन लाईसेंसधारियों (लैंसेन्स होल्डरों), मिर्जापुर, गोरखपुर तथा लखनऊ प्रत्येक स्थानों में एक-एक, ने अक्तूबर 1984 से मई 1988 के बीच के विभिन्न अवधियों के 4.06 करोड़ रूपयों के विद्युत शुल्क की धनराशि 5 दिन से लेकर 23 माहों के विलम्ब के पश्चात् जमा किया । विलम्ब से भुगतान करने हेतु इन लाईसेंसधारकों से 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 76.17 लाख रूपये ब्याज की धनराशि वसूली योग्य थी परन्तु वसूल नहीं की गयी ।

7.2.15. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा विलम्ब से भुगतान किये गये शुल्क पर देय ब्याज का अनियमित रूप से माफ किया जाना

परिषद् द्वारा विद्युत शुल्क का विलम्ब से भुगतान किये

जाने हेतु मार्च 1975 तक की अवधि का 1.76 करोड़ रूपयों के ब्याज की धनराशि का भुगतान, अभी तक नहीं किया गया है (नवम्बर 1989) ।

वर्ष 1975-76 से शुल्क की धनराशि का भुगतान, राज्य सरकार द्वारा परिषद् को दिये गये ऋण से काट कर किया जाना था । भुगतान की इस पद्धति के अनुसार 1975-76 से 1979-80 तक के वर्षों के शुल्क का भुगतान भी विलम्ब से (ऋण दिये जाने के समय) किया गया था जिस पर निदेशक (ई0यस0) के अनुसार ब्याज की धनराशि 3.44 करोड़ रुपये परिषद् से वसूली योग्य थी । फिर भी शासन ने, उत्तर प्रदेश विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम 1970 के धारा 3(1) (7) के तहत पत्र दिनांक 24 अप्रैल 1982 द्वारा ब्याज की इस धनराशि को माफ कर दिया । ब्याज की इस धनराशि को शासन द्वारा माफ किये जाने का आदेश सही नहीं था, क्योंकि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ।

निदेशक (ई0यस0) लखनऊ ने वर्ष 1980-81 से आगामी वर्षों हेतु शुल्क के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का आकलन करना इस आशय से बन्द कर दिया कि अन्ततोगत्वा शासन द्वारा ब्याज का भुगतान माफ किया जाना है जो गलत था ।

7.2.16. विद्युत शुल्क का भुगतान माफ किये जाने की अनियमित स्वीकृति

वर्ष 1977 में यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम 1952, के अन्तर्गत उन जिलों में, जो शासन द्वारा

अधिसूचित किए गये हैं, हरिजनों, भूमिहीन श्रमिकों, कृषकों, (जिनके पास एक एकड़ या इससे कम भूमि है), सक्रिय एवं सेवा मुक्त रक्षा कर्मियों, युद्ध में शहीद हुये सैनिकों की विधवाओं (वार-विड़ो) तथा कमजोर वर्ग के अन्य व्यक्तियों को जनता सेवा कनेक्शन योजना के अन्तर्गत ऊर्जा को आपूर्ति (रोशनी हेतु उपभुक्त) पर 1 जून 1976 से विद्युत शुल्क प्रभार्य नहीं था । शासन ने दिनांक 22 अप्रैल 1977 की अधिसूचना द्वारा पांच जिलों में, इलाहाबाद, बांदा, बस्ती, मिर्जापुर तथा रायबरेली में जनता सेवा कनेक्शन योजना के अन्तर्गत 1 जून 1976 से उपभुक्त ऊर्जा को विद्युत शुल्क के प्रभार से मुक्त कर दिया था ।

जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा सूचित किया गया है सम्पूर्ण राज्य में जनता सेवा कनेक्शन योजना के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 के दौरान 1,13,972 कनेक्शन दिये गये थे । उपरोक्त पांच जिलों में दिये गये कनेक्शनों को छोड़कर ऐसे अन्य कनेक्शनों में उपभुक्त ऊर्जा पर परिषद् द्वारा राज्य सरकार को भुगतान हेतु विद्युत शुल्क का निर्धारण किया जाना अपेक्षित था । फिर भी, पांच जिलों के कनेक्शनों को छोड़कर इन अन्य कनेक्शनों से सम्बन्धित ऊर्जा उपभोग पर योजना के प्रारम्भ से ही शुल्क का निर्धारण नहीं किया गया और राज्य के सभी जिलों को शुल्क के प्रभार से छूट दे दी गयी, जो अनियमित था । क्योंकि इस योजना के अन्तर्गत उपभुक्त ऊर्जा का निर्धारण नहीं किया गया था, इन पांच जिलों को छोड़कर प्रदेश के अन्य भागों में प्रदान की गई शुल्क की अनियमित छूट की धनराशि का आकलन नहीं किया जा सका ।

सम्प्रेक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (मई 1989) निदेशक (ई०यस०) ने इस बात की पुष्टि कर दी (मई 1989) कि योजना के अन्तर्गत उपभुक्त ऊर्जा पर सम्पूर्ण राज्य में विद्युत शुल्क का आरोपण नहीं किया जा रहा था । यह शासकीय अधिसूचना के विरुद्ध था जिसमें केवल पांच जिलों के लिये छूट प्रदान की गई थी ।

7.2.17. उपभोक्ताओं के प्रतिष्ठानों का आवधिक निरीक्षण व परीक्षण का न किया जाना

भारतीय विद्युत नियमावली 1956 के अन्तर्गत जहां कोई प्रतिष्ठान पहले से ही पूर्तिकर्ता के आपूर्ति प्रणाली से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे प्रत्येक प्रतिष्ठानों का आवधिक निरीक्षण व परीक्षण सहायक निदेशक (ई०यस०) द्वारा निश्चित अवधि के अन्तराल में जो पांच वर्ष से अधिक न हो किया जाना अपेक्षित था । ये निरीक्षण व परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किये जाते हैं कि उपभोक्ता के प्रतिष्ठान में किसी प्रकार का लीकेज तो नहीं है जिससे पूर्तिकर्ता द्वारा ऊर्जा के प्रयोग पर हानि कारक प्रभाव पड़ रहा हो या जो किसी प्रकार का खतरा पैदा कर सकता हो। ऐसे निरीक्षण व परीक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ता के मामले में फीस निर्धारित की जाती है और उपभोक्ता द्वारा अग्रिम रूप से देय होती है । राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के प्रतिष्ठानों के निरीक्षण व परीक्षण हेतु निम्न वैधाता अवधि निर्धारित किया है ।

संस्थापनों की श्रेणी	निरीक्षण व परीक्षण की अवधि
1. ऊँचे तथा अतिरिक्त-ऊँचे वोल्टेज के प्रतिष्ठानों के लिए 650 वोल्ट्स से अधिक की पूर्ति	वार्षिक

(1)	(2)
2. मध्यम वोल्टेज के प्रतिष्ठानों के लिये 250 वोल्ट्स से 650 वोल्ट्स तक पूर्ति	त्रैमासिक
3. निम्न वोल्टेज के प्रतिष्ठानों के लिए 250 वोल्ट्स तक पूर्ति	प्रत्येक चार वर्ष पर

प्रत्येक वर्ग के उपभोक्ता द्वारा देय निरीक्षण फीस प्रतिष्ठान के भार पर आश्रित होती है, जो समय-समय पर राज्ये सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है ।

विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ताओं के प्रतिष्ठानों का, जिनका निरीक्षण प्रति वर्ष किया जाना था, तथा वास्तविक निरीक्षण जो 1984-85 से 1987-88 तक के वर्षों में किया गया, उसकी स्थिति निम्नवत् है:

वर्ष	प्रतिष्ठानों की संख्या जिनका निरीक्षण किया जाना था	प्रतिष्ठानों की संख्या जिनका वास्तविक निरीक्षण किया गया	कमी
1984-85	3,13,355	36,136	2,77,219
1985-86	3,13,355	47,263	2,66,092
1986-87	3,13,355	56,650	2,56,705
1987-88	3,13,355	60,948	2,52,407
योग	12,53,420	2,00,997.	10,52,423

इस प्रकार औसतन केवल 16 प्रतिशत तक निरीक्षण किया गया जबकि 84 प्रतिशत प्रतिष्ठान अनिरीक्षित पड़े रहे ।

ऐसे प्रतिष्ठानों की श्रेणी-वार संख्या जिनका प्रत्येक वर्ष निरीक्षण किया जाना था तथा जिनका वास्तव में निरीक्षण किया गया था, निदेशक (ई०एस०) लखनऊ के यहां उपलब्ध नहीं थी । विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों के आधार पर प्रतिष्ठानों के निरीक्षण-फीस की औसत दर 199.45 रूपये आती थी जिसके विपरीत निरीक्षण की 1984-85 से 1987-88 तक के वर्षों के लिये निकाली गयी निरीक्षण की औसत लागत 154.25 प्रति निरीक्षण थी । जैसा कि निम्नतालिका में प्रदर्शित किया गया है:

	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	
किये गये निरीक्षणों की संख्या	36,136	47,263	56,650	60,948	2,00,997
निरीक्षण फीस से प्राप्त राजस्व (लाख रूपयों में)	72.28	92.34	121.49	114.23	400.34
किये गये निरीक्षण पर व्यय (लाख रूपयों में)	63.08	67.12	81.12	95.81	307.13
निरीक्षण फीस की औसत दर प्रति निरीक्षण	200.00	195.83	214.57	187.42	199.45
व्यय की औसत दर प्रति निरीक्षण	174.56	142.01	143.20	157.20	154.24

1984–85 से 1987–88 तक के वर्षों में फीस की औसत दर प्रति निरीक्षण के आधार पर 10,52,423 संस्थापनों पर, जिनका निरीक्षण नहीं किया गया था, उनके निरीक्षण में 20.99 करोड़ रूपयों का राजस्व निहित था । इसके विपरीत 154.24 रूपये प्रति निरीक्षण की औसत दर पर कुल निहित व्यय 16.23 करोड़ रूपये आता है । इस प्रकार विद्युत प्रतिष्ठानों के अनिरीक्षित रह जाने से उत्पन्न खतरे की सम्भावाना के अलावा सरकार को 4.76 करोड़ रूपयों के राजस्व की हानि हुयी ।

सम्प्रेक्षा में इसे इंगित किये जाने पर निदेशक (ई०एस०) लखनऊ ने कहा कि वांछित हद तक निरीक्षण व परीक्षण, वर्तमान कर्मचारियों की संख्या से पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं था ।

7.2.18. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के ऊँचे तथा अतिरिक्त ऊँचे वोल्टेज के प्रतिष्ठानों का प्रारम्भिक निरीक्षण न किया जाना

भारतीय विद्युत नियमावली 1956 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को ऊँचे या अतिरिक्त ऊँचे वोल्टेज पर ऊर्जा आपूर्ति करने के पहले पूर्तिकर्ता को निदेशक (ई०एस०) से अनुमति लेनी पड़ती है और तब तक ऊर्जा की आपूर्ति प्रारम्भ नहीं की जा सकती जब तक कि प्रतिष्ठान से सम्बन्धित विभिन्न प्रावधानों के पूर्ण होने के विषय में निरीक्षक सन्तुष्ट नहीं हो जाता । ऐसे प्रतिष्ठानों के प्रारम्भिक निरीक्षण के लिए पूर्तिकर्ता (अर्थात् परिषद्) को फीस का अग्रिम भुगतान उस दर से, जो

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है, करना होता है । उसी नियमावली के नियम 141 में, इस नियमावली के प्रावधानों के प्रत्येक उल्लंघन के लिए 1300 रूपये की शास्ति और ऐसे किसी उल्लंघन के जारी रहने पर 50 रूपये प्रतिदिन की शास्ति का प्रावधान है ।

सहायक निदेशक लखनऊ कार्यालय के जांच परीक्षण के दौरान यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा निरीक्षण फीस का अग्रिम भुगतान करने के लिए तथा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कराने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जाती । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा अपने नये संस्थापित प्रतिष्ठानों के विषय में भी निदेशालय को कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती । इन प्रतिष्ठानों के सम्पूर्ण कर लिये जाने पर पर्याप्त समय बीत जाने के पश्चात् विभाग के व्यक्तिगत प्रयास से ये सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं और उसी के आधार पर परिषद् से निरीक्षण फीस की मांग की जाती है । फिर भी परिषद् द्वारा निरीक्षण फीस नहीं जमा की जाती जिसके परिणामस्वरूप इन प्रतिष्ठानों का प्रारम्भिक निरीक्षण नहीं किये जा रहे थे । विभाग ने नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कोई कार्यवाही नहीं की ।

इसके इंगित किये जाने पर निदेशक ने उपरोक्त स्थिति की पुष्टि की । साथ ही उनके द्वारा यह भी बताया गया कि 1969-70 से 1986-87 के वर्षों हेतु प्रतिष्ठानों के प्रारम्भिक निरीक्षण की फीस के 1.75 करोड़ रुपयों की धनराशि परिषद् द्वारा अभी तक जमा नहीं की गयी (नवम्बर 1989) और फलस्वरूप

निरीक्षण नहीं किया गया । उन प्रतिष्ठानों की सही संख्या जिसके सम्बन्ध में उपरोक्त फीस की धनराशि जमा नहीं की गई थी, एकत्रित नहीं की जा सकी; किन्तु यह पता किया गया था कि उपरोक्त प्रकार के लगभग 45000 प्रतिष्ठानों की स्थापना परिषद् द्वारा हर वर्ष की जाती है ।

7.2.19. विद्युत-ऊर्जा के प्रजनन करने वाले लाईसेंसधारक (लैंसेन्स होल्डर्स) के सम्बन्ध में लेखापरीक्षण का न किया जाना तथा लेखापरीक्षा फीस का जमा न किया जाना

भारतीय विद्युत नियमावली 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत विद्युत-ऊर्जा प्रजनन करने वाले लाईसेंसधारक को अपना लेखा निदेशालय (ई०यस०) के लेखापरीक्षा प्राधिकारियों को परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होता है और लेखापरीक्षा फीस, जो किसी एक मामले में 25,000 रुपये से अधिक न हो, जमा करना होता है । लेखा-जोखा प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिए लाईसेंसधारक को शासन की अनुमति लेनी पड़ती है । इन प्रावधानों का निरंतर उल्लंघन किये जाने पर 50 रुपये प्रतिदिन की दर से, लाईसेंसधारक शास्ति का भागी होता है ।

विद्युत ऊर्जा प्रजनन में लगे हुए प्राधिकार-धारकों के लेखों का लेखापरीक्षण वर्ष 1967-68 से प्रारम्भ किया गया था और यह 1970-71 तक सम्पन्न किया गया था और उस अवधि हेतु लेखापरीक्षण फीस भी जमा की गयी थी। 1971-72 से 1976-77 तक के वर्षों के लेखे । वर्ष 3 माह से लेकर 6 वर्षों तक की विभिन्न

अवधियों के विलम्ब के पश्चात् प्रस्तुत किये गये । फिर भी इस अवधि हेतु लेखा-परीक्षण फीस के, 25,000 रूपये प्रति लेखा की दर से, 1.50 लाख रूपये अभी तक जमा नहीं की गयी है । इसके अतिरिक्त 1976-77 के आगे के वर्षों के लेखे, लेखा परीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये । इसके बावजूद, जैसा कि नियमों में अपेक्षित है, शास्ति आरोपित करने हेतु निदेशक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

इसके इंगित किये जाने पर निदेशक (ई०यस०) ने बताया कि कम्पनी द्वारा 1976-77 के आगे के लेखों को प्रस्तुत न किये जाने के लिए शासन से प्राप्त की गई अनुमति, यदि कोई प्रदान की गई हो तो, उसके सम्बन्ध में निदेशालय के पास कोई सूचना नहीं है और यह कि आडिट फीस की लम्बित धनराशि की मांग सृजित कर दी गई है और प्राधिकार-धारक को 1976-77 तथा आगे की अवधि के लेखों को प्रस्तुत करने के लिये कह दिया गया था ।

7.2.20. अन्य रोचक प्रकरण

(क) चेकों का नकदीकरण न किया जाना

उत्तर प्रदेश विद्युत अधिनियम 1952 और उसके अधीन बनायी गयी नियमावली, में विद्युत-शुल्क के भुगतान हेतु चेकों को स्वीकार करने की अनुमति नहीं प्रदान की गई है । लखनऊ परिक्षेत्र में एक नियुक्त प्राधिकारी ने अक्तूबर 1980 से मार्च 1981 के अवधि की विद्युत शुल्क की धनराशि के 19,069.77 रूपयों का भुगतान दो चेक, सं0 बी-038804 दिनांक 6 नवम्बर 1981, 17,272.87 रूपयों हेतु तथा बी-038964 दिनांक 23 जनवरी 1982, 1,796.90 रूपयों हेतु

द्वारा किया । किन्तु विभाग द्वारा इन चेकों का नकदीकरण, 7 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका ।

(ख) लेखापरीक्षा में शुल्क के भुगतान का सत्यापन नहीं किया जा सका

नियमों के अन्तर्गत नियुक्त प्राधिकारियों को शुल्क भुगतान से सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेखों का रखरखाव करना चाहिए ।

आगरा के एक नियुक्त प्राधिकारी ने वर्ष 1987-88 के लिये 34,975 रूपये के शुल्क की धनराशि निर्धारित की और भुगतान हेतु इस धनराशि की सूचना सम्बन्धित अनुभाग को भेज दी । किन्तु एक वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी इस धनराशि के सम्बन्ध में चालान तथा अन्य सम्बन्धित कागजात कार्यालय में उपलब्ध नहीं था और सम्प्रेक्षा में उक्त धनराशि के भुगतान का सत्यापन नहीं किया जा सका।

(ग) परिलेखों का प्रस्तुत न किया जाना

भारतीय विद्युत (शुल्क) नियमावली 1952 के अन्तर्गत किसी लाईसेंसधारक, नियुक्त प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा परिक्षेत्र के सम्बन्धित सहायक निदेशक को निम्न परिलेख प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ।

(1) फार्म "ए" में छमाही परिलेख (ऊर्जा आपूर्ति अथवा उपभोग की मात्रा, उसपर प्रभार्य विद्युत शुल्क एवं सरकार को वास्तव में किया गया भुगतान, तथा बट्टे खाते में डाली गई शुल्क की धनराशि से सम्बन्धित सूचना प्रदर्शित करने वाले) जिस छमाही से संबंधित

है उसकी समाप्ति के बाद 60 दिनों के अन्दर दो प्रतियों में ।

(ii) फार्म "बी" में परिलेख (प्रारम्भिक व अन्तिम अवशेष, विद्युत शुल्क की धनराशि, देय ब्याज व शास्ति तथा उनका वास्तविक भुगतान, समायोजन, तथा माफी दर्शाते हुए) 31 मार्च को वित्तीय वर्ष के समाप्ति के तीन माह के अन्दर दो प्रतियों में ।

उपरोक्त परिलेख (विवरण) नियुक्त प्राधिकारियों द्वारा नहीं प्रस्तुत किये जा रहे हैं ।

(घ) राज्य सरकार द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा पर शुल्क का न लगाया जाना

1 अक्तूबर 1984 से राज्य सरकार द्वारा उपभोग की गई या उसे उसके उपभोग हेतु बेची गई ऊर्जा पर विद्युत शुल्क 2 पैसे प्रति यूनिट की दर से (इसके पूर्व शुल्क की छूट थी) तथा 23 दिसम्बर 1986 से 3 पैसे प्रति यूनिट की दर से, प्रभार्य था ।

यह देखा गया कि जौनपुर के विद्युत वितरण खण्ड I व II द्वारा 1 अक्तूबर 1984 व उसके आगे की अवधि का विद्युत शुल्क राज्य सरकार द्वारा उपभुक्त ऊर्जा पर नहीं लगाया गया यद्यपि कि राज्य सरकार द्वारा उपभुक्त ऊर्जा पर विद्युत शुल्क का प्रभार आरम्भ हुए चार वर्ष से अधिक की अवधि बीत चुकी है ।

सम्प्रेक्षा में इसके इंगित किये जाने पर सहायक निदेशक, जौनपुर परिक्षेत्र, जौनपुर ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के आदेश तथा निदेशालय (कार्यालय सहायक निदेशक) के इस

सम्बन्ध में निरन्तर प्रयास किये जाने पर भी उक्त खण्ड द्वारा राज्य सरकार के उपभोग का क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं किया गया है जो उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम व नियमावली के प्रावधानों के पूर्ण उल्लंघन का प्रतीक है ।

उपरोक्त मामले शासन को जुलाई 1989 में प्रतिवेदित किए गये थे, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990) ।

ख—गन्ने के क्रय पर कर

7.3. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1988-89 के दौरान लेखापरीक्षा में किये गये चीनी मिलों तथा खण्डसारी इकाइयों के लेखों तथा सम्बद्ध अभिलेखों के जांच-परीक्षण में 202 लाख रूपये के गन्ने के क्रय पर देय कर का आरोपण न किया जाने/कम आरोपण किये जाने के 22 मामले प्रकाश में आये जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रूपयों में)
1. बिना कर का भुगतान किये हुए चीनी की निकासी	5	149.00
2. नियमों का अनुपालन न करने के कारण कर का कम निर्धारण	5	4.00
3. गन्ने के क्रय पर कर का अन्तरण	3	44.00
4. अन्य अनियमिततायें	9	5.00
योग	22	202.00

1988-89 के दौरान पाये गये कुछ महत्वपूर्ण मामले अनुवर्ती प्रस्तरों में दिये गये हैं।

7.4. कर-दर के गलत निर्धारण के कारण बकाया

उत्तर प्रदेश (क्रय-कर) अधिनियम 1961 की धारा 3

में, चीनी मिलों से, उनके द्वारा क्रय किये गये गन्ने पर 1.25 रूपये प्रति कुन्तल की दर से करारोपण तथा संग्रह के लिये प्रावधान किया गया है ।

गन्ना पेराई मौसम के अन्त में, कर निर्धारण अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह मिल द्वारा ख़रीदे गये गन्ने की मात्रा तथा मौसम के दौरान मिल में उत्पादित चीनी की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, अनन्तिम दर से वसूल की गई धनराशि को घटा कर बचे हुये क्रय-कर की देयता स्टाक में बचे हुये चीनी के बोरोंपर वितरित कर के प्रति बोरा चीनी पर देय टैक्स की दर संशोधित करें, अतः संशोधित दर इस प्रकार निर्धारित की जाती है कि कर की सम्पूर्ण धनराशि, मौसम में उत्पादित चीनी की अन्तिम बोरी के निकासी के साथ-साथ मिल से वसूल हो जाय ।

(अ) मुरादाबाद जिले की एक चीनी मिल ने, 1986-87 के मौसम के दौरान 24.37 लाख कुन्तल गन्ने की खरीद की थी जिस पर 30.45 लाख रूपयों का कर प्रभार्य था । कर निर्धारण अधिकारी ने, 16 नवम्बर 1986 को 11 रूपये प्रतिबोरी का अनन्तिम कर-दर निर्धारित किया और 8 अक्तूबर 1987 को 21 रूपये प्रतिबोरी का अन्तिम कर-दर निर्धारित किया । मई 1988 तक चीनी के बोरियों का सम्पूर्ण स्टाक निष्कासित हो गया लेकिन अन्तिम दर के गलत निर्धारण के कारण क्रय-कर की 3.81 लाख रूपयों की धनराशि असंग्रहीत रह गई।

अगस्त 1988 में गन्ना निरीक्षक तथा सहायक चीनी आयुक्त ने मिल के वैयक्तिक लेजर-लेखा में पड़ी हुई 10,145 रूपयों की धनराशि को देयकर के भुगतान हेतु समायोजित करने का आदेश दिया ।

मिल द्वारा अवशेष धनराशि का एक मुश्त भुगतान नहीं किया गया । परन्तु सितम्बर 1989 के अर्थात् अगले पेराई मौसम (1988-89) के अन्त में कर निर्धारण अधिकारी नें 1988-89 में उत्पादित चीनी के उस स्टाक पर, जो आदेश करते समय स्टाक में था, 8.00 रूपये प्रतिबोरी कर-दर बढ़ा कर, उपरोक्त कर की धनराशि की वसूल करने को आदेश दिया । इस प्रकार अवशेष कर दायित्व की एक मुश्त वसूली करने के बजाय, कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध, चीनी मिल को परोक्ष में वित्तीय रियायत प्रदान किया ।

(ब) वर्ष 1987-88 के मौसम में उक्त मिल ने 24.20 लाख कुन्तल गन्ना खरीदा जिस पर क्रय-कर का 30.24 लाख रूपया देय था । चीनी की बोरियों पर अनन्तिम दर 15 रूपये प्रतिबोरी रक्खा गया तथा 8 अगस्त 1988 को अन्तिम दर 16 रूपये प्रतिबोरी निर्धारित किया गया । नवम्बर 1988 तक, क्रय-कर का 25.27 लाख रूपया वसूल कर लिया गया था और 4.97 लाख रूपयों का अवशेष 29,198 चीनी की बोरियों पर, जो स्टाक में बची थीं, देय था । 16 रूपये प्रतिबोरी की दर से 29,198 चीनी की बोरियों पर 4.67 लाख रूपयों का कर आकलित होता था । इस प्रकार अन्तिम दर के गलत निर्धारण के कारण 29,987 असंग्रहीत रह जायेगा ।

सम्प्रेक्षा में इसके इंगित किये जाने पर (दिसम्बर 1988), कर निर्धारण अधिकारी ने, 24 मई 1988 को 16 रूपये प्रति चीनी की बोरी की अन्तिम दर संशोधित कर के 17.50 रूपये प्रति चीनी की बोरी निर्धारित कर दी जिससे कि अवशेष 29,198 रूपया वसूल किया जा सके ।

यह मामला शासन को मई 1988 में प्रतिवेदित किया गया था ।

7.5. मिल के अपने फार्म पर गन्ने की उगाई पर गन्ना क्रय कर का भुगतान न किया जाना

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति की व्यवस्था उस क्षेत्र में स्थित गन्ना समितियों के माध्यम से प्रत्येक मिल को आवन्टित क्षेत्रों से, की जाती है । गन्ना समितियों/गन्ना विकास परिषदों को चीनी मिलें क्रय किये गये गन्नों की मात्रा पर 20 पैसे प्रति कुन्तल की दर से कमीशन का भुगतान करती हैं ।

चूंकि ऐसा देखने में आया कि कुछ मिलें अपने निजी फार्मों में उत्पादित गन्ने का सीधे उपयोग कर रहीं थी जिससे कि सरकार को गन्ने के क्रय पर कर की हानि होती थी समितियों/परिषदों को कमीशन का नुकसान उठाना पड़ता था । गन्ना आयुक्त ने 1971 के एक सरकारी आदेश के तहत सभी चीनी मिलों के अधिग्राहियों को अपने निजी फार्म में उगाये गये गन्नों की आपूर्ति गन्ना समितियों के अभिकर्ता के माध्यम से प्राप्त करने तथा ऐसे गन्नों पर क्रय कर तथा समितियों को देय कमीशन का भुगतान करने का निर्देश देते हुए, 21 मार्च 1983 को एक विज्ञप्ति जारी किया ।

गन्ना आयुक्त के आदेश के विपरीत, बरेली जिले के एक चीनी मिल ने वर्ष 1986-87 व 1987-88 के मौसमों के दौरान अपनी

मिल के फार्म में उगाये गये क्रमशः 66,711.41 कुन्तल व 78,344.99 कुन्तल गन्ना जैसा कि आर0जी0 4 रजिस्टर (गन्ने का लेखा) के देखने से विदित होता है, चीनी के निर्माण में उपयोग किया था जिस पर 1.81 लाख रूपये का क्रय-कर देय था परन्तु इसका भुगतान नहीं किया गया ।

यह मामला विभाग को जून 1989 में तथा शासन को जुलाई 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; नवम्बर 1989 में अनुस्मारक भेजे जाने पर भी उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1990) ।

अध्याय 8

वन प्राप्तियाँ

8.1. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1988-89 के दौरान आडिट द्वारा खण्डीय अभिलेखों की जांच परीक्षण में अनियमितताओं के 263 मामले, जिनमें 3128.82 लाख रूपयों का राजस्व निहित था, देखने में आये, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रूपयों में)
1. रायल्टी का गलत नियत किया जाना	29	1738.52
2. तेंदू पत्तों के संग्रह तथा व्ययन में अनियमितताएं	5	227.38
3. रियायती दरों पर वन उत्पाद का आबंटन	25	215.13
4. अर्थ दण्डों का न लगाया जाना/कम लगाया जाना	35	149.60
5. लीसा के निकलने में अनियमितताएं	22	88.12
6. पटटा किराये की वसूली का न होना	15	27.38

7. स्टाम्प शुल्क के न लगाये जाने से राजस्व हानि	29	18.24
8. आरामिलों का पंजीकरण न किये जाने के कारण राजस्व हानि	19	6.71
9. अन्य अनियमिततायें	84	657.74
योग	**263**	**3128.82**

वर्ष 1988-89 तथा पूववर्षों में देखे गये कुछ महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है ।

8.2. रायल्टी दर का गलत नियतन

(1) वर्ष 1981-82 में मुख्य वन उत्पादों पर रायल्टी का नियतन मूलरूप से पिछले तीन वर्षों के औसत के आधार पर विभाग द्वारा नियत किया जाता था । आगे चलकर अप्रैल 1984 में शासन ने सभी प्रजातियों के लिये इस पर 41.08 प्रतिशत की वृद्धि कर दी । सितम्बर 1983 के शासनादेश के अनुसार वर्ष 1982-83 तथा आने वाले वर्षों में रायल्टी का नियतन निम्न सूत्र (फार्मूले) के आधार पर किया जाना था, गत वर्ष की रायल्टी में जोड़े-

(i) गत वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष के टिम्बर के मूल्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा गतवर्ष बेचे गये टिम्बर के मूल्यों में हुई वृद्धि का प्रतिशत, तथा

(ii) वर्तमान वर्ष में अर्थात् वह वर्ष जिसके लिये रायल्टी निर्धारित की जानी है, असाधारण वृद्धि यदि काई हुई हो तो (उसकी

प्रतिशतता)

इसके अतिरिक्त रायल्टी नियतन समिति ने संस्तुति की थी (अगस्त 1984) कि 1982-83 में शिवालिक मण्डल से उत्तर प्रदेश वन निगम को आबंटित की गई साल, सैनी, शीशम, खैर आदि प्रजातियों के लिये वर्ष 1980-81 की दरों में 20 प्रतिशत तथा चीड़ के लिये 3 प्रतिशत की वृद्धि कर के रायल्टी की दर नियत की जाये। यह संस्तुति मुख्य अरण्यपाल (प्रबन्ध) द्वारा सितम्बर 1984 में स्वीकार कर ली गयी।

शिवालिक वन प्रखंड तथा राजाजी नेशनल पार्क देहरादून के आडिट (अप्रैल 1988) के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 1982-83 के वन उत्पादों का वन निगम को किये गये आवंटन पर रायल्टी का नियतन (फिक्सेशन), रायल्टी की वर्ष 1981-82 की पुनरीक्षित दरों पर शासन द्वारा अप्रैल 1984 में निर्धारित की गयी 41.08 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी शामिल न करके विभाग द्वारा पुरानी दरों में बढ़ोत्तरी करके किया गया था। इस गलती के फलस्वरूप वर्ष 1982-83 की अवधि में शिवालिक प्रखण्ड में 2.59 लाख रूपयों के व राजाजी नेशनल पार्क प्रखण्ड में 14.84 लाख रूपयों के राजस्व की हानि हुई।

वर्ष 1982-83 में रायल्टी के दर को गलत नियतन किये जाने के कारण आने वाले वर्षों में इसका संचयी प्रभाव पड़ा, जिसके फलस्वरूप वर्ष 1983-84 से 1987-88 की अवधि में शिवालिक प्रखण्ड में 153.83 लाख रूपये तथा राजाजी नेशनल पार्क प्रखण्ड में वर्ष 1983-84 से 1985-86 की अवधि में 66.84 लाख रूपये के राजस्व

की हानि हुयी ।

आडिट द्वारा (अप्रैल 1988) में इसे इंगित करने पर मुख्य अरण्यपाल (नियोजन) ने सूचित किया (अप्रैल 1989) कि दिसम्बर 1988 और जनवरी 1989 के बीच वन निगम के विरूद्ध 154.99 लाख रूपये की अतिरिक्त मांग (1985-86 तक के लिये) प्रेषित कर दी गयी है ।

मामले की रिपोर्ट शासन को जुलाई 1988 में दी गई थी; जनवरी 1990 में भेजे गये अनुस्मारक के बावजूद उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ii) सितम्बर 1978 के शासनादेश के अनुसार यदि उत्तर प्रदेश वन निगम को कोई लाट आवंटित किया जाता है और उस लाट का कार्य आवंटित वर्ष में शुरू नहीं किया जाता है तब रायल्टी की वसूली उस वर्ष के दर के अनुसार की जायेगी जिस पर वर्ष में वह कार्य वास्तव में किया गया है ।

जिस वर्ष लाटों पर कार्य किया गया था उस वर्ष के लिये लागू होने वाली रायल्टी की दरों को न लगा कर जिस वर्ष लाटों का आबंटन किया गया था उन वर्षों के लिये लागू दरों पर मांग प्रस्तुत किये जाने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश वन निगम से चीड़ के लाटों हेतु 14.25 लाख रूपयों की कम रायल्टी वसूल किये जाने का उल्लेख राजस्व प्राप्तियों की वर्ष 1987-88 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 8.3(ख) में किया गया था ।

यह और जानकारी में आया है कि चकराता वन प्रखण्ड में एक देवदार का लाट (आयतन: 420.367 घन मीटर) और एक चीड़ का लाट (आयतन: 332.163 घन मीटर) निगम को जनवरी 1984 में और अक्तूबर 1984 में, क्रमशः वर्ष 1983-84 और 1984-85 में कार्य करने हेतु, आबंटित किये गये थे । 1983-84 के लिये देवदार की रायल्टी की दर 364 रूपये प्रति घन मीटर और 1984-85 के लिये चीड़ की रायल्टी की दर 326 रूपये प्रति घन मीटर थी । दोनों लाटों का कार्य निगम द्वारा वर्ष 1986-87 में किया गया था जिस समय **"देवदार"** व **"चीड"** की रायल्टी की दर क्रमशः 737 रूपये तथा 477 रूपये प्रति घन मीटर थी । परन्तु जैसा कि सितम्बर 1978 के शासनादेश में अपेक्षित था प्रखण्ड ने उपरोक्त लाटों हेतु कार्य के वर्ष की दरों के आधार पर 4.68 लाख रूपये के स्थान पर आबंटन के वर्षों हेतु लागू दरों के आधार पर 2.61 लाख रूपये की रायल्टी की मांग किया जिसके फलस्वरूप 2.07 लाख रूपये की कम वसूली हुई ।

लेखापरीक्षा में (अप्रैल 1988) इसके इंगित किये जाने पर खण्डीय वन अधिकारी ने 2.07 लाख रूपयों की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी (सितम्बर 1988) ।

यह मामला शासन को जून 1988 में प्रतिवेदित किया गया ।

8.3 नियमों का अनुपालन न करने से हानि

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली

1972 के अनुसार किसी व्यक्ति के एजेन्ट नियुक्त किये जाने पर उसे नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर एक अनुबन्ध निष्पादित करना होगा । जिसके न किये जाने पर नियुक्ति निरस्त कर दी जानी होगी । इसके अतिरिक्त यदि एजेन्ट अनुबन्ध के प्रावधानों के पालन में असफल रहता है तो शासन अनुबन्ध समाप्त कर सकती है और बकायों की वसूली भू-राजस्व के बकाये के रूप में कर सकती है ।

फरवरी 1987 के शासनादेश के द्वारा तराई अनुसूचित जन जाति विकास निगम को पांच वन प्रभागों (ललितपुर, पूर्व और पश्चिम मिर्जापुर, ओबरा और रेनूकूट) के वर्ष 1987 फसली का तेन्दूपत्ता संग्रहण हेतु एजेन्ट नियुक्त किया गया था । आदेशों के अनुसार एजेन्ट द्वारा 468.35 लाख रूपयों की रायल्टी तीन समान किस्तों में क्रमशः 1 दिसम्बर 1987, 1 मार्च 1988 और 1 जून 1988 को जमा करना था । किन्तु जून 1988 तक निगम ने रायल्टी के रूप में मात्र 234.08 लाख रूपये और बिक्री कर के रूप में 24.86 लाख रूपये जमा किये थे; फिर भी शासन के आदेशानुसार (अप्रैल 1988) निगम को सम्पूर्ण माल का निर्यात करने दिया गया ।

आडिट द्वारा की गई संवीक्षा (जुलाई 1988 से जनवरी 1989) में पाया कि नियमों का उल्लघंन कर के निगम द्वारा कोई अनुबन्ध निष्पादित नहीं किया गया था और फलस्वरूप रायल्टी के अवशेष 234.28 लाख रूपये तथा उस पर देय बिक्री कर के 26.64 लाख रूपये की भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली किये जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकी । इसके अतिरिक्त

अनुबन्धा का निष्पादन न करने से 44.69 लाख रूपयों का स्टाम्प शुल्क वसूल नहीं किया जा सका ।

यह मामला विभाग तथा शासन को अगस्त 1988 तथा अप्रैल 1989 के दौरान प्रतिवेदित किया गया था, जनवरी 1990 में निर्गत अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं ।

8.4. उत्पादन के गलत आकलन के कारण राजस्व की हानि

(i) विभागीय आदेशों के अनुसार (नवम्बर 1956 और अक्तूबर 1969) खैर के पेड़ों का वर्गीकरण केवल दो श्रेणियों में अर्थात "उपयुक्त" और "अनुपयुक्त" में किया जाना था । उत्पादन की गणना करने व रायल्टी वसूल करने के लिये खैर के "अनुपयुक्त" पेड़ को "उपयुक्त" पेड़ का आधा माना जाना था ।

लखीमपुर खीरी व नैनीताल के दो वन प्रखण्डों के आडिट के दौरान यह देखा गया कि दिसम्बर 1988 से मार्च 1989 की अवधि में खैर के पेड़ों के उत्पादन की गणना में उपयुक्त और अनुपयुक्त की गणना क्रमशः एक और आधे के अनुसार न करके दो बटे तीन तथा एक बटे तीन के आधार पर किया गया था, जिसके फलस्वरूप 15.21 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

प्रखण्ड वर्ष और लाट की संख्या	उत्पादन जिस पर विभाग ने रायल्टी आरोपित किया	निर्धारित मानदण्ड के अनुसार उत्पादन	विभाग द्वारा निकाले गये उत्पादन में कमी	रायल्टी की दर प्रतिघन मीटर	राजस्व की हानि (लाख रूपयों में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(क्यूबिक मीटरों में)				
1. उत्तर खीरी वन प्रभाग, लखीमपुर खीरी 1985-86 1 लाट	53.959	100.294	46.335	1696	0.79
2. तराई पूर्व, वन प्रभाग, हल्द्वानी 1985-86, 23 लाट	569.977	968.635	398.658	2209	8.81
1986-87 19 लाट	392.886	644.289	251.403	2231	5.61
महायोग	**1016.822**	**1713.218**	**696.396**	**-**	**15.21**

मामले की सूचना विभाग और शासन को मार्च 1989 में दी गई थी; जनवरी 1990 में भेजे गये अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 1990)।

(ii) अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल (व्यवस्था) द्वारा निर्धारित (जून 1978) उत्पाद घटकों के आधार पर वन-उपजों के उत्पादनों के आंकलन तैयार किये जाते हैं। उत्तर प्रदेश वन निगम से वसूल की जाने वाली रायल्टी उन्हीं आकलनों के आधार पर नियत की जाती है।

उत्तरी खीरी वन प्रभाग लखीमपुर खीरी के आडिट के दौरान (दिसम्बर 1988) यह देखा गया कि खैर के 13 लाट (4 लाट

1986–87 के और 9 लाट 1987–88 के) उत्तर प्रदेश वन निगम को आवंटित किये गये थे। प्रखण्ड ने इन लाटों का उत्पादन 410.462 घनमीटर आकलित किया था और रायल्टी 7.70 लाख रूपये वसूल की जबकि उत्पादन के निर्धारित मापदण्डो के आधार पर उत्पादन 1135.152 (घन) मीटर आता है जिस पर 21.14 लाख रूपये रायल्टी वसूली योग्य थी। उत्पादन के गलत आकलन के फलस्वरूप 13.44 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई।

यह मामला विभाग को तथा शासन को मार्च 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; जनवरी 1990 में भेजे गये अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1990)।

8.5. अनुबन्धपत्र के निष्पादन न करने से राजस्व हानि

उत्तर प्रदेश वन मैनुअल के प्रस्तर 149 ए–5(i) के अनुसार वन उपज की बिक्री/आवंटन हेतु एक संविदा/अनुबन्ध निष्पादित किया जाना अपेक्षित है। जैसा कि उप आयुक्त, बरेली परिक्षेत्र बरेली द्वारा स्पष्ट किया गया है(30 अप्रैल 1990), भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत 14 जनवरी 1982 को जारी की गई उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना के अनुसार गौड़ वन उपज वरहा इत्यादि के संग्रह हेतु वन विभाग द्वारा निष्पादित 5000 रूपयों से अधिक मूल्य के ठेको पर 20 जनवरी 1982 से स्टाम्प शुल्क लगाया जाना है।

पाँच वन प्रखण्डों (चकराता, गढ़वाल, पुरोला, पिथौरागढ़ तथा टेहरी) में वर्ष 1984–85 और 1987–88 के बीच

औद्योगिक इकाइयों एवं सहकारी (कोआपरेटिव) समितियों को समय-समय पर निर्धारित किये गये मूल्यों पर आबंटन कर के लीसा की, जोकि एक गौड़ वन उपज है, बिक्री की गई थी।

अप्रैल से जून 1988 के बीच उपरोक्त प्रखण्डों के आडिट के दौरान देखा गया कि आबंटियों के साथ संविदा अनुबन्ध निष्पादित नहीं किये गये थे जबकि प्रत्येक मामले में लीसा की आपूर्ति का मूल्य 5000 रूपये से अधिक था और जिसके फलस्वरूप शुल्क नहीं वसूल किया गया। इकाइयों से स्टाम्प शुल्क की वसूली योग्य धनराशि 14.43 लाख रूपये थी।

जून 1988 में आडिट द्वारा इंगित करने पर सितम्बर 1988 और मार्च 1989 के बीच पिथौरागढ़ प्रखण्ड से सम्बंधित इकाइयों से स्टाम्प शुल्क के 5.65 लाख रूपये एफ.डी.आर/बैक पास बुक के रूप में वसूल किया गया किन्तु धनराशि को शासन के खाते में जमा नहीं किया गया (अप्रैल 1989)। अन्य प्रखण्डों के सम्बंध में उत्तर प्राप्त नही हुए हैं (जनवरी 1990)।

शासन को मामले की रिपोर्ट जून और अगस्त 1988 के मध्य की गयी; जनवरी 1990 में भेजे गये अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है। (अप्रैल 1990)

8.6. (बह कर आई लकड़ी के) लाटों के विक्रय न करने से राजस्व की हानि

प्रमुख मुख्य अरण्यपाल के आदेशानुसार (अप्रैल 1985)

प्रत्येक वर्ष के 31 दिसम्बर को बह कर आई लकड़ियों के लाटों की बिक्री की सूची * उत्तर प्रदेश वन निगम को उपलब्ध कराया जाना था।

दिसम्बर 1988 में उत्तर खीरी वन प्रभाग लखीमपुर खीरी के आडिट के दौरान यह देखा गया कि प्रमुख मुख्य अरण्यपाल के आदेशो का उल्लंघन करके प्रखण्ड के वर्ष 1985–86 की बह कर आई लकड़ी के 9 लाटों की बिक्री सूची मार्च 1986 में तैयार की गई थी और निगम को उपयोग के लिए अप्रैल 1986 में भेजी गई गयी। इन लाटों में सामान का अनुमानित मूल्य 1.46 लाख रुपये था। निगम ने इन लाटों पर कार्य करने से इन्कार कर दिया क्योंकि उसे निर्धारित तिथि के अन्दर बिक्री सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। प्रखण्ड का यह वैकल्पित प्रस्ताव कि माल का निस्तारण या तो नीलामी द्वारा अथवा विभाग द्वारा कार्य करवा कर कर दिया जाय, अरण्यपाल, केन्द्रीय मण्डल, लखीमपुर-खीरी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया (अप्रैल 1986)। इसी बीच 1986 की बरसात में सारा का सारा माल बह गया जिसके फलस्वरूप 1.46 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

मामले की रिपोर्ट विभाग तथा शासन को मार्च 1989 में की गई थी; फरवरी 1990 में भेजे गये अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है।

---

* "बिक्री-सूची" में बेचे/आबंटन किये जाने वाले लाटों का स्थान और प्रजातियों वार विवरण जैसेकि प्रत्येक लाटों में पेड़ की संख्या, उनकी मोटाई (गिर्थ) और प्रजाति दर्शित की जाती है।

8.7. लीज रैंट की कम वसूली

अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल, कुमायूं, नैनीताल के अक्टूबर 1976 के स्थायी आदेश के अनुसार, जो 7 सितम्बर 1978 से उत्तर प्रदेश वन निगम पर भी लागू कर दिया गया था, ठेकेदारों द्वारा अपने सामानों को रखने हेतु वन विभाग की भूमि का उपयोग करने के लिए उनसे 1000 रूपये प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से लीज रैंट वसूल किया जाना था।

तराई पूर्व वन प्रखण्ड हल्द्वानी में निगम द्वारा 1 नवम्बर 1982 से 31 अक्टूबर 1988 तक अपनी सेल डिपो के लिए कब्जा की गई वन विभाग की 24.1765 हेक्टेयर भूमि के लिये लीज रैंट 1000 रूपये प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष के स्थान पर 500 रूपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वसूल किया गया था। इसके फलस्वरूप 0.73 लाख रूपये लीज रैंट की कम वसूली हुई।

आडिट में (जनवरी और मार्च 1989 के बीच) इस ओर इंगित किये जाने पर विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 1989) कि 500 रूपये प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष की दर वन विभाग के अधिकारियों की 4 दिसम्बर 1984 की एक बैठक में तय की गई थी। परिशोधित आदेश आडिट को उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर लिये गये निर्णय से अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल कुमायूं, नैनीताल के स्थायी आदेशों का उल्लंघन होता है।

मामले की रिपोर्ट शासन को (जनवरी और मई 1989 के बीच) की गई थी; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990)।

अध्याय 9

अन्य विभागीय प्राप्तियाँ

क – सिंचाई विभाग

9.1. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1988-89 के दौरान लेखापरीक्षा में 30 सिंचाई प्रखण्डों के 95 मामलों में 112.52 लाख रूपयों की निहित अनियमिततायें (राजस्व की मांग एवं वसूली से सम्बन्धित) देखने में आईं जो मोटे तौर से निम्नलिखित श्रेणियों में आती है:

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रूपयों में)
1. नहर के जल का अनधिकृत उपयोग	5	8.73
2. (अ) स्थानान्तरित कर्मचारियों से किराये का वसूल न किया जाना	5	1.56
(ब) सरकारी भवनों के किराये का पुर्नरीक्षण न किया जाना	4	8.30
3. स्टाम्प शुल्क का वसूल न किया जाना	32	7.48
4. यांत्रिक दोषों के कारण नलकूपों की बन्दी से हानि	8	5.60
5. आराजी (उपज) भूमि को पट्टे पर न दिये जाने के कारण हानि	4	5.57

6. सरकारी भवनों में रहने वालों से जल कर का न वसूल किया जाना	3	3.16
7. विद्युत प्रभार में छूट का दावा न करने के कारण हानि	5	2.50
8. पुनरीक्षित दरों पर टेन्डर फीस का वसूल न किया जाना	3	0.18
9. अन्य अनियमिततायें	26	69.44
योग	**95**	**112.52**

वर्ष 1988-89 एवं पूर्ववर्ती वर्षों में देखे गये कुछ महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है ।

9.2. नलकूपों की मरम्मत में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि

वर्ष 1965 में निर्गत नलकूप निदेशक सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के स्थायी आदेशों के अनुसार राजकीय नलकूपों में यांत्रिक दोषों की मरम्मत/सुधार के लिये 48 घन्टे से 7 दिन तक की अधिकतम बन्दी अनुमत थी । आदेशों में मरम्मत हेतु निर्धारित अधिकतम अवधि से अधिक समय तक नलकूपों की बन्दी के लिये कर्मचारियों को (विभिन्न स्तरों पर) अनिवार्य रूप से दण्ड दिया जाना, जैसे सेवा निवृत्ति, पदावनति आदि, का भी प्रावधान है ।

पांच नलकूप प्रखडों की लेखापरीक्षा (1987-88 एवं

1988-89) के दौरान यह देखा गया कि रबी 1394 फसली से 1395 फसली (1986-87 से 1987-88" एवं खरीफ 1395 फसली (1987-88) के दौरान 259 राज्य नलकूप अधिकतम निर्धारित अवधि के बाद भी यांत्रिक दोषों के कारण 6 दिन से लेकर 130 दिन तक बन्द रहे । इस तथ्य के बावजूद कि नलकूपों के उचित रखरखाव के लिये प्रत्येक नलकूप प्रखंड द्वारा एक कर्मशाला का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है, नलकूपों में दोषों के सुधार में विलम्ब उस समय हुये जबकि सिंचाई के लिये पानी की मांग अपनी चर्म सीमा पर थी । मरम्मत में विलम्ब के फलस्वरूप अधिकतम आवश्यकता के समय किसान सिंचाई की सुविधाओं से वंचित रहे और उन अवधियों हेतु जिनमें बिजली की आपूर्ति उपलब्ध थी सरकार को 3.06 लाख रूपये (1.20 रूपये प्रति 5000 तथा 10000 गैलन की दर से क्रमशः रबी व खरीफ फसली के राजस्व की हानि उठानी पड़ी । निर्धारित समय के भीतर मरम्मत करने के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

विभाग को इन मामले की रिपोर्ट सितम्बर 1987 और सितम्बर 1988 के मध्य तथा शासन को फरवरी 1989 में की गयी; नवम्बर 1989 में भेजे गये अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर अभी नहीं प्राप्त हुये (अप्रैल 1990)।

9.3. नहरों पर पनचक्की के पट्टा अनुबन्धों में नियमों का पालन न किया जाना

सिंचाई विभाग के आदेश संहिता (मैनुअल आफ आर्डर) में निहित प्रावधानों के अनुसार नहर की पनचक्कियों की निलामी के

मामलों में, जो एक वर्ष की निर्धारित अवधि के लिये की जाती है, सामान्यत: ठेकेदारों से किराया प्रत्येक पखवारे में वसूल किया जायेगा और इसकी शर्त अनुबंध में ही की जानी चाहिये । चक्कियों की नीलामी चल रहे पट्टे की समाप्ति के तीन माह पूर्व की जानी चाहिये । मैनुअल के प्रस्तर 326 में यह भी प्रावधान है कि सभी नहरों पर पनचक्की के पट्टों के मामलों में, जिनमें एक निश्चित पट्टे की रकम (लीज रेंट) देय है और कोई किश्त (प्रीमियम) नहीं दिया गया है, वहीं स्टाम्प शुल्क लगेगा जैसा कि पट्टे के अन्तर्गत देय अथवा दी गई सम्पूर्ण राशि हेतु किसी बाण्ड-विलेख पर देय होता है ।

सिंचाई प्रखंड हलद्वानी में देखा गया (मई 1988) कि 1967-68 और 1986-87 के बीच निष्पादित (एक वर्ष के लिये) चक्की ठेके के बहुत से मामलों में ठेकेदार किराये की पूरी धनराशि अनुबंध में निर्धारित अवधि में जमा करने में असफल रहे । फिर भी नहर चक्कियों को पट्टे की पूरी अवधि तक उन्हें चलाने दिया गया । जिसके फलस्वरूप 2.37 लाख रूपये चक्की का किराया नहीं वसूल किया गया । यह भी देखा गया कि पचास अनुबन्धों के मामलों में (अप्रैल 1980 और मार्च 1988 के मध्य विभाग व ठेकेदारों के बीच निष्पादित) जिसमें निहित किराया 3.51 लाख रूपये था, जिस पर देय स्टाम्प शुल्क के 15,627 रूपयों के विरूद्ध स्टाम्प शुल्क के केवल 297 रूपये लगाये गये जिसके फलस्वरूप चक्की के किराये के 2.37 लाख रूपये वसूल न किये जाने के अलावा 15,330 रूपये की राजस्व हानि हुई ।

मामले की सूचना विभाग को जुलाई 1988 में तथा

शासन की फरवरी 1989 में दी गयी; नवम्बर 1989 में भेजे गये अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अप्रैल 1990)।

9.5. सरकारी आवासीय भवनों के आवासियों से जलकर का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश के मूल नियमों (फण्डामेंटल रूल्स) के अन्तर्गत सरकारी आवासीय भवनों के सम्बन्ध में आवासियों द्वारा देय नगर पालिका के (म्युनिसिपल) तथा अन्य कर प्रथमतः सम्बन्धित सरकारी विभाग द्वारा स्थानीय निकायों को अदा किये जाते हैं और बाद में भवनों के निवासी सरकारी कर्मचारियों से मासिक लाइसेन्स फीस अर्थात् किराया के साथ वसूल किये जाते हैं।

जौनपुर तथा फैजाबाद के सिंचाई प्रखण्डों में यह देखा गया (अक्तूबर तथा नवम्बर 1988) कि सिंचाई विभाग के आवासीय भवन जिनमें कर्मचारी रहते थे, उनका 1981-82 से 1987-88 की अवधि का जलकर (1.56 लाख रुपये) जो कि सरकार द्वारा नगर पालिका परिषद् को भुगतान कर दिया गया था, कर्मचारियों से वसूल नहीं किया गया और न ही राजस्व शीर्ष "भवनों का किराया-जलकर" में ही जमा किया गया।

मामले की सूचना विभाग को नवम्बर 1988 तथा दिसम्बर 1988 में और सरकार को जनवरी 1989 में दी गई; नवम्बर 1989 में अनुस्मारक भेजने के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये। (अप्रैल 1990)

9.5. **पुनरीक्षित दरों पर निविदा शुल्क की वसूली न किया जाना**

31 अगस्त 1982 से शासन द्वारा निविदा शुल्क की दरो को पुनरीक्षित किया गया था । ऐसी निविदाओं के संबंध में, जिनका मूल्य एक लाख रूपये तक था, उनकी (पुनरीक्षित) दरें वर्तमान दरों से अधिक थीं ।

यद्यपि शासन ने उपरोक्त आदेश सभी विभागों को तुरन्त आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिया था, किन्तु सिंचाई विभाग अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विभिन्न कार्यालयों को यह आदेश भेजने में विफल रहा ।

1986-87 और 1988-89 के बीच किये गये दस सिंचाई प्रखडों के आडिट के दौरान यह देखा गया कि एक लाख तक के निविदाओं का निविदा शुल्क पुरानी दरों से ही वसूल किया जा रहा था । निविदा शुल्क की पुनरीक्षित दरों को लागू न करने के फलस्वरूप सितम्बर 1982 से मई 1988 की अवधि में 51,100 रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

मामले की सूचना विभाग को जून 1986 और दिसम्बर 1988 के मध्य तथा शासन को फरवरी 1989 में दी गयी, नवम्बर 1989 में भेजे गये अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अप्रैल 1990)।

ख – सार्वजनिक निर्माण विभाग

9.6. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1988-89 के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग के 38 प्रखण्डों के लेखा तथा सम्बद्ध अभिलेखों के जांच परीक्षण से 99 मामलों में 92.48 लाख रूपयों की अनियमितताओं का पता चला जो मोटे तौर से निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
1. अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क का न लिया जाना	44	36.81
2. भवनों का किराया वसूल न किया जाना	20	30.32
3. विभागीय प्रभारों का वसूल न किया जाना	2	6.29
4. ऐसफाल्ट ड्रमों की निलामी में राजस्व हानि	7	5.03
5. सरकारी देयों के भुगतान में विलम्ब हेतु क्षतिपूर्ति का वसूल न किया जाना	2	2.65
6. पुनरीक्षण के पूर्व दरों पर निविदा फार्मों की बिक्री	8	1.04

7. सरकारी भवनों के आवासियों से जलकर न वसूल किया जाना	2	0.81
8. अन्य अनियमितताएँ	14	9.53
योग	99	92.48

वर्ष 1988-89 एवं पूर्ववर्ती वर्षों में देखे गये कुछ महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है ।

9.7. **पट्टा अनुबन्धों पर सही स्टाम्प शुल्क का न लगाया जाना**

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (उत्तर प्रदेश में लगने हेतु यथा संशोधित) तथा अक्तूबर 1953 में जारी अनुदेशों के अनुसार नौका सेवाओं और पथकर संग्रहण के लिये, पट्टे की उस संपूर्ण धनराशि को, जिसके लिये पट्टा दिया गया है (जिसका कुछ भाग अग्रिम में अदा किया गया हो तथा शेष का भुगतान किस्तों में किया जाना स्वीकृत हो), प्रीमियम मानते हुये स्टाम्प शुल्क लगाया जाना है क्योंकि कोई किराया आरक्षित नहीं किया गया है *

दस सार्वजनिक निर्माण प्रखण्ड, फतेहगढ़ (दो प्रखण्ड), एटा, प्रतापगढ़, मुरादाबाद, राबर्ट्सगंज (मिर्जापुर), पीलीभीत, गोण्डा, जौनपुर व झाँसी में दिसम्बर 1981 से अगस्त 1988 के बीच । नौका घाट और 19 पुलों पर टोल टैक्स के संग्रहण हेतु पट्टाधारियों

---

* श्री गजय पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (ए0आई0आर0 1977 इलाहाबाद 79 फुल बेंच

के साथ अधिशासी अभियन्ता द्वारा निष्पादित 18 पट्टा अनुबन्धों के सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क, उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 35(क) के अन्तर्गत निर्धारित किस्तों को नियत किराया (प्रीमियम नहीं) मानते हुये, वसूल किया गया था, जोकि सही नहीं था। उपरोक्त मामलों में 18.89 लाख रूपये तक के स्टाम्प शुल्क कम लगाये गये।

कम स्टाम्प इयूटी लगाये जाने के मामलों की रिपोर्ट विभाग को मई 1988 से जनवरी 1989 के बीच तथा शासन को फरवरी 1989 में दी गयी; नवम्बर 1989 में अनुस्मारक भेजने के बावजूद भी उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अप्रैल 1990)।

9.8. विभागीय प्रभारों का वसूल न किया जाना

वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड 6 के प्रावधानों के अन्तर्गत गैर सरकारी निकायों के निमित्त विभाग द्वारा किये गये निक्षेप कार्यों (डिपाजिट वर्क्स) के सम्बन्ध में, कार्यों पर हुए वास्तविक व्यय का 15 प्रतिशत विभागीय प्रभार के रूप में वसूल कर के सरकारी लेखा में जमा किया जाना होता है।

इलाहाबाद में (अगस्त 1986) और सुल्तानपुर में (नवम्बर 1988) दो सार्वजनिक निर्माण खण्डों के लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि जिला परिषद् और म्यूनिसिपल बोर्ड के निमित्त प्रखण्ड द्वारा वर्ष 1981-82 (इलाहाबाद) तथा 1984-85 से 1986-87 (सुल्तानपुर) की अवधि में निक्षेप कार्यों पर विभागीय प्रभार के रूप में 7.30 लाख रूपये न तो आरोपित किया गया और न ही वसूल किया गया।

लेखापरीक्षा (अगस्त 1986 और नवम्बर 1988) में इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने इलाहाबाद प्रखण्ड (4.83 लाख रूपये) के बारे में बताया कि नगर महापालिका इलाहाबाद से धनराशि की वसूली के लिये प्रयत्न किये जायेंगे। कृत कार्यवाही की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है (अप्रैल 1990)।

मामले की रिपोर्ट शासन को जनवरी 1985 में की गयी थी, अभी उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1990)।

9.9. सरकारी आवासों के आवासियों से किराये का वसूल न किया जाना

सितम्बर 1976 में जारी की गई सरकारी अधिसूचना के अनुसार उन व्यक्तियों को जो सामान्यतया आवास प्रदान किये जाने के लिये अधिकृत नहीं है, पूल्ड गृह योजना के सरकारी आवासों का आवंटन राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता था। ऐसे मामले में प्रभार्य किराया बाजार दर पर या मानक किराये का दो गुना, जो भी उच्चतर हो, होता है।

रायबरेली, देहरादून, गोरखपुर, फतेहगढ़, इटावा और उन्नाव में 47 व्यक्तियों को जो कि सरकारी आवासीय भवनों के आबंटन के हकदार नहीं थे, जैसे निगमों, उपक्रमों, केन्द्रीय सरकारी स्कूलों के कर्मचारी जज आदि को पूल्ड सरकारी आवास आबंटित किये गये थे और वे वसूली योग्य किराया, अर्थात् बाजार दर, या मानक किराये का दो गुना जो भी उच्चतर हो उसका भुगतान न करके मात्र

वेतन के 10 प्रतिशत की दर से अथवा मानक किराये के समतुल्य भुगतान कर रहे थे । इसके फलस्वरूप उक्त अधिसूचना के आधार पर संगणन से सितम्बर 1976 से नवम्बर 1988 की अवधि के दौरान 5.22 लाख रूपयों तक के किराये की कम वसूली हुई ।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (अप्रैल 1987 तथा दिसम्बर 1988 के बीच) प्रखण्डीय अधिकारियों ने बताया कि आबंटन जिला अधिकारी द्वारा किया गया था तथा आवटंन आदेश में उनके द्वारा उच्चतर दर से किराया लिया जाना अपेक्षित नहीं था ।

9.10. स्थानान्तरित कर्मचारियों से किराये का वसूल न किया जाना

सरकारी आवास के आबंटन के विनियमन संबंधी नियमों के अनुसार कर्मचारी, जिन्हें सरकारी आवास आबंटित किये गये हैं, उनसे अपेक्षित है कि दूसरी जगहों पर स्थानान्तरित कर दिये जाने पर वे ज्वाइनिंगटाइम खतम होने के पहले आवास खाली कर दें । यदि उसके पश्चात् उसमें ठहरने की अनुमति मिलती है तो प्रथम माह हेतु किराया सामान्य दर से (मानक किराया या वेतन का 10 प्रतिशत जो भी कम हो) देय है; प्रथम माह के बाद की अवधि हेतु दो माह के लिये मानक किराया, बाद के दो माह हेतु मानक किराया का दो गुना तथा उसके पश्चात् मानक किराये का तीन गुना प्रभार्य है । अवैध आवासियों के मामलें में (अर्थात बिना अनुमति के रहना) कानून के अनुसार कार्यवाही किये जाने का नियम में प्रावधान है । ऐसे मामलों में किराये की मांग

विभाग द्वारा सिविल सूट के माध्यम से बाजारू दर पर जैसा कि गैर सरकारी व्यक्तियों पर लागू है, की जा रही है ।

रामपुर, बिजनौर, मुज्जफर नगर, फतेहगढ़, उन्नाव और बस्ती में 38 कर्मचारी, जो जुलाई 1981 और मई 1986 के बीच अन्य स्थानों को स्थानान्तरित कर दिये गये थे, अपने आबंटित सरकारी आवासों का नियमों के अन्तर्गत प्रभार्य उच्चतर किराया दिये बिना 13 माह से 91 माह तक की अवधि तक अपने अधिकार में रक्खे रहे । इन मामलों में अंतर-मूलक किराया 3.41 लाख रूपया देय था, परन्तु नहीं दिया गया । सम्बन्धित कर्मचारियों से इस धनराशि को वसूल करने के लिये विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

विभाग को इस मामले की सूचना जुलाई 1987 से मार्च 1989 के बीच तथा शासन को जनवरी 1989 में दी गयी थी, ~~नवम्बर~~ 1990 में अनुस्मारक भेजने के बाद भी उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अप्रैल 1990)।

9.11. सरकारी देयों के भुगतान में विलम्ब हेतु क्षतिपूर्ति का वसूल न किया जाना

जनवरी 1980 के सरकारी आदेशों के अनुसार विभाग के नियंत्रण में कार्यरत प्रत्येक पथ कर वसूली बैरियर का नीलाम किया जाना अपेक्षित है और सम्बन्धित ठेकेदार के साथ पट्टा विलेख की शर्त संख्या 11(1) के अनुसार यदि कोई ठेकेदार पट्टा विलेख में उल्लिखित नियत तिथियों पर अथवा सात दिनों की छूट की अवधि (ग्रेसपीरियड)

के भीतर वार्षिक रैंट (पट्टा) विलेख में स्वीकार की गई धनराशि) की मासिक किस्तें जमा करने में असफल रहता है, तो उसे क्षतिपूर्ति के रूप में ऐसी प्रत्येक चूक के लिये वार्षिक रैंट का एक प्रतिशत से लेकर 10 प्रतिशत तक की धनराशि का, जैसा भी अधिशासी अभियन्ता द्वारा निर्णीत किया जाये, भुगतान करना होता है ।

फतेहपुर, मुज्जफर नगर, रानीखेत, तथा इटावा के चार प्रान्तीय खण्डों में देखा गया (जुलाई 1987 और जुलाई 1988) कि ठेकेदारों ने 1984-85 और 1987-88 के बीच विभिन्न अवधियों हेतु सालाना किराये की किस्तों 1984-85 और 1987-88 को छूट के 7 दिनों के बाद 3 दिन से लेकर 36 दिनों तक देरी से जमा किया किन्तु सरकारी देयों के भुगतान में विलम्ब हेतु क्षतिपूर्ति की वसूली के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी । इसके फलस्वरूप सरकार को कम से कम 2.57 लाख रूपयों तक की हानि हुई (वार्षिक किराये के 1 प्रतिशत की कम से कम की दर से गणना के आधार पर है) ।

मामले की रिपोर्ट विभाग को अगस्त 1987 से मार्च 1988 तथा जुलाई 1988 में और शासन को मार्च 1989 में दी गयी; उनके उत्तर [illegible] 1989 में भेजे गये अनुस्मारक के बावजूद भी नहीं प्राप्त हुए (अप्रैल 1990)।

9.12. विभागीय प्राप्तियों का दुरूपयोग

वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड VI के प्रावधानों के अनुसार विभागीय अधिकारियों द्वारा वसूल की गयी नकद रकम निकटतम

कोषागार में यथाशीघ्र जमा कर देना अपेक्षित है। यदि कोई प्रखण्डीय या उपखण्डीय अधिकारी सामयिक व्यय को पूरा करने के लिये अस्थायी रूप से कनद प्राप्तियों का उपयोग करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। परन्तु उसे माह की समाप्ति के पूर्व इस प्रकार उपभोग में लायी गयी धनराशि हेतु एक चेक सरकारी खाते में जमा करने के लिये कोषागार को अवश्य भेज देना चाहिये।

वर्ष 1986-87 की राजस्व प्राप्तियों के प्रतिवेदन के प्रस्तर (10.4) में प्रान्तीय खण्ड फैजाबाद द्वारा विभागीय प्राप्तियों के 70,585 रूपयों के दुरूपयोग का उल्लेख किया गया था।

इसके उपरान्त यह भी देखा गया कि अस्थायी निर्माण इकाई बलिया द्वारा 1988-89 की अवधि में वसूल किया गया 30,410 रूपया सरकार के खाते में जमा नहीं किया गया बल्कि उस विभागीय खर्चे के लिये उपयोग कर लिया गया। जैसा कि वित्तीय नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है इस प्रकार उपयोग में लायी गयी धनराशि हेतु कोई चेक कोषागार को नहीं भेजी गयी। लेखापरीक्षा में (मार्च 1989) में इस त्रुटि की ओर इंगित किये जाने पर 29 मार्च 1989 तथा 31 मार्च 1989 को यह धनराशि सरकार के लेखे में जमा कर दी गयी।

मामले की सूचना सरकार को मई 1989 में दी गयी थी।

ग – कृषि विभाग

9.13. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1988-89 के दौरान लेखापरीक्षा में किये गये कृषि विभाग के लेखा और समबद्ध अभिलेखों के जांच परीक्षण से 26 मामलों में 19.50 लाख रूपयों के राजस्व की अनियमितताओं का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में आती है:

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रूपयों में)
1. राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों के उत्पादन में कमी	9	12.15
2. उर्वरकों की बिक्री पर राज सहायता (सब्सीडी) का गलत दिया जाना	4	3.07
3. पूरे कृषि योग्य भूमि का उपयोग न करने के कारण हानि	1	1.33
4. अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क का वसूल न किया जाना	2	0.11
5. अन्य अनियमिततायें	10	2.84
योग	26	19.50

वर्ष 1988-89 एवं पूर्ववर्ती वर्षों में देखे गये कुछ महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है ।

9.14. फार्म की उपज में कमी

मार्च 1977 में कृषि निदेशक द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार क्षेत्रीय उपकृषि निदेशक द्वारा गठन की गई एक समिति द्वारा चुने हुए क्षेत्रों में वास्तविक फसल कटाईयों के आधार पर सरकारी फार्मों पर फसलें काटने के पूर्व उपज का अनुमान तैयार करना अपेक्षित है। कृषि निदेशक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अनुमानित और वास्तविक फार्म उपज के बीच दस प्रतिशत से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिये और इस से अधिक अन्तर के कारण होने वाली हानि सम्बन्धित फार्म अधीक्षक से वसूल की जानी अपेक्षित है।

जिला कृषि अधिकारी, वाराणसी, फतेहगढ़ और मुरादाबाद के आडिट (जून 1987 और सितम्बर 1988 के मध्य) के दौरान यह देखा गया कि राजकीय फार्मों पर गेहूं और धान की अनुमानित और वास्तविक उपज़ के बीच अन्तर दस प्रतिशत की अनुमत सीमा से अधिक था, जिसके फलस्वरूप राजस्व में 13.80 लाख रूपयों की कमी हो गयी, सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को प्राप्त न करने का कोई कारण व औचित्य सरकारी रिकार्ड में दर्शाया नहीं गया था। साथ ही अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह पता चलता कि हानि की वसूली हेतु सम्बन्धित फार्म अधीक्षक के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है।

विभाग को मामला अप्रैल 1988 व सितम्बर 1988 में तथा शासन को जनवरी 1989 में सूचित किया गया; नवम्बर 1990 में भेजे गये अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर नहीं प्राप्त हुये हैं (अप्रैल 1990)।

9.15. उर्वरक की बिक्री पर राज सहायता (सब्सीडी) की अनियमित स्वीकृति

राज्य सरकार ने 3 फरवरी 1986 को वायरलेस द्वारा भेजे गये अपने संदेश में छोटे व सीमान्त (मार्जिनल) कृषकों को कृषीय निवेशों (ऐग्रीकल्चर इन पुट्स) अर्थात् बीज, उर्वरक, कीट नाशक, नाशक जीव मारक दवाइयाँ, आदि की बिक्रियों पर मिलने वाली राज सहायता तत्काल बन्द कर दिये जाने हेतु सभी सम्बद्ध जिला अधिकारियों को निर्देश दिये थे। उक्त आदेशों के अनुसार 3 फरवरी 1986 के बाद जारी कृषीय निवेशों पर राज-सहायता की कोई बिल मानी नहीं जानी थी (आनर नहीं की जानी थी) ।

फिर भी छः जिला कृषि के कार्यालयों, मैनपुरी, अलीगढ़, कानपुर (शहर), उन्नाव, रायबरेली और हरदोई में उर्वरक की बिक्री पर 28 फरवरी 1986 तक राज-सहायता अधिकृत की गयी थी यद्यपि चार कार्यालयों में आदेश 4 फरवरी 1986 को, अलीगढ़ कार्यालय में 5 फरवरी 1986 को तथा कानपुर (शहर) में 18 फरवरी 1986 को प्राप्त हो गये थे । इसके फलस्वरूप 8.25 लाख रूपयों की अनयिमित राज-सहायता स्वीकृत की गई ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर (जुलाई 1987 और जनवरी 1989 के मध्य) जिला अधिकारियों ने बताया कि सरकारी आदेश देर से प्राप्त हुये थे ।

विभाग को इस मामले की सूचना सितम्बर 1987 और फरवरी 1989 के बीच तथा शासन को फरवरी 1989 में दी गई थी, उनके उत्तर नवम्बर 1989 में भेजे गये अनुस्मारक के बावजूद प्राप्त नहीं हुए (अप्रैल 1990)।

घ – सहकारिता विभाग

9.16. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1988-89 के दौरान लेखापरीक्षा में किये गये दो सहायक निबंधक कार्यालयों के लेखा और सम्बद्ध अभिलेखों के जांच परीक्षण से 3 मामलों में 2.39 लाख रूपयों के राजस्व की अनियमितताओं का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं:

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
1. संग्रह प्रभारों का राजकीय लेखा में जमा न किया जाना	2	2.22
2. निष्पादन शुल्क का वसूल न किया जाना	1	0.17
योग	3	2.39

ङ. – खाद्य तथा रसद विभाग

9.17. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1988-89 के दौरान लेखापरीक्षा में किये गये 12 जिलापूर्ति कार्यालयों के लेखा और सम्बद्ध अभिलेखों के जांच परीक्षण से 30 मामलों में 12.19 लाख रूपयों के राजस्व की अनियमितताओं का पता चला, जो मोटे तौर से निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं:

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रूपयों में)
1.कोयला व्यापारियों की व्यपगत (लैप्स) प्रतिभूतियों को सरकार के खाते में जमा न किया जाना	10	7.16
2.लेवी चीनी के निर्गत मूल्य में वृद्धि से उत्पन्न अन्तर का वसूल न किया जाना	4	0.29
3.राशन कार्ड के मूल्य का वसूल न किया जाना	8	3.57
4.कपड़ा विक्रेताओं से लाइसेंस फीस/ नवीनीकरण फीस का वसूल न किया जाना	5	0.88
5.चीनी का व्यापार करने वाली सहकारी समितियों से लाइसेंस फीस का वसूल न किया जाना	2	0.16
6.अन्य मामले	1	0.13
योग	30	12.19

वर्ष 1988-89 एवं पूर्ववर्ती वर्षों में देखे गये प्रतिभूतियों के जब्त न किये जाने वाले मामलों का उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है।

9.18. प्रतिभूति निक्षेपों का जब्त न किया जाना

शासन की दिनांक 28 दिसम्बर 1977 की विज्ञप्ति के

अनुसार कोयले का थोक या फुटकर लाइसेन्स लेने या ईंट भट्टा चलाने के लिये प्रत्येक अभ्यार्थी को, लाइसैंस निर्गत किये जाने के पूर्व जमानत की धनराशि, जो कोयला एजेन्ट के लिये 1000 रुपये, कोयला डिपो धारकों के लिये 200 रुपये तथा कोयला के द्वारा ईंट भट्टा चलाने के लिये 300 रुपये के आवधिक निक्षेप (फिक्स डिपाजिट) के रूप में किसी शेडयूल बैंक में जिलाधिकारी के नाम विधिवत बंधक किया जाना चाहिये। लाईसैंस समाप्ति के पश्चात् आवेदन दिये जाने पर जमानत की धनराशि पूरी अथवा उसका भाग यदि जब्त नहीं किया है तो लौटाया जा सकता है। लाईसैंस समाप्ति के एक वर्ष बाद जमानत लौटाने के लिये दिया गया कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और जमानत पूरी अथवा उसका कोई भाग जैसा भी मामला हो शासन के खाते में जब्त कर लिया जाना चाहिये।

13 जिलापूर्ति अधिकारी के कार्यालयों में देखा गया कि 5.93 लाख रूपयों के 1,790 मामलों में जिनमें लाईसैंस अप्रैल 1979 और अप्रैल 1987 के मध्य समाप्त हो गये थे, जमानत की धनराशि जब्त कर के शासन के लेखे में जमा नहीं की गयी थी यद्यपि कि लाईसैंस समाप्ति के एक वर्ष के अन्दर वापसी के लिये कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ था।

इन मामलों की सूचना शासन को अगस्त 1984 और जनवरी 1989 के मध्य दी गई थी। जून 1989 में शासन ने बताया की छानबीन करने पर पाया गया कि मामलों की वास्तविक संख्या 1215 है और जिसमें निहित धनराशि 4.12 लाख रूपये है। (अपने कार्यालय के विषय में जिलापूर्ति अधिकारी कानपुर द्वारा पूर्व में दी गयी सूचना सही नहीं थी) ऐसा बताया गया कि इसमें से 2.34 लाख रूपयों को

सरकारी कोषागार में जमा कर दियां गया । शेषधन की वसूली की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है (अप्रैल 1990) ।

ब – श्रम विभाग

9.19. संविदाओं पर स्टाम्प शुल्क का न लगाया जाना

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अधीन जारी 14 जनवरी 1982 को निर्गत सरकारी अधिसूचना के अनुसार ज्ञापन अनुबन्ध या जमानती बंधक पत्र (बान्ड) के रूप में कोई विलेख, जो किसी ठेकेदार द्वारा उसको सौंपे गये किसी कार्य के सम्पादन हेतु अथवा अन्य विभागों के साथ ही श्रम विभाग के साथ किये किसी ठीके के कार्यान्वयन हेतु प्रस्तुत अथवा निष्पादित किया जाता है, उस पर स्टाम्प शुल्क देय हो गया है । अपने पत्र दिनांक 8 मार्च, 1983 द्वारा उप आयुक्त स्टाम्प मेरठ ने स्पष्ट किया था कि ठेकेदारों द्वारा शासकीय कार्य के सम्पादन हेतु लगने वाली जमानत की जमा राशि पर जमानत की राशि नकद होने या आवधिक निक्षेप रसीद के रूप में होने के अनुसार अधिनियम के शेडयूल 1–बी के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क वसूल किया जायेगा। तदनुसार, प्रति हजार रूपये पर स्टाम्प ड्यूटी 85 रूपये या 42.50 रूपये (जोकि 17 अक्तूबर 1985 से बढ़ाकर क्रमानुसार 95 रूपयें व 47.50 रूपये कर दी गई है) जैसा भी मामला हो, आरोपणीय है ।

श्रम आयुक्त अनेक प्रकार के कार्य हेतु 1985–86 और 1987–88 के बीच विभिन्न ठेकेदारों से रूपये 52.36 लाख रूपये की कुल मूल्य वाले 146 अनुबन्ध काम के विभिन्न मदों के लिये सम्पादित किया था ।

ठेकेदारों के बिलों से जमानत जमा (सेक्यूरिटी डिपाजिट) के रूप में 5.24 लाख रूपयों की नकद कटौती की गयी थी ।

अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार उस पर कुल 45,503 रूपये स्टाम्प शुल्क आरोप्य था, किन्तु अनुबन्ध सादे कागज पर सम्पादित किये गये थे, जिसके फलस्वरूप स्टाम्प शुल्क आरोपित किये जाने से रह गया ।

इस मामले की सूचना विभाग को दिसम्बर, 1986 में और शासन को मई, 1989 में दी गयी थी; नवम्बर 1989 में दिये गये अनुस्मारक के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अप्रैल 1990)।

भारती प्रसाद

लखनऊ
दिनांक 26 मार्च 1991

(भारती प्रसाद)
महालेखाकार (आडिट)-II,
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

सि. जि. सोमैया

नई दिल्ली
दिनांक 15 अप्रैल 1991

(सि०जि०सोमैया)
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक

पी०एस०यू०पी०-14 महालेखाकार-11-12-90-2000 प्रतियां (आफसेट)